



Year - 9 & 10 (Joint Edition)
September 2018-2019

ISSN-2231-1130
Impact Factor - 3.521 (IIJIF)

VEETHIKA

VEETHIKA

Editor
Dr. Manjul Trivedi



A Peer Reviewed Multidisciplinary
Research Journal

Year - 9 & 10
September 2018 -2019

Year- 9 & 10 (Joint Edition)
September-2018-19

Impact Factor - 3.521 (IIJIF)
ISSN-2231-1130

VEETHIKA



Editor

Dr. Manjul Trivedi
Assistant Professor
Department of Education
B.S.N.V.P.G. College, Lucknow

Published By Pt. RSTM Society, Lucknow

Prerequisites:

- (1) The board of Editors do not have to be in consent with the content and the thoughts presented in the research papers/articles. Authors are solely responsible for the originality and authenticity.
- (2) All the posts including Board of Editors are honorary and liable to be changed.
- (3) Editor's consent is compulsorily needed for any content to be published. The author will not force editorial board to publish his/her Research paper/Article.
- (4) All the legal dispute will be sub-Judice into consideration under Lucknow, Jurisdiction.

Office

A-888, Sector I, Ashiana, lucknow
Contact No. - 9451346084, 7651898367
E.mail- veethikalko@gmail.com

CHIEF PATRON

Dr. Ravi Kishor Trivedi (P.D.S.)

HONORARY PATRON

Mr. Hridaynarayan Dixit
Hon. Speaker, U.P. Legislative Assembly
Dr. Manorama Tiwari
Ex-Principal, Mahila Degree College
Dr. Ram Naresh
Ex. Principal, D.B.P.G.C. Bachhrawa

BOARD OF ADVISORY

Prof. S.N. Kapoor
Ex-H.O.D, Department of A.I.H., University of Lucknow
Prof. Usha Mishra
Ex-H.O.D, Department of Education, University of Allahabad
Dr. Rajeshwar Prasad Mishra
Professor, Department of Sanskrit, University of Kurukshetra
Dr. Pawan Agrawal
Professor, Department of Hindi, University of Lucknow
Prof. Ranjan Tripathi
Department of Sanskrit, University of Delhi
Dr. Manorama Awasthi
Department of Hindi, JNPG College
Mr. Ram kishor "Bhukhan Bhaiya"
Senior Writer, Unnao

OUR REFEREE

Prof. O.P. Pandey
Ex-H.O.D. Sanskrit Department, University of Lucknow
Prof. H.N. Mishra
Department of Geography, University of Allahabad, Allahabad
Prof. Rajesh Mishra
Ex-H.O.D. Department of Sociology, University of Lucknow
Prof. Dhananjai Yadav
H.O.D, Department of Education, University of Allahabad
Dr. M.M. Semwal
Professor, Department of Political Science, HNBGU Srinagar, Garhwal
Dr. Yogendra Pratap Singh
Professor, Department of Hindi, University of Lucknow

CO-EDITORS

Dr. Ramrajan Dwivedi
Assistant Professor, Sociology
M.S.M.D.C. Unnao

Dr. Satya Mishra
Associate Professor, Sociology
N.S.N. P.G. College
Lucknow

Mr. Manish Mishra
Assistant Professor, Education
J.N.M. P.G. College, Lucknow

EDITORIAL BOARD

Dr. Malvika Ranjan
Associate Professor,
Department of A.I.H., B.H.U

Dr. J.S.P. Pandey
Associate Professor
B.S.N.V.P.G. College
Lucknow

Dr. Akanksha Singh
Assistant Professor
Department of Education
University of Allahabad

Dr. Prashant Shukla
Assistant Professor
Department of Philosophy
University of Lucknow

Dr. Suhasini Bajpai
Assistant Professor
Department of Education
MGAHV, Wardha

Dr. Ajeet Kumar Singh
Assistant Professor Hindi
V.M.L. Rajkiya P. G. College
Jhansi, U.P.

Dr. Rekha Ojha
Assistant Professor
Department of Philosophy
Vishwa-bharti Shanti Niketan

Dr. Sant Prakash Tiwari
Department of Sanskrit
University of Lucknow

Mr. Jitendra Kumar Pal
Assistant Professor
V.H.P.G. College, Lucknow

Dr. Yogendra Singh
Department of Hindi
University of Lucknow

Dr. Dinkar Prasad
Junior Resource person
I.L.I, Mysuru

Mayank Trivedi
Asst. Teacher, UPBSP

LEGAL ADVISOR

Mr. Anil Kumar Awasthi Advocate

Mr. Atul Kumar Trivedi Advocate

Sr. No.	Title of the Research Paper/ Research Article	Page No.
1	Nirmala: A Tragedy of Gender – Discrimination -Dr.Arati Dixit	1-8
2	Google Classroom as A Tool for Teaching Geometry at VII Grade Through Blended Learning Approach -Archana Pandey and Prof. Dhananjai Yadav	9-11
3	Cybercrime Against Children -Rajeev Kumar and Dr. Seema Mandoli	12-17
4	The Futile and Absurd act of Bureaucracy in Upamanyu Chatterjee's Novel 'The Mammaries of the Welfare State.' -Dr. Shivani Verma	18-21
5	A Comparative Study of Observe Fasting and Non-Fasting Female Students on their Anxiety Level -Jitendra Kumar Pal	22-25
6	MOOCs (Massive Open Online Courses): A Look to the Future of Learning -Dr. Gitesh Kumar Gupta	26-28
7	Study of Teaching Aptitude among Primary School Teachers -Sanjay Singh Yadav & Dr. Lata Prasad	29-34
8	शिक्षा में आई.सी.टी. के नवाचार -मनीष मिश्र	35-39
9	स्नातक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की आध्यात्मिक बुद्धि एवं शैक्षिक समायोजन के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन -डॉ० मन्जुल त्रिवेदी	40-42
10	उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के कुरीतियों का अध्ययन -डॉ० सरोज राय	43-46
11	शिक्षा का अधिकार अधिनियम आलोचनात्मक विश्लेषण -श्रीमती सुमनलता एवं श्रीमती सुनीता जायसवाल	47-53
12	भारतवर्ष नामकरण: परम्परा एवं प्रमाण -डॉ० शुद्धात्मप्रकाश जैन	54-58
13	भारतीय भाषाएँ तथा हिंदी का वर्तमान परिदृश्य -डॉ० दिनकर प्रसाद	59-62
14	1857 ई० के विद्रोह में टेलीग्राफ की भूमिका : एक ऐतिहासिक अध्ययन -डॉ० ज्ञानेश कुमार धुरिया	63-65
15	संत कबीरदास के दार्शनिक सिद्धांत-नवीन दृष्टिकोण -शिल्पी श्रीवास्तव	66-71
16	मानवीय उत्थान की सामाजिक संघर्ष गाथा: प्रत्यंचा -रज्जन प्रसाद शुक्ला	72-74
17	गीता और शिक्षा दर्शन : उपादेयता व प्रासंगिकता -ऐश्वर्या सिंह	75-79
18	मिथकीय लोकसाहित्य में इतिहास -डॉ० संतोष कुमार दुबे एवं डॉ० राधेश्याम साहू	80-84

19	ग्रामीण विकास में सूचना प्रौद्योगिकी : संभावनाएं एवं चुनौतियाँ —कृ० पिकी	85-89
20	पूर्वांचल क्षेत्र के असंगठित श्रमिकों की सामाजिक दशा —डॉ० संध्या पाण्डेय	90-91
21	भारत में महिलाएं: लैंगिक असमानता एवं सम्पत्ति का अधिकार —डॉ० सत्या मिश्रा	92-93
22	बालश्रम की अवधारणा एवं इसके कारण —प्रो० उषा मिश्रा एवं मोनिका राघव	94-98
23	अज्ञेय का काव्य शिल्प —डॉ० मंजरी खन्ना	99-106
24	प्राचीन भारत में स्तूपों का विकास: भरहुत एवं सांची के विशेष संदर्भ में —डॉ० आयशा फातमी	107-112
25	रामचन्द्र की शुक्लोत्तर हिन्दी आलोचना का स्वरूप एवं विकास —क्षमा मिश्रा	113-116
26	राहुल सांकृत्यायन: हिन्दी साहित्य में साम्यवाद का द्वार —डॉ० अजय सिंह यादव	117-119
27	सूफीवाद : इस्लामिक उदारता का परिष्कृत दृष्टिकोण —अनुपम आनन्द	120-121
28	ब्रह्माण्ड पुराण में भूगोल विषयक ज्ञान —गिरिजेश त्रिपाठी	122-127
29	कालिदास की रचनाओं के आधार पर गुप्तयुगीन महिलाओं का धार्मिक जीवन —महेंद्र कुमार वर्मा	128-130
30	योग और ग्रामीण समाज —डॉ० राम राजन द्विवेदी	131-133
31	विकलांगों के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के योगदान का समाजशास्त्रीय विश्लेषण —डॉ० जे०एस०पी० पाण्डेय एवं सन्दीप पाण्डेय	134-139
32	नाट्यशास्त्रे संस्कृतरङ्गमञ्चस्य वैशिष्ट्यम् —मीनाक्षी गौतम	140-141
33	वेदों में आयुर्विज्ञान का विवेचन —योगेन्द्र कुमार सिंह	142-144
34	प्राथमिक शिक्षा की समस्याएँ : उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के विशेष सन्दर्भ में —डॉ० अनिल कुमार पाण्डेय	145-147
35	इन्टरनेट उपयोगकर्ताओं एवं इन्टरनेट अनुपयोगकर्ताओं के मध्य अकेलापन का अध्ययन —हर्षिका जायसवाल	148-150
36	महिलाओं की शिक्षा सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन —श्वेता मिश्रा	151-154
37	लखनऊ नगर की संस्कृत संस्थाएँ एवं संस्कृत पत्र-पत्रिकाएँ — डॉ० पूजा जायसवाल	155-160

Nirmala: A Tragedy of Gender – Discrimination

Dr. Arti Dixit*

Studies on gender have in recent years, reached a prominent focal point within the discipline of social history and cultural studies. It is to be emphatically stated that gender is an integral part of all human experiences. It is omnipresent in human life, shaping the decisions, choices and life styles of individuals. It plays a crucial role in the lives of human beings, especially women, as they are usually in a disadvantageous position *vis-à-vis* the males. Indian society is so complex that it offers various categories of women enjoying varied and, at times, even contradictory social status. The status of women may differ from region to region, from community to community, from tribe to tribe and even from caste to caste. Indian tradition regarding the social position of women has also been paradoxical. Traditionally speaking, Indian women have not enjoyed sufficient freedom; they have been assigned an inferior status, particularly during the medieval times and even subsequently. The largely held point of view is that women in the Indian social system have always been treated as inferior to men and have been given a status lower than that of men. They have, therefore, been dependent on men for whatever position they have held in the society at a given moment of time.

The fiction of Premchand has a universal social significance. The way he shares everything with the reader, the social relevance of his subject matter and the delicacy of narration – they all help to keep Hindi fiction close to the Indian tradition.

Premchand's Nirmala is a classic text of woman-as-victim. Nirmala, the female protagonist, is the central figure in the novel. The episodes present themselves in a manner that her character is revealed and illustrated at each stage of a woman as a girl, as a wife and as a mother in different shades of Indian society with its focal point of the social problem of incompatible marriage.

Nirmala is the fragile and pathetic heroine of the novel. Her life is full of struggles and miseries but she never runs away from it. Premchand himself says, "A coward is a man who runs away from struggle" (qtd. in Rahbar).

Nirmala is a story of three separate upper middle class families who are linked to one another in some way or the other. Babu Udaya Bhanulal Sinha and Kalyani with their four children – Nirmala, Krishna, Chandrabhanu and Suryabhanu – form one group; Babu Bhalchandra Sinha and Rangilibai with their two sons – Bhuwan Mohan Sinha and an unnamed second son – form another; and Munshi Totaram with three sons and a widowed sister Rukmini form the third group in the novel. They all belong to the Kayastha community except Pandit Moteram Shastri, who belongs to the Brahmin community in this novel.

From the very beginning of the novel, the anxieties of Nirmala surface as soon as she comes to know about the settlement of her marriage. She, an innocent girl of fifteen, hides her face and takes refuge in a lonely corner of the house. She is not mature enough to understand and even

*Assistant Teacher, Basic Education Department, U. P.

handle the new course of life. She wants to study and enjoy life as her siblings: There is a strange fear that fills her heart, a nameless dread is gathering in every fibre of her being – for what does the future hold? There is no joy in her heart, no trace of that rapture which expresses itself in the shy glances of maidens and in half smiles that play on their lips, which overcomes their limbs with a deliberate languor. No, there are no aspirations there, no fond expectations, only fears, anxieties and dark imaginings.

Krishna, her younger sister, is unable to comprehend the situation in totality. She is pleased that her sister will get all kinds of jewellery and there will be musicians and festivities, guests and dancing. But she also knows and is sad at the prospect that her sister would leave her house forever, and she would be left all alone: But she doesn't understand why all this is happening at all, nor why her mother and father are so keen to drive her sister from their home. It's not as if her sister has said anything unpleasant to anyone, nor quarreled or anything so, she thinks, will I too be turned out in this way one day? I too will sit in a corner and weep like my sister, and no one will take pity on me? That is why she too is afraid.

One evening she comes to Nirmala and asks her to enjoy fresh air. But Nirmala is not in a mood to go anywhere. She even does not want to get married yet. Her sister questions the disparity of family equations between boy and girl:

“Why don't you tell Amma you won't go anywhere?” says Krishna.

Nirmala. I'm telling them all night, but who's listening?

Krishna. So isn't this your home too?

Nirmala. It obviously isn't, or else how could I be sent away forcibly?

Krishna. Will I too be turned out this way one day?

Nirmala. So d' you expect to stay here forever? We're girls, we don't really belong anywhere.

Krishna. Will Chandar too be turned out?

Nirmala. Chandar is a boy, who'll turn him out?

Krishna. Are girls very bad then?

Nirmala. If they weren't bad, would they be thrown out like this?

Krishna. Chander is such a rascal, but he's allowed to stay. You and I, we never do anything mischievous, do we?

The dialogue cited above is a patent example of patriarchal society in which woman is forced to live on the conditions of man and he has all the luxuries to enjoy. The girls have no right to protest against the cruel practices of the society which subject them to great hardship. This is gender-discrimination which is, more or less, found in all societies, the Indian society being no exception. As V. Geetha points out of the several elements which constitute patriarchy, gender is perhaps the most significant, because it allows for the articulation of power within relationships that are fundamental and intimate. She further says: Gender is a task which is both easy and slippery. It is easy because we are doing gender all the time, and it is all around us. It is slippery because it has to do with our sense of ourselves, our roles and relationships.

Despite being engaged to a prosperous and suitable boy, Nirmala has anxious dreams. Once she sees in a dream that she is sitting on a bank and waiting for a boat to come. She is overwhelmed with

deep nervousness about when and how she will cross the river. Suddenly she sees a beautiful boat approach the bank: The boatman cries out – ‘There’s no place for you here! Again she hears a voice – ‘Stop, stop the river is deep, you’ll drown at this rate. That boat is not for you, I’m coming, come sit on my boat and I’ll take you across’. It has neither sail, nor rudder, nor paddle. Its bottom is leaking, its boards are broken, the boat is full of water and a man is patiently baling it out. The boatman replies – It has been sent for you, come and sit down! She decides she’ll take the chance. For a while the boat moves shakily; but it is taking in water rapidly. She too joins the boatman in baling out the water with both her hands. She raises her hand towards some invisible source of succour, the boat slips away from under her and she loses her footing.

Nirmala’s previous dream is indeed a prophecy for her forthcoming life. Whether she knows his or not but Premchand knows it very well. In “How do I write a story” he writes to Daya Narayan Nigam, “I cannot write a story until and unless it is fully developed from the beginning to the end in my mind” (qtd. in Rahbar. Nirmala is not a mere story, it’s a novel but it might have been conceived by Premchand entirely in his mind. That is why he could describe this dream so well. At the time when Nirmala is getting engaged to an eligible boy, Totaram is nowhere in the scene. However, because he is present in the novelist’s mind, he is subconsciously present with Nirmala too.

Father, brother, husband and son are the persons on whom a woman depends and the obvious consequence is the loss of her own identity. Men know that women are

superior to them, and, therefore, they choose the weakest or the most ignorant so that they may oppress/subjugate her. If they did not think so, they would never be afraid of women. In Nirmala, Udayabhanu Lal Sinha, Nirmala’s father, feels the same anger. After that particular incident he leaves the house in a huff. He is murdered by a previous convict Matai who was sentenced to three years imprisonment. This breaks Nirmala’s engagement with the young man because her mother is no longer in a position to offer the dowry which Bhuwan Mohan expects. He says, “Marry me some place where I get a lot of money. At least a hundred thousand may be more. There’s no hope of anything there now, is there? Vakil Sahib is no more, and you suppose the widow has put away”Nirmala’s dreams are shattered. Now she has nothing to look forward to. Later she comes to know that Dr. Bhuwan Mohan has married a girl named Sudha, whose parents have paid a dowry of five thousand rupees.

Nirmala’s tragedy occurs in such a corrupt and superstitious society, in which the generosity and honesty of her father’s becomes a curse for his children while a rogue and a corrupt official in the Excise Department Bhalchandra Sinha becomes richer day by day. It proves that humanity cannot survive for long in a corrupt atmosphere. There is a huge resentment in the mind of Premchand for this corruption, which is visible in the comic figure of Bhalchandra:

He was a tall, massive man, seemed like some dark god, or some Negro lately recruited from darkest Africa. His face was so dark that it was difficult to tell where his forehead ended and his hair began. His

salary was 500 rupees a month and he extracted huge bribes from contracted.

Now Kalyani has no option but to marry her daughter to a middle aged lawyer Munshi Totaram, although he is a widower and twenty five years older than Nirmala and have three grown up sons from his previous wife. She has to look after his young sons – Mansaram, the eldest son, is of sixteen years old; Jiyaram and Siyaram are of twelve years old and seven years old respectively. With the arrival of the young bride, Rukmini and three sons soon realize that their freedom will be seriously limited. Rukmini feels jealous of Nirmala because earlier she had been the dominating authority of the household but now Totaram has passed on this privilege to his young wife to make her happy. So she treats her with unconcealed hostility and taunts her at every opportunity.

Nirmala's sympathies are with Totaram whom she pities, and can dedicate her life to him. She can attend to him, worship him, respect him, but cannot do one thing he asks her to do - to love him. Totaram, who knows that he is aged, uses all the tricks aged men use to ensure the affection of 'a young wife'. He brings her presents and wealth; he spins yarns of his proclaimed bravery – yarns which none but the fool will believe. One day he tells her that he has single-handedly over powered three armed rogues. On the same incident Prayag Raj Mehta compares Totaram with "Sancho Panza" (Mehta, in Detha) and Ram Vilas Sharma, in his book Premchand Aur Unka Yug, compares him with Shakespeare's famous comic character "Falstaff". Like him, he too has solely vanquished three rogues armed with sword just by the help of his wooden stick.

Nirmala, like the friends of Falstaff, questions at this "There must be many sword – marks on this stick". Munshi ji replies, "I kept foiling them each time. On a couple of occasion, when they did manage to hit my stick, all they gave were glancing strokes incapable of leaving a mark". When, however, a snake appears in the house, as Rukmini tells him, he runs out to call for help and it is Mansaram, his eldest son, who in no time kills it with his hockey stick.

To impress Nirmala, Totaram even tries to improve his complexion and looks by using all kinds of medicines and tonics. But he fails to kindle the spark of love in her heart.

Marriage is one of the most important events in a woman's life. Marriage is among the Hindus, a sacrament, a religious duty. Premchand says, "I look on married life as a means to perfect each other's spiritual evolution. There is no other necessity or meaning in marriage" (qtd. in Rahbar. Munshi Totaram, by virtue of his gender, was in a position to choose his prospective bride but Nirmala, belonging to the so called weaker sex, had no such freedom. Earlier the girls had no voice in the choice of their husbands, and their opinions were seldom respected. But had Totaram wished, he could have avoided marrying a fifteen year old girl, who, ironically, was one year younger than his own son. The kind of circumstances which he had at that time, marriage was not compulsory for him. He was around forty years of age. His widowed sister Rukmini was there to take care of his sons, but nonetheless, he married again. According to Alok Rai, in the Afterword to the novel, "the subtext of Nirmala is sexuality. The 'mismatch' between Nirmala and her

husband is, most crucially, a sexual mismatch”. Here, what Premchand feels about Totaram is that he is not totally a blameworthy person but the real accused is the society, that is why he makes him both the subject of pity and mockery as well.

Due to huge age-difference between them he is unable to behave in a natural way before Nirmala and she too doesn't behave naturally before him. Premchand says: She felt angry with her mother, of course; but her greatest anger was reserved for poor Totaram. This burning resentment was always with her.

It is possible that due to this reason she gets attracted towards Mansaram. He is almost of the same age, intelligent, good looking and has a fine, sensitive nature. He is the only one who takes kindly to Nirmala. She likes him and feels happy when he sits by her side. She treats Mansaram as a good mother does. He offers to teach her English lessons, which she gratefully accepts. Totaram does not like this development and gets his son admitted to a boarding house. A very fine description of Nirmala's feelings is presented here:

Talking to Mansaram, joking with him, was strangely exciting and gratifying to her pleasure – loving temperament. Talking with him she felt a deep enjoyment, one she found impossible to describe in words. There was no improper feeling involved in this. She couldn't dream of any sort of illicit relationship with Mansaram. But every person desires the company of his fellows, harbours an indescribable longing for their companionship.

Totaram is suspicious about the growing relationship between Nirmala and Mansaram. Nirmala's efforts to remove this misunderstanding only serve to make it

deeper. When Mansaram lies on the death bed, Nirmala, like a loving mother, goes to the hospital. Totaram's suspicions are still intact. Fortunately, before Mansaram close his eyes, he falls on Nirmala's feet, pays a warm tribute to her and tells his father what a wonderful mother she has been to him. Totaram now feels very guilty for having made such terrible accusations against his own wife and son. But it is too late. His son is gone. He falls into a state of depression. After a few days Nirmala gives birth to a girl who looks exactly like Mansaram. But even this event, the arrival of a child in his old age, does not lift him out of his gloom. The shock of his son's death is too deep for him. He loses interest in his legal work. His practice declines and he faces serious financial difficulties. His house is auctioned for paying off a debt. He has to move his family into a smaller residence. His eldest son is already dead. The middle one, Jiyaram, steals Nirmala's jewellery-box to repay the debts he has incurred and then, in a fit of repentance, commits suicide. Nirmala now takes care about every penny that is spent is put only to the right use. In every phase of her life as in her childhood, after getting married and at the time of her mental turmoil too, Nirmala is still a very polite and soft spoken girl. But as the physical and social circumstances of her life turn bitter, she too changes. The death of Mansaram and Jiyaram, the theft of jewellery-box and the auction of her husband's house transform her. She knows that her husband's eyesight is failing, and Dr. Sinha has forbidden him to read at night, he has even begun to develop a little asthma too, but even then he works hard from morning till midnight: “Irrespective of whether he felt like working or not,

regardless of whether he was well or ill, work he had to all the same. Nirmala felt not the slightest twinge of sympathy for him". Premchand observes that when one's 'heart is burning', one's 'speech becomes fire-laden'. Nirmala was normally soft-spoken but now she is totally transformed: "All the usual softness of her speech seemed lost entirely. There wasn't a touch of sweetness in her now".

Totaram now feels suffocated. Man, belonging to the so called stronger sex, fails to accept his mistakes. He always puts the blame on woman. When Munshi Totaram's two sons are dead and the third one is taken away by Sadhu, he is deeply troubled and blames Nirmala.

He says to her, all this is your doing. Was this the state of my home six years ago? You've destroyed my well established home, uprooted my flourishing garden. Now only one stump remains. I didn't bring you to this house to have my whole world destroyed. I wanted to make my happy existence even happier. My darling sons who were treated with such indulgence before you came – before my very eyes you began to treat them like servants. And despite seeing it all I remained blind. Go on, get me a little arsenic.

Nirmala replied through her tears – I know I'm unfortunate. God alone knows why I was given this life to live.

Munshi Ji. Don't rub salt into my wounds. Go and celebrate the event. All your wishes have been fulfilled.

In this society women, the weaker sex, are always blamed. Nirmala gave her life to Totaram and his family and gets no reward. Nirmala feels: "She had seen Jiyaram leaving with the ornaments but kept her mouth shut. Why? Because people

would think she was being vindictive by levelling false accusations against the sons. So today she was being blamed because she'd said nothing! Suppose she had stopped Jiyaram at that moment and he'd run away from home because of a feeling of shame – would she not have been blamed then again?"

A female does not have many options. She even accepts the patriarchal structures and plays her roles as daughter, sister, and mother. In the fictional world of Shashi Desh Pande, middle class educated women's predicament is that they are trapped between two worlds – of their father or husband. They are either so used to the little comforts provided by the middle-class life that they find the world beyond too insecure and difficult to live, or they develop an ability of endurance. They cannot slam the door and leave the house of their father or husband. If they do so, they are to lead a life of emotional vacuum.

One day Totaram quietly sets out from the house to search for his youngest son. Nirmala's health declines but she acquires a new friend Sudha, who is Dr. Sinha's wife. She visits her regularly. Dr. Bhuwan Mohan, on his part, is also feeling guilty. When he sees Nirmala – so young and attractive – reduced to a state of helplessness, is tied to a man old enough to be her father, he regrets having demanded a dowry. His wife, Sudha, far from being upset by his tender feelings towards Nirmala, chides him for his past greed and heartlessness. The episode with an idealistic bias relating to the marriage of Nirmala's younger sister Krishna has been introduced with a purpose. It is an act of repentance on the part of the doctor who was previously engaged to her. Repentant of his greed for

money which has brought so much sorrow to Nirmala, and rebuked by his own wife, Bhuwan Mohan consumes poison and dies. Commenting on this statement, in the Afterword to Nirmala, Alok Rai says: Perhaps the most grotesque instance of this kind of thing occurs right at the end of the novel. Nirmala is at a moment of sheer existential revelation, when the meaning of her miserable life is suddenly clear to her: 'Anyone whose life was at all touched by mine was destroyed utterly'.

After a month Sudha is taken away by her brother-in-law to his house. Nirmala is left alone. Premchand, through the characterisation of Nirmala, throws ample light on some pertinent questions of gender discrimination. He says: "Without a man in the house, without any sons, why should one undergo the drudgery of cooking everyday? And where's the necessity for women to eat everyday? One proper meal and they were set for the next two days". On the same aspect Virginia Woolf also questions, "Why did men drink wine and women water? Why was one sex so prosperous and the other so poor?"

Nirmala lies on the bed, grief-stricken, bed-ridden, uncared for and unattended to, waiting for the news from her husband, which has not come till her deliverance from her life of woes. Nirmala tells her last wish to Rukmini for her infant daughter Asha, named as hope, which becomes a great message for the society. She says:

I'll leave my daughter in your charge. If she survives, marry her off into a good family. I couldn't do anything for her – mine is only the guilt of having given birth to her. Keep her unmarried if need be, given her poison if you must, but please

don't marry her to an unsuitable husband – this I beg you.

Munshi Totaram and Nirmala, they both in their own parts, are the victims of this corrupt society. Nirmala is helpless and hence is pitiable. Having described so many emotional contexts, Premchand has aroused the sympathy of his readers towards Nirmala. The story reaches its final stage and then on the death of Nirmala Premchand says:

On the fourth day, at sunset, her sad story came to an end. At the same time that birds and animals return to their homes, their nests and hollows, Nirmala's soul, having endured a life time of the darts and arrows of clever huntsmen and the claws of predators, and having been buffeted mercilessly by gusts of wind till it could endure no more, flew off to its eternal home.

Hardayal, a Hindi critic, says, "The pathos of Nirmala's tragic end brings to mind a similar fate suffered by Thomas Hardy's famous tragic heroine Tess in Tess of the D'Urbervilles" (Hardayal, in Tiwari). As Govind Narain, a famous Hindi critic also says, "Nirmala is a very human, pathetic and touching story of one's helplessness" (qtd. in Rubin).

Nirmala is thus a vivid exposure of middle class Indian society. It presents the tragic stories of three women: Nirmala, Rukmini and Sudha. Money forms the reigning of the novel which itself emerges as a tragedy of dowry. Premchand has shown a substantial spirit of endurance and moderation in Nirmala who despite her ill treatment by Rukmini, suspicion of her husband and sufferance on account of Jiyaram's behaviour, does not revolt like Suman of Sevasadan to abandon the house and leads an independent life. Thus, we see

that all women cannot revolt and are doomed to accept a life not of their own choice. Premchand does not seek to deviate from this reality and eventually, he is more realistic than in his former novels in this regard.

In the end it may be stated that apart from being acknowledged as a classic in Hindi literature, *Nirmala* is also a milestone in the development of Premchand's creative genius. It presents social problems with deep psychological insight. So it can be called a socio-psychological novel. It is one of the best inextricably developed novels of Premchand. In spite of its slim size, it has the potential to express the strength, level, power and limit of Premchand's unique creative genius.

Reference

1. Geetha. V. Gender. Calcutta: Stree, 2002.
2. Hardayal. "Nirmala". Premchand. Ed. Vishwanath Prasad Tiwari. New Delhi: Prakashan Sansthan, 2005. 115-123.
4. Mehta, Prayag Raj. "Nirmala", "Totaram", "Suman". Premchand Ki Basti. Ed. Vijay
5. Dan Detha. Delhi: Gramodaya Prakashan, 1999. 54-69.
6. Naravane, V. S. Premchand: His Life and Work. New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd.,1980.
7. Oxford India Premchand. With an Introduction by Francesca Orsini. New Delhi: Oxford University Press, 2004.
8. Premchand. Deliverance and Other Stories. Trans. from Hindi by David Rubin. New Delhi: Penguin Books, 1988.
9. Premchand. Nirmala. Trans. & Afterword by Alok Rai. New Delhi: Oxford University Press, 2004.
10. Rahbar, Hans Raj. Premchand: His Life and Times. Delhi: Atma Ram and Sons, 1957.
11. Sharma, Ram Vilas. Premchand Aur Unka Yug. New Delhi: Raj Kamal Prakashan, 2004.
12. Woolf, Virginia. A Room of One's Own. Ed. Jenifer Smith. New Delhi: Cambridge University Press, 2001

Google Classroom as a Tool for Teaching Geometry at VII Grade through Blended Learning Approach

Archana Pandey*
Prof. Dhananjai Yadav**

Abstract

Many global companies have introduced integration of learning management system and have contributed in Education be it Microsoft, Google, Intel. In 2014 Google came up with google classroom, which provides free web services for schools for simplification, creation and distribution of school activities including assignments. Later in 2020 Sharp increase in usage of Google classroom began when schools shifted to remote education during pandemic COVID 19. The present paper focusses on Google classroom as tool for teaching Geometry at VII Grade through Blended Learning Approach. Further, the paper also focusses on features and some functions which can be employed easily for effective implementation of teaching-learning activities.

Keywords: Google classroom, Blended Learning, Geometry at VII Grade.

INTRODUCTION

1.1 The problem statement

MATHEMATICS is composition of Algebra and co-ordinate GEOMETRY at middle school stage. Geometry portion require spatial and visual interpretation of the matter as a whole. Many times 2-dimensions and 3-dimensions images are typical and it's not possible for students to imagine the resultant as expected. Artificial Intelligence can help in such visualization. One of the ways to overcome this teaching-learning related issue is to implement

technology in Geometry parts as their visualization and imagination can bring different learning experiences among students at the very stage.

1.2 Theoretical background

Andreev (2016) conducted a study on didactic bases of learning found that google classroom as free source provides better environment for learning of social geography and civic judgements. His study was conducted on Moscow students. Zaldak (2016) found in his study that google classroom has positive effect on regional and economic diversity in geography of world.

Yurii (2017) revealed that moodle for organic chemistry education and perception has relatively positive gain among experimental students.

Above mentioned studies is a source employing different subjects as part of study. Researcher has chosen this topic as there is lack of full coverage in mathematics branch based subjects.

1.3 Objective of study

To explore Google classroom as tool for teaching Geometry at VII Grade through Blended Learning Approach

To highlight experience and features of google classroom as support for BL approach.

Blended learning

Blended Learning approach is a thoughtful implementation of online and face to face approach with digital material,

*Research Scholar Department of Education, University of Allahabad

**Head, Department of Education, University of Allahabad


instructions, and assignments. It can be done with several models.

Rotation Model


Flex Model

Self Individualized Model

Flipped Approach



Google classroom was announced with preview for google’s G-suite for education program. Google classroom integrates cohesive features for providing and managing platforms to students and teachers for communication. Some of the features of G-suite in education that can be utilized in google classroom as shown:




Feature of google G-suite: Google classroom

2. PRESENTING MAIN CONTENT


Class made on google classroom.

- Stream section includes basic information regarding subjects
- Class code is available.
- Class announcements can be posted easily.

Links based videos and visual images can be presented easily as it is user friendly and authenticated platform.



2. Presentation of chapters using Google classroom



Conclusion

From the study it can be concluded that exploring Google classroom as tool for teaching Geometry at VII Grade through Blended Learning Approach can be new normal post covid era. Further, study needs to be conducted in highlighting experience

and features of google classroom as support for BL approach.

REFERENCES

1. Andreev, A. Didactic (2016). bases of distance learning, Dissertation, University of Moscow
2. Belzon Z. (2016). Using Google classroom towards study of regional, economic and social geography of the world, In implementation of ICT process of institutions, Poltava. pp-5.
3. Postelmax, Y. (2017). The impact of blended learning model on student's attitude on geography course, the Turkish online journal of educational technology. 8(4), 51-63

Cyber Crime against Children

Rajeev Kumar *
Prof. (Dr.) Seema Mandoli**

Abstract

Pornography has been described as the sexual express depiction of persons, in phrases or images, created with the primary, proximate intention and life like hope, of eliciting vast sexual arousal on the section of the purchaser of such material. Child Pornography is an unlawful act in India. Information Technology Act, 2000 and Indian Penal Code, 1860 gives safety in opposition to the infant pornography. Child is referred who is under the age of 18 years. The Information Technology Act is a set of regulations which make it unlawful to transmit or create or surf baby pornography in digital form. The above Act covers websites, photographs files, SMS, MMS, digital. Photographs, abusing teens on-line or data in any digital shape pertaining to sexually specific act with children. The Act additionally also consists of repeated calls, SMSs, clean calls, threatening calls and even sending MMSs. Girls and Women victims frequently compliant of cellular telephone harassment.

Introduction

If we are to educate actual peace in this world, and if we are to elevate on a actual battle in opposition to war, we shall have to commence with the children. The nation's teens are a supremely vital asset. Their nurture and solicitude are our responsibility. Children's programme has to locate a distinguished phase in our country wide plans for the improvement of human resources, so that our kids develop up to end

up strong citizens, bodily fit, mentally alert and morally healthy, endowed with the ability and motivations wished through society. Equal possibilities for development to all teenagers all through the length of increase must be our aim, for this would serve our massive cause of lowering inequality and making sure social justice.

It is a fundamental requirement of any civilized society to furnish or domesticate precise surroundings for this reason. If it is no longer supplied then it is detrimental to the growth and improvement of children. Rights of youth have been diagnosed thru a range of worldwide treaties and archives.

Exploitation & child trafficking

Children in the worst types of labour and teens with insufficient parental care which include options to institutional care. Understanding true and great practices in care and safety is a foremost Hocus of our programme work. This requires excellent monitoring and assessment (research & studies) in order to perceive accurate practices in documentation and sharing of this evidence.

Protecting Children from Cybercrime

This work is a joint record of The World Bank and the International Centre for Missing & Exploited Children. The findings, Interpretations, and conclusions expressed in this work do now not always mirror the views of The World Bank, its Board of Executive Directors or the

*Research Scholar (Law) L.N.C.T University, Bhopal

**Professor (Law) L.N.C.T University, Bhopa

cybercrime along with cyberbullying (a shape of cybercrime). The learn about will additionally current approaches as to how they can keep away from falling sufferer to cybercrime. The risks to children who spend hours on stop on their laptop or pill in their bed room are nicely documented and consist of fitness and social problems. However, one of the most serious dangers is that of breaking the regulation on line by means of the usage of their coding capabilities to enhance malware or get worried in different cyber illegal activity - both on their very own behalf or working for crook gangs. A growing wide variety of the high-profile records breaches, economic cybercrimes and DDoS (Distributed Denial of Service) assaults in opposition to small companies, corporates and character ambitions alike contain humans in their teenagers and early twenties.

(1) Investigating Various Approaches and Ways to notice Cyber Crime

Cybercrime, one of the most secret crimes, is unfold all over the world. The wide variety of cybercrimes international is at a rise. Thus, it is extraordinarily vital that each and every person the usage of a pc and related to a community is conscious of the distinct kinds of cybercrimes that take place. Prior to discussing the distinctive approaches to become aware of cybercrime, this dissertation finds out about will first point out and temporarily talks about the many kinds of cybercrime. Essentially, the lookup will focal point on quite a number approaches via which every structure of cybercrime can be detected. Different types of cybercrimes can be detected in a one-of-a-kind manner. For instance, records theft can be decided through asking for a password or different touchy records via a

name or an email. The lookup will then conclude with how humans can become aware of unique varieties of cybercrime and now not fall sufferer to any of them.

(2) Exiting Cyber Crime Policies

Cybercrime being an important reason of subject at some stage in the world is managed and curbed by way of distinctive insurance policies in place. Those insurance policies are designed to make certain that cybercrime is decreased and regularly eradicated from society. However, with the improved numbers, the want for a coverage exchange or modification seems inevitable.

This means, that both the present insurance policies want to be remodelled or revised or they have to be deserted totally and new insurance policies have to be formed. This dissertation will inspect each these options, and will then location emphasis on climate insurance policies must be revised or new insurance policies have to be formed. In case, if new insurance policies need to be formed, the lookup will provide an explanation for how these ought's to be shaped, and in case they want to be revised then which elements want to be regarded for amendments will be the foremost focal point of the dissertation. A distinct evaluation will be introduced in order to make a knowledgeable decision.

Conclusion

The Information Technology Act 2000 is the solely regulation in India regulating the cyberspace. Prior to February 2013 there was once no regulation addressing stalking but the Criminal Law (Amendment) Act 2013 vide part 354D has brought stalking however the full motive of the Act is to tackle girl's victimization. The ITAA 2008 vide part 67B for the first time

has addressed on-line toddler pornography, and the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, are a considerable and welcome stride toward defending adolescents from sexual abuse and sexual exploitation. At current there is no regulation addressing cyber bullying, the place young people are being bullied and occasionally abetted to suicide. Such harassment of teens on SNSs has been an omitted trouble in the IPC, Young Persons (Harmful Publication) Act 1956, and JJA or regulation of torts. Comparatively USA and UK have taken thorough preventive measures and legal guidelines to fight cyber bullying. The victimization of kids and complaints of youngsters being pressured online are taken as infantile and non-cognizable offences evident from the non-registration of complaints with the aid of police when approached for a cyber-harassment case. The police have viewed to now not register the FIR nor a NC (non-cognizance) record of rely when they have been approached. The IT Act which has the principal intention to tightly closed digital commerce has left out an essential problem creating in our on-line world whereby the harmless youth are being centered or use the digital world with lack of expertise and self-regulations. The ratification of the UNCRC 1989 and India being a birthday party to the Convention has responsibilities to fulfil the obligations below the UNCRC whilst enacting and amending laws. Where there are truthful possibilities of the schooling device going online, there have been no preventive measures on college level, or obligatory insurance policies in the instructional institute. The ITAA 2008 in its preamble acknowledges proposed amendments in 'Indian Penal Code, Indian

Evidence Act, 1872, The Bankers' Books Evidence Act, 1891, and the Reserve Bank of India Act, 1934 however has now not stated and viewed modification in the

Juvenile Justice Act and Young Persons (Harmful Publication) Act 1956, for things encountered by means of youngsters online. It appears as if the amended IT Act had solely one aspect inside its focal point and that used to be to grant prison cognizance for the transactions carried out by way of skill of digital statistics interchange and different capacity of digital communication, frequently referred to as "Electronic Commerce", which contain the use of options to paper based totally techniques of verbal exchange and storage of information, to facilitate digital filings of archives with the Government agencies. As such with a clear intention cited in the preamble of the Act there are fewer probabilities of different troubles been given extra importance?

References

Books

1. Apar Gupta, Commentary on Information Technology Act, 2nd edition, (LexisNexis ButterworthsWadhwa, Nagpur, 2011)
2. Barkha B, Child in Cyber Space (Asian Law House, Hyderabad, 2008)
3. Harish Chander, Cyber Laws and IT Protection (PHI Learning Pvt. Ltd. 2012)
4. Justice Yatindra Singh Laws 25 (4th edition New Delhi, Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd., 2010)
5. J.N. Pandey, The Constitutional Law of India 45th edition, 2008- Central Law Agency

Articles

1. Amanda's burgess-proctor, Justin w. Patchin, and sameerhinduja, - cyberbullying and online harassment: reconceptualizing the 283 victimization of adolescent girls, m10_garc9315_01_se_c10.qxd 11/17/08. Page 175.
2. Ananya Banerjee, Cyber bullying takes toll on Hyderabad kids, The Times of India, Hyderabad-Sep 19, 2013.
3. Alison Virginia King, Constitutionality of Cyberbullying Laws: Keeping the Online Playground Safe for Both Teens and Free SpeechVanderbilt University Law School, Vol. 63:3:845 May 2010.
4. Dr Gordon Ingram, "born to troll: Is risky online behaviour in our DNA?' The Telegraph, April 20, 2014
5. Ellen M. Kraft & Jinchang Wang, Effectiveness of Cyber bullying Prevention Strategies: A Study on Students' Perspectives, - International Journal of Cyber Criminology, Vol 3 Issue 2 July - December 2009

Web Links:

<http://cybercellmumbai.gov.in/html/links/index.html>
<http://www.cyberpolicebangalore.nic.in/>
<http://cdrc.jhpolice.gov.in/cyber-law/>
<http://www.childlineindia.org.in/rights.htm>
<http://www.cybersmile.org/>

The Futile and Absurd act of bureaucracy in Upamanyu Chatterjee's novel the Mammaries of the Welfare State

Dr. Shivani Verma*

Literature represents life experiences in a creative way. Human life is full of all types of uncertainties. It is uncertain from its birth to death. Human life is meaningless also. It is meaningless in spite of its engagement with all kinds of meanings.

Upamanyu Chatterjee is one of those novelists whose imagination is sensitively involved with the darker sides of life. Indian conditions of human life are so despicable, so full of miseries and maladies, so full of absurdities and purposelessness that any sensitive creative writer would depict these aspects of life in his or her creative writings. Upamanyu Chatterjee has depicted the absurdity of life, the miseries and disease of life in his novels very poignantly and vividly.

The Mammaries of the Welfare State (2000) is often considered as the sequel to the English August. It is more a collection of loose episodes than a carefully structured novel. Chatterjee's satire in this novel is sharp and the descriptions of life are full of the sense of futility. There is hardly anything in human life that is enjoyable. He picks up all the parts of the welfare state and suggests that the life is meaningless and disgusting in its essence.

The whole novel is replete with the episodes of agony, frustration, nothingness and futility. Agastya as a vehicle of expressing and exploring the anti-heroic life of people. Vijay Nambisan remarks-

The Mammaries of the Welfare State is a much bigger and much weirder book than its precursor. Agastya Sen is older now

but just as shiftless, minor characters drift in and out when you least expect them in again there is not even the excuse of a lot, because really nothing happens expect a lot of bureaucratic obfuscation (Nambisan).

The novel begins with the housing problem. In this novel the prominent figure is Agastya, a joint commissioner. In spite of this post he is alone and he does not find any happiness anywhere. Even though he is hard working and sincere, he is not satisfied by his job and day by day his life becomes mundane and futile. When he feels boredom, he cries silently.

When he was alone, he found himself leaning back in his desk chair or resting his head against the armrest of the lumpy sofa in his office that served as his bed, shutting his eyes and weeping silently.

This novel begins as Agastya, protagonist, has passed eight years as a civil servant. Now he is a mature and experienced person and the District Magistrate of Madna. Though he's still a bachelor, yet he has consummated his relationship with a widow, Daya. The novel further unfolds multitudes of adventures/misadventures, annoyance and exasperation of its protagonist who is surrounded by the corrupt hypocrites and sycophants and his helplessness to cope up with the prevailing circumstances as well as his inability to challenge them.

Chatterjee further explores the status of their relationship stating that, "Their attitudes to their affair differed. In her own way, she wanted a romance a lover, some

*Assistant Professor, C.B.L Degree College Rasulpur Dhauraha, Lakhimpur Kheri

music and conversation –whereas he simply wished to get rid of his day. Yet they were happy together – and surroundings, the atmosphere of flat, encouraged happiness”. This section ends with his transfer as a Collector of Madna to fight the plague.

This part of the novel introduces three important characters – Bhupen Raghupati, Rajini Suroor, and Miss Lina Natesan Thomas. It opens with the news of plague in the district town of Madna; it is a big news for various newspapers. In different parts of the country, people react differently to the news but the Chief Revenue Divisional Commissioner and Agastya’s boss-to-be focus more intensely on Love-Like-Hate-Adore game and all of them fantasize about Miss Lina. She is a trainee junior administrator in the Ministry of Heritage, Upbringing and resource management. This part also features Miss Lina’s long letter to the Secretary about her problem in the mentioned dept. The portrayal of her character is very ironic and humoristic. Her working condition is deplorable:

When she had refused Deputy Secretary O.P. Chadha’s offer to function from out of his lap, he had arranged for Miss Thomas one chair and one half of a desk in a fifteen-by-fifteen room on the fourth floor between the Gents’ Toilet and the canteen of the Department of Mines. The smell from the toilet and the canteen had been her faithful companions week after week, had mingled in her consciousness and at their most potent, had every now and then blended to make her swoon.

Agastaya firmly believes that these kinds of expenses and extravaganzas at the cost of public money are against the

principles of Welfare state. He thinks that Prime Minister should meet face to face the bottom of the pile instead.

Agastaya himself had found concrete evidence of at least eighteen cases in which poverty had forced families in the block of Jompanna to sell themselves, literally body and soul, as bonded labourers for seventy-five rupees per year, Every day, in other words, those families woke up and, in return for some scraps of food and water, worked in the fields and homes of their masters till they died, and after which their heirs inherited their burden.

Agastya also points out that the representatives of welfare state do not raise the real issues of common man; they either talk of issues related to their own interest or issues which have nothing to do with the grass root realities, for example, Mr Gaitonde’s agenda.

Our agenda for the Prime Minister’s visit, Collector Saab will include A. C. Raichur setting fire to himself in public, in protest against the conclusions of Kansal Commission; my party will also raise two issues of finance with the Prime Minister. That since the district of Madna didn’t have a helipad; one had to be built just for his visit. Two: twenty lakhs has been given to the Madna Civil Hospital to clean itself up for his visit. Our Civil Surgeon is mentally not equipped to handle such a vast sum of money.

The story move forwards with specific and elaborate details of the meetings in view of the visit of PM. These meetings were time – waster, ridiculous and discuss most insignificant things such as:

How many in the helicopter? Who were the others? The exact time of arrival. Was Bhanwar Virbhim part of the entourage

or was he now officially in some other camp? Would the PM's food taster be on the flight? Where was lunch? Was the helipad to be sanitized twenty-four or forty-eight hours before the landing? Could they presume for heavens' sake that the police would not insist on photographs on the temporary identity cards? No VIP enclosure at all? Did they know what they are saying? Would this route to Aflatoon Maidan skirt the plague or pierce through it why don't we set up Committees for each macro event etc.?

Eventually this portion ends with the announcement of the PM's decision to withhold his visit which wind up all the clamour and brouhaha in the government machinery of Welfare State.

Agastaya suggests on the phone to the Under-secretary that he be summoned to the capital fourteen hundred kilometres away to report, in person, to the Centre on exactly what happened in broad daylight to Rajani Suroor along with Civil Surgeon of Madna, Dr Alagh.

The corridors of Aflatoon Bhavan had once been a handsome five metres in width, but over the years, the cupboards, desks, chairs, electric fans, coolers, shelves, sofas, stools, teapots, clocks, folders and files had edged out of the twelve- hundred-plus rooms and sidled along down the passages in search of lebensraum.

Chatterjee further enunciates the condition of integrity and honesty in the Welfare State in the contemporary society:

There have been times when completely honest—and comparatively honest officers Agastya Sen, for example, and Dhurbo Jyoti Ghosh Dastidar, Kumari Lina Natesan and Harihara Kapila —have wondered whether they are in fact as honest

as they've always thought themselves to be —the idea of honesty having become more and more slippery with the years —and secondly, what good being honest has done them.

The story end with the arrival of Miss Lina in Madna as a General Secretary of Tetra pack a new party that Dhurbo and Agastya had finally come up with, the party that would get rid of the country of the plague and takes its name from a medicine tetracycline; and Suroor's subsequent death.

The rules of the state system on corrupt civil servants like Bhupen Raghpati, plundering of public treasury and collapse of governance are the recurring motifs in this novel. The novel presents a chilling view of the happenings in the cold- blooded immoral world of the bureaucracy, the bureaucracy which is detractively supposed to work for the poor. The message is that the state is the big anti-hero, which has completely lost touch with the masses and the individuals who control and operate the system. Upamanyu Chatterjee as a realist concerned with the fate of the individual caught in the grip and anti- people system cannot probe deeper into the workings of this system.

The Mammaries of the Welfare State is a mirror in which the multi-departmental decay and depravity of the Indian state gets reflected in its bitter details that are horrifying. The title is quite suggestive in the sense that it conveys the resourcefulness of the corrupt elements managing the politics and bureaucracy to milk the system in their own personal interests. The welfare state is the suggestive of a country with all resources, seemingly inexhaustible land of abundance which needs to be milked by the people in power.

After that the dominating presence in this novel is of the anti- heroic deeds of the mandarins and politicians of the welfare state, the purpose of this novel is to display a canvas of sordid deeds. The novel is long and rumbling. A key and highly placed mandarin of the state Bhupen Raghupati explains to one of the politician Makhmal Bagai the value of the separation between the rulers and the ruled in the cold surgical words- “Sit on the moon, and in the cold blue light, gaze down on the remote, quite, somber, beautiful and tranquil earth distance provides perspective and objectivity”.

The Mammaries of the Welfare State is a large vista of rottenness. It is the product of a creative mind which believes that overcoming rottenness is conditional upon its ruthless examination through presentation. It unmistakably points to world that is absolutely turned upside down

in terms of moral values. It puts forward Upamanyu Chatterjee’s ‘concept of the antihero. He sees the world as a place in which conventional religion appears to be in collusion with the exploitative tendencies of the powerful. Being a social realistic, Chatterjee appears to stand in the line of those Indian sensitive minds who have tried to explore the actuality of the religio-spiritual claims of Indians. Upamanyu has exploded the myth of The Welfare State by exploring the corrupt, inefficient bureaucracy that rules the country. The existential condition of the individual Indians and the nation-state is brought out very vividly by the novelist.

Primary Sources-

1. Chatterjee, Upamanyu. *Way to Go*. Hamish Hamilton. Penguin Books: New Delhi. 2010.

A Comparative Study of Observe Fasting and Non-Fasting Female Students on their Anxiety Level

Jitendra Kumar Pal*

Abstract

This is a comparative study of observe fasting and non-fasting female students on their anxiety level. In this study 40 female participant were taken by non-probability of purposive sampling. Twenty female students who observed fasting in a week between the age of 18-25 and 20 female students who didn't observe fast between the same age group. Sinha's Comprehensive Anxiety test is prepared by A.K.P. Sinha and L. N. K. Sinha. It was administrated on both groups, and then data was analyzed by t-test. It was observed that significant level of the t-test is 0.02 and 0.05 it shows that there is significant difference between observe fasting and non-fasting female students on their anxiety level.

Key words: fasting, non-fasting female students, Anxiety

Introduction

For appropriate management of our life and multi-dimensional development of our personality Indigenous techniques are most important. Fasting is behavioral approach of Indigenous technique in psychotherapy it is help to manage our disturb life style. Fasting means upwas in Hindi, most people will treat it a way to keep yourself distance from food they think that by punishing the body they are pleasing to God but the main thing is that it an effective treatment or technique of relishing anxiety or stress and we got that how to manage our life style in a proper direction.

Fasting affects our physical, mental, spiritual, and emotional health of our body. Firstly it purifies our digestive system and allow for cleansing and detoxification of the

body. When food is scarce our bodies release chemicals to help protect our brains from the negative effects. These chemicals can put us in a good mood, and give a physical strength to our body.

Fasting improves mental clarity and focus to in our life with the greater freedom, flexibility, and energy to get done everything in your life. It gives us feeling lighter, more energetic, more enthusiastic, and requiring less sleep. By fasting we can improved concentration, attention and decrease our anxiety and stress level with better sleeping and make more refreshed to our day to day life.

In the perspective of Indian psychology disturbed emotions are the root Cause of our neurotic or psychotic disorders, in this case fasting is a medium of cleansing our emotions or a technique of purifying our emotions. Emotions are subjective feeling and fasting is gives positive direction to our feelings. Fasting can provide a way to clarify our emotional and mental aspect of life.

In the spiritual connection fasting gives us a very powerful effect by which we can give attention to our inner world and because of that in the future we can feel our inner voice in any situation. It gives quite quality and great sense of our inner being.

Between fasting periods we use to concentrate Meditation and pray to God by which we can imbibe our spiritual energy and level and make possible through which we can spread love and happiness in our entire surrounding world. It gives us an intuitive power to feel the humanity and positive feeling of the world.

Train like a man, but like a women (Lauren Brooks of on Edge fitness) women of all type of ages heave taken the leap from weak to strong. A study found by Stefani Ruper, 2013 who wrote an incredible on her blog about fasting for women, showed that there are significant physiological changes for females that take place with calorie restriction and fasting. A research is shows in 2012-13 that fasting boosts the level of available serotonin in the brain which reduce migraine headaches and anxiety level.

In this study Sinha's Comprehensive Anxiety test which is described by A.K.P. Sinha and L.N.K. (1995) is used for testing the level of anxiety between 18-25 age group of female students who observed fast and non-fasting. Fasting an overcoming stress- by Ron Lagerquist 2014 says in the of Freedom you that "with in the first 24 hours of fast, my metabolism slowed down and the muscles in my neck begin to soften" Anxiety is a psychotic condition of heightened sensitivity to some perceived threat, risk, peril or danger. It is an emotion characterised by apprehension and anticipation of future danger or misfortune accompanied by feeling of dysphonia or somatic symptoms of tension. (American Psychiatric Association, 2000.)

Research methodology

Participants

40 participants between the age group of 18 to 25 were selected from Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Hardwar Uttarakhand. All participants were female students are selected with the purposive sampling method. 20 participants are observing fast student and 20 participants are non-fasting students.

Research Design

Between groups, comparative group design was applied for study. All were included in

comparative group. In experimental group 20 participant were selected of observe fasting and in control group 20 participant were selected of non-fasting female student.

Tool

Sinha's comprehensive anxiety test was used for measurement of the leave of anxiety observe fasting and non-fasting female student. Designed by A. K. P. Sinha and L. N. K. Sinha (1995). It contains 90 items of two point scale yes or no. Scoring was done with the help of manual one mark for the positive statement (yes) and zero mark for the negative statement is given. Reliability of the test is 0.85 and Validity of test is 0.62.

Procedure

Step1- Participants were invited for this empirical research. The objective of the experiment were explained them

Step 2- 40 female participants were selected by using purposive sampling

Step 3- Sinha's comprehensive anxiety test was administered on all participants of observed fasting and non-fasting.

Step 4- After giving the proper instructions questionnaires are proved for fill up.

Step 5- After taken all the questionnaires scoring procedure is completed with the help of manual prepared by A.K.P. Sinha and L. N. K. Sinha.

Step 6- data was analysed by using mean, standard deviation of both groups and tested the significant difference between the means of both groups with the help of t-test.


Result

Mean, standard deviation, standard error of mean, standard error of the deviation and degree of freedom of both groups are shown in the table and graph.

Result-table

Description of statistical analysis	Observe fasting	Non-fasting
Mean	12.35	14.65
SD	14.47	16.21
N	20	20
S _{ED}		4.94
Df		38
t- stat		2.14
Significant Level	0.02 and 0.05	

Graph



Mean of observe fasting- 12.35
Mean of non-fasting- 14.65

Discussion

The purpose of this study was to see the effect of fasting on anxiety. The result have predicted that there is no significant difference between observe fasting and non-fasting female student on their anxiety level. But prediction is being wrong or null hypothesis is rejected. It's proofed that there is significant difference between observe fasting and non-fasting female student on their anxiety level. It shows that observed fasting female students anxiety level is low comparatively non fasting female student. So we can say that fasting is affect to anxiety. The significant level of this study is 0.02 and 0.05

Reference

- American psychiatric Association (2000). Diagnostic and Statistical manual of mental disorders, (4th edition), test revision APA, Washington DC.
- Beck, A, Laude, R, Bohnert, M. (1974). Ideational components of anxiety neurosis. Arch gen psychiatric 31,319-325.
- Atrey, D. & Prakash, S. (1965). Indian Psychology, The international standard publication Varanasi, 5.
- Cattle, R. B. (1957). The IPAT Anxiety scale. Jour. Consult Psychology, 21, 433.
- Cattle, R. B. and Sacherer, I. H. (1958). The nature of anxiety; a review of thirteen multivariate analysis comprising 814 variables, psychology. Rep, 4, 351-388
- International Journal of Eating disorder (1990). Volume-9, Issue-3, page 345-355.
- Lavy, H. Edith and Marcel A. Vanden Hout (2009). Research article; Attentional Bias for Appetitive Cues: Effect of fasting in normal subjects. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, volume 21, Issue 04, pp. 297-310.
- Martin, B. (1959). The measurement of anxiety. Jour, general, psychology; 61, 189-203.
- Macgregon, Alexandra, Marion Leboyer, Andreas Michoulem (2012). Fasting in mood disorders: neurobiology and effectiveness. A review of literature... Psychiatry Res, 209 (3), pp-253.8 <10.1016/J. psychres., 12.0887
- Psychological Analysis of students Network Communication Journal of Anhui University of technology (2010-14)
- Sarson, S. B. and Mandler, G. (1952). Some correlates of test Anxiety, journal and Social psychology, 47, 810-817
- Sinha, A. K. P. and L. N. K. (1995). manual of Sinha's comprehensive anxiety

- test, Patana University, National Psychological Corporation 4/203, kacheri ghat, Agra- 282-004 (INDIA)
13. Taylor, J. A. (1953). A personality scale of manifest anxiety, Jour. Abnormal and Social Psychology; 48, 285-290.
 14. आत्रेय, एस. पी. (1965). योग मनोविज्ञान, दी इण्टरनेशनल स्टैण्डर्ड पब्लिकेशन वाराणसी –21।
 15. शर्मा. आर. एस. (1947). भारतीय मनोविज्ञान, अनुप्रकाशक, मेरठ।
 16. सिंह, ए. के. (1996). उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान, मोतीलाल बनारसी दास प्रकाशन, दिल्ली।
 17. सुलैमान. एम. (2002). उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान, मोतीलाल बनारसी दास प्रकाशन, दिल्ली।
 18. कुमार सुरेश, (2004) इन्टरनेट पत्रकारिता
 19. सिंह, योगेन्द्र प्रताप (2011) इण्डिया पब्लिशिंग नई दिल्ली।
 20. आचार्य पं श्री राम शर्मा, अखण्ड ज्योति, (2014) अखण्ड ज्योति संस्थान घीयामंडी, मथूरा।

MOOCs (Massive Open Online Courses): A Look to the Future of Learning

Dr. Gitesh Kumar Gupta*

Abstract:

Massive Open Online Courses (MOOCs) are free online courses available for anyone to enroll. MOOCs provide an affordable and flexible way to learn new skills, advance your career and deliver quality educational experiences at scale. Millions of people around the world use MOOCs to learn for variety of reasons, including career, development, changing careers, college preparations, supplemental learning, lifelong learning, corporate e-learning and training and more. MOOCs have dramatically changed the way the world learns. They are distance-learning courses run online by many universities worldwide. Usually, they are open to anyone who registers. One single course may admit even thousands of students. It is possible to study almost any subject through this method and dozens of famous universities worldwide are now offering MOOCs. MOOC is great alternative to boost your knowledge. MOOCs are great, cheap way to consolidate learning or study new courses set up by world-famous universities, without having to leave home. MOOCs usually have no end-of-course assessment or exam that need to be passed. However, they are good opportunity to test your knowledge and see how much of what you learned and studied you managed to acquire. Instead of face-to-face lectures or seminars, classes are recorded on video and materials are uploaded to the platform. The students can then access them whenever, and wherever, they want to, it is possible to view the material as often as required, so that rather

than having to rely on sketchy lecture notes, you can view the lecture again.

Keywords: eMOOC, xMOOC, quasi-MOOC

Introduction

MOOCs are the new dimension of education that allows to study online courses from different universities and college located anywhere around the world.

We consider the MOOCs classification based on pedagogical approaches and product functionalities (e MOOC, xMOOC, and quasi-MOOC).

There are four stages of the MOOCs process:

1. Pre - Production
2. Production
3. Post Production
4. Maintenance

Education is a priority area as it is crucial for making the youth of our country competitive and resourceful, because the lack of quality education resources. The MHRD has taken the initiative towards this and taken a lead role in developing a vital platform of learning which would be hosting Indian version of MOOCs. The platform is named as SWAYAM which stands for study web of active learning by young and aspiring minds and should be ready soon. Consortium for Educational Communication (CEC), New Delhi is one of the core central institutes that are identified by MHRD for development and delivery of MOOCs.

In Indian Context, MOOCs are especially relevant because they provide

mechanisms to reach large number of learners at any stage in their education or professional development, make the learning process flexible open up learner choices and help make workers more employable and productive. MOOCs can also help traditional institutions scale beyond local and international levels. MOOCs can make way for smooth implementation of Choice Based Credit System (CBCS) in undergraduate courses. Presently MOOCs are mostly conducted by western countries that are facing a problem of engaging students from developing countries since there is a lack of cultural translation.

Objectives

MOOCs aim and objectives is to provide and improve quality of education and cross enrollment ratio in higher education with equitable access to learners across India. MOOCs objectives are to enhance skill development courses and explore subject topic in MOOCs relevant to Indian learners like classical, Indian Music, yoga, Ayurveda etc.

In exploring those possibilities like as:

1. Policy Making Initiatives
2. Capability Building
3. MOOC creation and delivery
4. Research & Development
5. Creating relevant Curriculum
6. Credit Transfer System
7. Recognition of Prior learning

Role of Consortium for Educational Communication in MOOCs:

CEC is an inter university Centre, it is established by the UGC in 1993, under section 12(CCC) of its act No.3 of 1956. CEC is a nodal agency at national level and address the educational needs of the communication, it is registered as society

and enjoys as central university status. CBS MOOCs scope is re-purposing and delivery of the entire-E Content developed and content under developing as part of CEC project under NMEICT, MHRD into MOOCs format on the SWAYAM Platform. Develop digital content re-purposing for MOOCs guidelines for the teachers and institutions. It provides ICT framing and development of faculty and subjects experts in MOOCs development and delivery. Develop a MOOCs cell and media centers at CEC for monitoring and management of the regular up-gradation.

Benefits: -

1. Ability to publish e-content to a large number of students.
2. Create custom MOOCs from existing content already developed by CEC.
3. Improved student and teacher engagement.
4. Analytics on content efficiency and student usage.
5. Reliable solution on the cloud accessible across India
6. Increased collaboration.CEC and media centers have:

There is an institutional classification of MOOCs for purpose. More useful is the classification based on the pedagogical approaches, there are following main types of MOOCs:

- 1.MOOC (connectives MOOCs) is associated with a socially-constructivist pedagogical approach to learning. MOOC uses blogs, wikis, and social media for searching knowledge. The main interaction takes place in the formats, “Learner-Learner and Learner-Teacher”.
2. xMOOC (MOOC as extension of something else) was the behavioral

principle of knowledge, by reputation and testing of knowledge. xMOOC contains lectures, quizzes to test the mastery of theoretical material, forums for communicating with the instructor and other students of the courses.

3. Quasi MOOC uses online training, offers online courses, representing an online resource. The purpose of the quasi-MOOC is to provide access to collections of the learning of the mini-lectures in various disciplines and for different age groups of students.
4. LMOOC: LMOOC is the hybrid MOOC or MOOC 3.0. This concept supports hybrid or flipped classes, integrates and combines online and face-to-face teaching/learning.

Conclusions:

Nowadays MOOCs movements are one of the most innovative initiatives within e-learning and distance education that create new learning opportunities in open and university education. However, there are not consolidated approaches regarding the logistics of MOOCs design and development. Designing the MOOC training course, it is necessary to take into account all the wishes and opportunities of the learner's audience. In the future it is planned to develop statistical tools for this MOOC, as well as to study personalization issues that will take into account the desires and opportunities of students.

References: -

1. By the numbers: MOOCs in 2007 class central. January 18,2018, <http://www.classcentral.com/report/mooc-start-2017>.
2. Yousef, A.M.F., Chatti, M.A. Schroeder, U. and Wosnitza, M: what drives a successful MOOC? An empirical examination of criteria to assure design quality of MOOCs. In: Advanced Learning Technology (ICALT), IEFEE 14th International Conference, pp. 44-48 IEEE, NY (2014).
3. ROMERO, C, Ventura, S: Educational data source in massive open online courses, Wiley interdisciplinary reviews: Data mining and knowledge discovery, 7(1),1-12(2017).
4. Cook, R.W.: MOOC Im: Learner Modelling for MOOCs (Master's thesis university of Sydney) .2013; <http://hdl.handle.net/2123/17023>.
5. Cook, R, Kay, J, Kummerfeld, B: MOOCIm: user modeling for MOOC. In: Ricci f, Bontcheua, K, Conlan, O, Lawless, S. (eds) user modeling, adaptation and personalization. UMAP. Lecture notes in computer science, 001.9146, pp1-12. Springer, cham (2015).

Study of Teaching Aptitude among Primary School Teachers

Sanjay Singh Yadav*

Dr. Lalta Prasad**

Abstract

There is an ample scope for selecting right personal in the profession. To raise the standard of education, it is imperative to select proper persons for the profession. When we say a person possesses an aptitude for teaching, it is assumed that he has a good proportion of the traits required for becoming successful in teaching. The magnitude of these traits may differ from individual to individual or even the number of traits possessed by individual may also differ. Some may possess more traits some may possess less. A number of traits required for being successful in teaching compose as a whole' the aptitude for teaching. Thus, high or low aptitude for teaching is in proportion to the number of traits possessed by a person. Not only that but it also depends upon the nature of the traits possessed.

The aim of the study is to find out the difference in the teaching aptitude of primary school teachers in terms of different personal variables. Three Seventy-Four (n=374) primary school teachers were taken for descriptive study. For the purpose of data collection, A teaching aptitude test was developed and standardized by Gakhar, S.C and Rajnish (2010) has been used in the present study. The results revealed that there is significant difference between the teaching aptitude of gender, training type, TET merit and Academic merit of the study.

Keywords: Teaching Aptitude, Primary school teachers, Training course, and Teacher Eligibility Test and Descriptive survey.

Introduction:

Our education system is categorized in many groups; in all types of education, primary education is the base of whole education. It is generally accepted that the education is an option for develop all types of possibilities in the children's and which beginning is possible from primary education. Primary schools are that place where the child meet first time to a teacher and that teacher should be superior and accountable for their work. Whatever the role of teacher is considered to be important in all stages but a teacher has a predominant part to play at the primary school level because at this level the school students need the constant attention of their teachers. They consider their teachers as the only source of inspiration and guidance to them. So, the question of effectiveness of teachers is very important for the students in particular and the society in general. Primary education as its meaning suggests caters to the most fundamental needs of all the children and it's something that man can't do without. Teachers at primary level need to be best equipped in terms of his ability to help in laying strong foundations for children's personality.

Teaching aptitude is necessary for the teachers to do their holy job. Without having considerable amount of teaching aptitude, any teacher cannot perform his/her duty properly. Therefore, teaching aptitude is in accordingly the teacher should know the art of teaching with a deep insight into student's psychology. Teacher should always deal with the

*Research Scholar, Faculty of Education, BHU, Varanasi

**Associate Professor, Faculty of Education, BHU, Varanasi

students in a just manner and should not lose his self-control on mistakes his students may commit, and instead teacher should understand their feelings and ego, and try to understand and resolve their difficulties with grace while keeping him cool. When a person possesses an aptitude for teaching, it is assumed that he has a good proportion of the traits required for becoming successful in teaching. (Sharma & Ahmad, 2016).

Teaching aptitude is a person's potential for teaching which is the sum total of all the traits and abilities that are needed for successful teaching. It means the probability of success in teaching. A person may be said to possess an aptitude for teaching if he possesses good proportion of the traits and abilities required for becoming a successful and effective teacher like Teaching Profession, Interest towards Students, Social Contacts, Innovations Regarding Activities of the School, Professional Ethics, and Teaching Potentiality and current knowledge.

Therefore, in the interest of a successful, meaningful and developing educational system for the country, it is essential that the selection of the teachers should be made properly, scientifically and objectively. Even after the selection is made, if the ability of the teaching class is to be improved, then there should be a standardized system to assess their effectiveness and to suggest ways and means of better performance. If the desirable characteristics are to be developed in prospective teachers, they need to have aptitude for these characteristics. In the absence of the aptitude, these characteristics may not be developed to the required levels. So, we must first check out the teaching aptitude of students when going to be trained

B.Ed., B.T.C., D.Ed., and B.El.Ed. or any kind of training programme. Without ensuring about teaching aptitude do not make a huge crowd of ineffective teachers. After getting the courses which are offered, Teacher Eligibility Test (TET) must be conducted on every level of teaching like primary level, upper primary level, secondary level and senior secondary level.

Objectives:

1. To find out the level of teaching aptitude of primary school teachers.
2. To study the teaching aptitude of primary school teachers with respect to
 - Gender- (Male/ Female)
 - Training Programme – (B.Ed./B.T.C./Distance B.T.C.)
 - Teacher Eligibility Test (TET) Merit – (Low/Moderate/High)
 - Academic Merit - (Low/Moderate/High)

Hypothesis:

H₀1: There is no significant difference in the teaching aptitude of primary school teachers with respect to Gender.

H₀2: There is no significant difference in the teaching aptitude of primary school teachers with respect to Training Programme.

H₀3: There is no significant difference in the teaching aptitude of primary school teachers with respect to Teacher Eligibility Test (TET).

H₀4: There is no significant difference in the teaching aptitude of primary school teachers with respect to Academic Merit.

Methodology:

Depending upon the objective of the study, the descriptive survey method was used in the present study. The sample

for the present study, Three Seventy-Four (n=374) primary school teachers were taken. Population of the study was Ghazipur district in Uttar Pradesh. For the purpose of data collection, A teaching aptitude test was developed and standardized by Gakhar, S.C and Rajnish (2010) has been used in the present study and for the purpose of data analysis, t-test, one-way ANOVA and frequency statistical treatments were applied.

Results and Discussions:

Objective-1 To find out the level of teaching aptitude of primary school teachers.

Grade	Teaching Aptitude	Number of Teachers	Value in %
1	Very Low Teaching Aptitude	16	4.30 %
2	Low Teaching Aptitude	36	9.60 %
3	Below Average Teaching Aptitude	41	11.00 %
4	Average Teaching Aptitude	87	23.30 %
5	Above Average Teaching Aptitude	105	28.10 %
6	High Teaching Aptitude	62	16.60 %
7	Very High Teaching Aptitude	27	7.20 %

From the table, the level of teaching aptitude of primary school teachers, were found that 7.20% primary teachers; were very high-level aptitude of teaching. 16.60 % teachers were found high level of teaching aptitude. 28.10 % teachers were found having above average

teaching aptitude. 23.30 % teachers were found having average teaching aptitude. 11.0 % teachers were found below average teaching aptitude. 9.60 % teachers were found low level of teaching aptitude and almost 4.30 % teachers were found as very low level of teaching aptitude.

Objective -2 To study the teaching aptitude of primary school teachers with respect to gender.

Variable	Gender	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	t value	Result
Teaching Aptitude	Male	220	25.0727	5.57835	.37609	4.83	Significant
	Female	154	22.1753	5.79625	.46708		

As observed from table, the calculated t– value 4.83 is greater than the tabulated value 1.96 at 0.05 level of significance. Consequently, it is concluded that there is significant difference between teaching aptitude of male and primary school teachers.

Objective -3 To study the teaching aptitude of primary school teachers with respect to Training Type

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		F value	P value
					Lower Bound	Upper Bound		
B. Ed	146	27.9589	4.44720	.36805	27.2315	28.6863	190.82	.00
BTC	136	23.9706	3.58173	.30713	23.3632	24.5780		
Distance	92	17.2717	4.28158	.44639	16.3850	18.1584		
BTC								
Total	374	23.8797	5.83867	.30191	23.2860	24.4733		

As observed from table, it is evident that F value (2, 371) = 190.82, p<0.05 of teaching aptitude of different group of teachers was significant at 0.05 level of significance. Hence, the null hypothesis that there is no significant difference in the teaching aptitude of primary school teachers with respect to-training programme is rejected and alternate hypothesis is accepted. All three groups were significantly different with

each other group (Between the group and within the group). Those teachers who have been trained with B.Ed. programme are having more teaching aptitude in comparison of both remaining group after that those teachers who have trained with B.T.C. programme is more aptitude of teaching rather than those who have trained with Distance B.T.C. Hence, it's clear that Training programme or type is also a major factor to determine the effectiveness of teaching.

Objective -4 To study the teaching aptitude of primary school teachers with respect to Teacher Eligibility Test group.

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean	
					Lower Bound	Upper Bound
Low	128	19.3750	5.10673	.45138	18.4818	20.2682
Moderate	152	24.9013	4.57572	.37114	24.1680	25.6346
High	94	28.3617	4.14483	.42751	27.5128	29.2106
Total	374	23.8797	5.83867	.30191	23.2860	24.4733
F value	106.741					
p Value	.000					

From the above table, it is evident that F value (2, 371) = 106.741, $p < 0.05$ of teaching aptitude of different group of teachers was significant at 0.05 level of significance. Hence, the null hypothesis that There is no significant difference in the teaching aptitude of primary school teachers with respect to- TET merit (group) is rejected and alternate hypothesis is accepted. All three groups were significantly different with each other group (Between the group and within the group). Those teachers who have with high merit of TET are having more aptitude in teaching in comparison of both remaining group moderate and low group of TET merit. Similarly, the moderate group of TET merit is having more aptitude in teaching rather than low group. Hence, it's clear that TET merit or score is also a

major factor to determine the effectiveness of teaching.

Objective -5 To study the teaching aptitude of primary school teachers with respect to Academic Merit or group.

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean	
					Lower Bound	Upper Bound
Low	109	28.1009	4.64468	.44488	27.2191	28.9827
Moderate	243	22.0823	5.21772	.33472	21.4230	22.7416
High	22	22.8182	7.05513	1.50416	19.6901	25.9463
Total	374	23.8797	5.83867	.30191	23.2860	24.4733
F value	51.238					
p Value	.000					

From the above table, it is evident that F value (2, 371) = 51.238, $p < 0.05$ of teaching aptitude of different group of teachers was significant at 0.05 level of significance. Hence, the null hypothesis that there is no significant difference in the teaching aptitude of primary school teachers with respect to- Academic merit is rejected and alternate hypothesis is accepted. Post hoc testing revealed that Low group were significantly different with each other group (Between the group and within the group) but moderate group of Academic does not significantly different with high group. Its revealed that those teachers who have with low merit of academic are more aptitude in teaching in comparison of both remaining group moderate and low group academic merit but those teachers who have high level of academic merit it's not necessary to they will be having high aptitude in teaching. Hence, it's clear that academic merit or score is not a necessary factor to determine the effectiveness of teaching. Low, moderate or high level of academic merit does not have any contribution in the teaching aptitude.

Findings:

After the careful analysis of the obtained data and interpretation of the results with regard to the formulated hypotheses, the investigator reached at the following findings:

- 23.80% primary teachers; were found high-level aptitude of teaching.
- 72.30 % were found below average teaching aptitude.
- 16.90 % teachers were found low level of teaching aptitude.
- The male and female primary school teachers differ in their teaching aptitude.
- B.Ed., B.T.C. and Distance B.T.C. trained teachers were significantly different in their teaching aptitude.
- Low, Moderate and High group of Teacher Eligibility Test (TET) qualified teachers were significantly different in their teaching aptitude.
- Low, Moderate and High group of Academic Merit qualified teachers were significantly different in their teaching aptitude.

Reference

1. Augustine. Teaching aptitude, competency, academic background and achievement in educational psychology. Edutrack, 2010; (9)26.
2. Bhasin, C. (1998). Teaching aptitude and its relationship with teaching effectiveness of the higher secondary school teachers in relation to the modern community. (unpublished doctoral dissertation). fifth survey of Educational research, 2, 1988-1992
3. Dabas, N. (2011). A study of teacher effectiveness among elementary school teachers in Haryana in relation to their attitudes towards their teaching and self - concept. *Ph.D. thesis*. Maharshi Dayanand University, Rohtak.
4. Gupta, G. (2013). Teacher effectiveness in relation to stress, teaching aptitude, emotional and social intelligence. *Ph.D. thesis*. Punjab University Chandigarh.
5. Kaushik, N. (2010). Teaching effectiveness teaching aptitude towards teaching profession and personality characteristics of socially advantaged and disadvantaged teacher trainees a comparative study. Shodhganga thesis, CCS University. Meerut. <http://hdl.handle.net/10603/28113>
6. Kanti, K S (2011). A study of values of prospective secondary school teachers in relations to teacher attitude and teaching aptitude. Shodhganga thesis, Acharya Nagarjuna University. <http://hdl.handle.net/10603/126617>
7. Kapur, R. (2018). Concept of Teacher Education. University of Delhi, Delhi. https://www.researchgate.net/publication/329528230_Concept_of_Teacher_Education
8. Kaushik, A. (2018). Teaching effectiveness of senior secondary School teachers in relation to their attitude towards teaching and organization climate. Shodhganga thesis, Maharshi Dayanand University. Rohtak. http://shodhganga.inflibnet.ac.in:8080/jspui/bitstream/10603/301865/4/04_%20chapter%201.pdf
9. Kumar A. (2015). Teaching effectiveness of higher secondary school teachers in relation to their self-concept and adjustment. Unpublished Ph.D. thesis. Banaras Hindu University, Varanasi.
10. Kumar, D. (2017). A study of teaching competency of the primary school teachers in relation to their mental health and job satisfaction. Unpublished Ph.D. thesis, Banaras Hindu University.

11. Kumar, M. R. (2013). A study of teaching effectiveness teaching aptitude and attitude towards teaching Mathematics of prospective Mathematics teachers. Shodhganga thesis, Acharya Nagarjuna University.
<http://hdl.handle.net/10603/126778>
12. Mahipal (2019). Teacher effectiveness of secondary school teachers in relation to their teaching aptitude and adjustment. Ph.D. thesis. Maharshi Dayanand University. Haryana
<http://hdl.handle.net/10603/302020>
13. Nayak G. (1988). The quality of prospective teachers and the selection procedures in practices for admission to the B.Ed. course in Orissa. Ph.D. thesis. Orissa University.
14. Pandya, R.K. (1993). A study of teaching aptitude of secondary school teachers of Gujarat State in the context of some psycho – social variables. Indian Educational Abstracts, Issue – 1, pp. 42.
15. Rai, R. & Rai, A. (2012). A Comparative study between B.Ed. (Gen) and B.Ed. (Special) students in relation to their teaching Aptitude in Varanasi region. International Journal of Arts & Education Research (IJAER). 4 (I). 38-48.
16. Reddy, Bhoom N. (1991). Teaching Aptitude and Attitudes of Secondary School Teachers in Andhra Pradesh. Ph.D. Edu., Osmania Univ. Fifth Survey of Education, NCERT, New Delhi, p.1472.
17. Seetharaman, D & Rajasekar, S. (2013). Teaching Effectiveness of B.Ed. Student Teachers as related to their Teaching Aptitude and Academic performance International Journal of Teachers. Educational Research (IJTER). 2 (9). 10- 19. www.ijter.com
18. Sindhu, P. (2015). Study of teaching aptitude of B Ed pupil teachers in relation to their teaching competency and intelligence. Shodhganga thesis, Maharshi Dayanand University. Rohtak.
<http://hdl.handle.net/10603/208013>
19. Sharma, S.K. & Ahmad, S (2016). A study of teaching Aptitude of prospective teachers in relation to their gender and educational background. International Educational E-Journal, (Quarterly). V (i) 62-68, <http://oikrj.org>

हुए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान(RMSA) में इसे विलीन कर दिया गया। 2018-19 के केंद्र के बजट में समग्र शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। यह अभियान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सर्व शिक्षा अभियान और अध्यापक शिक्षा को मिलाकर प्री प्राइमरी से शिक्षा लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा में परिवर्तन के लिए प्रारंभ की गई। बाद में आईसीटी@स्कूल को भी समग्र शिक्षा अभियान में ही मिला दिया गया। आज समग्र शिक्षा अभियान सामाजिक आर्थिक और भौगोलिक बाधाओं के सार्थक डिजिटल अज्ञानता के मध्य की दूरी और खाई को कम करने का यत्न कर रही है। अब देश के प्रत्येक राज्य (केंद्र शासित भी) के विद्यालयों में कंप्यूटर प्रयोगशाला होना अनिवार्य हो गया है। इसी समय 2005 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार समिति(CABE) की सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा रिपोर्ट में कंप्यूटर को विद्यालयों में एक अनिवार्य मानक के रूप में स्वीकार किया गया।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2012 का निर्माण किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ड्राफ्ट के रूप में 2009 में प्रस्तुत किया गया, पुनः संशोधित रूप में 24 फरवरी 2011 को प्रस्तुत किया गया लेकिन अंत में 2012 में इसे राज्यसभा से स्वीकृत करा लिया गया। यह नीति स्कूली शिक्षा में आईसीटी पर अपना ध्यान केंद्रित करती है ताकि आईसीटी विद्यालय शिक्षा को उत्प्रेरित, समर्थित एवं विकसित करती रहे। यह आईसीटी में सक्षम शिक्षण गतिविधियों और प्रक्रियाओं को संवर्धित करती है ताकि एक छात्र के स्कूल में पहुंचे और स्कूली तंत्र कि प्रशासनिक गुणवत्ता में सुधार हो सके। इस प्रकार यह डिजिटलीकरण के पुनर्जीवन को बढ़ावा देती है। आईसीटी शिक्षकों की क्षमता में वृद्धि के साथ विद्यालय प्रशासनिक प्रणाली में सुधार व सहयोग कर सकती है। इस नीति के क्रियान्वयन में स्कूल प्रबंधन सूचना प्रणाली (स्कूल MIS) शामिल है। जिसके अंतर्गत तकनीकी उपकरण, व्यवसायिक विकास और सतत शिक्षा, मूल्यांकन, मार्गदर्शन, परामर्श व अन्य छात्र सहायता आती है।

2015 में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को विकसित करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। यह कार्यक्रम आर्थिक बुनियादी ढांचे, शासन और सेवाओं को सशक्त करने के लिए लाया गया डिजिटल इंडिया एक ऐसा कार्यक्रम था जो वास्तव में यह परिकल्पना करता है कि भारतीय मेधा और सूचना प्रौद्योगिकी के संगम से नए भारत का निर्माण हो सकता है। ब्रॉडबैंड हाईवे, फोन की सार्वभौमिक पहुंच, बहुजन तक इंटरनेट की उपलब्धता, ई गवर्नेंस, क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की उपलब्धता, आईटी में नौकरी, शीघ्र कृषि उपज और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन जैसे स्तंभों पर टिकी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की सफलता तभी पूर्ण मानी जा सकती है जब विद्यालय शिक्षा आईसीटी से परिपूर्ण होगी।

इसी क्रम में नई शिक्षा नीति 2020 में ऐसी आशा लगाई जाती है कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शिक्षा को कई मायने में प्रभावित करेगी। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन से प्रौद्योगिकी क्षेत्र जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, स्मार्ट बोर्ड, हस्त संचालित कंप्यूटर उपकरण, छात्रों के विकास के लिए एडेप्टिव कंप्यूटर टेस्टिंग और अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर द्वारा न केवल यह परिवर्तन होगा कि छात्र क्या सीखता है वरन यह भी परिवर्तन होगा कि वह कैसे सीखता है। (नई शिक्षा नीति 2020)

विद्यालयी शिक्षा में आईसीटी के नवाचार

आईसीटी की संकल्पना में रेडियो टेलीविजन जैसे पुराने संसार की तकनीकी के साथ आधुनिक समय के सेलफोन, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, उपग्रह प्रणाली, नेटवर्किंग प्रणाली आदि शामिल है। यह अपने व्यापक अर्थ में अनेक प्रौद्योगिकी उपकरणों और उनसे जुड़े अनुप्रयोगों को अपने अंदर समाहित करता है। उदाहरण के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग आदि विभिन्न अनुप्रयोग हैं जिनके माध्यम से आज आईसीटी का क्षेत्र उन्नत हो चुका है। इसके अलावा आईसीटी सृजन, प्रसंस्करण, भंडारण, प्रदर्शन, संचयन, विनिमय, प्रशासन और मूल्यांकन के क्षेत्र में भी अपनी भूमिका बेहतर ढंग से निभा रहा है।

हम आज विद्यालय शिक्षा में आईसीटी और उसके पहल को चारों ओर अनुभव कर पा रहे हैं। आईसीटी के अनुप्रयोगों की सहायता से भारत सरकार ने जन सामान्य और शिक्षार्थियों तक ज्ञान को प्रसारित करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। आईसीटी के इन अनुप्रयोगों को हम उनकी कार्य प्रकृति के आधार पर विभिन्न भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि शैक्षिक सेवाओं को बेहतर बनाने में सूचना प्रबंधन में, संसाधनों के प्रसार में, शिक्षण और अधिगम की गुणवत्ता जांचने में, और पूरी प्रक्रिया का मूल्यांकन करने में। इस प्रकार आईसीटी ने शिक्षा में व्यापक पहुंच, समानता का अवसर, गुणवत्ता में वृद्धि करने का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर ले रखा है। हम निम्नलिखित रूप में आईसीटी की शिक्षा में पहल की अवधारणा को और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं।

1 सेवाओं को व्यापक तथा बेहतर करने में

भौगोलिक सूचना प्रणाली(GIS) भौगोलिक सूचना प्रणाली ऐसी प्रणाली है जो विद्यालयों की स्थानीय स्थिति को कंप्यूटराइज्ड मानचित्र पर प्रदर्शित करती है। अब पूरे देश के प्राथमिक से लेकर महाविद्यालय तक की स्थिति जीपीएस पर ज्ञात होने के कारण स्थान की आवश्यकतानुसार संसाधनों को उपलब्ध कराया जा सकता है।

2. सूचनाओं/ आंकड़ों का प्रबंधन

शाला दर्पण के माध्यम से विद्यालय प्रबंधन, छात्र और अभिभावक को विद्यालय से जुड़ी हर जानकारी घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त हो सकती

डिजिटल भाषा प्रयोगशाला को भारत के प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय द्वारा स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों की अंग्रेजी भाषा के वाचन भाषा प्रयोगशाला की सहायता से सुधार करना था एक भाषा प्रयोगशाला में कंप्यूटर, भाषा सॉफ्टवेयर, आर्म चैयर, आदि सामग्री उपलब्ध होती है।

शाला सारथी शिक्षा का स्तर सुदृढ़ करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से कॉर्पोरेट घरानों और NGO के साथ मिलकर शाला सारथी को प्रारम्भ किया गया। कॉर्पोरेट और NGO से मिलने वाले धन से स्मार्ट क्लासरूम, सीसीटीवी कंप्यूटर प्रयोगशाला आदि स्थापित की जा रही है।

5. पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन

सारांश मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत C.B.S.E ने 2015 में एक सारांश नाम से एप लांच किया था। जिसका उद्देश्य अभिभावकों छात्रों के द्वारा दिए गए समीक्षात्मक उत्तर के बाद अपने विद्यालय की स्थिति का आकलन करना है। इस एप के माध्यम से C.B.S.E विद्यालय अपने तथा प्रतिस्पर्धी विद्यालयों की स्थिति को बेहतर ढंग से जान सकते हैं। इस प्रयास को सरकार का सर्वश्रेष्ठ प्रयास माना गया।

शाला सिद्धि शाला सिद्धि का अर्थ है स्कूल की उपलब्धि शाला सिद्धि वह परियोजना है, जो नेशनल स्टूडेंट ऑन स्कूल ऑफ स्टैण्डर्ड एंड इवैल्यूएशन (N.P.S.S.E) द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित की जाती है। शाला सिद्धि परियोजना भारत में शिक्षा की व्यवस्था में सुधार के लिए शिक्षा की गुणवत्ता के साथ स्कूल के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए शुरू की गई थी। शाला सिद्धि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए व्यापक स्कूल मूल्यांकन की दिशा में एक महनीय कदम है। शाला सिद्धि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है।

शगुन पोर्टल रिपॉजिटरी पोर्टल के अतिरिक्त शगुन एक ऑनलाइन पर्यवेक्षण एप भी है। यह देश के सभी केन्द्रशासित राज्यों के प्राथमिक कक्षाओं के पर्यवेक्षण के लिए प्रयुक्त किये जाने वाली तकनीकी है। शगुन पोर्टल पर अपलोड किया जाने वाला डाटा एक निश्चित पासवर्ड द्वारा अधिकारियों से लेकर नीति आयोग के सदस्यों के द्वारा भी देखा जा सकता है।

कम नहीं चुनौतियाँ

निःसंदेह जिस प्रकार से कोविड-19 के दौर में ICT का प्रयोग हुआ है उसको दृष्टि में रखते हुए यह कहा जा सकता है की भारत में ICT को एक तकनीकी के रूप में स्वीकार करने की अभूतपूर्व क्षमता उपलब्ध है। कोविड-19 के प्रकोप से पहले किये गए केपीएमजी और google के अध्ययन का अनुमान था की भारत में ऑनलाइन शिक्षा का बाजार 2016 के संख्या 24.70 करोड़ यूजर से बढ़कर 2021 में 1.96 अरब डॉलर (14836 करोड़ रुपये) और 96 लाख यूजर्स का हो जायेगा

। परन्तु यह आंकड़े कोरोना काल के पूर्व के हैं। ताजा सर्वे और इसके परिणाम आने अभी शेष है। जिस तरह से कोविड -19 के दौरान ऑनलाइन शिक्षा का प्रचलन बढ़ा है उसे देखते हुए कहा जा सकता है की यह लक्ष्य 2020 में पूर्ण हो गया होगा। परन्तु फिर भी ऑनलाइन शिक्षा और ICT के आगे चुनौतियाँ अभी कम नहीं हैं। वैश्विक सूचनाओं का ओवरलोड होना शिक्षकों और छात्रों के सामने चयन, प्रक्रिया और निर्माण के रूप में भ्रम की स्थिति को जन्म देता है, जो की एक गंभीर समस्या है। (सलेही और सलेही 2014, सिंह 2018) के अनुसार कमजोर आधारभूत ढांचा, सांस्कृतिक परम्पराएँ, भाषाई विविधता और माता पिता की तकनीकी अज्ञानता किसी विकासशील समाज में डिजिटल शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं। प्रति छात्र पर कंप्यूटर की उपलब्धता भी एक बड़ी समस्या है (UNESCO, 2016)। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले छात्रों के सामने तकनीकी का नवाचार का प्रयोग और उसकी समझ न होना भी एक समस्या का अहम पहलू है।

भारत में अभी भी ऐसे विद्यालय हैं जिसमें उचित कक्षा, योग्य शिक्षक, कंप्यूटर, संचार का साधन, और इंटरनेट का अभाव है (ICT in school education report, 2010)। इनके बिना डिजिटल इंडिया का स्वप्न अपूर्ण रहेगा। इसके अतिरिक्त ICT को पहल के रूप में लागू करने के लिए अनेक आन्तरिक चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। कक्षा की मुख्यधारा में इसको सम्मिलित करने का कोई फ्रेमवर्क अभी तक तय नहीं है। ICT के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण और ऑफलाइन कक्षा की लोकप्रियता इसके समक्ष एक बड़ी चुनौती है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों को ICT में बिना दक्ष किए हुए नवीनतम तकनीकी को शिक्षा में एकीकृत नहीं किया जा सकता है (ordini and Sunders 2008, Goswami 2014)। इस प्रकार योग्य और प्रशिक्षित अध्यापक, जागरूक अभिभावक व सक्रिय सरकार के साथ मजबूत इंटरनेट नेटवर्क और सस्ते संसाधन की आज महती आवश्यकता है।

निष्कर्ष

समय के परिवर्तन को देखते हुए तकनीकी रूप से दक्ष समाज की आवश्यकता बढ़ती जा रही है ऐसे में संचार तकनीकी को शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित करना ही होगा। यहां यह समझना होगा कि किसी राष्ट्र के पास कितनी श्रेष्ठ तकनीकी उपलब्ध है यह अर्थपूर्ण तर्क नहीं है, अपितु अर्थपूर्ण तो यह है कि किसी राष्ट्र का समाज तकनीकी के क्षेत्र में कितना दक्ष है, और उसका कितने यथोचित ढंग से प्रयोग कर रहा है। अब समय आ चुका है कि ICT को इसकी सामान्य उपयोगिता से भी अधिक महत्व प्रदान किया जाए। यद्यपि नई शिक्षा नीति में 'प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं एकीकरण' शीर्षक के माध्यम से इसका विस्तार से वर्णन किया गया है फिर भी सामान्य जन में तकनीकी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना ही होगा। शिक्षकों, छात्रों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को तकनीकी को एक मित्र के रूप में स्वीकार करने का भाव लाना चाहिए। आज के युवा ने तकनीकी प्रधान समाज में

स्नातक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की आध्यात्मिक बुद्धि एवं शैक्षिक समायोजन के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन

डॉ० मञ्जुल त्रिवेदी*

शिक्षा मानव विकास की आधारशिला है, मनुष्य का यह शैक्षिक विकास अनेक कारकों पर निर्भर करता है। विद्यार्थी जब माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत उच्च शिक्षा में प्रवेश करता है तो उसकी वातावरणीय परिस्थितियां भिन्न होती हैं। विगत अकादमिक माहौल से पृथक स्थितियां उसे प्राप्त होती हैं। अनेक विद्यार्थी इन परिस्थितियों से कुशल सामंजस्य बैठाकर अपने अकादमिक विकास को गति देते हैं जबकि अनेक विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो इन नवीन परिस्थितियों से तादात्म्य बैठा पाने में कठिनता का अनुभव करते हैं। ऐसे विद्यार्थियों का शैक्षिक विकास प्रभावित होता है। अनेक अध्ययन बताते हैं कि जो विद्यार्थी अपनी शैक्षिक परिस्थितियों में सामंजस्य बैठाकर समायोजित हो जाते हैं उनकी शैक्षिक उपलब्धि भी बेहतर होती है, इसके विपरीत जो विद्यार्थी समायोजित नहीं हो पाते या जिनका समायोजन औसत स्तर से कम होता है। उनकी शैक्षिक उपलब्धि नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। यथा -बालक तथा बालिकाओं के समायोजन तथा उनकी शैक्षणिक लब्धि के मध्य सकारात्मक संबंध होता है। शिक्षार्थी की अकादमिक लब्धि एवं समायोजन में लिंग का योगदान होता है- शाह एवं अन्य (2019) आध्यात्मिक कल्याण एवं महाविद्यालय समायोजन में उच्च धनात्मक सहसम्बन्ध होता है, जो कि अत्यन्त प्रभावशाली माना जा सकता है, उपरोक्त अध्ययन से प्राप्त परिणामों के अवलोकन से भिन्न भिन्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं अतः स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों के शैक्षिक समायोजन का अध्ययन करना प्रासंगिक हो जाता है।

आध्यात्मिक विकास प्राचीन काल से ही शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। आज की शिक्षा प्रणाली में भी हम शिक्षा और संस्कारों के माध्यम से यह प्रयत्न करते हैं कि विद्यार्थी आध्यात्मिक रूप से पुष्ट हो। इन्हीं आध्यात्मिक अवयवों से संयुक्त तत्व के रूप में आधुनिक मनोविज्ञान ने आध्यात्मिक बुद्धि के संप्रत्यय की पहचान की है। जिसे परिभाषित करते हुए भिन्न-भिन्न परिभाषाएं प्राप्त होती हैं। विगिल्सवथ -(2006) परिस्थितियों की परवाह किए बिना भीतरी एवं बाहरी शांति बनाए रखते हुए ज्ञान एवं करुणा के साथ कार्य करने की क्षमता ही आध्यात्मिक बुद्धि है।

दैनिक समस्या समाधान तथा लक्ष्यों की प्राप्ति में आध्यात्मिक सूचनाओं का प्रयोग आध्यात्मिक बुद्धि या आध्यात्मिक बुद्धिमता कही जा सकती है। (एमंस)

व्यक्ति की यह आध्यात्मिक बुद्धि अनेक कारकों से प्रभावित होती है जिनका अध्ययन अनेक शिक्षाविदों एवं मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। मनोवैज्ञानिकों ने आध्यात्मिक बुद्धि का अन्य चरों के

सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन किया तथा विविध चरों के साथ उसके भिन्न- भिन्न प्रभावों का आकलन प्रस्तुत किया, यथा- किशोरों की आध्यात्मिक बुद्धि तथा समायोजन के मध्य सार्थक सकारात्मक सहसम्बन्ध होता है, (नकुलन एवं अन्य, 2017) आध्यात्मिक बुद्धि एवं प्राध्यापकों की दक्षता के मध्य महत्वपूर्ण सहसम्बन्ध होता है, (सेठी, 2015) आध्यात्मिक बुद्धि और समायोजन के मध्य महत्वपूर्ण सार्थक एवं सकारात्मक सहसंबंध होता है, (मीणा, 2013)।

एक ओर यह आध्यात्मिक बुद्धि जहां अनेक अवयवों से प्रभावित होती है वही व्यक्ति की आध्यात्मिक बुद्धि का स्तर अनेक अवयवों को प्रभावित भी करता है। अतः प्रस्तुत शोध अध्ययन में स्नातक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक समायोजन के संदर्भ में आध्यात्मिक बुद्धि का अध्ययन किया गया है।

शोध समस्या-

स्नातक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की आध्यात्मिक बुद्धि एवं शैक्षिक समायोजन के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन

संक्रियात्मक परिभाषाएं-

शैक्षिक समायोजन- यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी अपनी - शैक्षिक आवश्यकताओं एवं इन आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में सन्तुलन रखता है।

आध्यात्मिक बुद्धि-

आध्यात्मिक बुद्धि आध्यात्मिक सूचनाओं तक पहुंचना उन्हें व्यक्त करना और व्यवहार में लाना है।

अध्ययन के उद्देश्य-

1. स्नातक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की आध्यात्मिक बुद्धि एवं शैक्षिक समायोजन के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन करना।
2. स्नातक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की उच्च, मध्यम व निम्न आध्यात्मिक बुद्धि के संदर्भ में उनके शैक्षिक समायोजन का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएं

1. स्नातक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की उच्च, मध्यम एवं निम्न आध्यात्मिक बुद्धि एवं शैक्षिक समायोजन के मध्य सार्थक सम्बन्ध है।
2. स्नातक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की आध्यात्मिक बुद्धि के संदर्भ में उनके शैक्षिक समायोजन में अंतर है।

*असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग, बी० ए० ए० वी० पी० जी० कालेज, लखनऊ।

अध्ययन की विधि-

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसँख्या एवं न्यादर्श- प्रस्तुत अध्ययन में लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है। जिसमे से न्यादर्श के रूप में 10 महाविद्यालयों के 329 विद्यार्थियों को चुना गया है।

न्यादर्शन- न्यादर्श के चयन हेतु गुच्छ प्रतिदर्श विधि का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन हेतु उपकरण-

प्रस्तुत अध्ययन में आंकड़ों के संकलन हेतु के एस मिश्र द्वारा निर्मित आध्यात्मिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया गया है। शैक्षिक समायोजन हेतु शोधकर्ता द्वारा स्वनिर्मित शैक्षिक समायोजन परीक्षण का उपयोग किया गया है।

अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी -प्रस्तुत अध्ययन में आंकड़ों के विश्लेषण हेतु टी टेस्ट एवं एनोवा का प्रयोग किया गया है।

परिणाम एवं व्याख्या-

स्नातक स्तर के उच्च, मध्यम व निम्न आध्यात्मिक बुद्धि वाले विद्यार्थियों के शैक्षिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन।

शून्य परिकल्पना- स्नातक स्तर के उच्च, मध्यम व निम्न आध्यात्मिक बुद्धि वाले विद्यार्थियों के शैक्षिक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शून्य परिकल्पना के परीक्षण हेतु एनोवा का प्रयोग किया गया। गणना के परिणाम तालिका में प्रदर्शित है-

तालिका संख्या- 1

उच्च, मध्यम व निम्न आध्यात्मिक बुद्धि वाले विद्यार्थियों का शैक्षिक समायोजन

समूह	Df	SS	MS	F-अनुपात
समूह के मध्य	2	28638.81	14319.41	18.17'
समूह के अन्दर	326	256801.1	787.7335	

*0.05 स्तर पर सार्थक

तालिका संख्या 1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्नातक स्तर के उच्च, मध्यम व निम्न आध्यात्मिक बुद्धि वाले विद्यार्थियों के शैक्षिक समायोजन में अन्तर हेतु एफ अनुपात का प्राप्त मान 18.17 है जो कि 2.326 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सार्थकता मान 3.02 से अधिक है अतः शून्य परिकल्पना स्नातक स्तर के उच्च), मध्यम व निम्न

आध्यात्मिक बुद्धि वाले विद्यार्थियों के शैक्षिक समायोजन में अन्तर नहीं है अस्वीकार की जाती है और यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्नातक स्तर के उच्च, मध्यम व निम्न आध्यात्मिक बुद्धि वाले विद्यार्थियों के शैक्षिक समायोजन में सार्थक अन्तर है। यह ज्ञात करने के लिए कि कौन-कौन से मध्यमान परस्पर सार्थक रूप से भिन्न हैं, प्रसरण विश्लेषणोपरान्त टी-परीक्षण निकाला गया-

तालिका संख्या - 2

प्रसरण विश्लेषणोपरान्त टीपरीक्षण-


समूह	N	M	M ₁ -M ₂	σ _D	t-परीक्षण
उच्च	96	238.67	11.24	2.81	4.00*
मध्य	139	227.43			
उच्च	96	238.67	24.53	3.31	7.36*
निम्न	94	214.14			
मध्य	139	227.43	13.29	2.99	4.44*
निम्न	94	214.14			

*0.05 स्तर पर सार्थक

उपरोक्त प्रसरण विश्लेषण के उपरान्त टी-परीक्षण से स्पष्ट है कि उच्च एवं मध्य और उच्च एवं निम्न तथा मध्य और निम्न आध्यात्मिक बुद्धि वाले विद्यार्थियों के शैक्षिक समायोजन के मध्यमानों में 0.05 स्तर पर अन्तर सार्थक है। सारिणी से स्पष्ट है कि उच्च आध्यात्मिक बुद्धि वाले विद्यार्थियों के शैक्षिक समायोजन का मध्यमान, मध्य आध्यात्मिक बुद्धि वाले विद्यार्थियों से 2.81 अधिक है, उच्च आध्यात्मिक बुद्धि वाले विद्यार्थियों के शैक्षिक समायोजन का मध्यमान, निम्न आध्यात्मिक बुद्धि वाले विद्यार्थियों से 3.31 अधिक है, मध्य आध्यात्मिक बुद्धि वाले विद्यार्थियों के शैक्षिक समायोजन का मध्यमान, निम्न आध्यात्मिक बुद्धि वाले विद्यार्थियों से 2.99 अधिक है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तीनों समूहों के मध्यमानों की तुलना निम्नवत की गयी है-

ग्राफ संख्या- 1

उच्च, मध्यम व निम्न आध्यात्मिक बुद्धि वाले विद्यार्थियों के शैक्षिक समायोजन का मध्यमान



निष्कर्ष एवं सुझाव-

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि विद्यार्थियों की आध्यात्मिक बुद्धि उनके शैक्षिक समायोजन में सार्थक योगदान देती है। चूँकि शैक्षिक समायोजन प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों की अकादमिक उपलब्धि के साथ जुड़ा हुआ है अतः यह निष्कर्ष अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। आध्यात्मिक बुद्धि के महत्व को देखते हुए हमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ऐसी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो विद्यार्थियों की आध्यात्मिक बुद्धि की प्रबलता में सकारात्मक योगदान दें। नीति नियंताओं को भी उपर्युक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए नीति निर्धारण का कार्य करना चाहिए।

संदर्भ-

1. इकबाल, एस., गुप्ता, एस एवं वेंकटराव (2015) स्ट्रेस, एंजाइटी एण्ड डिप्रेशन अमंग मेडिकल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एण्ड देयर सोशियो डेमोग्राफिक कोरिलेट्सआई .0जे0एम0आर0, 141, 354-357
2. एमन्स, आर.ए. इज स्पिरिचुअलिटी इज इंटेलिजेंस.(२०००) ? मोटिवेशन, कॉमिशन एंड द साइकोलॉजी ऑफ अल्टीमेट कंसर्न . ऑफ रिलिजन इंटरनेशनल जर्नल फॉर द साइकोलॉजी, 10, 3-26 ।
3. केनेट, डी. जे., रीड, एम.जे. एवं स्टमर्ट ए.एस. (2013).द इम्पैक्ट ऑफ रीजन्स फार अटेंडिंग यूनिवर्सिटी ऑन एकेडमिक रिसोर्सफुलनेस एण्ड एडजेस्टमेन्टइन हायर एक्टिव लर्निंग . एजुकेशन, 14, (2) 123-130 ।
4. कैबरेरा, एएफ ., नोरा, ए., पैट्रिक एवं पासकरेला (1999) कैम्पस रेशियल क्लाइमेट एण्ड द एडजस्टमेन्ट ऑफ स्टूडेंट टू कालेजद . जर्नल ऑफ हायर एजुकेशन, 70 (2) 134-160 ।
5. गुप्ता एवं वर्मा (2011) स्टडी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन रिलेशन टू मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्सज .र्नल ऑफ एडवांस इन मैनेजमेंट आईटी एंड सोशल साइंसेज, 5 (1) 4 ।
6. जैन (2015) .एस ,मीना .एम्.अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ एडोलसेंसइंडियन . 16-12 (2) 3 .जर्नल ऑफ साइकोलोजिकल साइंस
7. ब्रेनडी, एस., हेक्टर, एफएवं हैरैल ., एस. पी. (1993).माइनारिटी स्टेटस स्ट्रेस एण्ड द कालेज एडजस्टमेन्ट ऑफ एथनिक माइनारिटी फ्रेशमेन, द जर्नल ऑफ हायर एजुकेशन, 64 (4) 434-452 ।
8. जोहर, ड. एवं मार्शल, आई.(2000) स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस द अल्टीमेट इंटेलिजेंस, न्यूयार्क ब्लूमसबरी प्रेस ।
9. रघुराम, आर .(2014) अ स्टडी आन अकरेन्स ऑफ सोशल एंजाइटी अमंग नर्सिंग स्टूडेंट एण्ड इट्स कोरिलेशन विद प्रोफेशनल एडजस्टमेन्ट इनसेलेक्टेड नर्सिंग इन्टीट्यूशंस एट मंगलौरएन .0आई0टी0टी0ई0 यूनिवर्सिटी जर्नल ऑफ हेल्थ साइन्स, 4, (2) 64-69 ।
10. डावर्टी, टी. जे .(2011) द रिलेशनशिप बिटवीन स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल इन्टेलिजेंस एण्ड लीडरशिप प्रैक्टिसेज इन स्टूडेन्ट लीडर्स इन द बी0वाई0यू0 इदाहो स्टूडेन्ट एक्टिविटीज प्रोग्राम . इदाहो यूनिवर्सिटी, डिजिटेशन एब्सट्रैक्ट इंटरनेशनल ।

उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की कुरीतियों का अध्ययन

डॉ. सरोज राय*

शिक्षा सभ्य सुसंस्कृत एवं प्रगतिशील मानव समाज के लिए एक आधारशिला का निर्माण करती है। शिक्षा ही वह साधन है जो मनुष्य और जानवर या अन्य प्राणियों में अन्तर करती है, शिक्षा ही वह ज्योति पुंज है जो मानव के मस्तिष्क के अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश आलोकित करती है। शिक्षा हमारी समस्याओं को सुलझाकर सुसंस्कृत बनाती है। वर्तमान समय में शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक चारित्रिक एवं सांस्कृतिक विकास करना है, विद्यालय इन समस्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्र के योग्य नागरिकों का निर्माण होता है। वर्तमान युग के प्रतिस्पर्द्धात्मक युग में शिक्षा चहुंमुखी विकास कर रही है। 1986 शिक्षा नीति, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में शिक्षा के द्वारा लिए अनेक कारगर कदम उठाये गये हैं कि शिक्षा में सुधार हो सके। 2020 नई शिक्षा नीति भी वर्तमान भारत सरकार ने लागू कर दी है फिर भी अनेक कुरीतियां विद्यार्थी के विकास में कहीं न कहीं बाधा उपस्थित कर ही देती है। चाहे वह विद्यार्थी किसी भी वर्ग का क्यों न हो।

विद्यार्थियों, शिक्षक, समाज, अभिभावक, शिक्षाविद, समाजशास्त्री, शिक्षा व्यवस्था, मनोवैज्ञानिक, कुरीतियों को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं जिससे समाज प्रगति की ओर अग्रसर हो सकेगा। विद्यार्थियों का चहुंमुखी विकास हो सके क्योंकि विद्यार्थी ही समाज की आधारशिला है। विद्यार्थियों में नये ज्ञान का प्रचार-प्रसार वैज्ञानिक तर्क देकर, व्यावहारिक उदाहरणों से समाज में तथा विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों में व्याप्त कुरीतियों को दूर किया जा सकता है। क्योंकि इन कुरीतियों के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः इस शोध के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीति को कम किया जा सकता है जिससे समाज, शिक्षक, शिक्षा व्यवस्था, अभिभावकों के दृष्टिकोण को परिवर्तित करते हुए राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक विचारों का आदान-प्रदान करते हुए विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

मुख्य बिन्दु : उच्च, माध्यमिक, स्तर, विद्यार्थी, कुरीति, अध्ययन

प्रस्तावना :

शिक्षा सभ्य सुसंस्कृत एवं प्रगतिशील मानव समाज के लिए एक आधारशिला का निर्माण करती है। शिक्षा ही वह साधन है जो मनुष्य और जानवर या अन्य प्राणियों में अन्तर करती है, शिक्षा ही वह ज्योति पुंज है जो मानव के मस्तिष्क के अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश आलोकित करती है। शिक्षा हमारी समस्याओं

को सुलझाकर सुसंस्कृत बनाती है। वर्तमान समय में शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक चारित्रिक एवं सांस्कृतिक विकास करना है, विद्यालय इन समस्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्र के योग्य नागरिकों का निर्माण होता है। वर्तमान युग के प्रतिस्पर्द्धात्मक युग में शिक्षा चहुंमुखी विकास कर रही है। 1986 शिक्षा नीति, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 शिक्षा के द्वारा लिए अनेक कारगर कदम उठाये गये हैं कि शिक्षा में सुधार हो सके। 2020 नई शिक्षा नीति भी वर्तमान भारत सरकार ने लागू कर दी है फिर भी अनेक कुरीतियां विद्यार्थी के विकास में कहीं न कहीं बाधा उपस्थित कर ही देती है। चाहे वह विद्यार्थी किसी भी वर्ग का क्यों न हो।

इस प्रकार वैज्ञानिक ज्ञान तथा तकनीकी विस्तार के फलस्वरूप विद्यार्थी अनेक ऐसी गलत धारणाओं का शिकार हो रहा है जिससे विद्यार्थी मानसिक रूप से ही भ्रमित नहीं हो रहा है बल्कि उसका शैक्षिक, सामाजिक विकास का मार्ग भी बाधित हो रहा है।

कुरीतियां:

मानवीय सम्बन्धों से सम्बन्धित एक समस्या है जो समाज के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। सामाजिक, कुरीतियों से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से होता है जिससे समाज का एक बड़ा भाग प्रभावित होता है इन परिस्थितियों में सामाजिक एकता खंडित प्रतीत होती है। जिससे हानिकारक परिणाम प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं हमारी विभिन्नताएं जो हमारी पहचान है। वह भी अनेक प्रकार की कुरीतियों को जन्म देती है। भारतीय मध्यम वर्ग में जो अनेक कुरीतियों व्याप्त हैं जिनमें विवाह सम्बन्धी कुरीतियों का स्थान महत्वपूर्ण है जैसे-दहेज प्रथा। सामाजिक कुरीतियां एक ऐसी कष्टप्रद दशा है जो व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, शिक्षा, संस्कार सभी के विकास की दृष्टि में बाधक है। इन असांजस्य पूर्ण शक्तियों एवं उनके परिणामों को रोकने के लिए सामाजिक क्रिया एवं नियन्त्रण आवश्यक है।

किसी भी कुरीति को सामाजिक समस्या के रूप में समझने के लिए मनुष्य को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है क्योंकि लोगों को यह दृढ़ विश्वास हो कि वह परिस्थिति मूल्य व्यवस्था की दृष्टि से अनुचित है। कुरीति के निवारण के लिए अनुरूप साधन ढूंढने की आवश्यकता है तथा उसकी क्रियान्वित कर सुधार लाने की भी आवश्यकता है। समाज में अनेक कुरीतियां बाधा बनकर खड़ी है जैसे-कन्या भ्रूण हत्या, बाल-विवाह, दहेज प्रथा,

*सहायक आचार्या, शिक्षा विभाग, जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनू-राजस्थान

मद्यपान, मादक द्रव्य का सेवन, लिंगभेद अपृश्यता, देवदासी प्रथा, बाल-अपराध, तलाक तथा मृत्युभोज आदि। हमारी सामाजिक कुरीतियां राष्ट्र विकास के लिए अवरोधक है। इनकी जड़े इतनी गहरी है इन्हें सामूहिक प्रयासों द्वारा ही दूर किया जा सकता है। समाज में व्याप्त मान्यताएं या प्रचलित कुप्रथाएं जो तिल से ताड़ बनकर समाज को विनाश की ओर अग्रसर करती है कुरीतियां कहलाती है।

स्वस्थ समाज व राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है कि समाज, राष्ट्र के निवासी परम्परागत रूढ़िवादी विचारों को त्यागकर नवीन वैचारिक ज्ञान का प्रचार-प्रसार करें तथा नवीन चिंतन कर स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाएं जिससे राष्ट्र के विकास की दिशा उन्नति के नये आयामों को छू सके तथा राष्ट्र कल्याण कर सके।

समस्या का औचित्य :

आज विज्ञान के ज्ञान के प्रकाश से शिक्षा क्षेत्र आलोकित हो रहा है फिर भी समाज में व्याप्त कुरीतियां व्यापक रूप से फैली हुई है। जो सबसे अधिक विद्यार्थी वर्ग के विकास में बाधक तत्व के रूप में खड़ी है। विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति हेतु कुरीतियों की प्रवृत्ति का अध्ययन करना अति आवश्यक है जिससे उन्हें भविष्य के लिए उचित दिशा निर्देश दिया जा सके। इस अध्ययन द्वारा विद्यार्थियों में पनप रही अनेक गलत धारणाओं का शिकार होने से बचाया जा सकता है तथा उन्हें उनके सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर किया जा सकता है। इसी को आधार मानकर शोध हेतु उपर्युक्त विषय का चयन किया गया है।

समस्या कथन :

“उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की कुरीतियों का अध्ययन”

शोध के उद्देश्य :

1. ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों में कुरीतियों का अध्ययन करना।
2. विज्ञान वर्ग के ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों की कुरीतियों का अध्ययन करना।
3. कला वर्ग के ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों की कुरीतियों का अध्ययन करना।
4. विज्ञान वर्ग की छात्राओं की कुरीतियों का अध्ययन करना।
5. कला वर्ग की छात्राओं की कुरीतियों का अध्ययन करना।

परिकल्पनाएं :

1. ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों की कुरीतियों में सार्थक अन्तर नहीं है।
2. विज्ञान वर्ग के ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों की कुरीतियों में सार्थक अन्तर नहीं है।
3. कला वर्ग के ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों की कुरीतियों में सार्थक अन्तर नहीं है।
4. विज्ञान वर्ग की छात्राओं की कुरीतियों में सार्थक अन्तर नहीं है।
5. कला वर्ग की छात्राओं की कुरीतियों में सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध विधि :

प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या व न्यादर्श :

न्यादर्श चयन हेतु यादृच्छिक स्तरीकृत विधि का प्रयोग किया है। उच्च माध्यमिक विद्यालय के 60 विद्यार्थियों का चयन किया गया है।

शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी :

मध्यमान, प्रामाणिक विचलन, टी परीक्षण का प्रयोग किया गया है।

शोध में प्रयुक्त उपकरण : स्वनिर्मित कुरीति मापनी का प्रयोग किया है।

परिकल्पना-1 : ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों की कुरीतियों में सार्थक अन्तर नहीं है।

संकाय	विद्यार्थियों की संख्या (N)	मध्य मान (M)	मानक विचलन (SD)	टी मान (t)	मानक त्रुटि (SE D)	स्वतंत्रता के अंश (df)	सार्थकता स्तर	निष्कर्ष
कला	30	91.76	12.6	4.2	1.96	118	0.05 (1.98)	अस्वीकृत
विज्ञान	30	83.41	8.65				0.01 (2.62)	

विश्लेषण :

प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि उच्च माध्यमिक स्तर के ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों में कुरीतियों के स्तर के प्राप्तियों का मध्यमान क्रमशः 91.76, 83.41 तथा मानक विचलन क्रमशः 12.6, 8.65 व मानक त्रुटि 1.96 है तथा टी का मान 4.2 प्राप्त हुआ है। जो $df=118$ के लिए टी का अपेक्षित मान 0.05 स्तर पर 1.98 व 0.01 स्तर पर 2.62 है, जबकि टी का मान 4.2 प्राप्त हुआ है। यह सार्थकता के दोनों स्तरों से अधिक है। अतः परिकल्पना अस्वीकृत होती है।

परिकल्पना-2 : विज्ञान वर्ग के ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों की कुरीतियों में सार्थक अन्तर नहीं है।

विश्लेषण :

प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि उच्च माध्यमिक स्तर के विज्ञान वर्ग के ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों की कुरीतियों के स्तर के प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 90.46, 83.76 तथा मानक विचलन क्रमश 1.6, 9.58 व मानक त्रुटि 2.25 है तथा टी का मान 2.27 प्राप्त हुआ है। जो $df=58$ के लिए टी का अपेक्षित मान 0.05 स्तर पर 2.00 व 0.01 स्तर पर 2.66 है, जबकि टी का मान 2.27 प्राप्त हुआ है। अतः परिकल्पना अस्वीकृत होती है। क्योंकि टी का मान सार्थकता स्तर से कम है।

परिकल्पना-3 : उच्च माध्यमिक स्तर के कला वर्ग के ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों की कुरीतियों में सार्थक अन्तर नहीं है।

संकाय	विद्यार्थियों की संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (SD)	मानक त्रुटि (SE D)	स्वतन्त्रता के अंश (df)	टी मान (t)	सार्थकता स्तर	निष्कर्ष
कला	30	93.06	12.09	2.64	58	3.7	0.05 (2.00)	अस्वीकृत
विज्ञान	30	83.06	7.94				0.01 (2.26)	

विश्लेषण :

प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि उच्च माध्यमिक स्तर के कला वर्ग के ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों की कुरीतियों के स्तर के प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 93.06, 83.06 तथा मानक विचलन क्रमश 12.09, 7.94 व मानक त्रुटि 2.64 है तथा टी का मान 3.7 प्राप्त हुआ है। जो $df=58$ के लिए टी का अपेक्षित मान 0.05 स्तर पर 2.00 व 0.01 स्तर पर 2.66 है, जबकि टी का मान 3.7 प्राप्त हुआ है। जो सार्थकता के दोनों स्तरों से अधिक है। अतः परिकल्पना अस्वीकृत होती है।

परिकल्पना-4 : विज्ञान वर्ग की छात्राओं की कुरीतियों में सार्थक अन्तर नहीं है।

संकाय	विद्यार्थियों की संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (SD)	मानक त्रुटि (SE D)	स्वतन्त्रता के अंश (df)	टी मान (t)	सार्थकता स्तर	निष्कर्ष
कला	30	85.06	13.14	3.0	58	1.3	0.05 (2.00)	स्वीकृत
विज्ञान	30	89.13	9.89				0.01 (2.26)	

विश्लेषण : प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि उच्च माध्यमिक स्तर के विज्ञान वर्ग की छात्राओं में कुरीतियों

के स्तर के प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 85.06, 89.16

संकाय	विद्यार्थियों की संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (SD)	मानक त्रुटि (SE D)	स्वतन्त्रता के अंश (df)	टी मान (t)	सार्थकता स्तर	निष्कर्ष
कला	30	90.46	1.6	2.25	58	2.27	0.05 (2.00)	अस्वीकृत
विज्ञान	30	83.76	9.58				0.01 (2.26)	

तथा मानक विचलन क्रमश 13.14, 9.89 व मानक त्रुटि 3.0 है तथा टी का मान 1.3 प्राप्त हुआ है। जो $df=58$ के लिए टी का अपेक्षित मान 0.05 स्तर पर 2.00 व 0.01 स्तर पर 2.66 है, जबकि टी का मान 1.3 प्राप्त हुआ है। यह सार्थकता के दोनों स्तरों से कम है। अतः परिकल्पना स्वीकृत होती है।

परिकल्पना-5 : कला वर्ग की छात्राओं की कुरीतियों में सार्थक अन्तर नहीं है।

संकाय	विद्यार्थियों की संख्या (N)	मध्यमान (M)	मानक विचलन (SD)	मानक त्रुटि (SE D)	स्वतन्त्रता के अंश (df)	टी मान (t)	सार्थकता स्तर	निष्कर्ष
कला	30	87	12.96	2.9	58	0.73	0.05 (2.00)	स्वीकृत
विज्ञान	30	89.13	9.2				0.01 (2.26)	

विश्लेषण :

प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि उच्च माध्यमिक स्तर के कला वर्ग की छात्राओं की कुरीतियों के स्तर के प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 87, 89.13 तथा मानक विचलन क्रमश 12.96, 9.2 व मानक त्रुटि 2.9 है तथा टी का मान 0.73 प्राप्त हुआ है। जो $df=58$ के लिए टी का अपेक्षित मान 0.05 स्तर पर 2.00 व 0.01 स्तर पर 2.66 है, जबकि टी का मान 0.73 प्राप्त हुआ है। यह सार्थकता के दोनों स्तरों से कम है। अतः परिकल्पना स्वीकृत होती है।

शोध के निष्कर्ष :

- विद्यार्थी किसी भी समाज का आने वाला भविष्य हाता है इनका सही तरह से समाजीकरण हो तथा सामाजिकता के गुणों का विकास हो यह आवश्यक है। क्योंकि तभी विद्यार्थी आने वाला समाज का बेहतर निर्माण कर सकते हैं तथा कुरीतियों से मुक्त देश का विकास सही दिशा में कर सकते हैं।
- जिस समाज के विद्यार्थियों में रूढ़िवादी विचारों का स्तर जितना कम होगा उनका वैज्ञानिक ज्ञान, स्वरूप, वैचारिक दृष्टिकोण जितना अधिक स्वस्थ होगा वह समाज उतनी ही शैक्षिक, वैज्ञानिक, वैचारिक रूप से विकसित और सुदृढ़ होगा।

- समाज के विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों में व्याप्त कुरीतियों की प्रवृत्ति के स्तर का पता लगाकर उसको वैज्ञानिक तरीकों से दूर करने का प्रयास किया जा सकता है तथा विभिन्न समाज में व्याप्त कुरीतियों को विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक समाज को अवगत कराकर तर्क पूर्ण ज्ञान प्रदान करते हुए उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा सकता है।
- अभिभावक, शिक्षक समाज में व्याप्त कुरीतियों को पहचान कर विद्यार्थियों के वैचारिक दृष्टिकोण को कम करने के लिए उनके विरुद्ध तर्क पूर्ण मत प्रस्तुत करते हुए सही दिशा में मार्गदर्शन करके सकारात्मक विकास किया जा सकता है। जिससे अध्यापक एवं शिक्षा से जुड़े विभिन्न धर्मों के व्यक्तियों के माध्यम से राष्ट्र की विकासात्मक दिशा को सुदृढ़ता, सक्षमता तथा मजबूती प्रदान की जा सकेगी।
- अभिभावक, शिक्षक समाज का दृष्टिकोण बदलने से वैचारिक मजबूती तथा सही मार्गदर्शन एक वरदान की तरह साबित होगा।
- इसके कम होने से नवीन समाज, शिक्षा व्यवस्था, समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण गलत वैयक्तिक धारणाओं से मुक्ति तथा अशिक्षित अभिभावकों के परम्परागत विचार, विद्यार्थी की सोच का स्तर को मनोवैज्ञानिक रूप से दूर किया जा सकता है। अर्थात् उनकी मानसिक प्रवृत्ति को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है।
- ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों तथा कॉलेज विद्यार्थियों में व्याप्त कुरीतिकी धारणा को धार्मिक शिक्षा को वैज्ञानिक उदाहरणों के माध्यम से तर्क प्रस्तुत करते हुए सामाजिक विश्वासों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना होगा तभी समाज एक नई दिशा में मार्ग प्रशस्त करेगा।
- विद्यार्थियों में सामाजिक परम्पराओं, विश्वासों को प्रजातांत्रिक मूल्यों, सौन्दर्यात्मक मूल्यों, पारिवारिक मूल्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है।

शैक्षिक निहितार्थ :

विद्यार्थियों, शिक्षक, समाज, अभिभावक, शिक्षाविद, समाजशास्त्री, शिक्षा व्यवस्था, मनोवैज्ञानिक, कुरीतियों को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं जिससे समाज प्रगति की ओर अग्रसर हो सकेगा। विद्यार्थियों का चहुंमुखी

विकास हो सके क्योंकि विद्यार्थी ही समाज की आधारशिला है। विद्यार्थियों में नये ज्ञान का प्रचार-प्रसार वैज्ञानिक तर्क देकर, व्यावहारिक उदाहरणों से समाज में तथा विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों में व्याप्त कुरीतियों को दूर किया जा सकता है। क्योंकि इन कुरीतियोंके कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः इस शोध के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीति को कम किया जा सकता है जिससे समाज, शिक्षक, शिक्षा व्यवस्था, अभिभावकों के दृष्टिकोण को परिवर्तित करते हुए राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक विचारों का आदान-प्रदान करते हुए विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

संदर्भ ग्रन्थ-सूची :

1. कपिल, एच.के. (2008), अनुसंधान विधियां, एच.पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा
2. शर्मा, एल.एल. (2007), शिक्षा तथा भारतीय समाज, आर.लाल बुक डिपो, मेरठ
3. शर्मा, एस. (2007), उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा, श्याम प्रकाशन, जयपुर
4. पाण्डेय, रामशक्ल (2007), नई शिक्षानीति, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
5. कपिल, एच.के. (2005), सांख्यिकी के मूल तत्त्व, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
6. राय कुमार, चन्द्र एस. (2004), भारतीय सामाजिक समस्याएं, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
7. भट्ट, कृष्ण दत्त (2000), सामाजिक विघटन और भारत बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी
8. पाण्डेय तेजस्कर, पाण्डेय, संगीता (2000), भारत में सामाजिक समस्याएं, Tata Mc Graw Hill जयपुर
9. चतुर्वेदी, प्रतिमा (1998), भारत में सामाजिक समस्याएं, वाइकिंग बुक्स, जयपुर
10. बुच, एम.बी. (1997), ए सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, बडौदा, पब्लिकेशन, बडौदा

पत्र-पत्रिकाएं

भारतीय आधुनिक शिक्षा (2011), जुलाई-अक्टूबर, शिविरा पत्रिका अप्रैल
बुच, एम. बी. फार्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन वॉल्यूम (2013), प्रथम नई दिल्ली, एन.सी.ई.आर.टी., युवादृष्टि.

वेबसाइट. www.wikipedia.com

शिक्षा का अधिकार अधिनियम : आलोचनात्मक विश्लेषण

श्रीमती सुमनलता*

श्रीमती सुनीता जायसवाल**

शोध सार

शिक्षा किसी भी समाज की मूलभूत आवश्यकता है शिक्षा ही वह साधन है जिससे समाज सभ्य बनता है। शिक्षा समाज के विकास, आर्थिक उन्नति और सार्वभौमिक सम्मान के लिए एक आवश्यक घटक है। हर नागरिक का यह मौलिक अधिकार है कि उसे समाज में सम्मानपूर्वक जीने के लिए शिक्षा का अधिकार भी हासिल हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के कई दशकों बाद भी हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय से बाहर हैं इस कारण 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 06 से 14 आयु वर्ग बच्चों के लिए अनुच्छेद 21(1) में शिक्षा को संवैधानिक अधिकार से मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसके तहत “निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक” तैयार किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से सम्पूर्ण देश में लागू कर दिया गया है। ‘शिक्षा का अधिकार’ शिक्षा प्राप्त करने की राह में मील का पत्थर है। यह कानून गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है। इस अधिनियम में ऐसे प्रावधान हैं जो सैद्धान्तिक रूप में सही हैं लेकिन उसके क्रियान्वयन में व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जैसे-विद्यालयी व्यवस्था, पाठ्यक्रम की गुणवत्ता, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, तकनीकी विज्ञान की शिक्षा, बुनियादी सुविधाएँ, अपव्यय व अवरोधन की समस्या, अनुदान राशि का अभाव, कुशल शिक्षकों की कमी इत्यादि। इन चुनौतियों का व्यवहारिक हल प्रदान करके ही जैसे-सृजनात्मकता को शिक्षा में बढ़ावा देना, कक्षा में स्वतंत्र वातावरण प्रदान करके जिससे छात्र अपनी समस्याएँ बता सकें एवं अपने विचार निडरता से दे सकें, निजी तथा सरकारी स्कूलों के भेद मिटाकर, शिक्षण को आकर्षित एवं प्रभावी बनाने के लिए कक्षा में ICT का प्रयोग, सतत् और व्यापक मूल्यांकन और अभिभावकों को जागरूक करके हम शिक्षा अधिकार अधिनियम को सफल बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं।

मुख्य शब्द- शिक्षा का अधिकार (RTE) निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, 2009 अधिनियम, संवैधानिक प्रावधान।

प्रस्तावना :-

शिक्षा विकास की कुंजी है। किसी भी व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के लिए शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा के अभाव में न तो कोई व्यक्ति विकास कर

सकता है और न ही कोई समाज एवं देश विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है अतः शिक्षा समाज के लिए मूलभूत आवश्यकता है जिसके अभाव में राष्ट्र के उत्थान की कल्पना नहीं की जा सकती है। शिक्षा के विभिन्न चरणों में प्राथमिक शिक्षा किसी भी समाज की पहली आवश्यकता होती है जो व्यक्ति के समग्र विकास की नींव डालती है तथा उच्च शिक्षा का आधार होती है। सर्वसुलभ एवं सार्वभौमिक शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए उचित संवैधानिक प्रावधान किये गये हैं जिसके अन्तर्गत धारा (Artical) 45 द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का संकल्प लिया गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के छः दशकों के बाद भी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकता के लक्ष्य की प्राप्ति न हो पाने के कारण 12 दिसम्बर 2002 को संविधान में 86वां संशोधन किया गया और अनुच्छेद (Artical) 21 (a) को जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसके अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये।

सन् 2002 में “निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक” तैयार किया गया। इस विधेयक को अगस्त 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया। भारत की भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी द्वारा स्वीकृति के बाद निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 अस्तित्व में आया। 1 अप्रैल, 2010 से जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में यह कानून लागू हो गया है। इस अधिनियम में 7 अध्याय और 38 खण्ड हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के साथ ही भारत उन 135 देशों की सूची में शामिल हो गया है जहाँ बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए कानूनी बाध्यता का प्रावधान है। “शिक्षा किसी भी व्यक्ति एवं समाज के समग्र विकास तथा सशक्तिकरण के लिए आधारभूत मानव मौलिक अधिकार है।”

शिक्षा का अधिकार अधिनियम : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

शिक्षा सभी व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने 18 मार्च 1910 में ही “भारत में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा” के प्रावधान के लिए ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष प्रस्ताव रखा था, जो

*एसो0 प्रोफेसर शिक्षाशास्त्र-विभाग ए0एन0डी0एन0 महिला महाविद्यालय,कानपुर

**असिस्टेन्ट प्रोफेसर ए0एन0डी0एन0 महिला महाविद्यालय हर्षनगर, कानपुर

संदर्भ-सूची

1. बाजपेई, एल0बी0 और श्रीमाली, एस0एल0 (2018), "शिक्षा में नवाचार एवं नवीन प्रवृत्तियाँ", आलोक प्रकाशन लखनऊ, पृ0 364
 2. त्यागी, गुरसरनदास (2014/15), "शिक्षा के सिद्धान्त", अग्रवाल प्रकाशन, आगरा, पृ0 308
 3. सिंह, एन0के0 (2009), "शिक्षा के अधिकार से आगे" हिन्दुस्तान दैनिक समाचार पत्र, 4 अगस्त 2009
 4. मिश्रा, डी0 सी0 एवं मिश्रा, सीमा (2014), "शिक्षाशास्त्र", अनुसंधान प्रकाशन, कानपुर, पृ0 136
 5. शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009), नई दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
- <https://hi.m.wikipedia.org>
 - <https://www.pravakta.com>
 - <https://m.Facebook.com/only>

भारतवर्ष नामकरण: परम्परा एवं प्रमाण

डॉ० शुद्धात्मप्रकाश जैन*

भारत हमारा देश है और हम सब भारतवासी हैं। इस भारत के निवासियों को भारतीय कहा जाता है। यद्यपि हमारी भारतभूमि को प्राचीन काल से ही विविध नामों से अभिहित किया जाता रहा है, किन्तु इसके नामकरण को लेकर बहुत ही समय से यह स्पष्ट धारणा रही है कि इसका नाम किसी न किसी भरत के नाम से सुनिश्चित हुआ है, क्योंकि भरत से सम्बन्धित को ही भारत कहा जाता है, जैसे वसुदेव से सम्बन्धित को वासुदेव कहा जाता है।

उपर्युक्त संदर्भ में भरत नामक तीन महापुरुषों के साथ इसका सम्बन्ध बताया जाता है, जो कि निम्न हैं—

1. ऋषभ पुत्र भरत
2. दशरथ पुत्र भरत
3. दुष्यन्त पुत्र भरत

यद्यपि यह सच है कि उक्त तीनों ही भरत महान् पराक्रमी, शूरवीर और महापुरुष के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन यह निर्णय करना आवश्यक है कि किस भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इस संदर्भ में डॉ. प्रेमसागर जैन का कथन उल्लेखनीय है —“राम के भाई भरत कभी राजसिंहासन पर नहीं बैठे, अतः उनके आधार पर इस देश के नामकरण का प्रश्न ही नहीं उठता। कतिपय विद्वानों ने दौष्यन्ति भरत के नाम को मूलाधार स्वीकार किया है। यह स्वाभाविक था। कालिदास के ‘शाकुन्तलम्’ की विश्वख्याति ने दौष्यन्ति भरत को जनमानस में प्रतिष्ठित कर दिया। उसी को लोग इस देश के ‘भारत’ नाम का मूलमंत्र मान बैठे।”

इस विषय पर गंभीर विचार करने पर और अनेक उद्धरणों को देखने पर स्थिति एकदम साफ हो जाती है कि जैनधर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। भरत चक्रवर्ती ने जम्बूद्वीप के सम्पूर्ण भरत क्षेत्र (पृथ्वी) को जीतकर उसका स्वामित्व प्राप्त किया, जिसके कारण उस सम्पूर्ण भरतक्षेत्र का एक नाम भारतवर्ष पड़ गया।

यहां ध्यातव्य है कि उस सम्पूर्ण क्षेत्र का एक नाम भरत तो जैनदर्शन के अनुसार अनादि से ही सुनिश्चित रहा है। और यह संयोग ही कहा जायेगा कि प्रथम चक्रवर्ती ऋषभपुत्र का नाम भी भरत था, अतः उस क्षेत्र का नाम भी भरत और उस चक्रवर्ती का नाम भी भरत था। जैसा कि यह स्पष्ट किया जा चुका है कि भरत से सम्बन्धित को ‘भारत’ कहा जाता है। यह घटना असंख्य वर्षों पूर्व होने के कारण कालक्रम से भारत की सीमा भी

संकुचित होती गई और आज हम भारत को एक निश्चित भौगोलिक भूभाग के रूप में जानते हैं।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि ‘भारत’ को ठीक, लेकिन उसके साथ ‘वर्ष’ क्यों लिखा जाता है। इस संदर्भ में मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पुराकाल में क्षेत्र के लिए वर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। जम्बूद्वीप में स्थित छह पर्वतों से विभाजित होने के कारण उसके सात क्षेत्रों को ‘वर्ष’ कहा गया है। जैसा कि आचार्य उमास्वामी के द्वारा आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व रचित तत्त्वार्थसूत्र में इसका प्रयोग इस प्रकार हुआ है—

1. भरत है मवतहरिविदेहरम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि।।10।।
2. तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवन्निषधनीलरुक्मिशिखरिणो वर्षधरपर्वताः।।11।।

ये दोनों सूत्र तत्त्वार्थसूत्र के तृतीय अध्याय के दसवें और ग्यारहवें सूत्र हैं। दसवें सूत्र में जम्बूद्वीप के सात क्षेत्रों को ‘वर्ष’ के नाम से कहा गया है, जैसे भरतवर्ष, हैमवतवर्ष, हरिवर्ष, विदेहवर्ष आदि। ग्यारहवें सूत्र में इन क्षेत्रों के विभाजन के आधारभूत छह पर्वतों को ‘वर्षधर’ कहा गया है। जैसा कि आपको विदित होगा कि पृथ्वी का एक पर्यायवाची ‘क्षिति’ भी होने के कारण पर्वतों को क्षितिधर कहा जाता है। उसी प्रकार यहां उन पर्वतों को वर्षधर कहा गया है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि यहां क्षेत्र का नाम वर्ष है।

इस प्रकार उस क्षेत्र को वर्ष तथा उसके भरत से सम्बन्धित होने के कारण भारतवर्ष कहा गया। यह नाम बहुत वर्षों तक चलता रहा। किन्तु मध्य-मध्य में परिस्थितिजन्य और भी अनेक नामों का प्रयोग इस देश के लिए हुआ, जैसे आर्यावर्त, आर्यखण्ड, हिन्दुस्तान आदि। किन्तु जब सन् 1949 में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और इसके प्रचलित विविध नामों में से किसी सर्वाधिक उपयुक्त नाम का चयन करना था, तब हमारे देश के लिए उपयुक्त नाम के लिए प्रमाण एकत्रित करने का प्रयास किया गया। और उसी क्रम में विविध साक्ष्यों, पुस्तकीय आधारों और शिलालेखों को प्रमाण के रूप में खोजा गया तो उड़ीसा राज्य की हाथीगुंफा में उल्लिखित सम्राट खारवेल के एक शिलालेख में इसका नाम ‘भारतवर्ष’ प्राप्त हुआ, जो कि ब्राह्मी लिपि और प्राकृतभाषा में होने के कारण वहां ‘भरदवस्स’ शब्द लिखा था। उस समय हिन्दुस्तान नाम को इसलिए स्वीकार नहीं

*निदेशक, क. जे. सोमैया जैन अध्ययन केन्द्र, सोमैया विद्याविहार विश्वविद्यालय, मुम्बई

किया गया कि यह नाम हमें मुस्लिम शासकों ने दिया। जैसा कि निम्न उद्धरण से स्पष्ट होता है—

Muslim invaders who came later also referred to this country as Hindustqna. During their rule, this very name earned respect so much so that the followers of Vedic and Paurazic religions began to call themselves 'Hinds'. The words 'Hind' and 'Hindustqna' were assimilated in the soil of this country. But the framers of the constitution in its meeting held on 18th September, 1949 did not accept either of these two names, as they were given by foreigners and were associated with the history of slavery of the country. Its ancient name 'Bhqrata', therefore, came to be adopted.

संघदास गणी द्वारा रचित वसुदेव हिण्डी का प्रमाण—

सभी इतिहास और पुराणग्रन्थों से इस बात की पुष्टि होती है कि हमारे देश का नाम ऋषभ-पुत्र भरत के नाम से ही भारत कहा गया है। इस संदर्भ में सर्वप्रथम संघदास गणी द्वारा रचित वसुदेवहिण्डी का निम्न उद्धरण द्रष्टव्य है—

“इहं सुरासुरिदविदवदिय-चलणारविदो उसभो नाम पढमो राया जगण्णियामहो आसी। तस्य पुत्तसयं। दुवे पहाणा भरहो बाहुबली य। उसभसिरी पुत्तसयस्य पुरसयं च दाऊण पव्वइयो। तत्थ भरहो भरहवासचूडामणि, तस्सेव णामेणं इहं भरहवासंति पवुच्चंति।”

अर्थात् जगत्पिता ऋषभदेव प्रथम राजा हुए। सुर और असुर दोनों ही के इन्द्र उनके चरण-कमलों की वन्दना करते थे। उनके सौ पुत्र थे। उनमें दो प्रमुख थे— भरत और बाहुबली। ऋषभदेव शतपुत्र-ज्येष्ठ को राज्यश्री सौंपकर प्रव्रजित हो गये। भारतवर्ष का चूडामणि भरत हुआ। उसी के नाम से इस देश को 'भारतवर्ष' ऐसा कहते हैं।

आचार्य अकलंक के तत्त्वार्थवार्तिक का प्रमाण—

आचार्य अकलंक ने तत्त्वार्थसूत्र ग्रन्थ पर वार्तिक रचते हुए तत्त्वार्थवार्तिक में लिखा है— “भरतक्षत्रिययोगाद्वर्षो भरतः।।।। विजयार्थस्य दक्षिणतो जलधेरुत्तरतः गंगासिन्धोर्बहुमध्यदेशभागे विनीता नाम नगरी द्वादशयोजनायामा नवयोजनविस्तारा। तस्यामुत्पन्नः सर्वराजलक्षणसम्पन्नो भरतो नामा। श्चक्रधरः षट्खण्डाधिपतिः। अवसर्पिण्या राजयविभागकाले तेनादौ भुक्तत्वात् तद्योगाद् भरत इत्याख्यायते वर्षः।”

अभिप्राय यह है कि भरत क्षत्रिय के योग से यह क्षेत्र भरत कहलाया है। अयोध्या नाम की नगरी में सर्वराजलक्षण से सम्पन्न भरत नाम के चक्रवर्ती छह खण्ड

के अधिपति हुए हैं, जिन्होंने इसे सर्वप्रथम भोगा है, अतः इस क्षेत्र को 'भरतवर्ष'— ऐसा कहते हैं।

आचार्य जिनसेन कृत महापुराण का प्रमाण—

आचार्य जिनसेन ने अपने महापुराण में लिखा है—

ततोऽभिषिच्य साम्राज्ये भरतं सूनुमग्रिमम्।

भगवान् भारतं वर्षं तत्सनाथं व्यधादिदम्।

अर्थात् इसके पश्चात् भगवान् ऋषभदेव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का साम्राज्याभिषेक किया तथा प्रदेश 'भारतवर्ष' हो— ऐसी घोषणा की। उन्होंने 'भारतवर्ष' को सनाथ किया। इसी महापुराण में और भी लिखा है—

प्रमोदभरतः प्रेमनिर्भरा बन्धुता तदा।

तमाहवद् भरतं भावि समस्तभरताधिपम्।।

तन्नाम्ना भारतं वर्षमितिहासीज्जनास्पदम्।

हिमाद्रेरासमुद्राच्च क्षेत्रं चक्रभृतामिदम्।।

और उससे पूर्व इस देश का नाम भरत के पिता 'नाभिराय' के नाम पर 'नाभिखण्ड' या 'अजनाभवर्ष' कहा जाता था। प्रमाणस्वरूप यहाँ अग्निपुराण, श्रीमद्भागवत, मार्कण्डेयपुराण, ब्रह्माण्डपुराण, स्कन्दपुराण, लिंगपुराण, वायुपुराण, नारदपुराण, शिवपुराण, वराहपुराण, कूर्मपुराण, विष्णुपुराण आदि विविध पुराणग्रन्थों के उद्धरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

पुरुदेवचम्पू में प्रमाण—

महाकवि अर्हदास ने पुरुदेवचम्पू में लिखा है—

तन्नाम्ना भारतं वर्षमितिहासीज्जनास्पदम्।

हिमाद्रेरासमुद्राच्च क्षेत्रं चक्रभृतामिदम्।।

उसके नाम से (भरत के नाम से) यह देश 'भारतवर्ष' प्रसिद्ध हुआ— ऐसा इतिहास है। हिमवान् कुलाचल से लेकर लवणसमुद्र तक का यह क्षेत्र 'चक्रवर्तियों का क्षेत्र' कहलाता है।

सूरसागर में प्राप्त प्रमाण—

बहुरो रिषभ बड़े जब भये, नाभि राज दे वन को गये।

रिषभ-राज परजा सुख पायो, जस ताको सब जग में

छायो।।

रिषभदेव जब बन को गये, नवसुत नवौ खण्ड नृप भये।

भरत सो भरतखण्ड को राव, करे सदा ही धर्म अरु

न्याव।।

उपर्युक्त हिन्दी छन्द का अर्थ अति सरल है कि भरत ने भरतखण्ड के राजा बनकर धर्म और न्याय से प्रजा को सुख प्रदान किया। यहाँ भी ऋषभपुत्र भरत का ही उल्लेख है।

यहाँ अभी तक कुछ प्रमुख जैन ग्रन्थों के प्रमाण प्रस्तुत किये गये, लेकिन न केवल जैनग्रन्थों में, अपितु हिन्दू ग्रन्थों में भी इस बात के प्रबल प्रमाण उपलब्ध होते हैं, जो इस प्रकार हैं—

अग्निपुराण में भरत से भारतवर्ष नाम का उल्लेख—

सर्वप्रथम 'अग्निपुराण' का निम्नलिखित कथन द्रष्टव्य है—
जरामृत्युभयं नास्ति धर्माधर्मौ युगादिकम्।
नाधमं मध्यमं तुल्या हिमादेशात्तु नाभितः।।
ऋषभो मरुदेव्यां च ऋषभाद् भरतोऽभवत्।
भरतात् भारतं वर्षं भरतात् सुमतिस्त्वभूत्।।

अर्थात् उस हिमवत् प्रदेश में जरा और मृत्यु का भय नहीं था, धर्म और अधर्म भी नहीं थे, सर्वत्र मध्यम भाव— समभाव था। वहां नाभिराजा की पत्नी मरुदेवी से ऋषभ का जन्म हुआ। ऋषभ से भरत हुए। ऋषभ ने भरत को राज्यश्री प्रदान कर संन्यास ले लिया। तब भरत से ही इस देश का नाम 'भारतवर्ष' हुआ।

श्रीमद्भागवत में भरत से भारत नामकरण का उल्लेख—

इसी प्रकार श्रीमद्भागवत के अनुसार भी ऋषभपुत्र भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत सुनिश्चित हुआ— "अजनाभं नामैतद्वर्षं भारतमिति यत् आरभ्य व्यपदिशन्ति। अर्थात् 'अजनाभवर्ष' ही आगे चलकर 'भारतवर्ष' संज्ञा से अभिहित हुआ। यहां अजनाभ भगवान ऋषभदेव के लिए प्रयुक्त शब्द है, जो भारतदेश पहले ऋषभ के नाम पर था, वही भारतदेश पश्चात् भरत के नाम से कहा जाने लगा। अथवा "येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठगुण आसीत् येनेदं वर्षं भारतमिति व्यपदिशन्ति।" अर्थात् श्रेष्ठ गुणों के आश्रयभूत, महायोगी भरत अपने सौ भाइयों में श्रेष्ठ थे, उन्हीं के नाम पर इस देश को 'भारतवर्ष' कहते हैं।

आग्नीध्रसूनोर्नाभेस्तु ऋषभोऽभूत् सुतो द्विजः।
ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताद् वरः।।
सोऽभिषिच्यर्षभः पुत्रं महाप्राज्यमास्थितः।
तपस्तेपे महाभागः पुलहाश्रमसंश्रयः।।

अर्थात् अग्नीध्र—पुत्र नाभि से ऋषभ उत्पन्न हुए। उनसे भरत का जन्म हुआ, जो अपने सौ भाइयों में अग्रज था। महाभाग्यशाली ऋषभ ने ज्येष्ठ पुत्र भरत का राज्याभिषेक कर महाप्रव्रज्या ग्रहण की और 'पुलह' आश्रम में तप किया।

मार्कण्डेयपुराण के अनुसार—

आग्नीध्रसूनोर्नाभेस्तु ऋषभोऽभूत् सुतो द्विजः।
ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताद् वरः।।
सोऽभिषिच्यर्षभः पुत्रं महाप्राज्यमास्थितः।
तपस्तेपे महाभागः पुलहाश्रमसंश्रयः।।
हिमाह्वं दक्षिणं वर्षं भरताय पिता ददौ।
तस्मात्तु भारतं वर्षं तस्य नाम्ना महात्मनः।।

अर्थात् अग्नीध्र—पुत्र नाभि से ऋषभ उत्पन्न हुए। उनसे भरत का जन्म हुआ, जो अपने सौ भाइयों में अग्रज

था। महाभाग्यशाली ऋषभ ने ज्येष्ठ पुत्र भरत का राज्याभिषेक कर महाप्रव्रज्या ग्रहण की और 'पुलह' आश्रम में तप किया। ऋषभ ने भरत को 'हिमवत्' नामक दक्षिण प्रदेश शासन के लिए दिया था। उस महात्मा 'भरत' के नाम से इस देश का नाम 'भारतवर्ष' हुआ।

ब्रह्माण्डपुराण में भरत से भारतवर्ष नाम का उल्लेख—

नाभिस्त्वजनयत् पुत्रं मरुदेव्यां महाद्युतिम्।
ऋषभं पार्थिवश्रेष्ठं सर्वक्षत्रस्य पूर्वजम्।।
ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताग्रजः।
सोऽभिषिच्यर्षभः पुत्रं महाप्रव्रज्यया स्थितः।।

अर्थात् नाभि ने मरुदेवी से महाद्युतिवान् 'ऋषभ' नाम के पुत्र को जन्म दिया। ऋषभदेव 'पार्थिव श्रेष्ठ' और 'सब क्षत्रियों के पूर्वज' थे। उनके सौ पुत्रों में वीर 'भरत' अग्रज थे और ऋषभ ने उनका राज्याभिषेक कर महाप्रव्रज्या ग्रहण की।

स्कन्दपुराण में भरत से भारतवर्ष नाम का उल्लेख—

नाभेः पुत्रश्च ऋषभः ऋषभाद् भरतोऽभवत्।
तस्य नाम्ना त्विदं वर्षं भारतं चेति कीर्त्यते।।
अर्थात् नाभि का पुत्र ऋषभ हुआ, ऋषभ का पुत्र भरत हुआ। उसी भरत के नाम से यह देश 'भारत' कहा जाता है।

लिंग पुराण में भरत से भारतवर्ष नाम का उल्लेख—

नाभिस्त्वजनयत् पुत्रं मरुदेव्यां महामतिः।
ऋषभं पार्थिवश्रेष्ठं सर्वक्षत्रसुपूजितम्।।
ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताग्रजः।
सोऽभिषिच्यथ ऋषभो भरतं पुत्रवत्सलः।।
ज्ञानवैराग्यमाश्रित्य जित्वेन्द्रियमहोरगान्।
सर्वात्मनात्मनि स्थाप्य परमात्मानमीश्वरम्।।
नग्नो जटी निराहारोऽचीवरो ध्वान्तगतो हि सः।
निराशस्त्यक्तसन्देहः शैवमाप परं पदम्।।

महामति नाभि को मरुदेवी नाम की धर्मपत्नी से 'ऋषभ' नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह ऋषभ नृपतियों में उत्तम था और सम्पूर्ण क्षत्रियों द्वारा सुपूजित था। ऋषभ से भरत की उत्पत्ति हुई, जो अपने सौ भ्राताओं में अग्रजन्मा था। पुत्र—वत्सल ऋषभदेव ने भरत को राज्यपद अभिसिक्त किया और स्वयं ज्ञान—वैराग्य को धारण कर, इन्द्रियरूपी महान् सर्पों को जीत सर्वभाव से ईश्वर परमात्मा को अपनी आत्मा में स्थापित कर तपश्चर्या में लग गये। वे उस समय नग्न थे, जटायुक्त, निराहार, वस्त्ररहित तथा मलिन थे। उन्होंने सब आशाओं का त्याग कर दिया था, सन्देह का परित्याग कर परमशिवपद को प्राप्त कर लिया था।

वायुपुराण में भरत से भारतवर्ष नाम का उल्लेख—

नाभिस्त्वजनयत् पुत्रं मरुदेव्यां महामतिः।
ऋषभं पार्थिवश्रेष्ठं सर्वक्षत्रस्य पूर्वजम्॥
ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताग्रजः।
सोऽभिषिच्यथा भरतं पुत्रं प्रावाज्यमात्थितः॥

अर्थात् नाभि के मरुदेवी से महाद्युतिवान् 'ऋषभ' नाम के पुत्र को जन्म दिया। ऋषभदेव 'पार्थिव श्रेष्ठ' और 'सब क्षत्रियों के पूर्वज' थे। उनके सौ पुत्रों में वीर 'भरत' अग्रज थे और ऋषभ ने उनका राज्याभिषेक कर महाप्रज्या ग्रहण की।

नारदपुराणमें भरत से भारतवर्ष नाम का उल्लेख—

आसीत् पुरा मुनिश्रेष्ठः भरतो नाम भूपतिः।
आर्षभो यस्य नाम्नेदं भारतं खण्डमुच्यते॥
स राजा प्राप्तराज्यस्तु पितृपैतामहं कमात्।
पालयामास धर्मेण पितृवद्रंजयन् प्रजाः॥

अर्थात् पूर्व समय में मुनियों में श्रेष्ठ भरत नाम के राजा थे। वे ऋषभदेव के पुत्र थे। उन्हीं के नाम से यह देश 'भारतवर्ष' कहा जाता है। उस राजा भरत ने राज्य प्राप्त कर अपने पिता-पितामह की तरह से ही धर्मपूर्वक प्रजा का पालन-पोषण किया था।

शिवपुराण में भरत से भारतवर्ष नाम का उल्लेख—

नाभेः पुत्रश्च ऋषभः ऋषभाद् भरतोऽभवत्।
तस्य नाम्ना त्विदं वर्षं भारतं चेति कीर्त्यते॥

तात्पर्य यह है कि नाभि का पुत्र ऋषभ हुआ, ऋषभ का पुत्र भरत हुआ। उसी भरत के नाम से इस देश को 'भारत' कहा जाता है।

वराहपुराणमें भरत से भारतवर्ष नाम का उल्लेख—

नाभिर्मरुदेव्यां पुत्रमजनयत् ऋषभनामानं तस्य भरतः।
पुत्रश्च तावदग्रजः तस्य भरतस्य पिता ऋषभः।
हेमाद्रेर्दक्षिणं वर्षं महद् भारतं नाम शशास॥

तात्पर्य यह है कि नाभि ने अपनी स्त्री मरुदेवी से ऋषभ नाम के पुत्र को उत्पन्न किया। वह अपने सहोदरों से ज्येष्ठ था, उसके पिता स्वयं ऋषभ थे। उसी भरत ने हिमालय से लेकर दक्षिण पर्यन्त सम्पूर्ण क्षेत्र को शासित किया, इसलिए यह क्षेत्र भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है।

कूर्मपुराण में भरत से भारतवर्ष नाम का उल्लेख—

हिमाह्वयं तु यद्वर्षं नाभेरासीन्महात्मनः।
तस्यर्षभोऽभवत्पुत्रो मरुदेव्यां महाद्युतिः॥
ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीरः पुत्रः शताग्रजः।
सोऽभिषिच्यर्षभः पुत्रः भरतं पृथिवीपतिः॥

उपर्युक्त श्लोक में भी इसी प्रकार का अर्थ व्यक्त किया गया है कि नाभि के मरुदेवी से महाद्युतिवान्

'ऋषभ' नाम के पुत्र को जन्म दिया। उनके शत पुत्रों में अग्रज भरत राज्याभिषेक होकर पृथ्वीपति हुए।

विष्णुपुराण में भरत से भारतवर्ष नाम का उल्लेख—

न ते स्वस्ति युगावस्था क्षेत्रेष्वष्टसु सर्वदा।
हिमाह्वयं तु वै वर्षं नाभेरासीन्महात्मनः॥
तस्यर्षभोऽभवत्पुत्रो मरुदेव्यां महाद्युतिः।
ऋषभाद्भरतो जज्ञे ज्येष्ठः पुत्रशतस्य सः॥

इस श्लोक में भी उपर्युक्त अर्थानुसार ऋषभपुत्र भरत के नाम से ही भारतदेश के नामकरण की बात कही गई है। तथापि कुछ लोग अज्ञानवश कभी दशरथपुत्र भरत अथवा दुष्यन्तपुत्र भरत के नाम से भारतदेश के नामकरण की बात करते हैं, जो कि उपर्युक्त उद्धरणों से पूरी तरह खण्डित हो चुका है।

डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल ने भी एक बार दुष्यन्तपुत्र भरत के नाम पर 'भारत' के नामकरण की बात लिखी थी, किन्तु बाद में उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी भूल को स्वीकार किया और लिखा कि—“मैंने अपनी 'भारत की मौलिक एकता' नामक पुस्तक के पृष्ठ 22-24 पर दौष्यन्तिक भरत से भारतवर्ष लिखकर भूल की थी। इसकी ओर मेरा ध्यान कुछ मित्रों ने आकर्षित किया। उसे अब सुधार लेना चाहिए।”

इतना ही नहीं, इसके बाद एक अन्य कृति की भूमिका में भी उन्होंने एक बार पुनः जोर देकर लिखा कि— “स्वाम्भुव मनु के प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र नाभि, नाभि के ऋषभ और ऋषभ के सौ पुत्र हुए, जिनमें भरत ज्येष्ठ थे। यही नाभि 'अजनाभ' भी कहलाते थे जो अत्यन्त प्रतापी थे और जिनके नाम पर यह देश 'अजनाभवर्ष' कहलाता था। यही 'अजनाभखण्ड' पीछे 'भरतखण्ड' कहलाया। नाभि के पौत्र भरत उनसे भी अधिक प्रतापवान् चक्रवर्ती थे। यह अत्यन्त मूल्यवान ऐतिहासिक परम्परा किसी प्रकार पुराणों में सुरक्षित रह गई है।” डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल जैसी भूल और भी अनेक विद्वानों से हुई है और फिर उसका अनुकरण होते-होते आज सच्चाई स्वीकार करना लोगों को कठिन हो गया है। वास्तव में यह भूल सर्वप्रथम ऋग्वेद-संहिता का भाष्य लिखते हुए सायणाचार्य से ही हो गई थी, जब उन्होंने 'भरत' शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा—

“हे अग्नेय! त्वां भरतो दौष्यन्तिरेतसंज्ञको राजा वाजिभिर्वाजो हविलक्षणमन्ने तद्वदभिः ऋत्विग्भिः सह द्विता— इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहार—द्विविधरूपेण शुनं सुखमुदिदश्य ईडे स्तुतवान्।”

उक्त भूल का कालान्तर में लोग अनुकरण करते चले गये, किन्तु हमारा प्राचीन साहित्य इस कथन का किंचित् भी समर्थन नहीं करता, अपितु अत्यन्त स्पष्ट कहता है कि ऋषभपुत्र भरत के ही नाम पर हमारे देश का नाम

यहाँ न ही केवल गौण मातृभाषाएँ लुप्त हो रही हैं या कगार पर हैं बल्कि कई मुख्य भाषाओं की भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है।

इसका मुख्य कारण लोगों द्वारा अपना मातृभाषा के संबंध में हीन भावना से ग्रसित होना है लेकिन यह बात समझने की है कि कोई भाषा अपने आप में अक्षम नहीं होती। हर क्षेत्र में कोई न कोई भाषा मुख्यधारा से जुड़ी रहती है, जिसका आम जन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और कई कारणों से लोग उसकी तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं और धीरे-धीरे उसे ही आत्मसात कर लेते हैं। परिणामस्वरूप वे अपनी मातृभाषा से विमुख होने लगते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे अपनी मूल भाषा से ही नहीं बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत से भी दूर होते चले जाते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपनी भाषाओं का प्रलेखन और उनका संरक्षण करने के साथ-साथ उसे उसके भाषायी समाज द्वारा उसे व्यवहृत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। इस संबंध में भारत सरकार की तरफ से भारत के अनेक विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में भारतीय की अल्पज्ञात भाषाओं पर कार्य करने के लिए कई योजनाएँ चल रही हैं। इस संबंध में मैसूरु में स्थित भारतीय भाषा संस्थान, मैसूरु एक अहम भूमिका निभा रहा है। यहाँ भारतीय भाषाओं के विकास, संरक्षण, संवर्धन एवं प्रलेखन हेतु कई परियोजनाएँ चल रही हैं।

अगर हम भारतीय भाषाओं पर चर्चा कर रहे हैं तो शास्त्रीय भाषाओं की बात न करना बेमानी होगा। भारत सरकार ने सर्वप्रथम वर्ष 2004 में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। तत्पश्चात वर्ष 2005 में संस्कृत, वर्ष 2008 में कन्नड़, वर्ष 2008 तेलुगु, वर्ष 2013 मलयालम तथा वर्ष 2014 उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इन शास्त्रीय भाषाओं में से कुछ के केंद्र भारत के विभिन्न भागों में स्थापित हो चुके हैं और कुछ को स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। इन भाषाओं के अध्ययन केंद्रों के स्थापित हो जाने से हमें न केवल अपने अतीत के गौरवमयी भाषा को समझने में सहायता मिलेगी बल्कि ये अल्पज्ञात भाषाएँ पुनः पुष्पित एवं पल्लवित हो सकेंगी।

वैश्वीकरण के इस दौर में अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाओं के बढ़ते प्रभाव का असर सभी भाषाओं पर पड़ा है, और ज्यादातर लोगों का रुझान अंग्रेजी की ओर बढ़ा है। ऐसी स्थिति में भारतीय भाषाओं के बच्चों को उनकी अपना मातृभाषा में पुस्तकें एवं शिक्षण संबंधित अन्य सामग्री उपलब्ध करना एक चुनौती से कम नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय अनुवाद मिशन, भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों की पाठ्यपुस्तकों का अनुवाद कराकर 22 भाषाओं में उपलब्ध करा रहा है।

भारत सरकार ने मातृभाषा के महत्व को समझते हुए अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को उनकी अपनी मातृभाषा में परीक्षा में उत्तर देने का विकल्प दिया है। यहाँ तक की संघ लोक सेवा

आयोग द्वारा होने वाली प्रतिष्ठित परीक्षा भारतीय प्रशासनिक सेवा में भारतीय संविधान की अष्टम सूची में अधिसूचित भाषाओं को भी सम्मिलित किया गया है

किसी भी भाषा को तीन संदर्भों में देखा जा सकता है। सीमित, व्यापक और वृहत्तर। अगर हिंदी भाषा के सीमित संदर्भ की बात करें तो हिंदी क्षेत्र अथवा हिंदी भाषी राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा दिल्ली से है। इन क्षेत्रों में उसके दो स्वरूप निर्मित होते हैं। एक मातृभाषा का और दूसरा प्रथम भाषा का। यह शहरी और शिक्षित वर्ग की मातृभाषा है और शिक्षा एवं समाज में सबके लिए प्रथम भाषा है। हिंदी, हिंदी-भाषी क्षेत्र के भाषा-भाषी की मातृभाषा अथवा प्रथम भाषा है और औपचारिक संदर्भ में हिंदी भाषी राज्यों में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में औपचारिक शिक्षा के रूप में हिंदी प्रथम भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है साथ ही अहिंदी भाषी राज्यों में द्वितीय भाषा के रूप में भी हिंदी का प्रयोग हो रहा है।

गंपर्ज ने स्पष्ट किया है कि ‘‘किसी भाषा समुदाय के सदस्यों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे हमेशा सभी सामाजिक संदर्भों में समान भाषा का प्रयोग करें अपितु इतना आवश्यक है कि उस समुदाय के लोगों को किसी एक समान भाषा का ज्ञान अवश्य हो, जिससे उस समुदाय के लोग अपने विचारों को उस समुदाय के दूसरे सदस्यों तक पहुँचा सकें और वे सदस्य उन्हें ग्रहण कर सकें।’’

भाषा समुदाय का एक तो व्यापक रूप होता है साथ ही उस व्यापक भाषा समुदाय जहाँ भाषिक इकाइयों का संबंध ऊँचे स्तर पर होता है वहाँ सीमित भाषा समुदाय में परस्पर प्रगाढ़ संबंधों के कारण भाषिक इकाइयों का संबंध भी गहरा और घनिष्ठ होता है। यही कारण है कि व्यापक भाषा समुदाय की अपेक्षा सीमित भाषा समुदाय में बोधगम्यता की स्थिति अधिक होती है। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा समुदाय एक व्यापक भाषा समुदाय है। उसकी अवधी और राजस्थानी बोलने वालों के बीच उच्च स्तर पर तो परस्पर बोधगम्यता की स्थिति मिलती है लेकिन सीमित स्तर पर नहीं। हरियाणवी और राजस्थानी बोलने वाले यूँ तो अलग-अलग भाषा समुदाय हैं। जिनमें परस्पर घनिष्ठ संबंधों के कारण बोधगम्यता की स्थिति है, इनमें भी और सीमित भाषा समुदाय हो सकते हैं जिनमें और भी अधिक प्रगाढ़ संबंधों के कारण परस्पर बोधगम्यता की स्थिति अधिक है।

हिंदी भाषायी समाज के क्षेत्र और प्रकृति को मुख्यतः दो वर्गों में रखा जा सकता है। (1) मुख्य (2) गौण

मुख्य हिंदी भाषायी समाज उस क्षेत्र में रहता है जो मूलतः हिंदी का अपना क्षेत्र है। इसमें हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड का हिंदी भाषायी समाज आता है। इस भाषायी समाज में काफी बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो प्रायः केवल अपनी-अपनी स्थानीय या क्षेत्रीय बोलियाँ और उपबोलियाँ ही बोलते हैं।

हिंदी का दूसरा भाषायी समाज भी है जिसे गौण कहा जा सकता है। इस दूसरे भाषायी समाज में एक तरह तो कोलकाता और मुंबई की हिंदी को लिया जा सकता है। कोलकाता ही हिंदी बंगला मिश्रित है तो मुंबई की गुजराती-मराठी मिश्रित। यह हिंदी का भाषायी समाज भारत के भीतर है। दूसरी तरफ भारत से बाहर मारिशस, फीजी, त्रिनिदाद, गयाना, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका आदि में भी हिंदी का भाषायी समाज है। इन देशों में हिंदी भाषी अपने परिवार के तथा अपने भाषायी समाज के अन्य घनिष्ठ लोगों के साथ अनौपचारिक स्तर पर हिंदी की वे बोलियाँ बोलते हैं, जो इन देशों में बोली जाती हैं, जिनमें प्रायः सभी में भोजपुरी के तत्वों की प्रधानता है तथा कुछ में अवधी आदि का भी कुछ मिश्रण मिलता है, साथ ही इन देशों की मुख्य भाषाओं का भी इस पर प्रभाव पड़ा है। ये लोग आपस में औपचारिक परिस्थितियों में मानक हिंदी का प्रयोग करने लगे हैं।

अनेक विरोध के बावजूद हिंदी का उत्तरोत्तर विकास हुआ है विशेषकर भारतेन्दु, शिवपूजन सहाय, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह 'दिनकर', हजारी प्रसाद द्विवेदी, पं० कामता प्रसाद गुरु, पं० किशोरीदास बाजपेयी, डॉ० नगेन्द्र, डॉ० हरदेव बाहरी, डॉ० रवींद्रनाथ श्रीवास्तव, डॉ० भोलानाथ तिवारी, डॉ० उदय नारायण तिवारी तथा अन्य लोगों ने हिंदी भाषा को परिष्कृत तथा समउन्नति कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हिंदी प्रयोग को वृहत्तर संदर्भ को **जनपदीय संदर्भ**, **राष्ट्रीय संदर्भ** तथा **अंतरराष्ट्रीय संदर्भ** में देखा जा सकता है:-

जनपदीय संदर्भ में मागधी से विकसित भोजपुरी, मैथिली अर्द्धमागधी से विकसित अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, शौरसेनी से विकसित, ब्रज, कन्नौजी, बुन्देली, खड़ी बोली, हरियाणवी या कौरवी, राजस्थानी, पंजाबी, तथा हिमालय की तराईयों की पहाड़ी बोलियाँ और उनका क्षेत्र आता है। फलस्वरूप हिंदी भाषा-क्षेत्र की सीमा बिहार से पंजाब, मध्य देश से हिमालय की तराई तक फैली है। तात्पर्य यह है कि इन सीमाओं के भीतर आनेवाले जनपदों के स्थानीय तत्वों को ग्रहण कर हिंदी में अपना रूप निर्मित किया।

जैसे-महाराष्ट्र में 'चोट' शब्द अश्लील अर्थ में लिया जाता है, पर हिंदी क्षेत्र में यह अश्लील अर्थ से रहित है। इसलिए हिंदी अपने भाषिक तत्वों के लिए जहाँ जनपदों के प्रति मुख्यापेक्षी है, वहीं अपने अर्थ के लिए जनपदीय संदर्भ की अपेक्षा रखती है।

राष्ट्रीय संदर्भ में हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं रही, अपितु यह एक देश, एक जाति, एक संस्कृति और एक धर्म की पहचान रही है। यदि इसके इतिहास पर विचार किया जाए तो यह बात स्पष्ट हो जायेगी। यदि यह हिंदुस्तान की पहचान रही तो जाति, संस्कृति धर्म के रूप में हिंदू की पहचान भी बनी। इसके विकास के अतीत पर दृष्टि डाली जाए तो यह समूचे देश की एक मात्र भाषा, राष्ट्रभाषा भी रही। राष्ट्रभाषा से तात्पर्य शासन सत्ता की भाषा से नहीं है, अपितु उस शासन सत्ता में रह रहे जन-साधारण तथा बौद्धिक दृष्टि से उन्नत उन लोगों के विचार-

विनियम की भाषा से है जो भाषिक दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध और जो उनकी सर्वाधिक प्रिय भाषा रही है। लगभग सात सौ वर्षों की पराधीनता के पश्चात् हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के उदय के पूर्व ही अंग्रेज भी इस भाषा के स्वरूप निर्धारण और विकास के प्रति सचेत हुए और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के लिए विवश हुए। स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिंदी भाषा – माध्यम का कार्य करती दिखाई देती है। समूचा आंदोलन इसी भाषा के माध्यम से चला। फलस्वरूप हिंदी को पूरे भारतीय राष्ट्र में बोधगम्य होने का स्वयमेव प्रमाणपत्र मिल गया और भारत के स्वतंत्र होते ही पंद्रह वर्षों बाद अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को राजभाषा पद पर प्रतिष्ठित करने हेतु, केवल संविधान में प्रावधान ही नहीं किया गया, अपितु उसके विकास, उसे समृद्ध करने, उसके प्रयोग को बढ़ाने हेतु राजभाषा आयोग की स्थापना भी की गयी। राष्ट्रीय संदर्भ में हिंदी के कई रूप विकसित हो चुके हैं। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:-

जगदम्बा प्रसाद दीक्षित ने बंबईया हिंदी में **"मुरदा-घर"** नामक एक ही उपन्यास लिखा है। जिसकी कुछ पंक्तिया उदाहरणार्थ प्रस्तुत हैं-

-हाथ छोड़ मेरा।...मैं बोलती हाथ छोड़ दे.....। नहीं छोड़ेंगा ?

-नहीं छोड़ता हाथ।.....तू कुछ नई खाई....मैं भी कुछ नई खाया।अभी तू चल। ले के जाऊँगा मैं तेरे कूसच्ची बोलता।

-सच्ची का बच्चा ! मैं बोलती हाथ छोड़ दे....। छोड़ता कि नई?

कलकतिया हिंदी

"कॉला सूबा के षोमय फूलवाड़ी में फूल बीनने गई थी। माँ की पूजा के लिए फूल चुनना आर ठाकुर जी के प्रसाद की माला बनाना उसका नित्त का काम था। बो फूल बी के बीच में पत्थर के छोट्टे से चबुतरे पर बैठी जूही की माला गूँथ रही थी।"

पंजाबी हिंदी

"कला सुबा (कुछ 'ह' मिश्रित बनी ध्वनि) के समे फुल्लवाड़ी में फुल्ल बीनने गई ('ब' में 'ह') की भी कुछ ध्वनि रहती है।) माँ की पूजा के लिए फुल्ल चुनना और ठाकुर जी के प्रसाद की माला बनना ('ब' में थोड़ी 'ह' ध्वनि भी) उसका नित्त का काम था।"

मद्रासी हिंदी

"कळा सुब: के समे फूलवाड़ी में फूल बीनने गयी ती। माँ की पूजा के लिए फूल चुनना और टागुरजी के प्रसाद की माला बाना उसका निच्च का काम ता। वह फुलवाड़ी के बीच में पत्तर के छोट्टे से चबूतरे पर बैठी जूही की माला गूंत रही ती।"

हैदराबादी हिंदी

"कळा सुब: समय फुलवाड़ी में फूल बीनने गयी थी। माँ की पूजा के लिए फूल चुनना आउर ठाकूर जी के प्रसार की माला बनाना उसका

1857 ई० के विद्रोह में टेलीग्राफ की भूमिका : एक ऐतिहासिक अध्ययन

डॉ० ज्ञानेश कुमार धुरिया*

भारतवर्ष के संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला कर रख देने वाले 1857 ई० के विद्रोह में टेलीग्राफ ने अंग्रेजों के लिए एक सशक्त हथियार के रूप में कार्य किया। यद्यपि इससे पूर्व भी यूरोप व कीमिया में हुई लड़ाईयों में इसका प्रयोग किया गया था, परन्तु भारत में हुए विद्रोह की तुलना में इतना व्यापक नहीं। टेलीग्राफ की मदद से ही इस विद्रोह को दबाने हेतु बड़े पैमाने पर सीलोन, फारस, सिंगापुर, बर्मा से सेना बुलाई गई, इसी की मदद से विद्रोही गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी और उचित फैसले लिए जाते थे। पंजाब के तत्कालीन ज्यूडीशियल कमिश्नर रॉबर्ट मांटगोमरी का यह कहना कि इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ ने हमें बचा लिया, विद्रोह के दौरान टेलीग्राफ की महत्ता को स्पष्ट करता है।

सैनिक, किसान, बेदखल किये गए राजघराने, रईसों आदि के असन्तोष से उत्पन्न इस विद्रोह की सर्वप्रथम खबर 10 मई, 1857 को सरकार के पास आगरा में मेरठ के एक गैर-सरकारी टेलीग्राफ के संदेश के माध्यम से पहुंची। दूसरे दिन दो तार दिल्ली से अंबाला भेजे गए, ताकि वहां से समस्त छावनियों को सतर्क करने का संदेश जारी हो सके। चूंकि मेरठ के बागियों द्वारा दिल्ली से दक्षिण की सभी लाइनें ध्वस्त कर दी गई थीं, इसलिए दिल्ली से उत्तर की छावनी से ही सम्पर्क किया जा सकता था। यद्यपि इन दो तारों को भेजने के बाद ही दिल्ली का पूरे भारत से संपर्क टूट किया गया था, परन्तु फिर भी ये दो तार काफी काम आए, जिनमें भारतीय सैनिकों के विद्रोह, यूरोपीय सैनिकों व टेलीग्राफ ऑपरेटरों की हत्याओं, लूटपाट आदि की खबरें थीं। जिसके चलते देश के दूसरे हिस्से में भारतीय सैनिकों तक विद्रोह की खबर पहुंचने से पूर्व अंग्रेजों को अपनी सेना को सावधान करने का समय मिल गया। पंजाब की कुछ छावनियों में 13 मई की शाम को विद्रोह करने की योजना बनाई गई थी, परन्तु जब 12 मई की सुबह तार के माध्यम से विद्रोह की खबर वहां पहुंच गई, तो अंग्रेज सतर्क हो गए और जिन भारतीय रेजीमेंटों पर उन्हें शक था, उनको निःशस्त्र कर दिया गया व सरकारी खजाने को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। दिल्ली से संदेश वाहक के माध्यम से खबर पहुंचने से पूर्व ही वहां निगरानी प्रारम्भ कर दी गई, जिसके चलते पंजाब में मामूली चिंगारी ही भड़क पाई और सम्पूर्ण विद्रोह के दौरान पंजाब लगभग शान्त ही रहा। टेलीग्राफ ने यहां पर विद्रोह शान्त रखने व भारतीय सैनिकों को समय रहते निःशस्त्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

14 मई को दिल्ली पर अंग्रेजी नियंत्रण छूटने की खबर आगरा से कलकत्ता भेजी गई। तत्काल कलकत्ता की भारत सरकार ने शिमला में तैनात कमान्डर-इन-चीफ, पंजाब के चीफ कमिश्नर, आगरा के लेफ्टिनेंट गवर्नर व मद्रास की सरकार को दिल्ली व कलकत्ता हेतु तुरन्त सैनिक भेजने के लिए तार प्रेषित किए। इस प्रकार सरकार दिल्ली के बारे में देश भर के भारतीय सैनिकों तक सूचना पहुंचने से पहले ही स्थिति से निबटने के लिए तैयार हो गई।

विद्रोह के प्रथम सप्ताह में क्षेत्रीय अंग्रेज अधिकारियों ने यूरोपीय सेनाओं को भेजने हेतु तार के माध्यम से अनुरोध किया। आगरा के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा फारस की खाड़ी से लौटती सेना को कलकत्ता भेजने का अनुरोध किया गया। अवध के चीफ कमिश्नर द्वारा चीन व सीलोन से तथा नेपाल से गोरखा सैनिकों को बुलाने का अनुरोध किया गया। भारत से बाहर की यूरोपीय सेनाओं की आवश्यकता पर सबसे अधिक बल 17 मई को भेजे गए तार द्वारा मद्रास में तैनात कमान्डर-इन-चीफ ने दिया। उसने चीन पर दबाव डालने के उद्देश्य से भेजी गई सेना को तत्काल कलकत्ता भेजने की सिफारिश की। उसके अनुसार इस सेना के आने से अंग्रेजों का उत्साहवर्धन होगा।

तार के माध्यम से किए गए उसके अनुरोध पर त्वरित कार्यवाई की गई। 16 से 29 मई के मध्य कलकत्ता में गवर्नर जनरल, बम्बई-मद्रास के गवर्नर, उत्तर-पश्चिम के लेफ्टिनेंट गवर्नर व पंजाब के चीफ-कमिश्नर के बीच तारों के आदान-प्रदान के फलस्वरूप सैनिकों को भारी मात्रा में इधर-उधर तैनात किया जा सका। फारस से लौटती दो रेजीमेंट कलकत्ता और फिर वहां से दिल्ली भेजी गई। चीन जा रही सेना सिंगापुर से ही लौटा दी गई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थी 23वीं इंजीनियर्स रेजीमेंट, जो सितम्बर 1857 से पूरे विद्रोह के दौरान सक्रिय रही।

इस प्रकार 1857 के अंत तक, जब तक उत्तर व मध्य भारत में विद्रोह नहीं फैला था, ब्रिटिश सेना अत्यधिक मजबूती के साथ तैनात हो चुकी थी। इस दौरान नौकाचालन की अनुकूलता, अपर्याप्त संख्या में स्टीमरों का समन्वय, स्टीमरों की उपलब्धता न होने पर नौकाओं की व्यवस्था जैसी समस्याओं का निबटारा तार व्यवस्था के माध्यम से शीघ्र किया जा रहा था, क्योंकि जून व जुलाई के महीने तक विद्रोह बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, फतेहपुर, आगरा, नीमच, ग्वालियर, सिपरी,

*एम० ए० (स्वर्ण पदक), पी-एच० डी० (पाश्चात्य इतिहास)

इन्दौर, दानापुर, अलीगढ़, मैनपुरी व उत्तर तथा मध्य भारत में लगभग प्रत्येक स्थान पर फ़ैल चुका था और ऐसे में किसी भी प्रकार की देशी अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंकती। यूरोपीय सेनाओं के तेजी से पहुँचने के कारण यह अफवाह फ़ैल गई कि ब्रिटेन से एक लाख सैनिक आ रहे हैं। विद्रोहियों पर इसका अधिक मानसिक दबाव पड़ा, जिससे अंग्रेज लाभान्वित हुए।

विद्रोह के दौरान टेलीग्राफ ने नीति-निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत जैसे विशाल भू-भाग पर हुए विद्रोह की अवस्था में समस्त राज्यों में उलझन की स्थिति बन गई। ऐसी स्थिति में स्थानीय अधिकारियों को मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी। इसी बीच 2 जुलाई को लखनऊ के बेलीगारद पर मौलवी अहमद उल्ला शाह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने हमला कर हेनरी लॉरेंस को मार गिराया, जबकि कैप्टन विल्सन घायल हुआ। जिसके चलते अवध के चीफ कमिश्नर ने टेलीग्राफ के माध्यम से सन्देश भेजकर पूर्ण सैनिक अधिकार की मांग की और गवर्नर जनरल ने तार के माध्यम से ही तत्काल स्वीकृति प्रदान करी। इसी प्रकार उत्तर-पश्चिम प्रान्तों के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा राजपूताना जिला एजेंटों पर पूर्ण नियन्त्रण की मांग को भी मंजूरी दी गई। टेलीग्राफ के ही माध्यम से समस्त लेफ्टिनेंट-गवर्नरों को भारतीय अधिकारियों एवं सैनिकों के कोर्ट मार्शल व फांसी की सजा देने के अधिकार प्रदान किये गए।

टेलीग्राफ चूँकि पूर्ण रूप से सरकार के नियन्त्रण में था, इसलिए इसके अधिकतर सिग्नलर व इंस्पेक्टर ब्रिटिश अथवा एंग्लो-इंडियन मूल के थे। जातियों एवं धार्मिक कारणों के चलते ये कर्मचारी सरकार के प्रति वफादार थे। साथ ही विद्रोहियों में ऐसा कोई नहीं था, जो टेलीग्राफ द्वारा सिग्नल भेजना जानता हो। कुछ विद्रोही ही अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखते थे और भारतीय भाषा में टेलीग्राफ संकेत नहीं था, इस प्रकार विद्रोहियों के लिए भाषा की समस्या थी, जिसके चलते अपने कब्जे में आयी टेलीग्राफ लाइनों का वे कोई उपयोग नहीं कर सकते थे, मात्र उन्हें नष्ट कर सकते थे। आगरा से इन्दौर 400 मील लम्बी, आगरा से कानपुर की 180 मील लम्बी टेलीग्राफ की लाइनों को विद्रोहियों ने तोड़ दिया, खम्भों का उपयोग ईंधन के रूप में किया और धातु के तारों को काटकर बुलेट बना लिया अथवा उसे टेलीग्राफ के इस्तेमाल के लिए पूर्णतया अनुपयोगी बना दिया।

विद्रोहियों को टेलीग्राफ प्रणाली से खतरे का आभास तब हुआ, जब विद्रोह की खबर 10 मई को मेरठ से जारी की गई। इसलिए जब विद्रोही दिल्ली की ओर बढ़े, मेरठ और दिल्ली-आगरा के मध्य की लाइनों को नष्ट कर दिया। यद्यपि आगरा से होती हुई मेरठ-कलकत्ता की लाइन 16 से 18 मई के बीच कुछ

समय के लिए क्रियान्वित हुई व इससे महत्वपूर्ण जानकारियों का भी आदान-प्रदान हुआ, परन्तु 18 मई को यह संचार पुनः बाधित हो गया। विकल्प के तौर पर अलीगढ़ में एक केन्द्र खोला गया, परन्तु यह केन्द्र भी बहुत मुश्किल से 10 दिनों तक ही चल सका, परन्तु इस अवधि में यूरोपीय लोगों को हाथरस पहुँचा दिया गया, शीघ्र ही मेरठ लाइन पूर्ण रूप से नष्ट कर दी गई।

कानपुर, इलाहाबाद व बनारस में जून के प्रारम्भ में विद्रोह की आग भड़क चुकी थी और विद्रोहियों ने टेलीग्राफ लाइन को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था। कानपुर व लखनऊ के बीच की लाइनों को तात्या टोपे की सेना ने नष्ट कर दिया। अंग्रेजों द्वारा इस लाइन पर काम तभी हो पाया, जब कैम्बेल की सेना आगे बढ़ी। द टाइम्स के जाने-माने संवाददाता डब्ल्यू. एच. रसेल, जो कि उस समय कैम्बेल के सैन्य अभियानों पर नजर रखे थे, ने लिखा कि विद्रोही आक्रमण कर के टेलीग्राफ के तारों के टुकड़े-टुकड़े कर देते थे, जो कि अंग्रेजों के प्रति टेलीग्राफ के महत्व को दर्शाता है।

यद्यपि डॉ० विलियम ब्रूक ओ' शाघ्नेस्सी, जो कि 1839 से ही तार प्रणाली के उम्दा प्रयोग के लिए विश्व प्रसिद्ध थे, इस बात से अवगत थे कि फ्रांस आस्ट्रिया व इटली में विद्रोह के समय विद्रोही नेताओं ने टेलीग्राफ लाइनों को नष्ट करना अपना प्रथम लक्ष्य बनाया था, परन्तु उनका मानना था कि टेलीग्राफ पर स्थानीय गड़बड़ी का प्रभाव नहीं पड़ता है। सम्भवतः वे इस बात से आश्वस्त थे कि 1855 में हुए संधाल विद्रोह के दौरान यद्यपि रेलवे लाइन नष्ट कर दी गई, परन्तु टेलीग्राफ लाइनें सुरक्षित थीं। उन्होंने अपनी मान्यता 1856 में लन्दन कोर्ट और फिर अरब क्षेत्र में प्रस्तावित इण्डो-यूरोपीय टेलीग्राफ लाइन की सुरक्षा हेतु गठित संसदीय समिति के समक्ष प्रस्तुत की। परन्तु जैसे ही टेलीग्राफ का उपयोग सैन्य गतिविधियों से जुड़ा, उनकी मान्यता गलत सिद्ध हो गयी।

स्थानीय जनता ने भी विद्रोहियों का साथ देने के उद्देश्य से टेलीग्राफ लाइन को तोड़ने में दिलचस्पी दिखायी, जिसका विवरण भोपाल की बेगम व उनके मुंशी के बीच हुए पत्र-व्यवहार से स्पष्ट होता है। टेलीग्राफ के खतरे से विद्रोही सचेत थे, यह इस बात से ही पता चल जाता है कि बार-बार टेलीग्राफ लाइनों को ठीक करने के बाद भी वो तोड़ दी जाती थीं। एडविन अर्नोल्ड द्वारा उल्लिखित फांसी पर चढ़ते हुए एक बागी का टेलीग्राफ के तार की ओर देखते हुए यह कहना कि यही वह जघन्य तार है, जो मेरा गला घोटने जा रहा है, विद्रोहियों के लिए टेलीग्राफ की भयावहता को प्रकट करने का उत्कृष्ट उदाहरण है।

सन्दर्भ –

- 1 कोल्डस्ट्रीम, विलियम (संपा.) (1902), रेकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नॉर्थ-वेस्ट प्रोविंसेज ऑफ इण्डिया ड्यूरिंग द म्यूटिनी ऑफ 1857, टी. एंड टी. क्लार्क, एडिनबर्ग, पृ0 891
- 2 सिंह, डॉ. ए.ए., अवध ताल्लुकेदारस एण्ड रेवोल्ट ऑफ 1857, रिसर्च जर्नल ऑफ द मेरठ यूनिवर्सिटी हिस्ट्री अलुम्नाई, वॉल्यूम- XXI, नं.- II, 2013, पृ0 77
- 3 पार्लियामेंट्री पेपर्स ऑन म्यूटिनीज इन द ईस्ट इंडीज (1857), भाग- II, सीरीज- VI, लन्दन, पृ0 175
- 4 डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ म्यूटिनी पेपर्स इन द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, 1960-63, फाइल- I, पृ0 35
- 5 गुप्ता, डॉ. नवीन, 1857 की कान्ति के फकीर – मौलवी अहमद उल्लाशाह की हत्या का रहस्य, रिसर्च जर्नल ऑफ मेरठ यूनिवर्सिटी हिस्ट्री अलुम्नाई, वॉल्यूम- XXI, नं.- II, 2013, पृ0 88
- 6 टेलीग्राफ डिपार्टमेंट रिपोर्ट, 1855-56
- 7 वही, 1855-56
- 8 गोल्डस्मिथ, एफ. जे. (1874), टेलीग्राफ एंड ट्रेवेल, मैकमिलन, लन्दन
- 9 ओ' शाघनेस्सी, डब्ल्यू. बी., मेमोरेंडा रिलेटिव टू एक्सपेरीमेंट्स ऑन द कम्यूनिकेशन ऑफ टेलीग्राफ सिग्नल्स बाई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी, जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 8 (1839), पृ0 714-31
- 10 आर्नोल्ड, एडविन (1865), द मार्क्वीज ऑफ डलहौजीस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश इण्डिया, सांडर्स, ओटले एंड कं., लन्दन, पृ0 244

मौलिक था। इसी से मिलता-जुलता विचार श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध' का भी है। उन्होंने संत कबीर को वैष्णव भक्ति से प्रभावित मानते हुए 'स्वाधीन चिन्ता का पुरुष' कहा है। ठीक इसी तरह का विचार व्यक्त करते हुए श्री परशुराम चतुर्वेदी ने संत कबीर की पंक्तियों को उद्धृत करके यह प्रमाणित करना चाहा है कि संत कबीर के मत में जो तत्व प्रकाशित हुआ था, वह उनके स्वाधीन चिन्तन का ही परिणाम था। इस तत्व के स्वरूप के सम्बंध में आप कहते हैं— "वह परमतत्व निर्गुण एवं सगुण इन दोनों से परे की वस्तु है और वह अनुभव में आने पर भी अनिर्वचनीय है।" वस्तुतः हरिऔध जी और परशुराम चतुर्वेदी जी ने संत कबीर के सिद्धांतों में एक नवीन तत्व देखा था, जो युग विशेष की परिस्थितियों की चिन्ता से उपजा था।

उपर्युक्त विचारकों के विश्लेषण को देखने से ज्ञात होता है कि प्रत्येक विचारक ने अपने-अपने ढंग से संत कबीर के दार्शनिक सिद्धांतों को स्थिर करना चाहा है। जैसे मोहसिन फानी के विचारों के केन्द्र में इस्लाम की धर्मभावना है, बाबू श्यामसुन्दर दास के मत के पीछे शंकराचार्य का अद्वैतवाद व संत कबीर का दर्शन एक ही धारा की अगली कड़ी मानने का पूर्वाग्रह रहा। डॉ० बड़थवाल का पूर्वाग्रह यह था कि उन्होंने पूरी निर्गुण संत-परम्परा में व्याप्त विचारों को वेदान्त के पुराने मतों के अन्तर्गत व्यवस्थित करना चाहा है। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाथपंथी योगियों के सिद्धांतों को पृष्ठभूमि में रखकर संत कबीर के दार्शनिक सिद्धांत निश्चित कर रहे थे।

विभिन्न विचारकों और अध्येताओं की नजर से संत कबीरदास जी के दार्शनिक सिद्धांतों को परखने के बाद यह देखना ज्यादा उचित होगा कि संत कबीर ने विभिन्न दार्शनिक तत्वों पर किस तरह के विचार व्यक्त किए हैं।

2. संत कबीरदास जी के निर्गुणराम- संत कबीरदास जी ने जिस परमतत्व (ईश्वर) को **निर्गुणराम** कहा है वह अज्ञेय है। उसकी गति लक्षित नहीं की जा सकती। चारों वेद, स्मृतियाँ, पुराण, व्याकरण आदि कोई भी उसका मर्म नहीं जानते। वह निरंजन (माया) रहित है। न वह जन्म लेता है, न विनष्ट होता है। न उसकी कोई रूपरेखा, न उसका कोई वर्ण है। उस निर्भय, निराकार, अलख-निरंजन को कोई ठीक से नहीं जानता। वह 'वर्ण-अवर्ण' से मुक्त, 'आदि मध्य, अंत रहित', 'सृष्टि और लय से परे', एवं अकथ्य है। संत कबीरदास इस 'नेति-नेति' शैली को बहुत दूर तक ले गए हैं। वह बार-बार उस परमतत्व ईश्वर को सभी प्रकार के स्थूल

तत्वों से अलग करना चाहते हैं। वे इसी भाववेश में कहते हैं कि राम-नाम की चर्चा तो बहुत हुई है पर उसका मर्म कोई नहीं जानता। वस्तुतः वह वेदों की सीमा से परे हैं। सभी प्रकार के भेदों से अलग है। वह पाप और पुण्य, ज्ञान और ध्यान, स्थूल और शून्य सभी से परे है। यहाँ हम स्पष्ट देख रहे हैं कि भाषा संत कबीर के सामने लाचार नहीं है बल्कि भाषा संत कबीर का साथ नहीं दे रही है। सामान्यजन (पण्डितजन की ओर भी इशारा है) जिस भाषा से परिचित हैं वह भेदमूलक है क्योंकि इस भाषा में रूप है, अरूप है; वर्ण है, अवर्ण है; लोक है, वेद है; निर्गुण है, सगुण है; जन्म है, मरण है; आदि है, अंत है; पाप है, पुण्य है; परमतत्व इन सभी विषमताबोधक स्थितियों से परे है। इसीलिए संत कबीर बार-बार कहते हैं वह जैसा है उसे ठीक वैसा ही समझना और समझाना दोनों ही असम्भव है। पहली कठिनाई तो स्वरूप के वास्तविक बोध की है, क्योंकि—

जस तू तस तोहि कोइ न जान।
लोग कहैं सब आनहिं आन।।

दूसरी कठिनाई भाषा और अभिव्यक्ति की है क्योंकि —

जस कथिये तस होत नाहीं, जस है तैसा सोई।

उसे व्यक्त करने के लिए हम जितना ही बोलते हैं, उतना ही तत्त्व से दूर होते जाते हैं—

बोलना का कहिये रे भाई।
बोलत बोलत तत्व नसाई।।

यह जानते हुए भी कि बोलने से विकार बढ़ता है, बोलते इसलिए हैं कि बिना बोले विचार हो ही नहीं सकता—

बोलत बोलत बढ़ै बिकार।
बिन बोल्यो क्यूँ होइ बिचार।।

संत कबीरदास जी का यह निर्गुणराम(परमतत्व) सर्व-निरपेक्ष होते हुए भी **एक** है। वे बार-बार कहते हैं कि मैंने तो उस एक तत्व को **एक ही** करके समझा है। वे बलपूर्वक कहते हैं कि हिन्दुओं और तुर्कों का कर्ता एक ही है। **राम** और **रहीम**, **केशव** और **करीम विसमिल** और **विश्वंभर** में भेद नहीं करना चाहिए। अपना मत स्पष्ट करते हुए वह कहते हैं कि मेरा सारा भ्रम दूर हो गया है और मेरा मन एक निरंजन में लग गया है। मेरा अल्लाह एक और निरंजन है। वह सबमें और सब उसमें विद्यमान है। उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। जो परमात्मा सारी सृष्टि में समाया हुआ है, जो अखिल ब्रह्माण्ड में व्याप्त है, वही हमारे हृदय में भी विद्यमान है। उसे प्राप्त करने के लिए इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं।

इसीलिए संत कबीर मन को समझाते हुए कहते हैं कि रे मन ! कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वह अविनाशी तो हृदय-सरोवर में ही विद्यमान है। उसे दुनिया में ढूँढ़ना तो भ्रम में पड़ना है। हरि तो हृदय में ही है।

परमतत्त्व को बार-बार निर्गुण, निरंजन, निराकार कहते हुए भी संत कबीर उसमें उन गुणों की स्थिति मानते हैं जो सामान्यतः सभी भक्त अपने आराध्य में स्वीकार करते हैं। संत कबीरदास जी यह भी स्वीकार करते हैं कि आकार-रहित और अव्यक्त होते हुए भी परमात्मा संसार की सारी संवेदनाएँ ग्रहण करने में समर्थ है।

परमतत्त्व ईश्वर (निर्गुण ब्रह्म) के संबंध में उपर्युक्त मान्यताएँ उनके निजी चिन्तन और अनुभूति का परिणाम भी हैं और उनके युग व पूर्व-परम्परा की आध्यात्मिक चेतना से प्रेरित भी।

3. **जीव-तत्व**— शंकराचार्य के वेदान्त दर्शन के अनुसार “शरीर तथा इन्द्रिय समूह के अध्यक्ष और कर्मफल के भोक्ता आत्मा को ही जीव कहते हैं।” दूसरे शब्दों में कहा गया है कि “पर ब्रह्म ही उपाधि सम्पर्क से जीव भाव में विद्यमान रहता है।” अर्थात् परब्रह्म, आत्मा और जीव में तात्त्विक भेद नहीं है। आत्मा और ब्रह्म तो एक ही है। जब आत्मा उपाधि-सम्पर्क के कारण अन्तःकरणावच्छिन्न होकर कर्म-फल का भोक्ता हो जाता है तो वह जीव कहलाता है और जब वह उपाधि-सम्पर्क-रहित शुद्ध चैतन्य की स्थिति में होता है तब वह ब्रह्म कहलाता है। संत कबीरदास जी के जीव तत्व सम्बंधी विचार उपर्युक्त विचार से काफी मिलते-जुलते हैं। वे कहते हैं कि रात्रि के समय स्वप्नावस्था में पारस (पारस रूप शुद्ध चैतन्य=ब्रह्म) और जीव में भेद रहता है। जब तक मैं सोता रहता हूँ तब तक द्वैतभाव बना रहता है, जब जागता हूँ तो अभेद हो जाता है। रात्रि अज्ञान-दशा का सूचक है और जागरण ज्ञान-दशा का। ज्ञान-दशा में जीव और ब्रह्म की पूर्ण एकता संत कबीर को मान्य है। संत कबीरदास ने जीव के शुद्ध चेतन रूप की ओर संकेत करते हुए एक स्थान पर उसे राम का अंश भी कहा है। जीव और ब्रह्म की तात्त्विक एकता स्वीकार करते हुए भी संत कबीरदास यह मानते हैं कि जीव अपने शुद्ध चेतन रूप को भूलकर विषयों में अनुरक्त है। ऐसे जीव को वे हृद का जीव कहते हैं। ऐसे जीव से वे मुख भर बोलना भी नहीं चाहते, किन्तु जो बेहद के जीव हैं जो असीम तत्व में अनुरक्त हैं, उनसे वे अपने हृदय की बात प्रकट करने में संकोच नहीं करते।

4. **माया**— अद्वैत वेदान्त की एक अद्भुत माया है। यह न सत् है न असत्। सत् इसलिए नहीं है कि ब्रह्म का ज्ञान होने पर इसका ज्ञान बाधित हो जाता है किन्तु यह असत् भी नहीं है क्योंकि असत् वस्तु की प्रतीति नहीं होती जबकि माया की प्रतीति होती है। शंकराचार्य के अनुसार माया भगवान की अव्यक्त शक्ति है, जिसके आदि का

पता नहीं चलता। यह गुण त्रय (सत्, रज, तम) से युक्त अविधा रूपिणी है। संत कबीरदास ने माया के सम्बंध में विचार करते हुए उपर्युक्त विचारों के निकट का ही मत दिया है। संत कबीरदास जी के माया संबंधी विचारों का सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात् यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें माया के स्वरूप का पूरा ज्ञान था। वे अच्छी तरह जानते हैं कि माया त्रिगुणात्मिका है। वे यह भी जानते हैं कि माया भगवान की ही शक्ति है जो सारे संसार के जीवों को अपना बनाने के लिए निकल पड़ी है। वे संतों को समझाते हुए कहते हैं कि यह सब आवागमन का चक्र माया ही है अर्थात् जो कुछ उत्पन्न और विनष्ट होता है, वह सब माया से प्रभावित है। एक जगह संत कबीर ने संसार के प्रति आसक्ति उत्पन्न करने वाले सारे बन्धनों को माया बताया है। वह कहते हैं कि आदर, मान, सांसारिक विषयों के प्रति होने वाली आसक्ति, जप, तप, योग, माता, पिता, स्त्री, पुत्र यह सब कुछ माया ही है। यह माया जल, थल, आकाश और हमारे आस-पास चारों ओर व्याप्त है। सभी लोग माया के बंधन में पड़े हैं। माया के कारण ही लोग अपने प्राण दे देते हैं। ऐसी माया को त्यागने का बार-बार प्रयत्न करता हूँ किन्तु यह छोड़ी नहीं जाती। जहाँ ब्रह्म ज्ञान है वहाँ माया का स्थान नहीं है। संत कबीर ने अनेक जगह माया की भर्त्सना की है। उसकी उपमा कहीं वह वेश्या से देते हैं, कहीं उसे पापणी, मोहणी, दारुणी और विश्वासघातिनी कहा है। उसे रामभक्ति में सबसे बड़ी बाधा भी माना है लेकिन महात्मा कबीर को यह भी विश्वास है कि जब परमात्मा का स्मरण करने वाले संत इसे भोगकर इसकी उपेक्षा कर देते हैं तब यह उनकी दासी बन जाती है।

5. **संसार** : सृष्टि— संसार की सृष्टि के संबंध में संत कबीरदास के विचारों पर सांख्य, अद्वैत वेदान्त तथा शैव, तंत्र एवं योग दर्शनों का संस्कारगत प्रभाव लक्षित होता है। कहीं-कहीं उन्होंने इस सन्दर्भ में अल्लाह द्वारा एक नूर से सारे संसार की सृष्टि होने की बात कहकर इस्लाम की मान्यताओं से परिचित होने का संकेत भी दिया है। इस सम्बंध में संत कबीरदास पर सांख्य का प्रभाव भी लक्षित किया गया है। इसी प्रभाव की चर्चा करते हुए डॉ० बड़थवाल ने कहा है, “अतएव शंकराचार्य के अनुयायियों की भांति कबीर आदि निर्गुणियों ने भी सांख्य सिद्धान्त का उपयोग किया, परन्तु उस पर अद्वैत की छाप लगा कर प्रकृति और पुरुष को भी उन्होंने व्यावहारिक सत्य के रूप में ग्रहण किया और उनके संयुक्त रूप को ब्रह्म का व्यावहारिक व्यक्त स्वरूप माना जिसके परे अव्यक्त पूर्ण ब्रह्म का स्थान था।” यहाँ यह देखना दिलचस्प है कि सांख्य दर्शन में उल्लिखित तत्त्वों (तीन गुणों और पाँच तत्त्वों) से संसार के रचे जाने की

बात कहकर भी संत कबीर ब्रह्माण्ड और पिण्ड को नश्वर मानते हैं, जबकि इसके विपरीत सांख्य इनका नाश नहीं मानता। संत कबीर ने कहा है कि ब्रह्माण्ड भी नहीं है, पिण्ड भी नहीं है और पंचतत्त्व भी नहीं है। यह तन, यह मन और सत, रज, तम ये तीनों गुण भी मिथ्या हैं। यहाँ हम यह साफ देख सकते हैं कि सांख्य दर्शन की शब्दावली का प्रयोग करते हुए भी संत कबीर ने सृष्टि के सम्बंध में सांख्य का विचार स्वीकार नहीं किया है। इसी तरह तत्कालीन समय में प्रचलित शक्ति, तन्त्र और योग—इन तीनों शब्दों में स्वीकृत नाद और बिन्दु की चर्चा भी संत कबीर ने की है। इन्हीं मतों से प्रभावित होकर एक जगह उन्होंने कहा है कि नाद और बिन्दु से रचित यह शरीर नौका रूप है और राम का नाम ही इसे भवसागर से तारने के लिए कर्णधार है। एक जगह उन्होंने यह भी लिखा है कि मेरा खसम वही है, जो नाद—बिन्दु से परे हैं। तंत्र सम्प्रदाय के ग्रन्थों में नाद और बिन्दु पर विस्तारपूर्वक चर्चा है। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि ब्रह्माण्ड और पिण्ड दोनों शिव—शक्ति तत्व के ही व्यक्त रूप हैं। मानव पिण्ड में शक्ति कुण्डलिनी रूप में सुप्त रहती है। ब्रह्माण्ड में इसे महाकुण्डलिनी के रूप में सुप्त माना जाता है। योगी जब साधना करता है तो उसकी कुण्डलिनी शक्ति ऊर्ध्वमुखी होकर शिव तत्व से मिलने के लिए आगे बढ़ती है। कुण्डलिनी के उदबुद्ध होकर शिवोन्मुख होने से जो स्फोट होता है, उसे नाद कहते हैं। तंत्रशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्थ शारदा तिलक में वर्णित है कि प्रकृति सम्पूक्त सच्चिदानन्दरूप परमेश्वर से शक्ति उत्पन्न हुई। शक्ति से नाद और नाद से बिन्दु उत्पन्न हुआ। यह बिन्दु तत्त्व अपनी इच्छा से तीन रूपों—बिन्दु, नाद और बीज—में विभक्त हो गया। बिन्दु शिवात्मक है, बीज शक्तिरूप है और नाद इन दोनों के समवाय सम्बंध से उत्पन्न है। सर जान वुकराफ ने षट्चक्र निरूपण ग्रन्थ पर श्री राघव भट्ट की टीका का हवाला देते हुए बताया है कि नाद में सत्, रज और तम, प्रकृति के ये तीनों गुण विद्यमान होते हैं। इनमें से कभी किसी एक की और कभी किसी दूसरे की प्रधानता होती है। जब तमोगुण विद्यमान होता है तो नाद अव्यक्त रहता है (ध्वन्यात्मकोऽव्यक्त नादः) इस अव्यक्तावस्था में इसे निबोधििका या बोधिनी कहते हैं। जब रजोगुण प्रधान होता है, तब इसे नाद कहते हैं। इस अवस्था में किंचित् वर्णवोधन्यासात्मक ध्वनि होती है। जब सत्वगुण का प्राधान्य होता है, तब नाद बिन्दु रूप हो जाता है। सम्पूर्ण वक्तव्यों का निष्कर्ष निकालने पर यही प्रतीत होता है कि संत कबीर नाद और बिन्दु को परम चैतन्य की स्थूल अभिव्यक्ति मानते हैं और इनसे होने वाली रचना को भी नश्वर या नाशवान ही समझते हैं। संसार सृष्टि के संबंध में कहीं संत कबीर पर सांख्य, कहीं शषाक्त, कहीं तंत्र

और कहीं प्रणवतत्व का प्रभाव आलोचकों ने लक्षित किया है लेकिन इन दर्शनों का प्रभाव ही संत कबीर ने ग्रहण किया है, अनुकरण नहीं किया है, यह कबीर के स्वतंत्रचेतना व्यक्तित्व के अनुकूल ही है।

6. **संसार की असारता**— संसार पर संत कबीर का विचार उपरी तौर पर देखने पर निषेधात्मक प्रतीत होता है, परन्तु गहराई से विचार करने पर उनके निषेध का सच समझ में आता है क्योंकि संत कबीर का निषेध ही उनके सामाजिक चेतना और जागरुकता का प्रमाण है। संसार की असारता दिखाकर संत कबीर ने लोगों से इस संसार के प्रति मोह के त्यागने की बात बार—बार कही है। जगत के मिथ्यात्व या असारता पर कबीरदास जी ने बहुत बल दिया है। इसकी उपमा उन्होंने सेमर के फूल, धुँआ के धरौहर से दी हैं। कभी इसे कुहरा का धुन्ध और कभी कागज की पुड़िया कहा है। संत कबीर कभी इसे स्वप्नवत् कहते हैं और कभी एक हाट कहा है जहाँ सब लोग वाणिज्य करने आये हैं। प्रत्येक स्थिति में संत कबीर संसार की नश्वरता, निस्सारता और दुःखमयता दिखाते हैं। वस्तुतः संत कबीर की जीवन दृष्टि निवृत्तिमूलक है, लेकिन यह निवृत्तिमूलकता केवल सामान्यजन और पण्डितों को सचेत करने के लिए ही है और इसके माध्यम से संत कबीर एकमात्र परमतत्त्व ब्रह्म की सत्यता प्रमाणित करना चाहते हैं।

7. **मोक्ष**— भारतीय दर्शन में चार पुरुषार्थों में **मोक्ष** को सबसे अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ स्वीकार किया गया है। भारतीय दर्शन में इसे जीवन का चरम स्वीकार किया गया है। **मोक्ष** का अर्थ है जीवन मरण के चक्र से छुटकारा। आसक्ति और कर्म से निवृत्ति। कर्म में प्रवृत्ति न होने से उसका फल भोगने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अतः जन्म—मरण का क्रम समाप्त हो जाता है और परम तत्त्व से मिलकर एकाकार हो जाता है। संत कबीर और अन्य संतों ने संसार को भवसागर माना है और इससे मुक्त होने को **तरना**(पार हो जाना) कहा है। सामान्य धारणा यह है कि संसार से छुटकारा पाकर जीव वैकुण्ठलोक में पहुँच जाता है। संत कबीरदास किसी वैकुण्ठलोक में विश्वास नहीं करते। वह कहते हैं कि हे भगवान! हमको तार कर कहाँ ले जाओगे? वह वैकुण्ठ कहाँ और कैसा है? मुक्ति का प्रश्न तो तब उठता है जब आपने हमको अपने से दूर कर दिया हो। तारने और तरने का प्रश्न तभी तक है जब तक तत्त्वज्ञान नहीं होता। संत कबीर ने सभी में एक राम की सत्ता लक्षित कर ली है। अब उसे पूर्ण मानसिक शान्ति प्राप्त है। स्पष्ट है कि संत कबीर की दृष्टि में राम से **एक भेंट** होना ही मुक्ति है। इसके लिए ब्रह्म की सर्वव्यापकता एवं नित्यता का ज्ञान आवश्यक है। शरीर रहते हुए जो माया के सारे बन्धनों

- 44 तिवारी, रामचन्द्र, 'कबीर मीमांसा', संस्करण 1999, पृ0 130।
- 45 दास, श्याम सुन्दर(बाबू) कबीर ग्रन्थावली साखी 13, पृ0 331।
- 46 वही, चितावणी कौ अंग, साखी 27, पृ0 92।
- 47 वही, राग केदारौ , पद 38 , पृ0 333।
- 48 वही, पद 11 , पृ0 199।
- 49 कबीर वाणी, राग आसावरी, पद 39, पृ0 291।
- 50 दास, श्याम सुन्दर (बाबू 'कबीर ग्रन्थावली', राग आसावरी, पद 33, पृ0 285।
- 51 तिवारी, पारसनाथ 'कबीर ग्रन्थावली', पद 54,पृ0 31।
- 52 गुप्त, माता प्रसाद कबीर ग्रन्थावली', साखी 1, पृ0 107।
- 53 वही, पद 15, पृ01

त्रासदी को सामूहिक त्रासदी की तरह देखा, समझा और उससे मुक्ति पाने के लिए लगातार कठोर प्रयत्न किए। शाहूजी अंतिम पंक्ति में खड़े इंसान की पीड़ा, त्रासदी, रुदन और विडंबनाओं से अन्तर्मन तक प्रभावित थे, और आम इंसान की त्रासदी को, पाठकों को उसी से महसूस कराते थे।

हमारे देश में जातिप्रथा, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था आदि को मूलतः धार्मिक ग्रंथों में वर्णित होने का नतीजा माना जाता है, समाज में इसको समृद्ध करने में हमारे शासकों का भी पूर्ण योगदान रहा। वहीं समकालीन परिदृश्य में भी जाति के नाम पर राजनीति करने का दौर अपने चरम अवस्था में जारी है। मानव विकास के सदियों की इस यात्रा में जातिप्रथा के कोढ़ को दूर करने वाले समाज सुधारक तो अनेक हुए पर इस त्रासदी से जन सामान्य को बचाने का प्रयत्न करने वाले शासक और प्रशासक नाममात्र के हैं। छत्रपति शाहूजी महाराज उन्हीं चंद शासकों में से एक थे जो सत्तासीन होते ही अपनी प्रशासनिक नियुक्तियों में समाज के वंचित वर्गों को जगह देना आरंभ किया, जिसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ा।

उपन्यास के इस अंश में इसका वर्णन मिलता है, आये दिन सरकारी पदों पर गैर ब्राह्मणों की नियुक्तियां होने लगी। दीवान तारापोरवाला ने शाहूजी को सावधान किया “सर आपकी नीति लोगों के लिए भले ही कल्याणकारी हो, पर ब्राह्मण और अंग्रेज आपके प्रति ईर्ष्यालु और प्रतिकूल हो जायेंगे। फिर ये अनुभव हीन युवक राज्य – कार्य चलाने में अक्षम है। बदनामी हो रही है।”

शाहूजी ने जैसे सुना ही नहीं। जले पर नमक ! 24 जून 1896 को प्रभु (कायस्थ) आर.वी.सबनीस को मुख्य राजस्व अधिकारी के पद पर बहाल कर दिया। मुस्कराए “मेरे ऊपर पड़ने वाले कलंक का कुछ हिस्सा आपको भी भोगना पड़ेगा। एक साथ सबको संतुष्ट कर पाना लगभग असंभव है”

शाहूजी बड़े तर्कपूर्ण ढंग से जातिप्रथा में विश्वास रखने वालों पर सवाल उठाते हैं। वे उन रामभक्तों से सीधे टकराते हैं, जो राम को अपना आदर्श मानते हैं, राम का जयकारा करते हैं, खुद को रामभक्त कहते हैं, लेकिन राम जैसा सामाजिक सौहार्द और उनके जैसा त्याग अपनाने को तैयार नहीं। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में शाहूजी महाराज ने जो सवाल उठाए थे, वे आज इक्कीसवीं शताब्दी में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। एक जगह वे खुद कहते हैं, उपन्यास का एक अंश देखिए “-:दुनिया में कहीं भी कमजोर इंसानों को इतनी बेहयाई के साथ असहाय बनाये रखने की वैसी साजिश नहीं रची गयी, जैसी कि अपने देश में सनातनियों ने रची। राम ने शबरी, गिद्ध, जटायु तथा केवट, डोम, भीलों, निषाद, वानरों और भालुओं आदि सभी को गले लगाया। क्यों, नहीं ये आगे बढ़कर गले लगाते ? जातिप्रथा ही खत्म हो जाय ! रामभक्त और राम के विरुद्ध आचरण - खुद को कहते हैं! देवताओं के कंधे पर बन्दूक रख कर दागते हैं ये पाखण्डी।”

नव जीवन देने के लिए अनथक प्रयत्न करने वाले महानायकों में से छत्रपति शाहूजी एक हैं। जिनके द्वारा निम्न समझी जाने वाली जातियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के अद्भुत प्रयासों का बेहद जीवंत, वास्तविक और मार्मिक वर्णन इस उपन्यास में किया गया है। भारत में जातिदंश की त्रासदी से संघर्ष वाले जननायकों में एक हैं। जातिप्रथा की त्रासदी से गुजर रहे समाज में इस उपन्यास का कथानक आज भी बेहद प्रासंगिक है। संजीव देश के जन सामान्य के मुक्ति के प्रार्थी हैं, अपने लेखन के माध्यम से हाशियाकृत मानवों की पीड़ा, त्रासदी, विडंबनाओं और करुण रुदन इस उपन्यास के माध्यम से सभी को महसूस कराया है।

यह चिंताजनक बात है कि जिस शाहूजी को स्वामी दयानन्द सरस्वती का आर्य समाज, ज्योतिबा फूले का सत्यशोधक समाज अपनी वैचारिक परंपरा से जोड़ता रहा है, जिसने लंदन अध्ययन करके से लौटे एक दलित युवा अंबेडकर को अखबार निकालने के लिए, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को और रमाबाई पंडिता को आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना सर्वोपरि समझा। तात्कालिक सत्यशोधक समाज मुकुन्दराव पाटिल की पुस्तक ‘कुलकर्णी लीलामृत’ का प्रकाशन भी शाहूजी के शासन काल में होता है, जिसमें भारतीय जातिप्रथा के अंतर्विरोध के अप्रतिम उदाहरण मिलते हैं, इसमें हिन्दू जाति व्यवस्था, जाति में उपजाति, उपजाति में पुनः उपजाति तक का स्पष्ट विवरण मिलता है।

शाहूजी ने सन 1902 ईमें कोल्हापुर में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ों और दलितों के लिए सर्वप्रथम 50% आरक्षण की व्यवस्था की, तथा राज्य के बजट का बड़ा भाग प्रारम्भिक शिक्षा के विकास के लिए लगा दिया, जिसने किसी भी सार्वजनिक स्थान - अस्पताल, सरकारी कार्यालयों तथा राजभवन आदि में अस्पृश्यों के साथ हो रहे किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ कठोर कानून बनाए, बल्कि भेदभाव करने वाले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की नौकरी 6 माह में समाप्त करके उनकी पेंशन बंद करने के कानूनी दंड भी निर्धारित किए, अकाल और महामारी से जिसने जनता ही नहीं, जानवरों तक को बचाने के सफल प्रयास किये, जिसने सिंचाई के लिए डैम बनाया और नए-नए तकनीक के विकास के लिए प्रोत्साहन दिया-, उस राजा के संबंध में हिंदी में लिखित इतिहास, राजनीति, लोक प्रशासन और नवजागरण के विमर्शों में प्रायः कोई जिक्र नहीं मिलता।

शाहूजी शिक्षा पर विशेष बल देते हुए पाठशालाएँ, विशेषकर दलितों एवं बालिकाओं के लिए शिक्षा अनिवार्य किया, साथ ही साथ सभी देवस्थानों, मठों, एवं अन्य धार्मिक स्थलों की संपत्ति राज-दरबार को आदेशित कर दिया, उनका मानना था कि शिक्षालय से बढ़कर कोई देवालय नहीं हो सकता। शिक्षा के माध्यम से दलित, वंचित तबके के लोगों को मुख्य सामाजिक धारा में जुड़ने का अभूतपूर्व प्रयास किया है, इस उपन्यास में शिक्षा को भागवत भक्ति से ऊपर प्रस्तुत किया गया है- शाहूजी कहते हैं “भक्ति ईश्वर की और सेवा मानव की” भक्ति के लिए मंदिर या देवस्थान बनाने से कहीं ज्यादा आवश्यक शिक्षा से वंचित मानव जाति के लिए शिक्षालय का निर्माण करना था।

शाहूजी महाराज के शासनकाल में कोल्हापुर में 5% ब्राह्मण थे, जिनका 95% सरकारी संस्थाओं और पदों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अधिकार था। प्रत्यंचा में ब्राह्मणों और ब्राह्मणवादी शक्तियों एवं विचारधाराओं का नेतृत्व करते बाल गंगाधर 'तिलक' दिखाई पड़ते हैं। शाहू जी महाराज और उनके बीच के वैचारिक संघर्ष के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। शाहू जी महाराज को उनकी राष्ट्रभक्ति पर संदेह नहीं है, परंतु उनका प्रश्न स्वराज में भारत की हाशियाकृत आबादी के अधिकार को लेकर है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि शाहूजी महाराज ने उस समय स्त्री उत्तराधिकार कानून बनाया, देवदासियों तक को अधिकार दिए। वे स्त्री शिक्षा का पक्षधर थे जबकि तिलक ने उसका विरोध किया। शाहू जी महाराज ने गैर ब्राह्मणों को शिक्षित बनाने और विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ कानून के अध्ययन के लिए प्रेरित किया। वकालत की शिक्षा लेने और वकील बनने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्नीसवीं सदी के अंत और बीसवीं सदी के आरंभिक दशक में महाराष्ट्र किस तरह के वैचारिक आंदोलन की जमीन तैयार थी, यह इस उपन्यास के माध्यम से ज्ञात होता है। इसमें सनातनी ब्राह्मणवादी शक्तियों द्वारा एक सत्यशोधक की हत्या का भी प्रसंग है, साथ ही आधुनिक युग के दलित चिंतकों में डॉनरेंद्र दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश आदि की भी चर्चा की गई है। कम्युनिस्ट नेता डांगे शाहूजी महाराज का भाषण सुनते हुए कहते हैं कि यह तो कम्युनिस्टों की तरह बोलता है, हालांकि ब्राह्मणवाद का जिन्न आते ही उनकी झुंझलाहट स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है। जाहिर है थोड़ी देर के लिए ही सही, पर ब्राह्मणवाद के संदर्भ में कम्युनिस्टों पर यह उपन्यास बहस छेड़ता है। ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष में शाहूजी महाराज कहते हैं कि जातीय सम्मेलनों को जाति व्यवस्था को बनाए रखने का माध्यम नहीं बनना चाहिए। शाहूजी महाराज अंतर्जातीय विवाह के पक्षधर हैं। उनका मानना है कि इसकी पहल उच्च वर्गीय जातियों को करना चाहिए।

ब्राह्मणों द्वारा शूद्र घोषित किए जाने से मुक्ति पाने के लिए शिवाजी महाराज ने बनारस से एक पंडित को आमंत्रित किया था और उसे बहुत सारा धन भी दिया था, परंतु शाहूजी महाराज उनकी तरह क्षत्रियत्व की प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करते। उनका मानना है कि जो भी समाज और देश की रक्षा करता है- वहीं क्षत्रिय है, चाहे वह किसी भी जाति का हो।

'प्रत्यंचा' एक जनतंत्रवादी राजा द्वारा किए गए व्यावहारिक प्रयोगों के आधार पर अति आवश्यक सामाजिक आर्थिक और-राजनैतिक विमर्श को जागृत वाला उपन्यास है। असमानता पर आधारित भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक धारणाओं में बदला आरक्षण, लोकप्रशासन-, शिक्षा, कृषि, चिकित्सा, तकनीक तथा जनता से संबंधित विकास कार्यक्रमों, वैज्ञानिक दृष्टि, अंधविश्वास तथा जातिप्रथा निर्मूलन आदि अनेक संदर्भों में इसकी प्रासंगिकता है।

देश में अनेक ज्ञात-अज्ञात ऐसी हस्तियाँ हैं जिन्होंने जाति प्रथा, भेदभाव तथा अनादि काल से चली आ रही रूढ़ियों और अंध

आस्थाओं के विरोध में जीवन पर्यंत मशाल जलाए रखी। संजीव का यह उपन्यास 'प्रत्यंचा' छत्रपति शाहू जी महाराज का सामाजिक दासता के खिलाफ अविराम संघर्ष करने वाले एक प्रतापी नायक के रूप में प्रतिस्थापित करता है। संजीव के वर्णन सदैव ही बेहद जीवंत एवं चमत्कृत करने वाले और विषय से संबंध स्थापित करने वाले होते हैं। उनके उपन्यासों में प्रयोग होने वाली खास संवाद शैली किसी भी विषय को प्रभावशाली बनाने की योग्यता रखती है। मुख्य बात यह है कि यदि उनका कथ्य पाठकों के व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा न भी रहा हो, तो भी वे उससे गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। यह बात इस उपन्यास को पढ़ते हुए लगातार महसूस होती रही।

संजीव कहते हैं कि राजनीतिक गुलामी से ज्यादा त्रासद है सामाजिक गुलामी, राजनीतिक गुलामी का शत्रु व्यक्ति होता है, जिसे रणनीति बनाकर परास्त करके उससे मुक्ति पाई जा सकती है। लेकिन सामाजिक गुलामी बहुआयामी होती है और कोई एक व्यक्ति शत्रु नहीं होता, जिसे परास्त करने भर से सामाजिक आजादी और सम्मान पाया जा सके, इसलिए यह ज्यादा त्रासद, ज्यादा लंबी चल्ने वाली, ज्यादा विडंबनापूर्ण और ज्यादा गहरी और विस्तृत होती है। हमारे देश में सामाजिक गुलामी की मूलजड़ जातिप्रथा है, लेकिन जातिप्रथा का कोई एक निश्चित चरण नहीं, इसलिए सदियों से चले आ रहे इस रूढ़िवादियों से पार नहीं पाया जा सका है।

महाराष्ट्र में जातिप्रथा का दंश झेल रही पीढ़ियों को सम्मान सहित जीने योग्य तथा समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए शाहूजी ने अनथक प्रयास किए। उनके प्रयासों का जीवंत, वास्तविक और मार्मिक वर्णन इस उपन्यास में किया गया है, भारत की जातिप्रथा जैसी भयानक परंपरा से लड़ने वालों नौजवानों के लिए 'प्रत्यंचा' पढ़ने योग्य उपन्यास है। इसके कथानक आज भी प्रासंगिक है। शाहूजी महाराज को कुछ लोग जनतंत्रवादी तथा कुछ क्रांतिकारी राजा के रूप में याद करते हैं जबकि डॉ अम्बेडकर ने कहा- "वे राजाओं में मनुष्य थे और मनुष्यों में राजा" तथा उन्हें "ब्राह्मणवाद को मटियामेट" करने वाले राजा के रूप में याद किया जाएगा। दलितों के उत्थान तथा उनके सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक विकास के लिए जिस प्रकार से शाहूजी ने विषम परिस्थितियों में कार्य किया वो अविस्मरणीय रहेगा। वास्तविक रूप से एक जनतांत्रिक शासक के रूप में उनके द्वारा किये गए सामाजिक परिवर्तनों को लोहियावादी एवं अंबेडकरवादी विचारधारा की तरह भारतीय जनमानस को अवगत कराया जाना चाहिए। संजीव के इस उपन्यास का लेखन केंद्र बिंदु में मजदूर, किसान, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी तथा जातिवाद द्वारा शोषित-समुदायों की अनंतकाल से चली आ रही वेदना, साथ ही उनके अस्मिता संघर्ष को भी एक सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की है। भारतीय समाज में वर्ग और जातीयता को आधार बनाकर वर्षों से निम्न वर्ग का अतिशय शोषण किया गया, प्रत्यंचा के माध्यमसे इसका यथार्थ वर्णन एवं विद्रोह का स्वर प्रदान किया है।

संदर्भ ग्रंथ:- प्रत्यंचा – (उपन्यास)संजीव, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 2019 प्रथम -

गीता और शिक्षा दर्शन : उपादेयता व प्रासंगिकता

ऐश्वर्या सिंह*

सारत्व

भारतीय दर्शन में ज्ञान शब्द वही अर्थ रखता है जो व्यापक अर्थों में शिक्षा का होता है। श्रीमद्भागवद्गीता महाभारत का एक अंश है जहाँ श्रीकृष्ण ने शिक्षक के अवतार में अर्जुन रूपी शिष्य को निष्काम कर्म करने की शिक्षा दी है। गीता दर्शन देश-काल से परे सार्वभौमिक है जो कि वर्तमान में सन्दर्भ में पूरी तरह से प्रासंगिक है प्रस्तुत लेख में शिक्षा दर्शन को वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में मनोविज्ञान के सिद्धांतों जैसे- करके सीखना, अभिप्रेरणा पर बल, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व, छात्र अभिप्रेरणा पर बल योग्यतानुसार शिक्षा इत्यादि को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। गीता दर्शन भी छात्र-अभिप्रेरणा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, योग्यतानुसार शिक्षा इत्यादि को महत्वपूर्ण मानता है। श्रीकृष्ण ने अर्जुन पर ज्ञान थोपा नहीं है। बल्कि अर्जुन को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, उसके पश्चात अर्जुन को ज्ञान देते हैं। वर्तमान में योग्यतानुसार छात्र का चयन कर शिक्षा देने की बात की जा रही है। गीता योग्यतानुसार शिक्षा देने का बहुत बड़ा उदाहरण है। श्री कृष्ण ने गीता की शिक्षा देने के लिए अर्जुन का चुनाव किया, क्योंकि अर्जुन ही इस शिक्षा के योग्य थे जिससे यह सिद्ध होता है। प्रस्तुत लेख में उपयोगिता तथा प्रासंगिकता को समझ पायेंगे तथा गीता की शिक्षा का उपयोग अपने जीवन में भी कर पाएँगे।

मुख्य शब्द- कर्तव्य, स्वतंत्रता, समानता।

भारतीय दार्शनिक विचारधारा शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति अर्थात् स्वयं को जानना, ईश्वर को जानना, मानती है। गीता के अनुसार भी शिक्षा वह है जो प्रत्येक व्यक्ति में निहित ब्रह्म अथवा परमात्मा की अनुमति करवाने में सहायक होती है। शिक्षा ही वह माध्यम है जो मनुष्य की आत्मा की अनुमति को अन्धकार से दूर करके प्रकाश की तरफ ले जाए। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य सभी प्राणियों में परमात्मा के दर्शन कर सकता है। भारतीय दार्शनिक विचारधारा में शिक्षा को तृतीय नेत्र की संज्ञा दी गयी है। श्रीमद्भागवद्गीता का शिक्षा दर्शन आधुनिक परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से भी पूरी तरह प्रासंगिक है गीता में जगद्गुरु श्री कृष्ण द्वारा शिष्य के रूप में अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने की शिक्षा दी गई है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म करने की शिक्षा दी है। कर्म की महत्ता का विवेचन करते हुए स्पष्ट किया गया है कि फल की इच्छा किये बिना कर्म करने वाला कभी फल से रहित नहीं रहता है श्रीकृष्ण ने स्वयं भी कर्म में लिप्त रहने का कारण बताते हुए कहा है कि-

न ये पार्थस्ति कर्तव्य त्रिणु लोकेषु किंचना।
नान वाप्तमवतव्यं वर्त ए व च कर्मणि।।
यदि हृदहं न वर्तयं जातु कर्मव्यतन्द्रितः।
मम वत्मानुर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः।
उत्सी देमुरिमें लोका न कुर्मो कर्म चेदहम्।
सकस्सय च कर्ता स्यामुपहन्यामिमा प्रजाः।।

आधुनिक समय बाल-केन्द्रित शिक्षा व्यवस्था का है जिसमें बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता रुचि योग्यता, क्षमता इत्यादि को ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। गीता दर्शन भी आधुनिक परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह प्रासंगिक है क्योंकि गीता में उन सभी मुद्दों पर बल दिया जाता है जिसकी व्यवस्था आधुनिक शिक्षा-व्यवस्था में की जाती है। गीता-दर्शन किस प्रकार आधुनिक शिक्षा के लिए प्रासंगिक है इसका अध्ययन हम निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत कर सकते हैं-

1. कर्तव्य पर बल
2. स्वतंत्रता को महत्व
3. शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया
4. समानता पर बल
5. गुरु शिष्य सम्बन्ध स्नेहपूर्ण
6. बाल प्रकृति के अनुसार शिक्षा
7. छात्र अभिप्रेरणा पर बल
8. योग्यतानुसार छात्रों का चयन

गीता और आधुनिक शिक्षा

गीता में जगद्गुरु श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जो भी शिक्षा दी वो केवल तत्कालीन परिस्थितियों पर ही लागू नहीं होती बल्कि हर परिस्थिति पर लागू होता है। आधुनिक शिक्षा-व्यवस्था में भी शिक्षा का अन्तिम उद्देश्य छात्र को अन्धकार से दूर करके प्रकाश की तरफ अग्रसर करना है अर्थात् शिक्षक छात्र को अज्ञान से दूर करके ज्ञान की तरफ प्रेषित करता है। नीचे दिये गये बिन्दुओं के माध्यम से हम गीता दर्शन का अध्ययन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कर सकेंगे।

कर्तव्य पर बल

श्रीमद्भागवद्गीता एक ऐसा सारगर्भित ग्रन्थ है जो मनुष्य के विकास क्रम को तीन स्थितियों में प्रस्तुत करता है। यह ग्रन्थ शिक्षा की दृष्टि से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसमें श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जो शिक्षा दी है वह समस्त मनुष्य जाति के लिए साक्षात् उदाहरण है। श्रीकृष्ण ने इस रणभूमि में अर्जुन को उपदेश देकर शिक्षा को साकार रूप दिया है जिसे संसार में आज भी स्वीकार किया जाता है।

*असिस्टेंट प्रोफेसर (शिक्षाशास्त्र), नवयुग कन्या महाविद्यालय, लखनऊ

श्रीकृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म करने की शिक्षा दी है। अर्जुन युद्धभूमि में युद्ध करने से मना करता है तब श्रीकृष्ण उसे समझाते हैं कि युद्ध करना उसका क्षत्रिय धर्म है तथा उसे कर्तव्य करते हुए अपने धर्म का पालन करना चाहिए। आज के युग में भी किसी कर्म की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता, पूरी शिक्षा-व्यवस्था ही कर्म पर आधारित है। गीता दर्शन मनुष्य को कर्म के फल से उत्पन्न अहंकार से बचाता है तो दूसरी तरफ कर्म के विफल होने की कुंठा से भी रक्षा करता है। कर्म करने के उपरान्त अगर सफलता नहीं मिलती है तो इसका आशय यह नहीं है कि कर्म करना छोड़ दिया। वर्तमान सन्दर्भ में देखा जाय तो कक्षा- शिक्षण में शिक्षक सदैव ही छात्रों को कर्म करने के लिए अभिप्रेरित करता है अगर छात्र को लक्ष्य प्राप्ति करना ही छोड़ दे। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को यही शिक्षा दी है कि सदैव अपना कर्म करो, फल की इच्छा न करो “**कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।**

स्वतंत्रता को महत्व

श्रीमद्भागवद्गीता के अनुसार मनुष्य को निर्णय लेने तथा कर्म करने की स्वतंत्रता है किन्तु स्वतंत्रता का आशय यह नहीं है कि वह अकरणीय कर्म करें। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अन्तःकरण से प्रेरित होकर कर्म करने को कहा क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर ईश्वर निवास करता है और अन्तःकरण ईश्वर से प्रेरित होता है अतः जहाँ ईश्वर विद्यमान हो वहाँ गलत कार्य हो ही नहीं सकता है। गीता दर्शन से शिक्षा लेते हुए आधुनिक समय में भी अगर सभी मनुष्य अपने अन्तःकरण की आवाज सुनकर स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करना तो इससे व्यक्ति और समाज दोनों को लाभ होगा। वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था में भी छात्र अपनी अभिरुचि, योग्यता, क्षमता, आवश्यकता इत्यादि को ध्यान में रखकर ही अपने शैक्षणिक कार्यों का चयन करता है। पाश्चात्य प्रकृतिवादी दार्शनिक रूसो तो बालक को पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ देने के लिए कहता है रूसो का नारा ही है स्वतंत्रता। रूसो कहता है कि छात्र को स्वतंत्र छोड़ दो, उसकी प्रकृति शुद्ध है वह जो भी करेगा, उसे अपने अनुभवों से सीखने दें।

शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया –

शिक्षा के उद्देश्यों आदर्शों एवं मूल्यों का अत्यंत विशद तथा सुन्दर विवेचन गीता में किया गया है। आदर्श इतने महान तथा उच्च दिखाई पड़ते हैं कि कभी कभी एक सामान्य शिक्षक यह सोचने पर विवश हो जाता है कि क्या इन उद्देश्यों की पूर्ति सम्भव है? किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गीता के उद्देश्य केवल शिक्षा तक ही नहीं सीमित है अपितु गीता की शिक्षा तो जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षक को गीता के इस दर्शन से प्रेरित होकर छात्र को सदैव सीखने के लिए

प्रेरित करना चाहिए। शिक्षक को स्वयं भी सदा अध्ययनशील रहना चाहिए। रवीन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षक को आजीवन नये अनुभवों को प्राप्त करने की लालसा तथा अधिकाधिक ज्ञानार्जन की वृत्ति बनाए रखनी चाहिए। टैगोर ने यह भी कहा है कि “ शिक्षक तब तक वास्तविक रूप से अध्यापन नहीं कर सकता, जब तक वह स्वयं निरन्तर अध्ययनशील न रहे। शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य सतत अध्ययनशील है।

समानता पर बल

गीता के अनुसार हममें से प्रत्येक के अन्दर देवत्व का वास है जो कभी लुप्त नहीं होता। हम सब उस ईश्वरीय ज्योति से प्रकाशित हैं जो जन्म- जन्मान्तर तक बनी रहती है। अध्यापक के लिए छात्र की यह संकल्पना अत्यंत महत्व रखती है। उसके शिक्षार्थी पंच तत्त्वों के बने हुए शरीर-इन्द्रिय-युक्त नामरूपी प्राणी ही नहीं, उसमें आत्मा का निवास है और वह आत्मा दैवी है गीता दर्शन से प्रेरित शिक्षक सभी छात्रों के साथ एक समान व्यवहार करेगा क्योंकि वह प्रत्येक छात्र में ईश्वर का अंश देखेगा। शिक्षक के लिए छात्र के जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, स्थान इत्यादि का कोई औचित्य नहीं रह जायेगा, वह सभी के विकास के लिए प्रयास करेगा। आधुनिक समय में विश्व के लगभग सभी देशों में लोक तान्त्रिक शासन प्रणाली है और लोकतन्त्र का एक प्रमुख सिद्धांत समानता है। अतः गीता दर्शन वर्तमान शैक्षिक-व्यवस्था के लिए पूरी तरह से प्रासंगिक है।

गुरुः शिष्य सम्बन्ध स्नेहपूर्ण-

गीता शिक्षा-दर्शन सार्वकालिक है इसका सम्बन्ध काल विशेष से नहीं है। सामाजिक परिवर्तन सदैव होते रहते हैं और उस परिवर्तन के अनुरूप सामाजिक प्रक्रिया को नियन्त्रित करने के लिए शिक्षक को सदा अवतार की भूमिका निभानी पड़ती है। गीता में कृष्ण ने तत्कालिक धार्मिक एवं सामाजिक विकृतियों को दूर करके मानव को निष्काम कर्मयोग का पाठ पढ़ाने हेतु अवतार लेकर शिक्षक की भूमिका निभाई थी। श्रीकृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा कि –

मक्तोऽसि में सखा चेति।

अर्थात् हे अर्जुन तू मेरा भक्त और मित्र भी है। श्रीकृष्ण और अर्जुन का यह सम्बन्ध गुरु और शिष्य के सम्बन्ध का अप्रतिम उदाहरण है। श्रीकृष्ण ने शिक्षक के रूप में शिष्य अर्जुन को जो शिक्षा दी है। वह केवल उस काल के लिए ही उपयोगी नहीं है बल्कि गीता की शिक्षा सर्वकालिक है। वर्तमान समय में शिक्षक और छात्र का सम्बन्ध केवल कक्षा तक सीमित रह गया है कक्षा के बाहर न तो शिक्षक छात्र को पहचानता है और न ही छात्र शिक्षक को। स्वामी विवेकानन्द ने कहा है कि शिक्षा

ग्रहण करने की प्रथम शर्त यह है कि विद्यार्थी के हृदय में शिक्षक के प्रति श्रद्धा भाव हो। स्वामी जी ने कहा है- शिक्षक के प्रति श्रद्धा, विनम्रता, समर्पण तथा सम्मान की भावना के बिना हमारे जीवन में कोई विकास नहीं हो सकता।" पाश्चात्य देशों की तरह भारत में भी शिक्षक एक व्याख्याता मात्र रह गया है। जिसका कार्य केवल व्याख्यान देना है तथा तनखाह को मस्तिष्क में भरने वाले मात्र रह गये हैं।

शिक्षक रूपी श्रीकृष्ण तथा शिष्य रूपी अर्जुन का व्यक्तित्व हम सबके लिए आदर्श होना चाहिए। श्रीकृष्ण और अर्जुन के बीच जैसा सम्बन्ध था वैसा ही सम्बन्ध शिक्षा-व्यवस्था में शिक्षक और छात्र के बीच होना चाहिए। गीता दर्शन से प्रेरित शिक्षक सदैव अपने छात्रों के साथ पुत्र के समान व्यवहार करेगा, तथा छात्र अपने शिक्षक का आदर पिता के समतुल्य करेगा।

अतः गुरु शिष्य के सम्बन्ध की दृष्टि से श्रीमदभगवद्गीता का दर्शन पूरी तरह से प्रासंगिक है।

बाल- प्रकृति के अनुसार शिक्षा

आधुनिक युग मनोविज्ञान का युग है मनोविज्ञान छात्र के व्यवहार के अध्ययन को महत्व देता है तथा बालक को उसकी प्रकृति के अनुरूप आचरण करने पर बल देता है। पाश्चात्य दार्शनिक विचारधारा प्रकृतिवाद तो यहाँ तक कहता है कि शिक्षा बालक के लिए बना है न कि बालक शिक्षा के लिए बना है अतः शिक्षण-प्रक्रिया का निर्धारण अध्यापक या अन्य कोई और नहीं कर सकता बल्कि छात्र की प्रकृति को ध्यान में रखकर शिक्षण-प्रक्रिया का निर्धारण करना चाहिए। प्रत्येक बालक एक दूसरे से अलग है सबकी रुचियाँ, योग्यताएँ, क्षमताएँ, आवश्यकताएँ इत्यादि भिन्न-भिन्न है इसलिए सबको एक समान शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए।

उपरोक्त सभी तथ्यों का वर्णन श्रीमदभगवद्गीता में पहले ही किया जा चुका है। गीता के अनुसार प्रत्येक बालक अपनी प्रकृति के अनुरूप आचरण करता है इन्द्रिय निग्रह के द्वारा भी प्रकृति की इस प्रबल शक्ति को नहीं रोका जा सकता है। अतः एक शिक्षक छात्र को तभी शिक्षित कर पाएगा जब वह स्वयं उसकी प्रकृति को समझेगा। गीता में कहा गया है-

सद्दृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानिवानपि।

प्रकृति यान्ति भूतानि, निग्रहः किं करिष्यति ॥

गीता में बालक की प्रकृति को "स्वधर्म" अथवा सहज-कर्म कहा गया है तथा इस "सहज कर्म" को ध्यान में रखकर ही बालक के शिक्षा की व्यवस्था करने की अपेक्षा की गई है-

सहजकर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत।

सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निखादृता ॥

वर्तमान आधुनिक शिक्षा बालक की प्रकृति को ध्यान में रखती है अगर बालक की प्रकृति दोष युक्त है तो शिक्षा के द्वारा उसे दोषमुक्त कर सही राह पर लाने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार गीता शिक्षा दर्शन "सहज-कर्म"(बाल प्रकृति) के दोष-युक्त हाने पर उसका त्याग नहीं करने की बात करता है क्योंकि सभी आरम्भ (शिक्षा का आरम्भ) किसी न किसी दोष से व्याप्त होता ही है जिस प्रकार आग के साथ धुँआ रहता है। शिक्षा के द्वारा धीरे-धीरे दोषों का निवारण करके छात्र को अग्नि के समान तेजोमय बनाया जाता है। अतः गीता-दर्शन बाल-प्रकृति को ध्यान में रखकर शिक्षा देने की अनुशंसा करता है।

छात्र अभिप्रेरणा पर बल-

अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का मुख्य स्थान रहता है जब तब छात्र सीखने के लिए आन्तरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं होगा तब तक वह सीख नहीं पायेगा। यह भी कहा गया है कि आप घोड़े को कुए तक तो ले जा सकते हैं लेकिन उसे पानी नहीं पिला सकते हैं अर्थात् जब तक सीखने वाला स्वयं सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा तब तक सीख नहीं पायेगा।

नये ज्ञान को देने से पूर्व शिक्षक को यह देख लेना चाहिए कि शिक्षार्थी में उस ज्ञान को प्राप्त करने की अभिप्रेरणा है या नहीं। अभिप्रेरणा कभी-कभी परिस्थिति वश उत्पन्न होती है तथा कभी सहज प्रकृति के फलस्वरूप उत्पन्न होती है और कभी-कभी अध्यापक प्रयास करके छात्र की सुषुप्त अभिप्रेरणा को जागृत करता है। कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में ऐसा ही स्थिति उत्पन्न होती है जब परिस्थिति के कुचक्र में फँसकर अर्जुन मोहासक्त हो जाता है तब श्रीकृष्ण उसे "सहज-स्वभाव के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं तब अर्जुन कहता है- कार्यवयदोषोपहतस्वभावः

पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूदचेताः।

यच्छेयः स्याभिश्चितं ब्रह्मि तन्मै

शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥

अर्थात् अर्जुन श्रीकृष्ण से ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है।

अतः गीता इस बात को बलपूर्वक कहती है कि ज्ञान प्रदान करने के पूर्व छात्र को अभिप्रेरित करना आवश्यक है।

योग्यतानुसार छात्रों का चयन-

आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत विद्यालय अथवा महाविद्यालय स्तर पर छात्रों का चयन योग्यता के अनुसार किया जाता है क्योंकि अयोग्य छात्रों का चयन करने पर समय, श्रम, व धन की बर्बादी होती है तथा उसका कोई अपेक्षित परिणाम भी नहीं निकलता है।

इसलिए सभी स्तरों पर प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है जिससे अयोग्य छात्रों को अलग कर योग्य छात्रों को प्रवेश दिया जाता है।

गीता का भी यह दृढ़ मत है कि केवल सत्पात्र को ही ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। शिक्षा प्राप्त करना सभी का अधिकार है किन्तु शिक्षक का भी यह व्यावसायिक अधिकार है कि वह उसी छात्र का चयन करे जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए पात्र है उस छात्र का चयन नहीं करें जो शिक्षा के लिए उचित पात्र नहीं हैं। गीता में सत्पात्र के निम्नांकित लक्षण कहे गये हैं—“शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए छात्र में संयम तथा तप होना चाहिए, उसमें शिक्षक के लिए श्रद्धा होनी चाहिए, सुनने के लिए उसमें तत्परता होनी चाहिए। शिष्य ऐसा नहीं होना चाहिए, जो अध्यापक के दोषों को देखता रहे।”

गीता दर्शन में यह भी कहा गया है कि शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक छात्र का अधिकार है किन्तु प्रत्येक छात्र की योग्यता एक दूसरे से भिन्न होती है। अतः प्रत्येक अध्यापक का यह दायित्व है कि वह छात्रों की योग्यता की पहचान कर शिक्षा देने का प्रयत्न करे। विद्यार्थी का भी यह कर्तव्य है कि वह शिक्षक के प्रति श्रद्धा भाव रखे, किन्तु उनका अन्धानुकरण न करे। अपनी शंकाओं के समाधान के लिए छात्र शिक्षक के साथ परिचर्चा करें शिक्षक व छात्र दोनों मिलकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सम्पादन सफलता पूर्वक कर सकते हैं।

निष्कर्ष—

श्रीमद्भगवद्गीता बदलते सामाजिक परिदृश्य में अपनी महत्ता को बनाए हुए है। भारतीय विचारधारा के निर्माण में गीता की शिक्षा की महती भूमिका रही है। इसके द्वारा मानव समाज को दी गयी धार्मिक सहिष्णुता की शिक्षा आज भी अनुकरणीय है। इसकी शिक्षा सार्वभौम है अर्थात् धर्म, जाति, सम्प्रदाय, देश—काल और परिस्थिति से परे है। महाभारत युद्ध के समय जब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं उस समय श्रीकृष्ण शिक्षक की भूमिका में हैं तथा अर्जुन छात्र की भूमिका में हैं इन दोनों के बीच में जो सम्बन्ध है वो शिक्षक—छात्र सम्बन्ध का सर्वोत्तम उदाहरण है वर्तमान युग में भी इस प्रकार का शिक्षक—छात्र सम्बन्ध समाज में समस्याएं उत्पन्न होती है शिक्षक को भी अवतार की भूमिका निभानी पड़ती है।

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।

अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्

धर्मसंस्थापनार्थम सम्भवामि युगे युगे॥ 8

श्री कृष्ण ने जो कार्य महाभारत के युद्ध के समय किया है वही कार्य वर्तमान समय में शिक्षक को करना पड़ेगा।

शिक्षक के रूप में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने, स्वतंत्रता पूर्वक विचार करने, स्वयं के प्रकृति को महत्व देने की शिक्षा दी है। गीता दर्शन में सीखने से पूर्व छात्र को अभिप्रेरित करने पर बल दिया है जो कि वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान के अभिप्रेरणा के सिद्धांत से सम्बन्धित है। गीता दर्शन की शिक्षा छात्रों का चयन योग्यतानुसार करने पर बल देती है, श्रीकृष्ण ने गीता की शिक्षा देने के लिए अर्जुन का चुनाव किया क्योंकि अर्जुन ही सबसे योग्य व सीखने हेतु तत्पर था। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत भी छात्रों का चयन योग्यता को ध्यान में रखकर करने पर बल दिया जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गीता का शिक्षा दर्शन किसी काल विशेष के लिए नहीं था, अपितु वह सार्वकालिक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

- 1 ओड़ लक्ष्मीलाल के (2010), शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि, जयपुर : राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
- 2 गुप्त लक्ष्मी नारायण एवं मोहन मदन (2009), शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार, इलाहाबाद : न्यू कैलाश प्रकाशन।
- 3 पाल ए स0के0, गुप्त लक्ष्मी नारायण, व मोहन मदन (1994), शिक्षा दर्शन, इलाहाबाद : कैलाश प्रकाशन।
- 4 सारस्वत मालती, मोहन मदन (2000), भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्याएं, इलाहाबाद : कैलाश प्रकाशन।
- 5 एन0सी0एफ (2005), राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, नई दिल्ली : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद।
- 6 गुप्ता एस0पी0 (2018), मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा, इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन।
- 7 पाण्डेय रामशकल (2010) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, आगरा : अग्रवाल।
- 8 पाण्डेय कामता प्रसाद (2005), शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार, विश्वविद्यालयप्रकाशन : वराणसी।
- 9 मालवीय राजीव, विजिटिंग फैकैल्टी, चर (2012), शिक्षा के मूल सिद्धांत, शारदा पुस्तक भवन : इलाहाबाद।
- 10 विवेकानन्द स्वामी (2014) प्राच्य और पाश्चात्य (सत्रहवाँ पुनर्मुद्रण), रामकृष्ण मठ रामकृष्ण आश्रम मार्ग घन्तोली।
- 11 विवेकानन्द स्वामी (2016), शिक्षा का आदर्श, (षष्ठ पुनर्मुद्रण) नागपुर : रामकृष्ण मठ रामकृष्ण आश्रम मार्ग घन्तोली।

12 विवेकानन्द स्वामी (2015), शिक्षा का आदर्श, (षष्ठ पुनर्मुद्रण) नागपुर : रामकृष्ण मठ रामकृष्ण आश्रम मार्ग धन्तौली

13 Bhol P. (2018). Education and Society, Laxmi Narain Agarwal : Agra.

14 Shodhganga.inflibnet.ac.in
<https://him.wikipedia.org>

मिथकीय लोकसाहित्य में इतिहास

संतोष कुमार दुबे*
डॉ० राधेश्याम साहू**

भूमिका –

जंगल मा जंगलिहा लूटइ, घर लूटइ पटवारी।
बीच सड़क मा थाना लूटइ, कइसे धरौं में धीर हो।

लोक साहित्य मानव के सुख-दुःख, राग-विराग, तीज-त्योहार, परम्परायें और जिन्दगी के विभिन्न आयामों में एक सहचर की भांति साथ-साथ चलता है तथा हर मोर्चे में एक प्रहरी की भांति उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हुए संवेदनशील सचेतक की तरह कार्य करता है। इसमें मानव के ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिवेश को दर्शित करने में समर्थ है।

भारतीय लोक साहित्य अत्यन्त विशाल, समृद्ध एवं विस्तृत फलक में विखरा हुआ है। इतिहास विषयक अनेक लोक ऋचाएँ लोक मानस के कंटों में रची बसी हैं। इसीलिए मैक्समूलर फ्लीट, कनिंघम एवं ग्रियर्सन आदि विद्वानों ने यह मत प्रतिपादित किया कि भारतीय मनीषा पारलौकिक विषयों के चिन्तन में ही निमग्न रहा करते थे। इहलोक के सुखों तथा उनसे संबंध रखने वाली विधाओं की ओर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। उनका मानना था कि इतिहास का सबसे बड़ा स्रोत लोक साहित्य ही है।

इसी तरह कृष्णदेव उपाध्याय का भी मानना है कि लोकगीतों और लोकगाथाओं में इतिहास की प्रचुर सामग्री भरी पड़ी है जिनके सम्यक् अध्ययन से हमारा ऐतिहासिक भंडार समृद्ध किया जा सकता है। इन लोकगीतों में स्थानीय इतिहास का पुट बड़ा गहरा है जिनके उद्घाटन से हमारे विलुप्त अथवा विस्मृत इतिहास पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है।

लोक में किसी कार्य का श्रीगणेश करने के लिए लोक देवी-देवताओं की अर्चना करने की परम्परा रही है। यथा –

“भुंइया माता तोर सरनि हइ, दइउ तोर विसुआस।”

लोक जीवन का सत्व लोकगीतों में उतरता है। यदि जीवन की प्रकृति अभिव्यक्ति को पहचानना है जानना है तो हमें लोकगीतों का मुंह झांकना पड़ेगा। वास्तव में लोकगीत जनमानस के वे स्वाभाविक उद्गार हैं जो प्रकृति के सृजन में चैतन्यता के साथ निरंतर सामाजिक सरोकार सुजित करते चले आ रहे हैं। धरती की स्वाभाविक सुगन्ध, जनचेतना का प्राकृतिक रूप-विद्रूप, मानस की आकुलता-व्याकुलता, सामाजिक नियंत्रण, वेदना-संवेदना सभी कुछ इन लोकगीतों की अक्षय धरोहर हैं। इसीलिए संसार भर की समस्त

भावनाओं के लोकगीतों में एक ही आत्मा विराजमान है। राग-विराग, ईर्ष्या-द्वेष, प्रेम-टीस, तड़प, घुटन, कसक, उल्लास, उत्साह एवं मादकता जो समस्त मानव समाज में एकल भाव से प्रतिष्ठित है। उन्हीं सब भावों और विचारों का स्वाभाविक स्फुरण इन लोकगीतों में आबद्ध है।

विश्लेषण –लोकगीतों में वर्णित भाव या उद्गार किसी एक व्यक्ति के हृदय के उच्छ्वास नहीं हुआ करते प्रत्युत उनमें उस समाज के समस्त व्यक्तियों के हृदयगत भावों की स्वच्छन्द अभिव्यक्ति भी हुआ करती हैं। स्वाभाविकता के कारण ही ये लोकगीत लोगों के मन में घर किये हुये हैं। परम तत्व की भांति मन, आंखों और प्राणों में क्या लेने लायक है, क्या नहीं? इनकी स्वाभाविकता जैसे जंगल के फूल और मिठास जैसे सत्व का रस, पत्थर दिल पर भी जादुई प्रभाव डालता है। देश के कोने कोने में बिखरे पुष्पित पल्लवित लोकगीतों की धड़कन ही जनमानस के जीवन का सत्व जान पड़ती है। बघेली लोकगीत बघेलखण्ड की निधि हैं। इन गीतों में इतिहास अंशुआता है। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि लोकगीतों, मिथकों, दन्त कथाओं, लोकगाथाओं के विश्लेषण से इतिहास का नव सृजन होता है। यथा – नारसिंह नरहुल का राजा, तोंहि रे बिना.....

आबै न ए कउ देव नारसिंह तोंहि रे बिना।

अथवा

नारसिंह नरगढ़ का राजा! नरगढ़ का....

नरगढ़ जोतय खेत नारसिंह अड़गड़ रे।

अर्थात् अभिजात्य सुसंस्कृत वर्ग के इतर लोक मानस वैदिक देवी-देवताओं के अतिरिक्त लोक देवता – खेरमाई, भुंइया माता, कांये की देवी, मरी माता, दैत्य-दानव, भूत-प्रेत, जंत्र-मंत्र, टोना-टोटका आदि परा शक्तियों पर विश्वास करते हैं। अतः जिस तरह से सुसभ्य अभिजात्य वर्ग वैदिक देवी-देवताओं की कल्पना, पूजा, अर्चना यज्ञादि अनुष्ठानों का सम्पादन करते हैं उसी तरह लोक मानस भूत-प्रेतादि परा आत्माओं की पूजा करता है। तथा इन्हें प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि एवं रामनवमी नवदुर्गा के दौरान दिनभर निर्जला उपवास रहकर उनकी अर्चना कर सिद्ध प्राप्त करने की आकांक्षा से उन्हें अपने अंग/अन्तर्मन में अन्तर्निहित करने की चेष्टा करता है। तथा इस मांगलिक अवसरों पर ढोलक, मंजीरा एवं नगरिया जैसे लोक वाद्यों के थाप के साथ भगत गीत गाया जाता है। यथा –

एतना बोकरा का करबे धानू, कहाँ चढ़उबे जाय होमा।

एक ता चढ़ाउब हिन्नालाज मा, दूजै मैहर आय होमा।।

*सहायक प्राध्यापक इतिहास शासकीय महाविद्यालय, बरगवों, जिला सिंगरौली (म०प्र०)

**अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म०प्र०)

देवी अ देउता लगीहीं सहाय के, हम कूरी लै लेब होमा ।।

इस तरह से बड़े जोश-खरोश के साथ विभिन्न भक्ति गीतों का गायन होता है और पण्डा कूरी (सिद्धि प्राप्त करने) की कामना को भलीभूत करने की कामना करता है ।

कोई भी पूजा अर्चना यज्ञादि साध्य के लिए कोई न कोई साधन या प्रतीक अवश्य होता है जिसके माध्यम से ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। जैसे अभिजात्य वर्ग इसके लिए मंदिरों में मूर्तियों का प्रतीक स्थापित कर सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। उसी तरह भारतीय लोक मानस इसके लिए घर के कोने में चौरी (चबूतरा) का निर्माण करता है तथा इसमें अपने लोक देवता के नाम की कूरी रखता है जिसमें करतार, बाबा, नारसिंह, मनसा, मीरकुंवर परिहार, जादवराय बाबा, बरम बाबा भैरम बाबा, सन्यासी, बघाउत, बड़ादेव, दूल्हादेव, ब्रम्ह, अगियाबैताल, भैंसासुर, मरीमाता, बूढ़ीमाता, फूलमती, कोदवा माता आदि होते हैं। यथा—

हे करतार बाबा नारसिंह मनसा, मीरकुंवर परिहार गोरइया बाबा ।

हइ जवा—जुरकुटी तोंहरेन धाहें, दूल्हा, दूलम, धनुआ सब आबा ।।

कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह दूध में मक्खन का वजूद विद्यमान होता है किन्तु वह सामान्य तौर पर दिखता नहीं अपितु मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध को मथना पड़ता है। इसी तरह वेदों, पुराणों, स्मृतियों, महाकाव्यों एवं अन्य धार्मिक साहित्य के अन्दर ही इतिहास छुपा होता है जिसे प्राप्त करने के लिए उसके आख्यानों का गहन मंथन एवं विश्लेषण करना होता है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि साहित्य ही इतिहास का मूल स्रोत है। ठीक इसी प्रकार आंचलिक इतिहास का सबसे बड़ा स्रोत लोकगीत, लोक साहित्य, लोक गाथायें, लोक कहावतें, परम्परायें एवं लोक मिथकीय दंत कथायें हैं। इसमें इतिहास के तथ्य समाहित होते हैं।

आइये उपरोक्त उद्धृत भगत गीत “नारसिंह नरहुल का राजा, तोहिं रे बिना। आबइ न एकउ देव नारसिंह तोहिं रे बिना। “या” नारसिंह नरगढ़ का राजा! नरगढ़ का। नरगढ़ जोतय खेत नारसिंह अड़गड़ रे।” का सम्यक विश्लेषण करें।

इन्टरनेट एवं आंचलिक इतिहास की कतिपय पुस्तकों में यह तथ्य अभिहित है कि सतना जिले के रामपुर बघेलान तहसील के दक्षिणी भाग में नरो एवं करन पहाड़ अवस्थित है। जहाँ कोई तेली राजा राज्य करता था। साथ ही जिले के दक्षिणी भाग भरहुत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में परसमनिया और मझिगवों पहाड़ में खोह, तेलियागढ़ आदि स्थानों में बारह गढ़ियों का भी उल्लेख मिलता है जो तेली राजाओं के शासनाधीन थी। किन्तु

इन्टरनेट में उल्लेख है कि तेली राजा धार सिंह तैलप वंश का अन्तिम राजा था जो परिहारों के द्वारा मारा गया और इस भू-भाग में परिहार राजवंश के साम्राज्य की नीव पड़ी। वर्तमान नरों पहाड़ का नाम जनश्रुतियों के अनुसार नरवरगढ़ था किन्तु उक्त लोकगीत में इस स्थान का नाम नरोपति के मरणोपरान्त नरहुल या नरगढ़ अभिहित किया गया है। लोकगीत में “नरगढ़ जोतय खेत नारसिंह अड़गड़ रे” से प्रतीत होता है कि उसका स्थान ऊबड़-खाबड़ व पथरीला था तथा वह निश्चय ही वह राजा किसान रहा होगा। अतः संभव है कि लोकगीत के विवेचनानुसार नरो पहाड़ ही हो जो आज भी ऊबड़-खाबड़ और दुर्गम है। तथा लोकगीतों से यह भी संकेत मिलता है कि नारसिंह तेली राजा धारसिंह का ही कोई पूर्ववर्ती राजा प्रतीत होता है।

नरों पहाड़ी के ऊपरी पठारी भाग में वर्तमान में नरसिंह अवतार की मूर्ति एक चबूतरे में अवस्थित है तथा उसके नीचे भुइयों माता की मूर्ति भी प्रतिष्ठित है तथा उसके परिसर में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की गयी हैं। जहाँ श्रावण मास में पहाड़ी के नीचे बसे गाँवों के लोग काफी तादात में भुइया माता की पूजा अर्चना करने के लिए आज भी जाते हैं तथा वहाँ के लोग आज भी नरसिंह को उस पहाड़ का राजा मानते हैं। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि इतिहासकारों ने तैलप राजाओं का टूटा-फूटा, बिखरा आंशिक इतिहास लिखने का दुस्साहस अवश्य किया है क्योंकि उनके लिए यह लेखन इस कहावत को चरितार्थ करता है कि “उगिलत लीलत ग्रीटि गनेरी। भइ गति सॉप छंछूदर केरी।” फलतः कहने का आशय यह है कि उन्हें उच्चकल्प (उंचेहरा/नागोद) में परिहार वंश की स्थापना की पूर्व पीठिका बताना आवश्यक था कि इन्हें किस राजा के पतन के बाद उनका उत्थान या उद्भव एवं विकास हुआ। अपितु उन्हें इसकी पूर्वपीठिका में यह बताना उन इतिहासकारों की मजबूरी रही। जनश्रुतियों के अनुसार यह तथ्य भी उजागर होता है कि नरों, खोह, तेलियागढ़ में तेली राजाओं के पतन के बाद भी उन चिन्हित स्थानों पर आज तक कोई भी राजवंश वहाँ अपनी राजसत्ता स्थापित करने में सफल नहीं हो सका और न ही कोई बसाहट ही बस सकी। वस्तुतः वहाँ से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर ही अपने राज प्रासाद निर्मित कराये गये। आज भी उन स्थानों में तैलप नरेशों के राज प्रासादों के खण्डहर, मूर्तियाँ, ईंटें, गढ़े शिल्पायित पत्थर एवं अन्य मृदमाण्डों के अवशेष आज भी बिखरे पड़े हैं जो उनके गौरव गाथा के मूक दर्शक साक्ष्य हैं।

पहाड़ी के उत्तरी ढलान में प्राकृतिक वातानुकूलि झरने एवं गुफा के पास अवस्थित नककटी देवी एवं उनके ऊपर पहाड़ी के अन्दर खुफिया रास्ते में

बनी गहरी गुफा के द्वार में अवस्थित सप्त मार्तिका (खण्डित) की प्रतिमा से यह प्रतीत होता है कि यहाँ के निवासी शक्तिपूजा पर अधिक विश्वास करते थे। हो सकता है कि 84 शक्तिपीठों में प्रतिष्ठित शक्तिपीठ मैहर उसके समीप होने के कारण लोगों का रुझान इस ओर रहा हो। लेकिन भगत गीत में – “एतना बोकरा का करबे धानू, कहाँ चढ़ाउबे जाय होमा। एकता चढ़ाउब हिन्गलाज मा, दूजै मैहर आय होमा।” अंकित पात्र धानू पण्डा का उल्लेख है। सम्भवतः वह भी तेली जाति का प्रतीत है क्योंकि धनुका तेली, लोना चमारिन, एवं पं. सहदेव का आवाहन बार-बार अनेक लोक मंत्रों में ओझा लोग झाड़-फूँक के लिए करते हैं। मंत्रों में इन विजातीय पात्रों से यह तथ्य भी स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में जातीय राग-द्वेष एवं छुआछूत की भावना नहीं थी क्योंकि एक चमारिन के साथ एक पंडित का होना एक ही ऋचा में समरसता एवं सहिष्णुता का द्योतक है। वरन जो भी हो इस लोकगीत से यह अवश्य स्पष्ट होता है की धानू पण्डा अद्भुत शक्तिशाली, अदम्य साहसी, एवं सामर्थ्यवान था क्योंकि वह एक साथ हिन्गलाज एवं मैहर देवी की पूजा करने की अकांक्षा रखता था जो असम्भव तो नहीं अपितु कठिन एवं श्रमसाध्य अवश्य है क्योंकि जहाँ एक ओर हिंगलाज मध्यप्रदेश एवं राजस्थान की सीमा रेखा गांधी सागर बांध से 15 कि०मी० दूर तारकेश्वर कुंड के सन्निकट राजस्थान में है वहीं दूसरा मैहर मध्यप्रदेश के दूसरे छोर सतना में स्थित है जिसकी दूरी लगभग 950 किलोमीटर है। अतः इस लोकगीत से स्पष्ट होता है कि धानू पण्डा उस समय 950 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम था।

लोक देवताओं में “नारसिंह, मनसा, मीरकुंवर पहिरहार, गोरइया बाबा” वीरों की पंक्ति में नारसिंह का नाम प्रथम पंक्ति में होने से उसकी श्रेष्ठता एवं पौरुषता को स्पष्ट करता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि कालान्तर में नारसिंह सेना नायक तथा शेष सभी पात्र उनकी सेना के सदस्य रहें होंगे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि गोरइया नामक स्थान रामपुर बघेलान तहसील में एक गाँव है जहाँ तत्कालीन समय में बाबा/जोगी (गोस्वामी) जाति के लोगों का निवासस्थली रहा हो, आज भी इस गाँव में जोगी और तेलियों की बसाहट है।

दन्तकथाओं में अनेक मिथकीय गाथायें हैं जिसमें उल्लेख किया जाता है कि जोगी लोग मरने के बाद तेली, लोहार एवं लाला की खोपड़ी को जगाने का कार्य करते थे क्योंकि इन मृतकों की खोपड़ी मरणोपरान्त भी सुसुप्तावस्था में नहीं होती वरन उनके खोपड़ी में अनेक राज दफन होते हैं जो जगाने के बाद क्रियाशील हो जाते हैं उनकी ऐसी अवधारणा है। अतः नरो के पास गोरइया

गाँव का होना भी एक ऐतिहासिक स्रोत का काम करता है।

नरो पहाड़ के नीचे पूर्वी भाग में पीछे दरवाजे के बगल में खुफ्रिया सुरंग के पास एक गुफा है तथा उसके सन्निकट एक चहरी विद्यमान हैं। जनश्रुतियों के अनुसार यह चहरी तत्कालीन रानी फुलवा देवी के नहाने के लिए नहानदानी निर्मित कराई गयी थी जिसका अवशेष आज भी मौजूद है। अतः इस अंचल में लोक देवताओं में फुलमती देवी का भी उल्लेख मिलता है संभव हो कि जब नारसिंह वहाँ का राजा रहा हो जो मरणोपरान्त लोक मानस के लोक देवता के रूप में स्थापित हुआ हो तो उसकी पत्नी फुलवा देवी को भी निश्चित रूप से फूलमती के रूप में लोकमानस पूजता हो।

नरो, खोह, तेलियागढ़ के वीरान खण्डहर जहाँ आज तक उसी रूप-स्वरूप में विद्यमान हैं उसमें निवासरत तेली राजाओं के मरणोपरान्त आज भी उस स्थान पर किसी भी बसाहट का उल्लेख नहीं मिलता। इससे यह तथ्य अवश्य प्रकट होता है कि तेली के खोपड़ी का प्रभाव उसका जलजला सदियों तक चिरस्थायी रहता है। ग्रामीण जनों का विश्वास है कि यहाँ से कोई भी कुछ ले जाता है तो वह बीमार पड़ जाता है और फिर दुबारा वही पर फेंक जाता है। वहाँ पर पड़े काड़ी, जेतवा या अन्य बिखरी हुई मूर्तियों के अवशेष इस बात का प्रमाण हैं कि तेली राजा का अस्तित्व आज भी उन खण्डहरों में विद्यमान है। ग्रामीणजन बताते हैं कि नरो पहाड़ में कुछ प्रभावशाली लोग बाक्साइड की खदान लगाये थे जो यहाँ की पुरा-सम्पदाओं को क्षतिग्रस्त भी किये। फलतः उन लोगों की काफी जन-धन की हानि हुयी और वे बाद में छोड़कर चले गये।

अनेक ग्रामीण जनों ने नरो एवं खोह पहाड़ के बारे में कई तरह की मिथकीय कहानियाँ बताते हैं जो कि किसी अजूबे या तिलिस्म से कम नहीं लगती। बानगी के बतौर जब उँचेहरा नगर पंचायत के लिए विशाल बाराह की प्रतिमा लाने के लिए सरकारी मशीनरी खोह गयी तो वहाँ पड़ी बाराह की मूर्ति टस से मस नहीं हुई। लोग थक-हारकर वापस चले आये और गाँव के एक तेली से सहयोग की अपेक्षा की। वस्तुतः वह तेली अकेले ही जाकर उस मूर्ति को अपनी बैलगाड़ी में लादकर नगर पंचायत के प्रांगण में रख दिया जो आज भी परिषद के प्रांगण में अवस्थित होकर उसकी शोभा बढ़ा रही है।

एक दूसरा मिथक है – उँचेहरा के पास रानी चन्द्रवती के प्रतिमा के सन्निकट एक स्थान है जिसे ग्रामीण जन रानी की पौली नाम से अभिहित करते हैं। परम्परानुसार उस स्थान पर शादी व्याह के अवसर पर तेल चढ़ाने की परम्परा है। जनश्रुतियों के अनुसार जो रानी की पौली में तेल चढ़ाना भूल जाता है या

जानबूझकर नहीं चढ़ाता उसके अनुष्ठान में कोई न कोई विघ्न-बाधा अवश्य आ जाती है। और वह बाधा रानी की पौली में तेल अर्पित करने के बाद ही दूर होती है किन्तु उस रानी के पौली में तेली जाति के लोगों का तेल नहीं चढ़ता। अतः यह भी एक अदभुत घटना है जो किसी न किसी रूप में तेली राजा के मरणोपरान्त उसके जागृत मस्तिष्क का साक्ष्य होने के साथ ही उसके प्रतीकात्मक ऐतिहासिक साक्ष्य का स्रोत है।

नरो के पहाड़ के समीपी गाँव के छोटेलाल कुशवाहा ने बताया कि लगभग 15-20 वर्ष पूर्व सम्पत्ति की लालच में गाँव के 7-8 लोग कपड़ा, मिट्टी का तेल और उपरी (प्रकाश हेतु) लेकर नककटी देवी के पास की गुफा में अन्दर प्रवेश किये। लगभग 20 मीटर तक तो सकरा रास्ता मिला जिससे लोग लेटकर रास्ते को पार किया किन्तु बाद में काफी चौड़ा खुपिया रास्ता मिला जिससे लोग खड़े होकर जा सकते थे किन्तु वहीं पर क्रमशः चार सॉप मिले जिसे लोगों ने मारकर फेंक दिया और आगे चल दिये आगे जाने पर एक बहुत बड़ा एक फुट मोटा सॉप मिला जिसे देखकर लोग डर गये और वापस लौटने लगे लौटते समय जिन सॉपों को वे मार दिये थे वे भी जीवित होकर इधर-उधर भाग गये। अतः लोगों का मानना है कि आज भी उस पहाड़ी में तत्कालीन राजा की आत्मा विद्यमान है जो अपने खजाने की रखवाली कर रही है।

एक करमा लोकगीत भी इस पहाड़ी के अस्तित्व को रेखांकित करता है। यथा –

सुआ नारि डोंगरी मा हॉका खेलइ हो।

सुआ नारि डोंगरी माँ...

आगे आगे हिरना भागे पाछे चलै शिकारी,
के सुआ नारि डोंगरी माँ हॉका खेलइ हो।

अतः कहना न होगा कि नरो पहाड़ी के बगल में दक्षिण-पूर्वी ओर करन पहाड़ी अवस्थित है। करन तोता (सुआ) की एक प्रजाति है। अतः संभव है कि लोक गायकों ने नरो और करन पहाड़ को अपनी लोकभाषा में मिला-जुला स्वरूप में सुआ-नारि डोंगरी के रूप में अभिहित किया हो और वहाँ वन्य पशुओं की प्रचुरता लोगों के लिए शिकारगाह के रूप में रही हो क्योंकि आज भी नरो और करन पहाड़ी विभिन्न वनस्पतियाँ, पेड़-पौधे और झाड़ियों से आच्छादित है और आस-पास के लोग वहाँ से जलाऊ लकड़ी एवं पशुओं के चारागाह के रूप में इसका दोहन कर रहे हैं। अपितु फिर भी कालान्तर से लोक मानस प्रकृति के दोहन में कभी भी निश्चिन्त भाव से नहीं रह सका वह प्रशासन तंत्र के खौफ से सदैव चौकन्ना रहा। देखिए लोक मानस की अभिव्यक्ति एक लोक गीत के माध्यम से –

“छानी त छावा उतर खुनसी, हुसियारी मां रइहा, आवइ मुनसी।
गायउं ता पहारै लायों घुनसी, आगे हबइ रे दरोगा पाछे मुनसी।

यह लोकगीत अपने शब्द शिल्प के आधार पर प्रतीत होती है कि यह भी सतना जिले की बघेली है क्योंकि रीवा जिले की बघेली पूरी तरह ठेठ है अपने शब्द संरचना के आधार पर बघेलीखण्ड के प्रत्येक जिले की बघेली बोली की शब्द संरचना एवं बुनावट में भिन्नता है अतः वह पहचानी जा सकती है। अपितु वन-प्रान्तर में निवास करने वाले ग्रामीणजन पुलिस और वन महकमें से सदैव चौकन्ने और सचेत रहकर वन सम्पदा का दोहन करते थे।

ज्ञातव्य है कि तेली जाति अनादिकाल से ही जड़ता का पर्याय रहा है और वह दूसरे की सत्ता सहसा स्वीकार नहीं करता था इस संदर्भ में प्रो0 राजबली पाण्डेय ने भी अपनी इतिहास विषयक पुस्तक में उल्लेख किया है किन्तु इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण हमारे लोक साहित्य में मिलता है। बानगी के बतौर इस लोकगीत (भगति) में देखा जा सकता है –

“बीच मैर मा बरम एक चौरा चौर रे!

आबइ न ए कौ देव बरम तोंहरे चौरा।.....

तोंहरे बुलाये सब केउ आयें चौरा रे!

तेलिया बीर नहि आबा बरम तोंहरे चौरा।”

अर्थात् भारतीय इतिहास में चाहे जिसकी भी सत्ता रही हो लेकिन ब्राह्मण सर्वमान्य रहा और उसके आदेश को ईश्वरीय आज्ञा मानकर स्वीकार किया जाता रहा। सामाजिक वर्णव्यवस्था का संविधान कहे जाने वाले ग्रंथ मनुस्मृति में ब्राह्मणों को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। अतः उक्त लोकगीत में बरम बाबा (ब्राम्हण) के बुलाने पर भी तेली बीर नहीं जाता। इसी तरह इतिहास में दर्ज घटना ध्यातव्य है कि भामाशाह ने अकबर के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए महाराणा प्रताप की तन-मन-धन से सहायता की। अकबरी दरबार में तानसेन जैसे ब्राह्मणों का वर्चस्व था और वे इस जाति से कुपित होकर समाज की मुख्य धारा से बहिष्कृत करने का कुत्सित प्रयास किये। अतः उल्लेखनीय है कि तेली जाति के लोग उनका अनुगमन कभी नहीं किये चाहे वह लोक साहित्य हो चाहे शिष्ट साहित्य। अपितु संभव है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी बात से अप्रसन्न होकर लिख दिया हो – “ये वर्णाधम तेलि कुम्हारा। स्वपच किरात कोल-कलवारा।” तेली जाति के लोगों का एक और गुण सर्वमान्य था, वे निडर थे, भूत-प्रेत आदि परा शक्तियों से भी नहीं डरते थे परिणामस्वरूप राजतंत्र से प्रजातंत्र के गुजरते हुये परिवेश में इलाकेदार जमीदार किसी बगार या पोखरी,

तालाब में कब्जा करना चाहते थे किन्तु वे भूत-प्रेतादि के भय से अपने को सक्षम नहीं पाते थे, तो वे कुछ दिनों के लिए वह गलिष्ठ स्थल किसी न किसी तेली को काशत के लिए दिया करते थे। यह तथ्य इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है क्योंकि वर्तमान समय में भी अधिकांश मरघट/पोखरी पर कब्जा तेली जाति के लोगों का आज भी विद्यमान है।

उपसंहार –

अतः निष्कर्षतः उपरोक्त लोकगीतों के आलोक में कहा जा सकता है कि लोकगीतों में जहाँ एक ओर धार्मिक जीवन दर्शन है तो वही दूसरी ओर लोक मानस की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का खाका। और इसी खाके में लोकगीतों के गर्भ से इतिहास का भ्रूण अंकुरित होता है जो आगे चलकर यही भ्रूण एक सुदृढ़ ऐतिहासिक दरख्त के रूप में पुष्पित एवं पल्लवित होता है। वस्तुतः इतिहास लेखन में मिथक, जनश्रुति, लोकगीत एवं परम्परायें इसके कलेवर को सुदृढ़ एवं समृद्ध बनाने में रीढ़ की हड्डी की भूमिका निभाती हैं। अतएव हमें अपने अतीत को सहेजने के लिए वन-प्रान्तरों में निवासरत वनवासियों, पशु-पक्षियों, वनस्पतियों, पेड़-पौधों से एक कुशल मधुमक्खी की तरह हर रंग-विरंगी पंखुड़ियों से परागकण निकाल कर ऐतिहासिक शहद तैयार करना समीचीन होगा। फलतः लोक के सूत्र वाक्य का अनुगमन करना होगा –

कोइली जब गांवन के गीत गुन गुनाय रे।

ए क-एक आखर का चूमि चूमि जाय रे।

और अन्त में उसी लोक देवी-देवता का अभिवादन करते हुए –

जहँ लग बना तहाँ लग गायेन,

जय बोला हिंगलाज होमा।

संदर्भ

1 राममित्र चतुर्वेदी – शहडोल जिले का आदिवासी गीत

- 2 Max Muller - The History of Sanskrit Literature
- 3 Fleet - Epigraphy (Imperial Gazetteer of India Vol. II)
- 4 डॉ० भगवती प्रसाद शुक्ल – बघेली साहित्य का इतिहास
- 5 डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय – लोक साहित्य की भूमिका
- 6 गुलझारी चौधरी ग्राम देवरा-फरेंदा जिला रीवा से प्राप्त भगति गीत
- 7 अंगिरा प्रसाद तिवारी, ग्राम-मढ़ी तहसील अमरपाटन जिला सतना प्राप्त
- 8 महादेव कोल ग्राम पोस्ट मनिकवार जिला रीवा से प्राप्त भगति गीत
- 9 छकौड़ीलाल भठवा तहसील सिरमौर जिला रीवा से प्राप्त
- 10 अंगिरा प्रसाद तिवारी, ग्राम-मढ़ी तहसील अमरपाटन जिला सतना प्राप्त
- 11 डॉ० राधेशरण – विन्ध्य क्षेत्र का वृहद इतिहास
- 12 बैजू प्रसाद कोल लकड़हारे से प्राप्त जानकारी के आधार पर
- 13 महादेव कोल ग्राम पोस्ट मनिकवार जिला रीवा से प्राप्त भगति गीत
- 14 जगन्नाथ यादव, बकरी चरवाहा से प्राप्त जानकारी
- 15 छोटेलाल कोल ग्राम अटरिया (उंचेहरा) जिला सतना से प्राप्त जानकारी के आधार पर
- 16 डी०के० साहू, ग्राम पोस्ट उंचेहरा जिला सतना से प्राप्त
- 17 छोटेलाल कुशवाहा ग्राम सकरहट तहसील अमरपाटन जिला सतना
- 18 प्रो० आदित्य प्रताप सिंह की डायरी से
- 19 डॉ० भगवती प्रसाद शुक्ल – लोकरागिनी भाग-1
- 20 मोले प्रसाद साहू, ग्राम लोही पो. बदरौंव जिला रीवा से प्राप्त
- 21 डॉ० रामलला शुक्ल – विन्ध्य वैभव

ग्रामीण विकास में सूचना प्रौद्योगिकी: संभावनाएं तथा चुनौतियाँ

कु० पिकी*

शोध-सार

भारत का वास्तविक विकास ग्रामीण विकास से ही संभव है। ग्रामीण विकास का अभिप्राय, उसके सम्पूर्ण स्वरूप में ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापक विकास से है तथा इस संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी का उद्देश्य लोगों द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन में सहभागिता के साथ-साथ दक्षता, खुलापन और अनुक्रिया-शीलता लाना है। उन सभी आयामों (कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य-सफाई आवास) जिन पर ग्रामीण विकास की आधारशिला है, सूचना प्रौद्योगिकीद्वारा नवनिर्मित, नवाचारों इत्यादि को जन-जन तक पहुँचाना है। 156 करोड़ भारतीय ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाने तथा नए, रोजगार, सृजन, परिवहन, बिजली और इंटरनेट में निवेश की बहुत आवश्यकता है। इसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 31 मार्च, 2019 तक प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य को डिजिटल माध्यमों पर साक्षर बनाने पर बल दिया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य वर्तमान ग्रामीण विकास में सूचना प्रौद्योगिकीकी भूमिका, संभावनाओं तथा चुनौतियों की विवेचना एवं विश्लेषण करना है। शोध पत्र हेतु तथ्य संकलन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक सामग्री का प्रयोग किया गया है।

मुख्य शब्द : ग्रामीण विकास, दक्षता, नवाचार, युवा-महिला सशक्तिकरण, डिजिटल साक्षरता, कृषि

भारत के विकास का रास्ता गाँवों से होकर गुजरता है। गाँवों के विकास के बिना भारत के विकास की बात करना बेईमानी होगी। सूचना तकनीक के माध्यम से सम्पूर्ण विश्व एक 'गाँव' हो गया है। सूचना क्रान्ति से पूर्व संभवतः ग्राम लघु गणराज्य के रूप में जाने जाते थे (मेटर्कोफ) तथा गाँव लगभग अपनी सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ण करने में आत्मनिर्भर, स्वायत्त और स्वतंत्र नहीं है। (दुबे) भारत की अर्थव्यवस्था ने विश्व अर्थव्यवस्था के लिए द्वार खोले हैं तथा इस दिशा में ग्रामीण क्षेत्र कोई अपवाद नहीं है। वैश्वीकरण के इस युग में सूचना क्रान्ति ने ग्रामीण अंचलों में सम्पूर्ण विश्व से जुड़ने हेतु नई संभावना पैदा की है।

सूचना संचार क्षेत्र में एक कहावत है कि सूचना ही शक्ति है (मैक्लुहान) तथा आज के दौर में सूचना प्रौद्योगिकी में इतनी समर्थ है कि यह नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं घर बैठे उपलब्ध करा उन्हें सशक्त जागरूक एवं समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में सक्षम बना सकती है। 15 अगस्त, 1995 को विदेश संचार

निगम लिमिटेड के माध्यम से पहली बार इंटरनेट प्रदान की गई और इसकी सफलता यह रही कि अगले छः महीने में 10 हजार से अधिक लोग इस माध्यम से जुड़ गये। वर्ष 2010 में 3जी, उसके बाद 4जी सेवाओं ने देश के सामान्यजनों तक इंटरनेट की पहुँच को आसान बनाने का कार्य किया है। इंटरनेट और मोबाइल ए सोसिए शन ऑफ इण्डिया की नवीनतम रिपोर्ट (2014) के अनुसार देश में 30 करोड़ से ज्यादा लोगों तक इंटरनेट की पहुँच है और उपभोक्ताओं के मामले में दुनिया में दूसरे नम्बर पर है वहीं ग्रामीण भारत की बात की जाए तो रिपोर्ट के अनुसार 7.8 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या रोजाना इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है जबकि 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जो महीने में कम से कम एक बार इंटरनेट का इस्तेमाल जरूर करते हैं, हालांकि ग्रामीण आबादी का 50 प्रतिशत हिस्सा ही रोजाना इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है किन्तु फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में सूचनाओं की पहुँच का दायरा आसान एवं विस्तारित हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी ग्रामीण समुदायों का सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, खाद्य-सुरक्षा और संपोषित विकास के निर्धारणयन में प्रभावशाली साबित हो रही है।

देश के विकास और प्रगति में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। देश का आर्थिक व सामाजिक ढांचा इसी पर टिका है। देश की कुल नियत आय में सोलह प्रतिशत हिस्सा कृषि से प्राप्त होता है तथा देश की लगभग आधी श्रम शक्ति कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रविष्टि है। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के आधार पर कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों का जीडीपी (सफल घरेलू उत्पाद) में 17.8 प्रतिशत का योगदान रहा है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने पिछले कई दशकों से कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए इसके रख-रखाव संरक्षण, अधिक पैदावार एवं विपणन सम्बन्धी कार्यों में विशेष भूमिका निभाई है। दूर संवेदित्र आंकड़ा (रिमोट सेंसर डाटा) के माध्यम से कृषि पर पर्यावरणीय प्रभाव एवं प्राकृतिक संसाधनों की निरन्तर जांच भी की जा सकती है।

पोन्डिचरी के विलियमसूर कस्बे में 'ग्राम ज्ञान केन्द्र परियोजना' जिसकी चर्चा मानव विकास रिपोर्ट 1991 में विश्व सूचना विभाजन के सम्बोधन में सृजनात्मक परियोजना के रूप में उल्लिखित हुई। यह परियोजना लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) के जरिए ग्रामीण परिवारों का लेखा-जोखा, अनाज की कीमतें एवं कृषि संबंधी

जानकारी, बस, रेल, समय सारणी की जानकारी, क्रिकेट, परीक्षा परिणामों की जानकारी इत्यादि सूचनाओं का वितरण इंटरनेट के माध्यम से करती है। वर्तमान में इस विभिन्न जनसूचना केन्द्र, जनसेवा केन्द्र, साइबर कैम्पों इत्यादि कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए प्रभावकारी सिद्ध हो रहे हैं।

महिलाओं के सशक्तिकरण में सूचना प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका परिलक्षित हो रही है। स्त्रियां जो मात्र घर की चारदीवारी और कुछ गिने-चुने सीमित पेशों तक ही सिमट गई थी, उनके लिए विभिन्न व्यवस्थाओं के द्वार खुले हैं। भारत में कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में 38 प्रतिशत महिलायें ही कार्यरत हैं। इंटरनेट के प्रारम्भिक समय में पुरुष वर्ग का वर्चस्व रहा किन्तु हाल के वर्षों में महिलाओं ने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है किन्तु भारत में सूचनाओं तक पहुँच के मामले में भारी लैंगिक विषमता देखने को मिलती है और यह शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में गम्भीर समस्या बनी हुई है।

गीता सेशू की FAT (Feminist Approach of Technology 2011) रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के बुदेलखण्ड से महिलाओं द्वारा "खबर लहरिया (2000) प्रकाशित अखबार 600 गांवों में बेचा जाता है। 4 प्रांतीय भाषाओं (बुदेली, बज्जिका, भोजपुरी और अवधी) में अनूदित यह समाचार पत्र इन पिछड़े इलाकों में महिलाओं में जागरूकता और डिजिटल विभाजन की खाई को बांटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

वर्तमान युवा शक्ति कार्यशील है तथा जनसांख्यिकी लाभांश की यह स्थिति भारत के लिए विशेष अवसरों के रूप में परिणीति कर सकने की क्षमता रखती है। कलाम (2015) सूचना प्रौद्योगिकी भारतीयों में खासकर युवाओं को ज्यादा जानने, बेहतर संवाद करने और विश्व की ज्ञान अर्थव्यवस्थाओं में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करेगी। "सूचना प्रौद्योगिकी युवाओं को नये कौशल रोजगार डिजिटल माध्यमों से जोड़ने तथा सरकारी गैर सरकारी सेवाओं के बारे में जानकारी एवं लाभान्वित होने का अवसर प्रदान करती है। श्रीवास्तव (2018) मोबाइल एप्लीकेशन विश्लेषक कंपनी फ्लरी के अनुसार, हम मोबाइल एप्ल की ओर बढ़ रहे हैं 2015 के आंकड़े के मुताबिक यू-ट्यूब भारत में कुल स्मार्टफोन उपभोक्ता में से 60 प्रतिशत उपभोक्ता नियमित रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं और यह दिनोंदिन तीव्र गति से बढ़ता ही जा रहा है।

टेलीमेडिसिन (दूरस्थ चिकित्सा) स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेषतया: ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में क्रांतिकारी प्रभावकारी भूमिका में है। फिलीसियानी (Filiciani 2005) मोबाइल फोन, मरीज का आवागमन, परिवहन, किराया, समय की बचत तथा अन्य कई बाधाओं को कम कर रहा है।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। बेहतर शिक्षा बेहतर स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त कर सकती है उसी तरह बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा को। शिक्षा व्यक्ति की उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियन्त्रण रखकर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सके (जॉन ड्यूवी)। विश्व बैंक रिपोर्ट (2003) बाजार का ग्रामीणों तक पहुँचने, गरीबों के लिए संसाधनों की आपूर्ति को बेहतर बनाने, सरकारी सेवाओं में लिए, सूचना एवं संचार में आवश्यक जानकारियों को हस्तान्तरित करने की तमाम संभावनाएं मौजूद हैं। अच्छे स्कूल तथा बेहतर शिक्षकों से न पढ़ पाने की समस्या को सूचना प्रौद्योगिकी ने कुछ कम किया है।

भारतीय ग्रामीण समाज सामान्यतया कम गतिशील समाज है। वैश्वीकरण के इस दौर में ग्रामीण समुदायों पर प्रभाव आवश्यक रूप से पड़ा किन्तु अभी भी अशिक्षा, जागरूकता की कमी अन्धविश्वास, सामाजिक कुरीतियों इत्यादि के चंगुल से निकल नहीं पा रहा है। हालांकि काफी हद तक सुधार हुआ है सरकारी योजनाओं, कार्यक्रम सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठन इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी ने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में प्रभावकारी भूमिका निभा रही है।

साहित्य समीक्षा

- पाण्डेय (2000) ग्रामीण सामाजिक आर्थिक विकास के सन्दर्भ में सूचना संचार की अत्याधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। सूचना संचार माध्यमों से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में नवीन तकनीक एवं नवाचारों का चलन बढ़ा है।
- देवपुरा, प्रतापमल (2005) सूचना का अधिकार अधिनियम तथा सूचना प्रौद्योगिकी ने ग्रामीण विकास को दिशा प्रदान करने का कार्य किया है। ग्रामीण-सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों में पारदर्शिता आई है।
- पूनिया, मीनाक्षी (2014) भारतीय ग्रामीण क्षेत्र की सामाजिक-सांस्कृतिक एवं आर्थिक संरचना का वर्णन फोक मीडिया द्वारा बखूबी लोगों तक पहुँचाता रहा है तथा ग्रामीण परिवेश को जानने में सूचना प्रौद्योगिकी सुलभता प्रदान कर रही है। लोक कलाकार सरकारी योजनाओं, समस्याओं इत्यादि को गीत-संगीत नुक्कड़-नाटिक के माध्यम से परिचित करा रहे हैं जिसमें प्रौद्योगिकी बहुत हद तक उनकी मदद कर रही है।
- देसाई (1989) भारतीय ग्रामीण समाज एवं उसकी संस्कृति का व्यवस्थित अध्ययन हेतु परिवर्तनशील प्रतिमानों को समझना आवश्यक है। यह ग्रामीण जनता

के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अनेक समूहों, उपसमूहों में बंटे समुदाय को जानने में मदद करता है जिसमें चित्रमय कलायें, लोक कथाएं तथा नृत्य-नाटकों के माध्यम से समझा जा सकता है।

अध्ययन के उद्देश्य :-

- ग्रामीण विकास में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका का अध्ययन करना।
- सूचना माध्यमों के प्रभावों का आकलन करना।
- सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आए बदलावों की समीक्षा करना।

शोध प्रविधि :-

प्रस्तुत शोध पत्र वर्णनात्मक अनुसंधान पर आधारित है एवं तथ्य संकलन हेतु प्राथमिक स्त्रोतों, साक्षात्कार अनुसूची अवलोकन, निरीक्षण, सर्वेक्षण तथा द्वितीयक स्त्रोतों जिसके अन्तर्गत संदर्भ ग्रन्थों पुस्तकों, जर्नल्स, पत्रिकाओं, शोधपत्रों इंटरनेट, समाचार पत्रों इत्यादि द्वारा किया गया है। उत्तरदाताओं का चुनाव उद्देश्य पूर्ण निर्देशन के अन्तर्गत किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र एवं प्रासंगिकता :-

शोध पत्र हेतु शाहजहाँपुर जिले के जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड कलान के सथरा धर्मपुर गांव के 25 सूचनादाताओं का चुनाव पर आधारित है। मानव जीवन का प्रत्येक पहलू इस कान्ति के संदर्भ में आ रहा है। कृषि, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, राजनीति, महिलायें, युवा एवं बच्चे सभी इससे प्रभावित हुए हैं। वस्तुतः ग्रामीण विकास में सूचना प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका साबित हो रही है। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य ग्रामीण विकास में सूचना तकनीकी की संभावनाओं एवं चुनौतियों का अध्ययन करना।

तथ्य विश्लेषण :-

**शोध-पत्र हेतु चयनित निर्देश का जन सांख्यिकी परिचय
सारणी संख्या-01**

क्र०सं०	आयु वर्ग	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	18-25	11	44
2.	25-30	05	20
3.	30-35	03	12
4.	35-40	02	08
5.	40-45	00	00
6.	45-50	00	00
7.	50-55	01	04
8.	55-60	00	
कुल योग		25	100 प्रतिशत

क्र०सं०	लिंग	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	महिला	07	28
2.	पुरुष	18	72
कुल योग		25	100

क्र०सं०	वैवाहिक स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	अविवाहित	12	48
2.	विवाहित	13	52
कुल योग		25	100

क्र०सं०	जाति	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	सामान्य	10	40
2.	अ०पि० वर्ग	08	32
3.	अनु० जाति	07	28
कुल योग		25	100

क्र०सं०	धर्म	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हिन्दू	18	72
2.	मुस्लिम	07	28
कुल योग		25	100

क्र०सं०	व्यवसाय	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	कृषि	12	48
2.	सरकारी नौकरी	04	16
3.	व्यापार	05	20
4.	अन्य	04	16
कुल योग		25	100

क्र०सं०	शिक्षा	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	इण्टरमीडिए ट	16	64
2.	उच्च शिक्षा (स्नातक)	09	36
कुल योग		25	100

क्र०सं०	पारिवारिक संरचना	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	संयुक्त परिवार	9	36
2.	ए काकी परिवार	16	64
कुल योग		25	100

उपरोक्त सारणी द्वारा स्पष्ट है कि अत्यधिक उत्तरदाता 18-25 आयु वर्ग जो कि सूचना तकनीक का सबसे अधिक इस्तेमाल करने वाला वर्ग है तथा लिंग अनुपात के मामले में पुरुष वर्ग का ही अनुपात अधिक है। अतः हम कह सकते हैं कि सूचनाओं की पहुँच का दायरा ग्रामीण महिलाओं में बहुत कम है तथा वही हम देख सकते हैं कि शिक्षा एवं सूचनाओं की पहुँच में क्रमशः

सामान्य जाति (ठाकुर, ब्राहमण, कायस्थ) सर्वाधिक तत्पश्चात अन्य पिछड़ा वर्ग तथा उससे कम अनुसूचित जाति का स्तर है। शिक्षा के मामले में इण्टरमीडिएट उत्तरदाताओं की संख्या अधिक है। धर्म सम्बन्धी सारणी में हिन्दू बहुल गांव में सर्वाधिक हिन्दू 75 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत मुसलमान है। व्यवसायिक श्रेणी के अन्तर्गत सर्वाधिक कृषि 50 प्रतिशत फिर क्रमशः व्यापार (दुकानदार, ठेकेदार, स्कूल मैनेजर इत्यादि) सरकारी नौकरी 27 प्रतिशत तथा अन्य संवर्ग के तहत जिसमें मजदूर, चपरासी, सब्जी वाले, चाट-टिक्की वाले इत्यादि है। वैवाहिक स्थिति में विवाहित अधिक है तथा पारिवारिक संरचना के तहत गांवों में एकाकी परिवारों का प्रतिशत अधिक है।

सारणी संख्या-02
सूचना प्राप्ति का स्रोत

1.	हाँ	17	68%
2.	नहीं	08	32%
	कुल	25	100%

क्र०सं०	स्रोत	उत्तरदाता	प्रतिशत
1.	मोबाइल/इण्टरनेट	20	80%
2.	रेडियो	01	04%
3.	टीवी	02	08%
4.	अखबार	02	08%
	कुल योग	25	100%

सारणी संख्या-02 से पता चलता है कि 80% लोग मोबाइल इण्टरनेट द्वारा सूचनाएं प्राप्त करते हैं एवं 04% लोग रेडियो तथा बाकी अन्य टीवी एवं अखबार के माध्यम से सूचनाओं को प्राप्त करते हैं।

स्मार्टफोन के इस्तेमाल संबंधी
सारणी सं०-03

1.	हाँ	21	84%
2.	नहीं	04	16%
	कुल	25	100%

प्रस्तुत सारणी दर्शाती है कि अधिकांश 84% उत्तरदाता स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं हालांकि इनमें से कुछ उत्तरदाता अपने माता-पिता या भाई-बहनों का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। इसी संबंध में मोबाइल फोन के इस्तेमाल संबंधी जानकारी लेने पर पता चलता है कि 60% उत्तरदाता मोबाइल लगभग 6-8 घंटे तथा 22% 4-5 घंटे एवं 18% 2-2.30 घंटे उपयोग करते हैं।

गांव में बिजली पर्याप्तता संबंधी
सारणी संख्या-04

सारणी संख्या-04 से ज्ञात है कि 68% लोगों का मानना है कि गांव में बिजली लगभग ठीक-ठीक

आती है। जबकि 32% लोग बिजली की सप्लाई से असन्तुष्ट नजर आये हैं।

इण्टरनेट द्वारा विभिन्न जानकारियां प्राप्त करने
सारणी संख्या-05

1.	कृषि	05	20%
2.	शिक्षा	06	24%
3.	व्यवसाय	04	16%
4.	घरेलू रख रखाव एवं अन्य	03	12%
5.	मनोरंजन	07	28%
	कुल योग	25	100%

प्रस्तुत सारणी से पता चलता है कि अधिकांशतया उत्तरदाता मनोरंजन हेतु 28% एवं शिक्षा संबंधी 24% जानकारी हेतु इण्टरनेट का इस्तेमाल करते हैं जबकि कृषि संबंधी जानकारी हेतु 20% इसके बाद क्रमशः व्यवसाय एवं घरेलू जानकारियां के लिए इण्टरनेट का इस्तेमाल किया जाता है।

सूचना तकनीक से कृषि क्षेत्र में लाभ संबंधी
सारणी संख्या-06

1.	हाँ	14	56%
2.	नहीं	11	44%
	कुल	25	100%

प्रस्तुत सारणी दर्शाती है कि गांव में 56% उत्तरदाताओं का मानना है कि सूचना प्रौद्योगिकी ने कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में जानकारी पहुंचाने में सहायता की है जिससे कृषि क्षेत्र को फायदा हुआ है तथा हो रहा है। वहीं 44% लोगों का मानना है कि कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है।

सूचना प्रौद्योगिकी से महिलाओं में जागरूकता संबंधी
सारणी संख्या-07

1.	हाँ	17	68%
2.	नहीं	08	32%
	कुल	25	100%

सारणी संख्या-07 से ज्ञात है कि अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना है कि सूचना-संचार माध्यमों से महिलाओं की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है। वहीं सूचनादाता बताते हैं कि कोई खास सुधार एवं जागरूकता नहीं फैली है बल्कि इन सूचना माध्यमों से समय का दुरुपयोग और बेवजह के खर्च बढ़ गये हैं।

ग्रामीण महिलाओं के पास फोन संबंधी विवरण
सारणी संख्या-08

1.	हाँ	11	44%
2.	नहीं	14	56%
	कुल	25	100%

प्रस्तुत सारणी दर्शाती है कि ग्रामीण महिलाओं में मात्र 44% के पास ही मोबाइल फोन हैं और इनमें भी अधिकतर के पास सादा (की पैड) फोन ही है, जबकि 56% महिलाओं के पास नहीं है। हालांकि ये महिलायें घर में उपलब्ध मोबाइल फोन द्वारा वीडियो कालिंग, यू-ट्यूब तथा अन्य घरेलू जानकारियां तथा मनोरंजन के लिए इस्तेमाल कर लेती हैं।

**युवाओं द्वारा सूचना तकनीक का इस्तेमाल
सारणी संख्या-09**

1.	शिक्षा	09	36%
2.	खेल	04	16%
3.	व्यवसाय	05	20%
4.	मनोरंजन	07	28%
	कुल योग	25	100

सारणी संख्या-09 द्वारा स्पष्ट होता है कि 36% ग्रामीण युवा सूचना तकनीक का प्रयोग शिक्षा संबंधी जानकारी लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तथा इसके बाद मनोरंजन एवं वीडियो गेम तथा अन्य आनलाइन गेम्स में अपना समय-पैसा खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा व्यवसाय में भी युवा सूचना तकनीकी का उचित इस्तेमाल कर रहे हैं।

इसके अलावा सूचना तकनीक का ग्रामीण युवाओं पर पड़ने वाले नकारात्मक एवं सकारात्मक प्रभावों के बारे में जानने पर पता चला कि ग्रामीण युवाओं पर दोनों तरफ के प्रभाव दृष्टिगोचर हुए हैं। सकारात्मक प्रभावों के अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय सम्बन्धी जानकारियां प्राप्त कर तकनीक का बेहतर इस्तेमाल कर जीवन सशक्त बना रहे हैं वहीं दूसरी तरफ मोबाइल स्क्रीन पर अधिक समय अश्लील चलचित्रों को देखना, भ्रामक जानकारियां इत्यादि बुरे प्रभाव हो रहे हैं।

निष्कर्ष:

उपरोक्त आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में सूचना तकनीक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृषि से लेकर ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य मनोरंजन का दायरा, संस्कृति तथा जीवन शैली इत्यादि को एक नया रूप प्रदान किया है। कृषि क्षेत्र में उपज को बढ़ाना भण्डारण, विपणन इत्यादि की बेहतर जानकारी से कृषि का विकास हो रहा है। धीरे-धीरे ही सही किन्तु महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन स्वागत योग्य है। महिलायें सम्पूर्ण विश्व से जुड़ रही हैं। भिन्न-भिन्न संस्कृतियों तथा ज्ञान एवं समझ के स्तर को बढ़ाने का कार्य सूचना प्रौद्योगिकी ने वृहद स्तर पर किया है तथा लोगों के जीवन को समुन्नत बनाया है एवं साथ ही इसने कई समस्याओं एवं चुनौतियों को भी बढ़ाया है। ग्रामीण

परिप्रेक्ष्य में शिक्षा समझ एवं जागरूकता का स्तर इतना उन्नत नहीं है कि ग्रामीण प्राप्त सूचनाओं का सही एवं उचित विश्लेषण कर सकें इससे उन पर कुछ सूचनाओं का प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ रहा है। फिर भी तमाम समस्याओं एवं चुनौतियों को दूर करने का कार्य सूचना प्रौद्योगिकी ने बखूबी निभाया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- 1- सेन नारायण, सुनेत्रा एवं नारायणन शालिनी, इण्डिया कनेक्ट, 2019 सेज पब्लिकेशन नई दिल्ली
- 2- दुबे, श्यामाचरण, भारतीय ग्राम, वाणी प्रकाशन 2000, पृ0सं0 13
- 3- कुरुक्षेत्र नवम्बर, 2019
- 4- योजना, 2018
- 5- महिलाओं के लिए रोशनी की उम्मीद: डिजिटल इंडिया, hindi.webdunia.com
- 6- सेन नारायण, सुनेत्रा एवं नारायणन शालिनी, इण्डिया कनेक्ट, 2019 सेज पब्लिकेशन नई दिल्ली
- 7- कलाम, भारत 2020 और उसके बाद, पेंगुइन बुक्स पेंगुइन रैंडम हाउस इम्प्रिंट, 2015
- 8- श्रीवास्तव मुकुल, डिजिटल मीडिया का सामाजिक पक्ष, 2018 यश पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्र0 लि0 नई दिल्ली
- 9- सेन नारायण, सुनेत्रा एवं नारायणन शालिनी, इण्डिया कनेक्ट, 2019 सेज पब्लिकेशन नई दिल्ली
- 10- पाण्डेय, पी0 ए0 न0, ग्रामीण विकास एवं संरचनात्मक परिवर्तन, 2000 रावत पब्लिकेशन नई दिल्ली प्र0 सं0 64, 72
- 11- देवपुरा, प्रतापमल, ग्रामीण विकास का आधार आत्मनिर्भर पंचायतें 2011, राधाकृष्णनन प्रकाशन पृ0सं0 64-65
- 12- पूनिया, मीनाक्षी, मीडिया इन रूरुल डेवलपमेंट 2014, रिषभ बुक्स नई दिल्ली
- 13- देसाई, ए0आर0 भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र (195 रावत पब्लिकेशन 2016), पृ0सं0 203
- 14- www.drishtias.com
- 15- प्रमोद जोशी, कुरुक्षेत्र नवम्बर 2019 पृ0सं0 45
- 16- योजना सितम्बर 2018 पृ0सं0 13-18
- 17- पारख, जवरीमल्ल, जनसंचार माध्यमों का वैचारिक परिप्रेक्ष्य, 2000, ग्रंथ शिल्पी प्रकाशन दिल्ली

पूर्वाचल के संगठित एवं असंगठित श्रमिकों की सामाजिक दशा

डॉ० संध्या पाण्डेय*

भारत अभी भी मुख्यतः कृषि प्रधान देश है, जहाँ की 80 प्रतिशत आबादी जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर करती है। यह तथ्य उत्तर प्रदेश तथा बिहार के लिए और भी ज्यादा उपयुक्त है, जहाँ औद्योगीकरण का विकास देश के अन्य भागों की तुलना में बहुत कम हुआ है। औद्योगिक विकास में पूँजीपति तथा प्रबन्ध वर्ग के अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष श्रम होता है। सभी देशों में विशेषतः विकासशील देशों में जहाँ औद्योगीकरण की गति अत्यन्त धीमी है तथा जहाँ औद्योगिक विकास अभी बाल्यावस्था से गुजर रहा है। स्वस्थ औद्योगिक विकास की दिशा में श्रमिकों के योग्यताओं की अवहेलना नहीं की जा सकती है। हमारे देश में श्रमिकों का वैज्ञानिक अध्ययन अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है, सबसे पहली बात तो यह है कि इस देश में औद्योगीकरण की शुरुआत अंग्रेजों के द्वारा की गयी थी जो मुख्यतः व्यवसायी थे तथा व्यवसाय तक ही सीमित नहीं रहकर औद्योगिक विकास के द्वारा भी इस देश का शोषण करना चाहते थे। अंग्रेजों के अनुयायी बड़े-बड़े पूँजीपतियों का दृष्टिकोण भी उनसे पृथक नहीं था। इसलिए तथा इस कार्य से कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा श्रम बाजार उपलब्ध था। उद्योगपतियों ने देश के विभिन्न भागों में उद्योग स्थापित करना प्रारम्भ किया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी की 1860 की स्थापना के बाद देश के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर कुछ कारखाने स्थापित किये गये। क्योंकि औद्योगिक प्रणाली इस देश की व्यवस्था में उत्पन्न नहीं हुई थी इसका बहुआयामी प्रभाव देश पर पड़ा। इन उद्योगों में काम करने के लिए श्रमिकों को सुदूरवर्ती क्षेत्रों से लाया गया। बहुतों को अच्छी मजदूरी का लालच देकर तथा अनेकों को अवैध तरीकों के द्वारा। भारत एक विकासशील देश है, जिसकी सामाजिक संरचना, मुख्यतः परम्परागत है। इस दृष्टि से यह शोध का बड़ा रोचक विषय बन जाता है कि आधुनिक उद्योगों के संगठन तथा परम्परागत सामाजिक संरचना के बीच अन्तर्सम्बन्धों का संकुल किस प्रकार का है। किस प्रकार औद्योगीकृत समाजों में औद्योगिक विकास सांस्कृतिक मूल्यों, कृषक श्रमिकों द्वारा नयी दशाओं से सपने को अभियोजित करने की प्रक्रिया, कार्य के प्रति उनके दृष्टिकोण तथा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों द्वारा प्रभावित होता है। जैसा कि सर्वविदित है कि समुदाय तथा उद्योगों के सम्बन्ध निरन्तर निर्वाचित रूप से बने होते हैं दोनों के सम्बन्ध अन्योन्याश्रित होने के कारण दोनों एक – दूसरे को

प्रभावित करते हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर यह शोध करना बड़ा प्रासंगिक हो जाता है कि औद्योगीकरण के प्रभाव में परम्परागत सामाजिक मूल्यों में, जातीय संरचना तथा आर्थिक सम्बन्धों एवं औद्योगिक श्रमिकों के सामाजिक जीवन के अन्य घटकों में जिस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। वस्तुतः इस प्रकार के अध्ययनों के आधार पर भारत में औद्योगीकरण तथा सामाजिक रूपान्तर के सम्बन्धों के विषय में विस्तृत समाजीकरण किया जा सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में यह अध्ययन अपेक्षाकृत ज्यादा प्रासंगिक होगा क्योंकि यह क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से भारत में सबसे पिछड़ा हुआ है। कतिपय समाजशास्त्रियों ने इस दिशा में अनुसंधान किया है विशेषतः लैम्बर्ट ने पूना के श्रमिकों पर तथा प्रो० एल० पी० उद्योग ने बिहार के आदिवासी औद्योगिक श्रमिकों पर औद्योगीकरण के सामाजिक, सांस्कृतिक आयामों पर प्रकाश डाला है। उपर्युक्त अध्ययनों के आधार पर किये गये समाजीकरण प्रस्तुत अध्ययन के लिए उपकल्पना निर्माण में महत्वपूर्ण होंगे। औद्योगीकरण आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है इसके द्वारा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है तथा जीवन स्तर ऊँचा होता है। औद्योगीकरण तथा आर्थिक विकास के पक्षों में अनेक समानतायें हैं, तथापि अपने आप में औद्योगीकरण एक आमूल परिवर्तन की प्रक्रिया है यह मात्र उत्पादन बढ़ाने वाली प्रक्रिया नहीं बल्कि इसमें आर्थिक प्रणाली में गुणात्मक परिवर्तन निहित होता है। प्रो० विद्यार्थी इत्यादि विद्वानों ने अपने अध्ययन में यह देखने का प्रयास किया है कि औद्योगीकरण जिस प्रकार पुराने सामाजिक मूल्यों तथा ग्रामीण समाजों की परम्परागत उन्मुखता को परिवर्तित करने में सक्षम रहा है किन्तु इसके विपरीत उन्होंने यह उद्घाटित करने का प्रयास नहीं किया है कि किसी समाज की प्राचीन मान्यता में परम्परायें तथा मूल्य किस प्रकार आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। उपरोक्त संदर्भ में प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं

1. औद्योगिक संगठन तथा परम्परागत सामाजिक संरचना के अन्तर सम्बन्धों का विश्लेषण।
2. औद्योगीकृत समाज में औद्योगिक विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक मूल्य।
3. नयी आर्थिक प्रणाली से कृषक श्रमिकों के अभियोजन की प्रक्रिया।
4. कार्य को प्रति श्रमिकों का दृष्टिकोण तथा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले सामाजिक

*एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र, जगत तारन गर्ल्स डिग्री कालेज, इलाहाबाद

भारत में महिलाएं: लैंगिक असमानता एवं सम्पत्ति का अधिकार

डॉ सत्या मिश्रा*

किसी भी समाज का निर्माण स्त्री एवं पुरुष दोनों से मिलकर होता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आँकड़ों के अनुसार भारत की कुल 121.08 करोड़ की आबादी में 58.75 करोड़ महिलाएं हैं। जोकि कुल जनसंख्या का 48.27 भाग है। अर्थात् लगभग आधी आबादी महिलाओं की है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं समानता के लक्ष्य सुनिश्चित किये गये हैं। संविधान के अनु0 14 ने भारत भूमि पर कानून के समक्ष सबको समान संरक्षण का प्रावधान किया है। अनु0 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान आदि के आधार पर विभेद के निषेध का प्रावधान है। अनु0 16 सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है। अनु0 44 सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार संहिता सुनिश्चित करता है। अनु0 39 सभी स्त्री पुरुषों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार देता है एवं पुरुषों एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का भी प्रावधान करता है। अनु0 32 के अधीन 'संवैधानिक उपचारों के अधिकार' द्वारा भारतीय संविधान राजनीतिक न्याय की भी स्थापना करता है, संविधान के अनु0 19 से 22 के अन्तर्गत भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान किये गये हैं। न्याय एवं स्वतंत्रता के साथ-साथ भारतीय संविधान सभी नागरिकों को 'स्थान तथा अवसर की समानता' भी सुनिश्चित करता है। स्पष्ट है, कि भारतीय संविधान स्त्रियों एवं पुरुषों के मध्य किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है, लेकिन परम्परागत रूप से लैंगिक भेदभाव के विचार भारतीय संस्कृति के सार में निहित हैं, अतः यथार्थ के धरातल पर स्त्रियों एवं पुरुषों के बीच विषमता आज भी विद्यमान है। भारतीय समाज का स्वरूप चूँकि पितृसत्तात्मक है, अतः पारम्परिक रूप से पुरुष को प्रमुखता एवं स्त्री को अधीनता की मान्यता दी जाती है। स्त्रियों की यौनता, प्रजननता, उत्तराधिकार, श्रम, कुशलता एवं निर्णय लेने के अधिकारों पर पुरुष एवं परिवार का नियंत्रण रहता है। निम्न जाति वर्ग की स्त्रियों तथा जनजातीय स्त्रियों को उच्च जातिवर्ग एवं मध्यम जातिवर्ग की स्त्रियों की अपेक्षा कुछ अधिक आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, लेकिन वे भी कहीं न कहीं पुरुष श्रेष्ठता के अधीन ही रहती हैं। भारतीय समाज अधिकांशतः पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय एवं पितृस्थानीय है, तथापि गारो, खासी और नायर जैसे समुदाय मातृसत्तात्मक हैं, जहां भूमि तथा सम्पत्ति के

अधिकार अर्थात् उत्तराधिकार मातृसत्ता, मातृवंश से जुड़े हुए हैं, लेकिन अंततोगत्वा उसका प्रबंधन एवं संरक्षण पुरुष ही करते हैं।

प्राचीनकाल से ही महिलाओं को सम्पत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया। 18 वीं शताब्दी में समाज सुधार आन्दोलनों ने स्त्रियों एवं पुरुषों के बीच विद्यमान सामाजिक एवं कानूनी असमानताओं को दूर करने का प्रयत्न किया। इन सुधारवादी आन्दोलनों यथा-ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज तथा कतिपय मुस्लिम सुधार आंदोलनों के दबाव के कारण महिलाओं से सम्बन्धित कई कानून बनाये गये और 1937 में स्त्रियों को सम्पत्ति का सीमित अधिकार मिला। भारत में उत्तराधिकार एवं विरासत के कानून अत्यंत जटिल हैं। हिन्दुओं, जिसमें बौद्ध, जैन एवं सिख सम्मिलित हैं, में उत्तराधिकार के तीन नियम प्रचलित हैं –

मिताक्षरा कानून, दायभाग कानून तथा मरुक्कटट्टयम प्रचलित हैं, जिसके अनुसार पुत्र जन्मना संयुक्त परिवार की पुरखों की सम्पत्ति में अधिकार पा लेता है, अर्थात् वह सहदायाद या को-पर्सिनरी होता है। मिताक्षरा कानून उत्तर मध्य, पश्चिम एवं दक्षिण भारत में प्रचलित है, दायभाग कानून पूर्वी भारत, बंगाल, पूर्वी बिहार तथा उड़ीसा के कुछ भागों में लागू है। दायभाग पूर्णस्वामी के स्वत्वविनाश के उपरान्त उत्तराधिकारियों के स्वत्व की उत्पत्ति मानता है। इन दोनों कानूनों में महिलाओं की स्थिति निर्भरता की थी। जहाँ स्त्रियों को सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त भी था, वहाँ भी ये अधिकार बिना पूर्ण स्वामित्व के स्त्री के जीवनकाल तक ही सीमित थे। मरुक्कटट्टयम कानून दक्षिण भारत के मातृवंशीय समुदायों में प्रचलित है। जिसके अनुसार उत्तराधिकार स्त्री की वंश परम्परा में होता है, जिसमें पुत्र एवं पुत्रियों दोनों का हिस्सा होता है। आदिवासियों में अपने विशिष्ट प्रथागत कानून प्रचलित हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ने मिताक्षरा, दायभाग जैसे विरासत के परम्परागत नियमों को समाप्त कर दिया। यह अधिनियम मरुक्कटट्टयम प्रथा को मानने वाले समुदायों पर भी लागू हो गया। इस अधिनियम ने उत्तराधिकार में स्त्री का पुरुष के समान अधिकार सुनिश्चित कर दिया। यह एक क्रान्तिकारी कदम था। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार उत्तराधिकार में जिन्हें समान अधिकार प्राप्त ही वे हैं: व्यक्ति की विधवा, माता, पुत्र, पुत्री, पूर्व दिवंगत पुत्र की विधवा, पूर्व दिवंगत पुत्रों एवं पुत्रियों के पुत्र पुत्रियां। स्त्रियों को अब न केवल जीवनपर्यन्त

* एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र नारी शिक्षा निकेतन पी0जी0 कॉलेज, लखनऊ

सम्पत्ति के उपभोग का अधिकार प्राप्त है, बल्कि उन्हें लगभग समान अधिकार भी प्राप्त हैं। यदि किसी हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया की वसीयत छोड़े बिना मृत्यु हो जाती है और उसके परिवार में पुत्र तथा पुत्रियाँ दोनों हैं। उसकी सम्पत्ति में एक मकान भी है जिस पर किसी भी वारिस का कब्जा नहीं है ऐसे में पुत्रियों को हिस्सा तभी मिलेगा, जब पुत्र अपना-अपना हिस्सा चुन लेंगे यद्यपि यदि पुत्री अविवाहित, विधवा या तलाक शुदा है तो उसका कोई भी घर में रहने का अधिकार नहीं छीन सकता वहीं विवाहित महिला को इस प्रावधान का अधिकार नहीं मिलता पुनर्विवाहित विधवाएँ सम्पत्ति की उत्तराधिकारी नहीं मानी जाती हैं।

मुसलमानों में शरीयत के अनुसार स्त्री को उसी कोटि के पुरुष वारिस के मुकाबले आधा हिस्सा प्राप्त होता है। इसाईयों में उत्तराधिकार के कानूनों में भिन्नता विद्यमान है। दक्षिणभारत के कुछ इसाई समुदायों में पिता की सम्पत्ति में स्त्री का हिस्सा एक चौथाई अथवा पाँच हजार रुपये में से जो भी कम हो, है। निश्चित रूप से पारिवारिक कानून स्वतः अमल में नहीं लाये जाते, न्यायिक प्रक्रिया अत्यधिक व्ययपूर्ण है। स्त्रियाँ अपने संबंधों की कीमत पर अधिकार नहीं माँगती अतः वे स्वयं को असुरक्षित समझती हैं व सम्पत्ति पर अधिकार का दावा नहीं करती हैं। आगे चलकर वर्ष 2005 में हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम पारित किया गया जिसमें पिता की मृत्यु के पश्चात् सम्पत्ति में पुत्रियों का अधिकार पुत्रों के बराबर सुनिश्चित किया गया है, लेकिन इस विधान की धारा-6 में शर्त थी, की यह संशोधन उन केसों में ही लागू होगा जहाँ पिता 9 सितम्बर 2005 को जीवित होंगे तथा इसके पहले हुए बंटवारे इस संशोधन से प्रभावित नहीं होंगे। अतः भ्रम की स्थिति बनी हुई थी कि पिता की मृत्यु 2005 के पूर्व हुई हो तो भी क्या बेटियों को यह अधिकार मिलेगा? इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की दो पीठों ने 2016 व 2018 में अलग-अलग दो फैसले सुनाये थे लेकिन इनमें विरोधाभास था।

अतः 11 अगस्त 2020 को तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह फैसला दिया कि संशोधित कानून लागू होने की तिथि (9 सितम्बर, 2005) से पूर्व पैदा हुई बेटी भी पैतृक सम्पत्ति पर अधिकार का दावा कर सकती है। न्यायालय ने यह भी कहा कि जीवित पुत्री पूरे जीवन भर पुत्र की भाँति जन्म से हिस्सेदार (कोपर्सनर) होगी, चाहे पिता जीवित हो अथवा नहीं। बेटी भी जन्म से कोपर्सनर है। अतः पुत्र और पुत्री में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। न्यायालय का यह फैसला भारत में लैंगिक असमानता को दूर करने के मामले में एक क्रान्तिकारी एवं महत्वपूर्ण कदम है। 11 अगस्त, 2020 को न्यायालय द्वारा दिया गया यह फैसला संविधान के न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता के लक्ष्यों को पूरा करता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. कश्यप, सुभाष, 1997, भारत का संविधानिक विकास और संविधान, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय।
2. दुबे, एस.सी. (अनु० वंदना मिश्र), 2002, भारतीय समाज, नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया, नई दिल्ली।
3. भारतीय जनगणना, 2011 के संशोधित एवं वास्तविक आँकड़े, 7 जनवरी 2014
4. हिदुस्तान, बुधवार, 12 अगस्त 2020, लखनऊ, नगर संस्करण।

बालश्रम की अवधारणा एवं इसके कारण

प्रो० उषा मिश्रा*

मोनिका राघव**

बालश्रम को परम्परागत रूप से उन 5 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के कार्य करने के रूप में परिभाषित किया जाता है जो आर्थिक रूप से सक्रिय हैं। वे व्यक्ति जो नियमित रूप से कार्य करते हैं व इसके लिए भुगतान पाते हैं वे आर्थिक रूप से सक्रिय कहे जाते हैं (बुररा, 2005)। जो कार्य बालकों को उनके बचपन, क्षमताओं और सम्मान से वंचित करते हैं व उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए भी हानिकारक हैं, वे बालश्रम के रूप में परिभाषित किये जाते हैं (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, 1997)।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 1992, में बाल श्रमिकों पर अपनी रिपोर्ट में बाल श्रमिकों को अन्य तरह परिभाषित करते हुए लिखा कि ये वे किशोर नहीं हैं जो दिन के कुछ घण्टे और पढ़ाई से समय निकालकर जेब खर्च के लिए कार्य करते हैं। ये वे बच्चे भी नहीं हैं जो पारिवारिक भूमि पर कृषि कार्य में सहायता करते हैं या घरेलू कामों में सहायता करते हैं। बल्कि ये वो मासूम बच्चे हैं, जो 10-18 घण्टे काम करके, कम पैसे पर अधिक श्रम बेचकर बुनियादी शिक्षा और खेल से वंचित रहते हुए भी कभी-कभी परिवारों से अलग होकर रहते हुए व्यस्कों की भांति जिन्दगी बिताने को मजबूर हैं।

बालश्रम की परिभाषा के संबंध विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वान श्रम कार्य की प्रकृति और संभावित दुष्प्रभाव के आधार पर इसे दो भागों, बाल श्रम और बाल कार्य में बांटते हैं। जहां बाल श्रम को बुराई माना जाता है क्योंकि इसमें बच्चे को अपनी शारीरिक क्षमताओं से परे कार्य करने की आवश्यकता होती है नियोजन के घंटे, उसकी शिक्षा, मनोरंजन और आराम के साथ हस्तक्षेप करते हैं, मजदूरी किए गए कार्य की मात्रा के अनुरूप नहीं होती है तथा वह व्यवसाय जिनमें वह लगा है उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डालता है, अर्थात् जब उसका शोषण किया जाता है। इसके विपरीत बाल कार्य में हल्के-फुल्के वे कार्य आते हैं जो बच्चों के विकास में बाधक न हों साथ ही वे अपनी शिक्षा भी जारी रख सकें। कुछ लोग इस वर्गीकरण को सिर से नकारते हुए कहते हैं कि कार्य की प्रकृति चाहे कैसी भी हो वह बालक से विकास में बाधक है और उसके प्राकृतिक स्थल विद्यालय व खेल के मैदान से उसे वंचित करती है। वहीं जो विद्वान इस वर्गीकरण के पक्ष में हैं वे ये तर्क देते हैं कि बाल कार्य, बच्चों में सामाजीकरण, अनौपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण का माध्यम है। लिटन (2002) के अनुसार वे

लोग जो इस विचार के प्रचार में लगे हैं कि 'बाल श्रम' और 'बाल कार्य' के बीच कोई अन्तर नहीं होना चाहिए साथ ही वे बच्चे जो विद्यालय से बाहर हैं, उन्हें या तो बाल श्रमिक या संभावित बाल श्रमिक वर्ग में बांटा जाना चाहिए। वे सभी अस्पष्ट सोच के दोषी हैं और बाल श्रमिकों की स्थिति का अतिशयोक्ति के साथ वर्णन करते हैं, यह भारत को बाल श्रम शिविर के रूप में चित्रित करने जैसा है।

भारत जहां, कार्य बल का एक प्रमुख अनुपात अभी भी कृषि और सम्बन्धित गतिविधियों में नियोजित हैं। बच्चे प्रायः किसी फार्म घर के आवश्यक हिस्से के रूप में कार्य करते हैं अथवा सहायक कामों में माता-पिता की सहायता करते हैं। देश के इस दिए गए सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में 'बाल श्रम' और 'बाल कार्य' के मध्य स्पष्ट अन्तर किये जाने की आवश्यकता है। या तो फार्म में अथवा परिवार केन्द्रित सेवा प्रतिष्ठानों में तथा घरेलू कारीगरी में किसी हल्के और उचित रूप से संरचित कार्य जो उन्हें अवकाश, खेलने तथा शिक्षा के लिए पर्याप्त समय अनुमत करता है, में शामिल बच्चे बाल श्रमिक नहीं हैं बल्कि 'बाल कार्य' कर रहे हैं। 'बाल कार्य' जो कि 'बालश्रम' से भिन्न है, समाजीकरण की अधिक प्रकृति का है तथा कौशलों को ग्रहण करने में सक्षम बनाता है जो बाद में उनके लिए उपयोगी हो सकता है। दूसरी ओर 'बालश्रम' ऐसा काम है जो किसी बच्चे के समग्र शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास को अवरुद्ध करता है (लिटन, 2002)।

गुरुदास समिति (1979) ने अपनी रिपोर्ट में यह माना कि भारत में बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबन्ध सम्भव नहीं है अतः कुछ निश्चित व्यवसायों और प्रक्रियाओं में ही बाल श्रम को प्रतिबन्धित किया जा सका है। गुरुदास समिति की रिपोर्ट पर ही बालश्रम प्रतिबन्धन और विनियमन अधिनियम, 1986 में बाल श्रमिकों के अन्तर्गत उन बच्चों को रखा गया है जो उन व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्यरत हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं व अधिनियम में सूचीबद्ध हैं।

बालश्रम के कारण –

बालश्रम एक जटिल सामाजिक समस्या है जिसके मूल में अनेक कारण हैं। शिक्षा के अधिकार तहत नामांकन की स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है प्राथमिक स्तर पर 97 प्रतिशत नामांकन है परन्तु विद्यालयों में

*पूर्व अध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद वि०वि०

**शोध छात्रा, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद वि०वि०

नियमित उपस्थिति अभी भी चिन्ता का विषय है। नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित न होने का कारण अभी भी उनका श्रम कार्यों में संलग्न होना है। कई छोटी औद्योगिक इकाइयां भारत में बाल श्रमिकों पर अत्याधिक निर्भर हैं (राव, 1996)। इन औद्योगिक इकाइयों के कार्य करना ही बच्चों का विद्यालय में अनुपस्थिति का अकेला कारण नहीं है। गरीबी, बालश्रम का बड़ा कारक है। विभिन्न आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाल श्रम धनात्मक रूप से गरीबी से संबंधित है (सगनो, 2001; कानन, 2001: रामचन्द्रन और मास्सुन, 2002; गिर राष्ट्रीय श्रम संस्थान, 2000; वासु और वेन, 1998; इकबाल, 2009)। परिवार की कम आय बच्चों पर श्रम बाजार में आने का दबाव डालती है (पाटिल, 1988)। परम्परागत रूप से गरीबी को परिवार के सदस्यों में साक्षरता की कमी निम्न मजदूरी/तनखाह, अप्रशिक्षित कार्य और बालकों का श्रम के लिए उपलब्ध होने से संबंधित करके देखा जाता है (लिटैन, 2002)। ननगिया (1987) ने अपने अध्ययन में पाया कि 63.74 प्रतिशत बाल श्रमिक, अपने कार्य करने का कारण गरीबी को ही ठहराते हैं।

भारत की जनसंख्या परिवार में सदस्यों की संख्या का ज्यादा होना और जन्म दर बालश्रम के अन्य बड़े कारक हैं (पीक, 1978; डायसन, 1991; आई.ए.ल.ओ. 1996, लोयड, 1994; को चेरन, 1990)। कुलश्रेष्ठ (1978) ने बालश्रम पर परिवार के आकार के प्रभाव को आनुभाषिक रूप से प्रेक्षित किया। डायसन (1991) ने इस संबंध में कहा कि 'लोगों के पास बच्चे हैं इसलिए बच्चे काम नहीं करते बल्कि बच्चे काम करते हैं इसलिये लोगों के पास बच्चे हैं।' प्रमाण यह संकेत करते हैं कि जिन बच्चों के भाई-बहनों की संख्या अधिक है वह औसत रूप से अधिक घण्टे काम करते हैं, विशेषतः जब वह अपने परिवार में बड़े हो (कानवर्गी और कुलकणी, 1984; लोयड, 1993; जूमो, 1992)।

वृहद परिवार आकार और श्रम उपलब्धता के बीच संबंध के साक्ष्य पाये गये हैं। विकासशील देशों में यह देखा गया है कि परिवार का बड़ा आकार, बच्चे की शैक्षिक प्रतिभागिता और विद्यालय में प्रगति को कम करता है साथ ही अभिभावकों के द्वारा बच्चों की शिक्षा पर किये गए निवेश में भी कमी लाता है (कानवर्गी और कुलकणी, 1984; लोयड, 1994)। निसन्देह परिवार में बच्चों की संख्या बाल श्रम उपलब्धता को निर्धारित करता है और चूंकि प्रजनन व्यवहार बाल श्रमिकों की उपलब्धता का महत्वपूर्ण निर्धारक है (गूटअर्ट और कानबुर, 1994)। यह भी पाया गया है कि भाई बहनों की संख्या, बालश्रम पर सार्थक प्रभाव डालती है (पेट्रीनोस एवं पसेचेरा पोलस, 1993)।

केवल भाई बहनों की संख्या ही नहीं बल्कि जन्मक्रम भी बच्चों के श्रम कार्यों से जुड़ने का एक कारण है। फिलीपींस में एक विस्तृत आर्थिक अध्ययन में पाया गया कि बाजार और घरेलू कार्यों में परिवार के आकार और बालश्रम के बीच संबंध समान नहीं है तथा लिंग व जन्मक्रम पर निर्भर करता है (डीग्राफ एवं अन्य 1993)। प्रजननता का प्रभाव बाल श्रम के संबंध में प्रथम संतान पर अधिक दिखाई पड़ता है (डीग्राफ एवं अन्य, 1993; लोयड, 1993)।

लिंग भी बालश्रम का एक निर्धारक है। अधिकांश यह इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चा लड़का या लड़की। विभिन्न प्रकार के श्रम कार्यों से जुड़ना भी इस बात पर निर्भर करता है। श्रीनिवास (1993) ने अपने अध्ययन में पाया कि बड़े परिवार की लड़कियां वंचित थी परन्तु लड़के नहीं थे। भारत में तमिलनाडु के शहरी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवार, शिक्षा देने में लिंग के आधार पर भेदभाव करते थे। कुछ बच्चे, मुख्यतः लड़कों को गुणवत्तापूर्ण निजी शिक्षा मिली, लड़कियों को घरों में ही रूकना पड़ता था जिनकी मातायें श्रम कार्यों में संलग्न थी (बासू, 1993)। ऐसा पाकिस्तान में भी, परिवार में बच्चों की संख्या पांच होना, लड़कियों की शैक्षिक प्रतिभागिता को सार्थक रूप से कम कर देता है परन्तु लड़कों के संदर्भ में ऐसा नहीं है (कोचरेन, 1990)। विशेषतः औसत रूप से लड़कियों को अधिक घण्टे कार्य करना पड़ता है अगर उनके कई भाई बहन हैं तो और जिम्मेदारी बढ़ती है जैसे-जैसे वह बड़ी होती है (लोयड, 1993; जूमो, 1992)। सांस्कृतिक प्रथायें लड़कियों की शिक्षा में बाधा डालती हैं और बाल रोजगार को प्रेरित करती हैं (वाइनर, 1991)। अधिकांशतः लड़के बाजार संबंधी कार्य में संलग्न होते हैं और लड़कियां घरेलू या खेती के कार्यों में (लोयड, 1993)।

निरक्षरता देश के लिए बड़ी समस्या है। बहुत से प्रयासों के बाद, अभी भी हर सौ व्यक्तियों पर पच्चीस व्यक्ति निरक्षर हैं। वी0वी0 गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (2000) के अनुसार – साक्षरता, बालश्रम से सहसंबंधित है। यह संकेत मिलता है कि साक्षरता और बालश्रम के बीच विपरीत सहसंबंध है। इसके अलावा, आनुभाषिक रूप से बालश्रम और विद्यालय में समर्पित घण्टों में नकारात्मक संबंध पाया गया (रिवेरा-बतिज, 1985)। कुल मिलाकर शिक्षा पद्धति की परिस्थितियां भी बालश्रम की उपलब्धता की महत्वपूर्ण कारक हैं। अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान का न होना और निरक्षरता, बालश्रम के मुख्य कारण हैं (कुलश्रेष्ठ, 1978; वाइनर, 1991; भट्टी, 1998)।

विद्यालयी शिक्षा, बच्चों को श्रम बाजार से दूर रखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकर्ता है। विद्यालयी शिक्षा पर किये जाने वाले प्रत्यक्ष खर्च जैसे –किताबें, लेखन

सामग्री, ड्रेस आदि बहुत से परिवारों के लिए वहन करने योग्य नहीं हैं (सिन्हा एवं सिन्हा, 1995; भट्टी, 1998)। अध्ययन में यह भी पाया गया कि कम नामांकन बाल रोजगार की दर को बढ़ा देता है (कानवर्गी एवं कुलकर्णी, 1984; आई. एल. ओ., 1992) अन्य अध्ययन में पाया गया कि विद्यालय छोड़ने वाले केवल 20 प्रतिशत बच्चे ही ऐसे थे जो कार्य हेतु भुगतान पाते थे (सीधारामु और देवी, 1985)। इसका मतलब बच्चे 80 प्रतिशत बच्चे ऐसे कार्यों में संलग्न थे जिनके लिए उन्हें भुगतान नहीं मिलता था। इससे यह भी प्रदर्शित होता है कि या तो वे घरेलू कार्य, कृषि कार्य तथा छोटे भाई-बहनों की देखभाल में संलग्न थे या केवल विद्यालय ही छोड़ा था। विद्यालय संबंधी समस्याएँ भी बच्चों को छोटी उम्र में श्रम कार्यों में संलग्न होने के लिए मंच प्रदान करती हैं। शैक्षिक सुविधाओं की अनुपलब्धता बच्चों के विद्यालय छोड़ने, नामांकन न कराने और श्रम कार्य हेतु दबाव बनाती हैं। (इकबाल, 2009)।

भारत में सर्वाधिक नाबालिग श्रमिक होने का एक बड़ा कारण यह है कि 8.2 करोड़ बच्चे स्कूल ही नहीं जाते हैं (वाइनर, 1991)। बहुत बार बच्चे बस रोजगार खोजते हैं क्योंकि वहाँ विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं (या तो उनके घर से बहुत दूर हैं या है ही नहीं)। जहाँ शिक्षा उपलब्ध है, शिक्षा के निम्न स्तर के कारण विद्यालय में उपस्थिति को छात्र अपना समय बर्बाद करना समझते हैं। इसलिए बच्चे और उनके अभिभावक विद्यालयी शिक्षा के महत्व को नहीं मानते। बहुत से प्रगतिशील क्षेत्रों में विद्यालयमें विभिन्न समस्याएँ जैसे – अत्याधिक भीड़, अपर्याप्त सफाई व्यवस्था और उदासीन अध्यापक हैं। परिणामस्वरूप, अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजना नहीं चाहते जबकि बच्चे घर पर रहते हैं (लड़कियाँ घरेलू कार्यों हेतु व लड़के कृषि संबंधी कार्य हेतु) और कौशल सीखते हैं वह परिवार की आय में वृद्धि करते हैं। वॉनेट (1993) ने अध्ययन में पाया कि शिक्षा पद्धति की असफलता, बालश्रम का प्रत्यक्ष कारण है।

अभिभावकों की शिक्षा का निम्न स्तर भी बालश्रम के निर्धारण में अपना योगदान देता है (आई.एल. ओ., 1992)। क्योंकि अभिभावकों का अपने बच्चों पर अत्याधिक नियंत्रण होता है और ये भारत के संदर्भ में और ज्यादा हो जाता है। विद्यालय के मूल्य के प्रति उनकी अवधारणा, विद्यालय में बच्चे की उपस्थिति का मुख्य निर्धारक है। जो अभिभावक पढ़े लिखे होते हैं वे विद्यालय के महत्व को समझते हैं। उसी रूप में, अभिभावकों की शिक्षा बच्चों के विद्यालयी शिक्षा और रोजगार के निर्धारण में सार्थक भूमिका निभाती है (देवी, 1979; कानवर्गी एवं कुलकर्णी 1984)। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक स्वतंत्र अध्ययन (2008) के आंकलन में पाया गया कि 6-10 वर्ष आयुवर्ग के 3.7

प्रतिशत बच्चे और 11-13 वर्ष आयुवर्ग के 5.2 प्रतिशत बच्चे, विद्यालय से बाहर हैं। लगभग 80 लाख बच्चे 6-13 वर्ष आयुवर्ग के विद्यालय से बाहर हैं, जिसमें 67 लाख ग्रामीण और 13 लाख शहरी क्षेत्र से संबंध रखते हैं (ए. एस.ई.आर., 2009)।

बच्चों पर प्रायः उनके अभिभावकों द्वारा कार्य करने के लिए दबाव बनाया जाता है। रोजगार हेतु प्रेरक स्रोत का 62 प्रतिशत अभिभावकों द्वारा ही प्रतिनिधित्व किया जाता है, केवल 8 प्रतिशत बच्चों ने कार्य करने का निर्णय स्वयं लिया (सैयद, 1991)। विकासशील देशों में, अभिभावक बच्चों के कार्य करने की योग्यता का प्रयोग करते हैं, साक्ष्य बताते हैं कि अभिभावक, बच्चों को लागत-लाभ के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं (सिंह एवं सचुह, 1986)। बच्चे, परिवार की आय में सार्थक योगदान देते हैं। विकासशील देशों में, भारत के समान ही, गरीब परिवारों में बच्चों का मतलब प्रायः अधिक कमाई से है।

अभिभावकों का किसी विशेष कार्य में लगे होना, बच्चों को भी उसी कार्य में लगने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रायः बच्चे और उनके अभिभावक एक ही व्यवसाय में कार्य करते हैं (जूमो, 1992) अभिभावकों के कार्य की प्रकृति भी मायने रखती है अगर अभिभावक अनियमित रोजगार में हैं, तो यह अतिरिक्त या अधिक स्थाई आय स्रोत की आवश्यकता को जन्म देती है और यह बच्चों द्वारा जुटाई जाती है। परिवार के लिए रोजी-रोटी कमाने वाले प्रौढ़ का बेरोजगार होना मुख्य कारण है परिवार के छोटे सदस्यों के काम करने का (कुलश्रेष्ठ, 1978; पाटिल, 1988)। पुरुष सदस्यों का बेरोजगार होना, बच्चों पर छोटी आयु में कार्य करने का दबाव बनाता है। पुरुषों में बेरोजगारी, साथ ही प्रवास या पलायन में वृद्धि और पुरुषों में नशाखोरी, बच्चों और महिलाओं को श्रमबल बनने को मजबूर करते हैं (विश्व बैंक, 1991)। यह भी देखा गया है कि घरेलू कार्य करने वाली महिला जब खुद काम पर नहीं जाती तो अपनी जगह अपनी बच्ची को भेज देती है।

जाति भी बालश्रम के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाल श्रमिकों की उपलब्धता उस समुदाय के गुणों/विशेषताओं द्वारा भी निर्धारित होती है जिसमें परिवार सदस्य रहते हैं, विशेषतः सामाजिक संरचना पर (डिग्राफ एवं अन्य, 1993)। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (1992) के अनुसार भारत में 80 प्रतिशत बच्चे कृषि व कृषि संबंधी व्यवसायों में कार्यरत हैं। अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि 86 प्रतिशत बन्धुवा मजदूर, भारत में कृषि क्षेत्र में पाये जाते हैं। इनमें अधिकतर बच्चे अनुसूचित जाति व जनजाति के हैं। ननगिया (1987) ने यह पाया कि अगर भारत में पाये गये बाल श्रमिकों की संख्या की देश में मौजूद अनुसूचित जाति से तुलना की

जाए तो यह पाया गया कि अनुसूचित जाति के बच्चे तुलनात्मक रूप से उच्च अनुपात में कार्यों में संलग्न हैं। परिवार की गरीबी के कारण अनुसूचित जाति के बच्चों पर श्रम करने हेतु दबाव होता है। भारत, जहां जाति एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवारों के सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक आर्थिक स्तर का, यह बच्चों के विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में कार्य करने का भी निर्धारक है (पीक, 1978; देवी, 1979; पाटिल, 1988)।

अनेक अध्ययनों के निष्कर्ष रूप में पाया गया कि ऋणग्रस्तता एक महत्वपूर्ण कारक है। ऋणग्रस्तता, गरीबी से सहसंबंधित कारक है और बहुत से अध्ययनों में पाया गया कि यह बालश्रम का भी कारक है (लिटन, 2002)। श्रम और ऋणग्रस्तता में जबर्दस्त सकारात्मक सहसम्बन्ध पाया गया (देव एवं स्त्री 2002)। पारिवारिक आय की वृद्धि हेतु अभिभावक अपने बच्चों को कार्य करने भेजते हैं। क्योंकि कमाने वालों की संख्या अधिक होना भविष्य में आर्थिक सुरक्षा देती है। ग्रामीण भारत से प्राप्त साक्ष्यों द्वारा यह निश्चित होता है कि बाल श्रम गरीबी परिवारों के स्वबीमा हेतु सार्थक उपाय है। यह देखा गया है कि जब परिवार की आय में परिवर्तनशीलता बढ़ती है तो बच्चों की विद्यालयमें उपस्थिति घटती है (गूटएट एवं कानबुर, 1994)।

सरकारी नीतियों का बालश्रम के आपतन पर गहन प्रभाव पड़ता है। यहां राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। सरकारी नीतियों द्वारा बहुत से कारकों को प्रभावित किया जा सकता है जो बाल श्रमिकों के परिवार से संबंधित है। इन कारकों में विशेष रूप से सामाजिक व्यय का स्तर, सामाजिक ढांचा, सामाजिक स्तरीकरण, यहां तक की सम्पूर्ण आर्थिक विकास आते हैं। जहां आर्थिक विकास निम्न है और गरीबी व असमानता समाज को विशेषता हो वहां बालश्रम का आपतन अधिक होता है (यूनीसेफ, 1986)।

विभिन्न अध्ययनों में पाये गये अन्य मुख्य कारण—किसी भी कारण अभिभावकों द्वारा अवहेलना, जागरूकता की कमी, मंहगी विद्यालयी शिक्षा परिवार हेतु भत्ते की योजना न होना, अभिभावकों की बेरोजगारी, परिवार के पुरुष सदस्यों की बेरोजगारी, उच्च निर्भरता अनुपात, कार्य सहभागिता अनुपात, पोषण संबंधी गरीबी और घर में मवेशियों की संख्या, शैक्षिक आकांक्षा का निम्न स्तर हैं (कुलश्रेष्ठ, 1978; वर्ड बैंक, 1991; यूनेस्को, 2001; लिटन, 2002; कानन 2001; मेहता, 2015)।

सन्दर्भ सूची

1. भट्टी, के0 (1998) ए जूकेशनल डिप्राइवेशन इन इंडिया ए सर्वे ऑफ फील्ड इन्वेस्टिगेशन, इकॉनॉमिक एण्ड पॉलिटिक वीकली, 33(27), 1731-40.

2. वॉनेट, के0 (1993), चाइल्ड लेबर इन अफ्रीका, इंटरनेशनल लेबर रिव्यू, 132(2), 371-389
3. सिगनो, ए0 एवं फुरिओ, सी0आर0 (2001), चाइल्ड लेबर, एजुकेशन फर्टीलिटि एण्ड सर्वाइवल इन रुरल इंडिया, पेपर ईरेवॉक कॉन्फेरेन्स ऑन चाइल्ड लेबर इन साउथ एशिया, 15-17 अक्टूबर, जे.एन.यू. न्यू देहली
4. कॉचरेन, एस0, कॉजेल, वी0 एवं ए लडरमेन, एच0 (1990), हाउसहोल्ड कॉनसीक्यूए 'सेज ऑफ हाई फर्टीलिटि इन पाकिस्तान, वर्ड बैंक डिस्कशन नं0 111 वाशिंगटन, डी0सी0
5. डीग्राफ, डी0ए स0, बिल्सबोरो, आर0ई0 एवं हेररीन, ए0एन0 (1993) द इंप्लीकेशनस ऑफ हाई फर्टीलिटि फॉर चिल्ड्रेनस टाइम यूज इन द फिलीपिंस, लिया गया है लॉयड, सी0बी0 (ए जु0), फर्टीलिटि, फेमिली साइज एण्ड स्ट्रक्चर - कॉनसीक्यूए 'सेज फॉर फेमिली एण्ड चिल्ड्रेन प्रोसीडिंग ऑफ ए पॉयुलेशन काउंसिल सेमिनार, न्यूयार्क 9-10 जून 1992 द फाफलेशन काउंसिल, न्यूयार्क।
6. देव, एम0एस0 एवं रवी, सी0 (2002), 'फूड सिक्योरिटी एण्ड चाइल्ड वर्क इन साउथ इंडिया: डिटार्मेंट एण्ड पॉलिसिज : लिया गया है। रामचन्द्रन, एन0 एण्ड मासुन, एल0 (एजु0) कर्मिंग टू ग्रिपस विद रुरल चाइल्ड वर्क, ए फूड सिक्योरिटी एप्रोच (192-215) न्यू दिल्ली, इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डिवलपमेंट।
7. देवी, एस0 (1979), चाइल्ड वर्कर्स इन हरियाणा, सोशल वेलफेयर, खण्ड-26, नं0 7, अक्टूबर, 34-35
8. डायसन, टी (1991) चाइल्ड लेबर एण्ड फर्टीलिटि : ए ओवरव्यू, एन असेसमेंट, एण्ड एन अल्टरनेटिव फेमवर्क (81-100) लिया गया है कनवर्गी, आर0 चाइल्ड लेबर इन द इंडियन सब कॉन्टीनेंट, डाइमेंशनस एण्ड इंप्लीकेशनस न्यू दिल्ली
9. गूटअर्ट, सी0 एवं0 कनबुर, आर0 (1995) चाइल्ड लेबर : एन इकॉनॉमिक पर्सपेक्टिव, इंटरनेशनल रिव्यू, 134, (2) 187-203
10. आई0ए ल0ओ0 (1996) चाइल्ड लेबर : टार्गेटिंग द इनटोलेरे बल रिपोर्ट आई0एल0ओ0 : जेनेवा
11. आई0 एल0 ओ0 वर्ड लेबर रिपोर्ट (1992) जेनेवा
12. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (2006), 'कामकाजी बच्चों के पुनर्वास के लिए नीति और कार्यक्रम और राष्ट्रीय बालश्रम परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए पुस्तिका' केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मुद्रित, नागपुर, पृष्ठ संख्या।
13. आई.एल.ओ (2013), 'मार्किंग प्रोग्रेस अगेंस्ट चाइल्ड लेबर : ग्लोबल एस्टीमेट एण्ड ट्रेंड्स' (2000-2012)

14. आई.ए. ल.ओ. (2015), 'मेजरिंग चिल्ड्रेन्स वर्क इन साउथ एशिया; परसपेक्टिव फ्रॉम नेशनल हाउसहोल्ड सर्वेज; 2015
15. नेशनल सेम्पल सर्वे (2011-12), 'एम्प्लोयमेन्ट अनएम्प्लोयमेन्ट सर्वे' राउन्ड 68
16. यूनीसेफ (2014), 'आल चिल्ड्रेन इन स्कूल बाई 2015 : ग्लोबल इनजीसिएटिव ऑन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन' साउथ एशिया रीजनल स्टडी।
17. बुररा नीरा (2005), 'क्रूसेडिंग फॉर चिल्ड्रेन इन इंडियाज इन फॉरमल इकॉनॉमी', इकॉनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, खण्ड-4, संख्या 49 (दिसम्बर 3.9.2005) पृष्ठ संख्या 5199-5208
18. आई.ए. ल.ओ./यूनीसेफ (1997) : स्ट्रेटेजीज फॉर एलीमिनेटिंग चाइल्ड लेबर : प्रीवेन्शन, रिमोवल एण्ड रिहेबिलिटेशन (सिंथेसिस डाक्यूमेन्ट), इन्टरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन चाइल्ड लेबर, ऑस्लो, नार्वे, अक्टूबर।
19. लिटन, जी.के. (2002), 'चाइल्ड लेबर इन इंडिया, डिसेनटेंगलिंग एसेंस एण्ड सोल्युशन', इकॉनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, खण्ड 37, संख्या 52, दिसम्बर 28 पृष्ठ संख्या 5191
20. जमो के.एस. (1992) चाइल्ड लेबर इन मलेशिया, क्वालालम्पुर; वर्लिन प्रेस।
21. कनवर्गी, आर. एवं कुलकर्णी, पी.एम. (1991), चाइल्ड वर्क, स्कूलिंग एण्ड फर्टिलिटी इन रुरल कर्नाटक, इंडिया, सेज पब्लिकेशन।
22. कानन, के.पी. (2001), इकॉनॉमिक्स ऑफ चाइल्ड लेबर, न्यू दिल्ली : डीप एण्ड डीप
23. कुलश्रेष्ठ, पी.के. (1992), द इफेक्ट ऑफ स्कूल इनवॉयर्समेन्ट ऑन एडजस्टमेन्ट, स्टडी हेण्डबुक एण्ड एचीवमेन्ट ऑफ हाईस्कूल स्टूडेंट्स, पी.एम.डी. एजुकेशन, आगरा विश्वविद्यालय, फिफथ सर्वे ऑफ एजुकेशनल रिसर्च (1958-92) एबस्ट्रैक्ट संख्या 2 नई दिल्ली : एन.सी.ई.ओ.आर.टी.ओ
24. लिटन, जी.के. (2002), पॉवर्टी ऑफ नंबर एण्ड नेगलेक्ट ऑफ पॉवर्टी, पेपर प्रीजेन्टेड एड थर्ड इन्टरनेशनल कॉन्फेरेन्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ लेबर हिस्टोरियन्स, मार्च 14-16, 2002, वी.वी. गिरि नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नई दिल्ली।
25. लॉयड, सी.बी. (1993), फर्टिलिटी, फेमिली साइज सण्ड स्ट्रक्चर कॉनसीक्यूएंसिज फॉर फेमिली एण्ड चिल्ड्रेन, प्रोसीडिंग ऑफ व पोपुलेशन काउंसिल सेमिनार, न्यूयार्क 9-10 जून, 1992 द पोपुलेशन काउंसिल, न्यूयार्क।
26. लॉयड सी.बी. (1994), इन्वेस्टिंग इन द नेक्सट जनरेशन : द इंप्लीकेशन ऑफ हाई फर्टिलिटी एण्ड द लेबर ऑफ द फेमिली रिसर्च डिविजन वर्किंग पेपर नं० 63. न्यूयार्क पोपुलेशन काउंसिल, न्यूयार्क।
27. ननार्गया, पी. (1987), चाइल्ड लेबर : कॉज - इफेक्ट सिंक्लेम, नई दिल्ली : जनक पब्लिसर्स,
28. पाटिल, बी.आर. (1988), वर्किंग चिल्ड्रेन इन अर्बन इंडिया, बंगलौर : डी.बी. पब्लिसर्स प्राइवेट लिमिटेड।
29. पेटीनोस, एच.ए. एवं पसेचेरोपोलस, जी. (1995), एजुकेशनल पर्फॉमेन्स एण्ड चाइल्ड लेबर इन पेशावे, इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेन्ट, 15 (1), 47-60
30. राजचन्द्रन, एन. एवं मासुन, एल. (2002), कमिंग टू ग्रिप विद रुरल चाइल्ड वर्क, ए फूड सिक्योरिटी अप्रोच, नई दिल्ली : इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेन्ट
31. राव, डी.बी. (1996), ए साइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल (संख्या - 1-5), नई दिल्ली, इंडिया : डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस।
32. रिवेरा, बाटिज, एफ.एल. (1985), चाइल्ड लेबर पैटर्नस एण्ड लेजिसलेशन इन रिलेशन टू फर्टिलिटी, डिपार्टमेन्ट ऑफ इकॉनॉमिक्स, इंडियाना यूनिवर्सिटी, बलूमिंगटन, शिरूर, पी.एम. वी. शिखर, एस. (2008), एजुकेशन, चाइल्ड लेबर एण्ड एन.सी.ई.ओ., नई दिल्ली, शिल्पा पब्लिकेशनस।
33. श्रीनिवास, एस. (1993) फेमिली साइज, स्ट्रक्चर एण्ड चिल्ड्रेनस एजुकेशन; इथनिक डिफरेंशियल ऑवर टाइम इन पेनीनसुअर मलेरिया, लिया गया है लोयड सी.बी. (एजु. फर्टिलिटी, फेमिली साइज एण्ड स्ट्रक्चर कॉनसीक्यूएंसिज फॉर फेमिलीज एण्ड चिल्ड्रेन, प्रोसीडिंग ऑफ ए पीपुलेशन काउंसिल सेमिनार, न्यूयार्क, 9-10 जून, 1992, द पोपुलेशन काउंसिल, न्यूयार्क।

अज्ञेय का काव्य शिल्प

डॉ० मंजरी खन्ना*

यों मे कवि हूँ आधुनिक हूँ नया हूँ
काव्यतत्व की खोज में कहाँ नहीं गया हूँ ?
चाहता हूँ आप मुझे
एक-एक शब्द पर सराहते हुए पढ़ें
पर प्रतिमा- अरे, वह तो
जैसी आपको रूचे आप स्वयं गढ़ें।

अज्ञेय

एक मनस्वी, चिंतनशील, सजग, जागरूक एवं प्रतिभासम्पन्न रचनाकार कभी भी संतुष्ट नहीं होता। वह तो अनथक साहित्य के नए-नए क्षितिजों के अन्वेषण में संघर्षरत रहता है। वह इस बात की चिंता नहीं करता कि आलोचकवर्ग उसकी तस्वीर को किस चौखटे में जड़ेगा, वह तो बस निर्विकार भाव से तपस्या करता है और अपने अभियान के मार्ग में आने वाली अंधकारमय रवाइयों में बिना डरे ही कूद पड़ता है। जो भी पाता है उसे स्वयं को भट्टी बनाकर उसमें गलाता, चमकाता है और फिर उसे 'पुष्प सा, सलिल सा, प्रसाद सा, कंचन सा, शस्य सा, पुण्य सा, अनिर्वच आह्लाद-सा' बनाकर लुटा देता है। अपने यौवन को स्वाधीनता आन्दोलन की आहुति में समर्पित करने वाले, प्रयोगशील काव्यान्दोलन के पुरोधा, सत्यान्वेषक, परम्परा और प्रयोग में नया रिश्ता बनाने वाले आधुनिक भावबोध के प्रवर्तक कवि अज्ञेय ऐसे ही तपस्वी साधक थे।

सन् 1929-1932 के दौरान रची गयी कविताओं का प्रथम संग्रह 'भग्नदूत' (1936) से लेकर 1986 में प्रकाशित 'ऐसा कोई घर आपने देखा है' तक की लम्बी काव्य यात्रा अज्ञेय की प्रयोगधर्मिता का सबल सम्बल पाकर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद के पड़ावों को पार करती हुई नई कविता तक पहुँची। यह सर्वविदित है कि छायावाद के रंगीन कल्पना वैभव ने, सूक्ष्मता और कोमलता ने, समाजनिरपेक्षता ने प्रगतिवादी काव्यधारा को जन्म दिया। प्रगतिवाद जब शोषकों के उत्पीड़न और अन्यायों, अनाचारों का तथा शोषितों के दुःख दर्द और संघर्षों का चित्र खींचते-2 थक गया तब अज्ञेय ने प्रथम तारसप्तक का प्रकाशन कर, नई राहों के सात अन्वेषियों के साथ साहित्य जगत में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई। सप्तक की भूमिका में बार-बार 'प्रयोग' शब्द का प्रयोग किये जाने के कारण समीक्षकों ने इसे 'प्रयोगवाद' नाम दे दिया। नवानुभूति सम्पन्न इन सात जीवन-सत्यों को नई संवेदनाओं को, विज्ञान और यांत्रिकता के दबाववश उपजी संभावित युद्ध की आंशका को, मृत्यु के भयवश उत्पन्न असहायता और निरर्थकता को मानवीय अर्थ दिया, वही दूसरी और सफल अभिव्यक्ति के लिए

नवीन शिल्प के गठन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। नए-नए शिल्पगत प्रयोग कर काव्य जगत में क्रान्ति सी ला दी।

प्रयोगवादियों का मानना था कि 'जीवन की भौंति काव्य भी एक चिर गतिशील सत्य है जिसकी वास्तविक साधना शोध, अन्वेषण एवं प्रयोग है। अतैव वस्तु और शैली दोनों ही के क्षेत्र में ये काव्य के पूर्ववर्ती उपादानों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और नवीन उपकरणों को आग्रहपूर्वक ग्रहण करते हैं'। चूँकि अज्ञेय इस धारा के पुरोधा थे अतः उनमें शैली-शिल्प के क्षेत्र में प्रयोग का उत्कट आग्रह देखने को मिलता है। अज्ञेय का मानना था कि जो व्यष्टि का अनुभव है उसे समष्टि तक कैसे पहुँचाया जाये, यही पहली समस्या है जो प्रयोगशीलता को ललकारती है। अज्ञेय ने कविता में संप्रेषण को, संप्रेषण की परिस्थितियों से अधिक महत्व दिया है। वे जानते थे कि संप्रेषण की स्थितियों को समझे बिना काव्य का मूल्यांकन तो दूर, सही अर्थ ग्रहण भी नहीं किया जा सकता। द्वितीय तारसप्तक की भूमिका में साधारणीकरण के सिद्धान्त का पालन न करने के आरोप का उत्तर देते हुए अज्ञेय ने स्पष्ट लिखा है- 'वे न केवल इस सिद्धान्त को मानते हैं वरन् इसी से प्रयोगों की आवश्यकता भी सिद्ध करते हैं। यह मानना होगा कि सभ्यता के विकास के साथ-साथ हमारी अनुभूतियों का क्षेत्र भी विकसित होता गया है और अनुभूतियों को व्यक्त करने के हमारे उपकरण भी विकसित होते गये हैं। यह कहा जा सकता है कि हमारे राग-विराग नहीं बदले-प्रेम अब भी प्रेम है और घृणा अब भी घृणा, यह साधारणतया स्वीकार किया जा सकता है। पर यह भी ध्यान में रखना होगा कि राग वही रहने पर भी रागात्मक सम्बन्धों की प्रणालियाँ बदल गयी हैं और कवि का क्षेत्र रागात्मक सम्बन्धों का क्षेत्र होने के कारण इस परिवर्तन का कवि कर्म पर बहुत गहरा असर पड़ा है'। प्रगतिवादियों ने महसूस किया कि वास्तविकता से सत्य से जुड़ने के लिए यह परिवर्तन आवश्यक है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नवीन शिल्प का निर्माण किया।

अज्ञेय ने भाषा के प्रश्न पर बहुत गहराई से विचार किया है। अज्ञेय ने 'आत्मनेपद' में एक स्थान पर लिखा है कि अच्छी भाषा अपने आप में एक सिद्धि होती है और वो ऐसी भाषा का सदा सम्मान करते हैं। आगे उन्होंने स्पष्ट किया है कि अच्छी भाषा से उनका अभिप्राय अलंकरण या चमत्कार से नहीं वरन् भाषा और अनुभूति के अद्वैत को स्थापित करने से है और उनके अनुसार यह अद्वैतता शब्दों के उचित और सार्थक प्रयोग पर आधृत

है। उन्होंने तारसप्तक में लिखा भी है— “काव्य सबसे पहले शब्द है और सबसे अन्त में भी यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द है। सारे कवि-कर्म इसी परिभाषा से निःसृत होते हैं। शब्द ज्ञान, शब्द की अर्थवत्ता की सही पकड़ ही कृतिकार को कृतिकार बनाती है। ध्वनि, लय, छन्द आदि के सभी प्रश्न इसी में से निकले हैं और इसी में विलय होते हैं।” अज्ञेय ने शब्दों के महत्व पर अपनी रचनाओं में अनेकानेक विचार व्यक्त किए हैं। ‘शब्द’ नामक कविता में अज्ञेय ने कवियों के तीन वर्गों का उल्लेख कर शब्दों के महत्व को बढ़े ही रोचक अन्दाज में अभिव्यक्त किया है। पहला वर्ग ऐसे कवियों का है जो शब्द को कंकणवत् मानते हैं और ‘कूट लो, पीस लो, छान लो, डिबियों में डाल दो, थोड़ी सी सुगन्धि दे कर, कभी किसी मेले के रेले में कुंकुम के नाम पर निकाल” देते हैं। दूसरा वर्ग शब्दों का सोच समझकर प्रयोग करता है चूँकि उसके लिए शब्द सीपीवत् होते हैं। तीसरा वर्ग, जिसके प्रतिनिधि स्वयं अज्ञेय थे, शब्दों को नैवेद्य की भाँति अनुभूति की अभिव्यक्ति का सबसे पवित्र साधन मानता है— “किसी को शब्द नैवेद्य, थोड़ा सा प्रसादवत्, मुदित, विभोर, वह पाता है।” सत्यान्वेषक अज्ञेय का मानना था कि यदि ‘शब्द’ काव्य है तो ‘सत्य’ उसका प्रयोजन है। इसीलिए उन्होंने आजीवन शब्द और सत्य को मिलाने का ही प्रयास किया—

ये दोनों जो

सदा एक दूसरे से तन कर रहते हैं, कब, कैसे, किस आलोक स्फुरण में

इन्हें मिला दूँ—

दोनों जो हैं बन्धु, सखा, चिर सहचर मेरे।

अज्ञेय शब्दों के अहेरी भी थे, सन्धाता भी और स्रष्टा भी। छायावादियों ने जहाँ भाषा की अर्जित संपत्ति को महत्व दिया वही अज्ञेय ने भाषा में, शब्दों में निहित सर्जनशीलता को पहचान कर नए सिरे से उसका संस्कार किया। प्रयोगवाद के जन्मकाल के समय उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि आज का कवि भाषा की बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है वह भाषा की क्रमशः संकुचित होती सार्थकता की केंचुली फाड़कर उसमें नया, अधिक व्यापक, अधिक सारगर्भित अर्थ भरना चाहता है। अज्ञेय ने स्वयं भी अनुभूतिगत सत्य को सहृदयों में ज्यों का त्यों उतराने के लिए परम्परागत शब्दों को नई अर्थ चेतना से दीप्त कर नए-नए शब्दों का निर्माण किया। जैसे—मेघाली, उन्नीत, लालियाँ, ललाकार, ललाती, झोंप, अधियाला, लताली, लकदक, गुजलकें, दिपते, मनिमारी, अनुकूलों, आत्मता, प्रखरा, कुरमुराता, न्यौतती, बुदकती, लहरिल, मतियाया आदि।

अज्ञेय का शब्द चयन कौशल सराहनीय है। मुँहझँसी चिमनियाँ, हवा कटखनी, न्हाई कुई, अमुखर

नारियाँ, पिपियाते पंछी, नंगी डाकिनी, रासायनिक साँपिने, पर्वती गाँव, कज्जल—पुता जैसे प्रयोग इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है अज्ञेय ने निःसंकोच जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ी भाषा का व्यवहार किया है। श्रम के महत्व को बताने वाली भाषा की अनूठी सर्जना बानगी रूप में प्रस्तुत है—

यह जो कीचड़ उलीचता है,

यह जो पापड़ बेलता है, बीड़ी लपेटता है, वर्क कूटता है, धौंकनी फूँकता है, कलाई गलाता है, रेड़ी ठेलता है, चौक लीपता है, बासन भांजता है, ईटें उछालता है, रूई धुनता है, गारा सानता है, खटिया बुनता है।

अज्ञेय की आरम्भिक रचनाओं भग्नदूत, चिंता, आदि में छायावाद से प्रभावित माधुर्यगुण युक्त तत्सम् प्रधान कोमलकान्त शब्दावली प्रयुक्त हुई है। उदाहरणार्थ—

इसी में उषा का अनुराग

इसी में भरी दिवस की श्रान्ति

इसी में रवि की सान्ध्यमयूज

इसी में रजनी की उद्भ्रान्ति।

कालान्तर में ‘हरी घास पर क्षण भर’ में संग्रहीत कविताएँ भाषा की नई भाव—भंगिमा लेकर उपस्थित हुई। ‘कलगी बाजरे की’ कविता में शब्दों का नया संघटन, नया सौन्दर्य देखते ही बनता है। अज्ञेय बहुअधीत थे, उनका ज्ञान क्षेत्र अति विस्तीर्ण था। अतः तत्सम्, तद्भव, देशज, लोकभाषा के शब्दों का संश्लिष्ट प्रयोग कर उन्होंने भाषा को एक नया आयाम दिया। डॉ० राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार “काव्यभाषा के प्रसंग में अज्ञेय की जागरूकता, वैचारिक और रचनात्मक दोनों स्तरों पर दिखाई देती है। नदी के द्वीप कविता की भाषा में जो प्रवाह, वैचारिक तत्व, शब्द प्रयोग एवं प्रतीक हैं अपनी शक्ति से पाठक को अभिभूत कर लेते हैं।”

द्वीप हैं हम

यह नहीं है शाप। यह अपनी नियति है।

हम नदी के पुत्र हैं। बैठे नदी के क्रोड़ में।

वह वृहद् भूखण्ड से हमको मिलाती है।

और वह भूखण्ड अपना पितर है।

अज्ञेय की काव्य भाषा की शक्ति का प्रमुख स्रोत तद्भव शब्दावली है। ‘बावरा अहेरी’ और उसके उपरान्त लिखी कविताओं में तद्भव और देशज शब्दों के प्रति बढ़ते लगाव को स्पष्ट देखा जा सकता है। इससे भाषा में अद्भुत सहजता और स्वाभाविकता आ गयी है। अज्ञेय जानते थे कि देसी और बोलचाल की शब्दावली ही जनजीवन से जुड़ाव का सर्वाधिक सफल माध्यम है। तद्भव शब्दावली से निर्मित ‘बाँगर और खादर’ नामक कविता का यह शब्द बिम्ब देखते ही बनता है —

गाँवों में गवाँर

उसी में नहाते हैं,

कपड़ा भीचते हैं, आचमन करते हैं,

डॉंगर भँसाते हैं,
उसी से पानी उलीच पहले सींचते है
और जो मर जाये उसकी मिट्टी भी, वहीं होनी बदी है।
कविता को परिवेश से जोड़ने के लिए अज्ञेय ने
जहाँ एक और ठेठ देसी बोलचाल की भाषा का व्यवहार
किया है वहीं दूसरी ओर उर्दू अंग्रेजी के शब्दों के
बेझिझक, बेहिचक प्रयोग का जोखिम भी उठाया है—

पार्क की बेंच

उजड़ा सूनसान पार्क

उदास गीली बेंच।

तथा

इस पर्वती गाँव में

छोटी से छोटी चीज की भी दरकार है

आज की भूख बेबसी की

बेमुरव्वत मार है।

अज्ञेय की काव्य भाषा का अध्ययन करने के
उपरान्त हम चतुर्वेदी जी के शब्दों में कह सकते हैं कि
—“अज्ञेय की कविता भाषा में अर्थक्षमता का मूल स्रोत
तद्भव शब्दावली है। तद्भव शब्दावली वह आदर्श
सन्तुलन की स्थिति है जो तत्सम्, विदेशी, लोक प्रचलित
या कि देशज शब्दों से भी अलग पर उनके केन्द्र में से
उभरती है और यही अज्ञेय की काव्य भाषा की
सृजनात्मकता का मूल रहस्य छिपा है।”

अज्ञेय मौन के अनन्य साधक थे। संप्रेषणीयता
के लिए आवश्यक है कि कवि नई व्यंजना का आश्रय ले
और अज्ञेय साहित्य में यह नई व्यंजना है— मौन का
विभावन। मौन के महत्व को स्वीकारते हुए अज्ञेय लिखते
है—

एक मौन ही है जो अब भी

नयी कहानी कह सकता है

इसी एक घट में नवयुग की

गंगा का जल रह सकता है।

मौन को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना अज्ञेय
की मौलिक अवधारणा है। उनका मानना था कि कवि
शब्दों का ही अर्थगर्भ उपयोग नहीं करता वरन् अर्थगर्भ
मौन का भी उपयोग करता है। डॉ० नामवर सिंह ने अज्ञेय
की इस मौन साधना के संदर्भ में कहा है—“काव्य भाषा
विषयक ‘मौन’ के चरम दर्शन पर विचार करना
अप्रासंगिक न होगा जिसे अज्ञेय ने ‘असाध्य वीणा’ जैसी
कविताओं में अत्यन्त सफलता के साथ व्यक्त किया है।”
जब कवि को लगता है कि वह भाषा द्वारा अपने को
वाणी देने में अक्षम है तब वह मौन का आश्रय लेकर कहा
अनकहा सब कह देता है।

शब्द, यह सही है, सब व्यर्थ है

पर इसीलिए कि शब्दातीत कुछ अर्थ है।

शायद केवल इतना ही: जो दर्द है

वह बड़ा है, मुझसे ही सहा नहीं गया।

तभी तो, जो अभी और रहा, वह कहा नहीं गया।”

अज्ञेय ने शब्दों से परे जाकर घोषित किया कि
शब्दों में मेरी समाप्ति नहीं होगी मैं सन्नाटे का छन्द हूँ।
अज्ञेय के साहित्य में मौन विराट का ही एक रूप है—

यह महाशून्य का शिविर, असीम, छा रहा ऊपर:

नीचे यह महामौन की सरिता

दिग्विहीन बहती है।

विराट तत्व की अनुभूति और उस अनुभूति में
वाणी का लय हो जाना ही मौन की साधना है। अज्ञेय ने
अपनी मौन सम्बन्धी मान्यताओं का वर्णन ‘आलबाल’ में
किया है। उनके अनुसार सही शब्द वे ही हैं जो दो शब्दों
के बीच के अन्तराल का सर्वाधिक उपयोग कर—अन्तराल
के उस मौन द्वारा अर्थवत्ता का पूरा ऐश्वर्य सम्प्रेषित कर
सके। उनका मानना था कि कविता भाषा में नहीं होती
वह शब्दों में भी नहीं होती वरन् कविता शब्दों के बीच की
नीरवताओं में होती है। यथा—

एक झरा पत्ता

फिर एक दूसरा और झरा

फिर एक—हाय।

यहाँ ‘एक’ और ‘हाय’ के मध्य स्थित मौन
जीवन की नश्वरता, क्षणभंगुरता को जिस रूप में व्यंजित
करता है वह अनुपम है।

अज्ञेय प्रतीकों एवं बिम्बों के कवि है। उनकी
मान्यता थी कि ‘कोई भी स्वस्थ काव्य साहित्य प्रतीकों
की, नए प्रतीकों की सृष्टि करता है और जब वैसा करना
बन्द कर देता है तो जड़ हो जाता है।” बदलते परिवेश
में नवीन जीवन सत्त्यों, नई भावानुभूतियों को अभिव्यक्ति
देने में अज्ञेय ने जब पुराने प्रतीकों को असमर्थ पाया तो
‘कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है’
कहकर उनका साथ छोड़ दिया और अपने बुद्धि कौशल
से नए-नए प्रतीकों की सर्जना कर सबको चमत्कृत कर
दिया। इसका यह अर्थ नहीं है कि उन्होंने परम्परागत
प्रतीकों का पूरी तरह तिरस्कार किया। सच तो यह है कि
उन्होंने परम्परा से प्राप्त पुराने पर जीवन्त प्रतीकों का
खुलकर प्रयोग किया है साथ ही पुराने प्रतीकों को नई
अर्थ चेतना से संपृक्त कर अपने कलात्मक कौशल का
परिचय भी दिया है।

डॉ० राम विलास शर्मा ने एक स्थान पर लिखा
है कि “छायावाद के औपचारिक रूप से दिवंगत हो जाने
के बाद जिस कवि ने छायावादी भावधारा को हिन्दी काव्य
भूमि में सबसे अधिक प्रवाहित किया है वह हैं अज्ञेय।”
अपनी प्रारम्भिक रचनाओं में अज्ञेय ने छायावादी भावधारा
में पनपे प्रतीकों का प्रयोग किया है। उदाहरणार्थ —

- 1-तेरी आँखों में क्या मद है जिसको पीने आता हूँ
(मद-प्रेम रस)
- 2-तम का पट घन काला (तम –निराशा)
- 3-प्राण अगर निर्झर से होते, पृथ्वी सा यह मेरा जीवन
(निर्झर-प्रेमी, पृथ्वी- प्रेमिका)
- 4-कल आरक्त लता फूली थी पत्ती आज झड़ी
(लता-देह), इसी प्रकार झरता पत्ता (नश्वरता), मधुप
(प्रेमी), झील (रोमांस), कपाट (हृदय), पर्वत (ईश्वर),
चातक (मन), रेत (सारहीनता), नदी (चेतना), महाशून्य
(परमसत्ता), बूंद (मानव), सागर (जगत) जैसे प्रतीकों
का प्रयोग अज्ञेय ने खुलकर किया है।

अभिव्यक्ति को सघनता और तीव्रता प्रदान करने के लिए, संवेदनाओं को पूरी ईमानदारी और स्वाभाविकता के साथ व्यक्त करने लिए अज्ञेय ने नए प्रतीक रचे हैं। प्रेयसी के रूप सौन्दर्य की अभिव्यक्ति में जब उन्होंने 'सॉझ के नभ की अकेली तारिका' 'टटकी कली चम्पें की' को छोटा पाया तो अपने बुद्धि कौशल से प्रकृति प्रांगण से जनजीवन से जुड़े दो सर्वथा नए उपमान चुन लाए, 'हरी बिछली घास' और 'दोलती कलगी छरहरी बाजरे की'। आभिजात्य की अस्वीकृति तथा घास और बाजरे के पौधे जैसे सामान्य का ग्रहण भले ही अटपटा लगे परन्तु इन उपमानों में अर्थ का जो नयापन है, गहराई है, विस्तार है, वह एक प्रेमी हृदय ही समझ सकता है। प्रतीक प्रयोग की दृष्टि से 'हरी घास पर क्षण भर' 'जब पपीहे ने पुकारा' 'सो रहा है झोंप' 'कलगी बाजरे की' शीर्षक कविताएं विशेष महत्व रखती हैं।

काव्य जगत में पतिंगा प्रेमियों का आदर्श रहा है परन्तु अज्ञेय ने 'पार्क की बेंच' शीर्षक कविता में पतिंगों को गरीब निराश्रित एवं निर्वसन व्यक्तियों का प्रतीक माना है। सूर्य सदा से ज्ञान का, प्रकाश का, तेज का प्रतीक माना जाता रहा है परन्तु अज्ञेय ने 'हिरोशिमा' शीर्षक रचना में सूर्य की दाहकता, ज्वलनशीलता को ध्यान में रखते हुए सूर्य को अणुबम जैसे सर्वथा नवीन अर्थ में प्रयुक्त किया है।

मानव का रचा हुआ सूरज
मानव को भाप बनाकर सोख गया
पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया
मानव की साखी है।

इतना ही नहीं हिरोशिमा में अणु विस्फोट के उपरान्त जब सम्पूर्ण विश्व पर रासायनिक युद्ध की आशंका का बादल मंडराने लगा तब अज्ञेय ने कुछ वैज्ञानिक प्रतीकों के माध्यम से उस युद्ध की विनाशक स्थिति का जो बिम्ब उतारा वह अपने आप में अद्भुत है, अनूठा है—

झुलसते आकाश के बादलों को जलाकर
शून्य में भी रिक्तता का एक जुम्हाता विविर बनाकर

जब वे चले जायेंगे तब अंत में एक दिन
रासायनिक सापिने पछाड़ खाकर धरती पर गिरेंगी।
विषैले धुँए की गुंजलकें खुल जायेंगी।

हारिल दृढ़ प्रेम का परम्परागत प्रतीक है। 'हिय-हारिल' की 'कीर' शीर्षक कविता में हारिल विरही प्रेमी रूप में प्रयुक्त हुआ है तो 'उड़ चल हारिल' में हारिल कवि की अपनी आशा और पुरुषार्थ का प्रतीक बनकर सामने आया है—

आज उसी ऊर्ध्वग ज्वाल का
तू है दुर्निवार हरकारा
दृढ़ ध्वज-दंड बना यह तिनका
सूने पथ का एक सहारा।

इसी प्रकार 'तीसरा पक्षी' शीर्षक कविता में हारिल स्वाभामानी और कर्मठ व्यक्ति का, क्रॉच साधक एवं अन्वेषक का तथा तीसरा पक्षी उद्देश्यहीन व्यक्ति के प्रतीक रूप में वर्णित हुआ है।

'असाध्य वीणा,' 'बावरा अहेरी' 'नदी के द्वीप' 'इतिहास की हवा' 'मरु और खेत' सुन्दर प्रतीकात्मक रचनाएँ हैं। 'असाध्य वीणा' में वीणा ब्रह्म सत्ता का और प्रियंवद साधक का प्रतीक है, इस कविता में सूक्ष्म अति सूक्ष्म तथा विराट बिम्ब देखने को मिलता हैं।

'बावरा अहेरी' में अहेरी सृष्टि के जीवन स्रोत सूर्य का प्रतीक है। इस कविता में आदिम प्रकृति और आस्था के प्राचीन प्रतीकों से लेकर वर्तमान सभ्यता के प्रतीकों का समाहार है। अज्ञेय ने यहाँ आत्मशुद्धि की आकांक्षा से मन में दुबकी कलौंस को माँजने की इच्छा से विराट से जुड़ने की कामना की है। अज्ञेय के जीवन दर्शन पर आधारित कविता 'नदी के द्वीप' में नदी व्यक्ति का तथा द्वीप समाज का प्रतीक बनकर उपस्थित हुआ है। 'इतिहास की हवा' में प्रतीकों द्वारा वर्तमान समाज की विसंगतियों, विकृतियों को दर्शाया गया है। इस कविता में एकलव्य असभ्य जातियों का, द्रोणाचार्य वर्तमान नेताओं का, राजहंसमाला विवेक बुद्धि का और भैंस आधुनिक अज्ञान तथा पाशिवक प्रवृत्तियों का प्रतीक बनकर आये हैं। 'मरु और खेत' में मरु सृजन क्रिया के विरोधी व्यक्ति का और खेत सृजनरत व्यक्ति का प्रतीक है।

'सोन मछली' अज्ञेय की सर्वाधिक चर्चित और विवेचित कविता है। प्रसिद्ध समालोचक राम विलास शर्मा ने तो अज्ञेय को इस कविता के आधार पर रूपवादी तक सिद्ध कर दिया है। "वस्तुतः अपने बिम्ब में स्पष्ट एवं सचित्र होने के बावजूद व्याख्या की दृष्टि से यह कविता जटिल और अनिश्चित रही है। काँच के पीछे हॉफती हुई मछली, रूप की तृषा, जिजीविषा के अनेक सन्दर्भ के मध्य अर्थ को पकड़ पाना चुनौती पूर्ण काम हो गया है। प्रबुद्ध पाठक अनुमान के सहारे कुछ शब्दों प्रतीकों को पकड़कर इसमें अर्थ की सृष्टि करता है— प्राकृतिक जीवन की

प्रतीक मछली काँच की टंकी में बंद है यानी उन्मुक्त प्रकृति आज की सभ्यता की जटिलता में आबद्ध है। यहाँ मानव निर्मित व्यवस्था का सौन्दर्य है—काँच में मछली पालने का शौक और दूसरी ओर मछली की जिजीविषा है।” अर्थ की इसी अनिश्चितता और दुरुहता को दूर करने के लिए अज्ञेय ने ‘आत्मनेपद’ में कविता का गूढ़ार्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है— कि जीवन स्वप्नों और आकारों का रंगीन और विस्मयभरा पुँज है। हम चाहे तो उस रूप में ही उलझे रह सकते हैं किन्तु रूप का यह आकर्षण भी वास्तव में जीवन के प्रति हमारे आकर्षण का ही प्रतिबिम्ब है। जीवन के प्रति आकर्षण अर्थात् जिजीविषा।

जहाँ छायावादी अपनी काम भावना दबे छिपे शब्दों में व्यक्त करता था वहीं नई चेतना का कवि अज्ञेय खुलेआम कहता हैं—

आह मेरा श्वास है उत्तप्त

धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार—

प्यार है अभिशप्त

तुम कहाँ हो, नारी?

ऐसी बेलाग उक्तियों के कारण ही आलोचक नगेन्द्र ने एक स्थान पर कहा है

‘इनमें से अधिकांश कवियों की प्रवृत्ति ए कान्त अन्तर्मुखी है वे और अपने मन की निविड़ताओं में उलझे हुए हैं—सबसे अधिक अज्ञेय। मनोविश्लेषण शास्त्र के प्रभाववश अवचेतन का अध्ययन इनकी कविता का मुख्य विषय है। अवचेतन की काम कुंठाओं का प्रतीकों द्वारा यथा—तथ्य चित्रण अज्ञेय और गिरजाकुमार में अत्यन्त स्पष्ट है।’ अज्ञेय का मानना था कि आधुनिक मनुष्य यौन वर्जनाओं का पुंज है। वह यौन की दमित और कुंठित कल्पनाओं से लदा हुआ है। उसकी इन्हीं दमित वासनाओं का वर्णन प्रतीकों के माध्यम से अज्ञेय ने ‘सावन मेघ’ कविता में किया है—

घिर गया नभ, उमड़ आये मेघ काले,

भूमि के कम्पित उरोजों पर झुका सा विषद, श्वासाहत,
चिरातुर

छा गया इन्द्र का नीलवक्ष वज्र सा,

यहाँ मेघ कामातुर नायक और भूमि कामातुर नायिका का प्रतीक है। इसी प्रकार ‘कलगी बाजरें’ का यह उदाहरण देखिए —

सो रहा है, झोंप अधियाला नदी की जाँघ पर :डाह से
सिहरी हुई यह चाँदनी

चोर पैरों से उझक कर झाँक जाती है।

यहाँ अंधकार प्रेमी का, नदी प्रेमिका और चाँदनी उपनायिका का प्रतीक बनकर उपस्थित हुई है। नदी की जाँघ पर अंधकार के सोने और चाँदनी द्वारा चोरी—चोरी देखने में यौन बिम्ब भी सक्रिय होती है।

डॉ० शिवदान सिंह चौहान ने अज्ञेय पर पश्चिम के प्रतीकवाद को भारत में लाने का आरोप लगाते हुए लिखा है कि “प्रयोगशीलता की ओट में अज्ञेय प्रतीकवादी विचारधारा को साहित्य में प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करते रहे हैं उनकी कविता प्रतीकवादी है। “इसके जवाब में रमेश ऋषिकल्प जी ने लिखा है कि ‘अज्ञेय मलार्मे, ब्रॉदलेयर आदि प्रतीकवादियों की उन सभी मान्यताओं से सहमत नहीं हैं जिन्हें पश्चिम के प्रतीकवादी मानते हैं। मिसाल के तौर पर मलार्मे जैसे प्रतीकवादी घोर अस्पष्ट और आसानी से संप्रेषित न होने वाले प्रतीकों के इस्तेमाल में यकीन रखते थे लेकिन अज्ञेय इस बात से कभी सहमत नहीं हुए। उन्होंने तो सदा यही माना है कि प्रतीक वास्तव में ज्ञान का एक उपकरण हैं जो अर्थ सीधे, सादे अभिधा में नहीं बँधता, उसे आत्मसात् करने या प्रेषित करने के लिए प्रतीक काम देते हैं। ‘सोन मछली’ जैसी कुछेक प्रतीकों को छोड़ दिया जाए तो ऊपर के विवेचन से स्पष्ट हो जायेगा कि अज्ञेय ने सदा ही अस्पष्ट अनुभूतियों को स्पष्ट करने के लिए ही प्रतीक रचे हैं। उनकी प्रतीक योजना पाश्चात्य प्रतीकवाद पर नहीं वरन् संस्कृत साहित्य और लोक साहित्य की सुदृढ़ भित्ति पर टिकी है।

अज्ञेय साहित्य में मिथकीय सम्पदा भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मिथक काव्य भाषा को चित्रधर्मी बनाता है। अज्ञेय का मानना है कि मिथक समाज और व्यक्ति दोनों के लिए, संस्कृति के लिए भी सदैव एक दुर्दम शक्ति का स्रोत होते हैं। अज्ञेय ने इस शक्ति का भरपूर उपयोग किया है। उनकी मिथकीय संचेतना संस्कृति बोध पर आधारित है। अज्ञेय ने पर्वत,सागर,नदी,सन्नाटे के मिथकीय महत्व को अपनी कविताओं में उजागर किया है। इस दृष्टि से ‘पहले में सन्नाटा बुनता हूँ’ नन्दादेवी सीरीज की कविताएँ, नदी का बहना आदि कविताएँ उल्लेखनीय हैं। ‘सागर मुद्रा’ का उदाहरण दृष्टव्य—

लहर पर, लहर पर लहर

कहाँ है संगीत,

जिसके लिए प्रजापति की वीणा काँपी,

वह अमृत

जिसके लिए सुरो—असुरों ने तुझे मथा?

अज्ञेय साहित्य में प्रेमाधारित ‘विश्वप्रिया’ कविता में अज्ञेय ने नर—नारी के प्रणय सम्बन्धों की चिरन्तनता को ‘ए डम’ और ‘ईव’ के आख्यान द्वारा व्यक्त किया है—

आओं एक खेल खेलें

मैं आदिम पुरुष बनूँगा, तुम पहली मानव बधुका।

विश्वप्रिया (चिरन्तन नारीत्व) छाया की भौंति, कवि (प्रथम पुरुष) की चेतना में निरन्तर विद्यमान रहती है। धूलिकण के समान वह सम्पूर्ण विश्वमण्डल में व्याप्त होने की

क्षमता रखती है। अज्ञेय ने 'द्रौपदी के पट' और 'वामन की माँग' जैसे मिथकीय प्रतीकों का प्रयोग कर उक्त व्याप्ति को मूर्तरूप दिया है—

और वह धूलिकण
द्रौपदी के पट जैसा वारिधि के तट जैसा
वामन की माँग सा अनन्त,
भूख की पुकार सा दुरन्त
बढ़ता चला गया —
व्योम भर छा गया।

अज्ञेय ने 'नर और नारायण' कविता में मिथक का प्रयोग कर नर और नारायण के सम्बन्धों को आधुनिक सन्दर्भ में परखने का प्रयास किया है। भारतीय परम्परा में भक्त भगवान से मुक्त होना नहीं चाहता वरन् वह सदा ईश्वर की भक्ति चाहता है। अज्ञेय का नर भी क्षमा नहीं चाहता।

ईश्वर का सान्निध्य सुख चाहता है—
न दो क्षमा। उसके बन्धन मत खोलो!
बँधा हुआ वह कितना समीप है
कितना डूबा—
साईं की छाया में।

'इतिहास की हवा' में एकलव्य और द्रोणाचार्य के मिथक का प्रयोग कर अज्ञेय ने पतनशील नैतिकता का नग्न और भयावह रूप खींचा है। महाभारतकालीन द्रोण तो शिष्य एकलव्य का अँगूठा माँग कर संतुष्ट हो जाता है परन्तु आज का द्रोण तो एकलव्य द्वारा खोदे गए कुँए से निकाले गए अमृतजल में भाँग मिलाकर सम्पूर्ण समाज का विनाश कर रहा है—

अभिनव द्रोण किन्तु कहता है:

वत्स,वीर
धरो चाप, साधो तीर, धरती को बिद्ध करो—

अमृत—सा कूप जल यही फूट निकले और फिर चुपके से एकलव्य के नये कुँए में भाँग डाल देता है। 'परती का गीत' में अहिल्या की कथा का, 'मथो' और 'स्वरस विनाशी' कविता में समुद्र मंथन की पौराणिक कथा का, 'देवासुर' शीर्षक कविता में देवासुर संग्राम के पौराणिक आख्यान का आधार ग्रहण किया गया है। अज्ञेय ने भारतीय ही नहीं वरन् विदेशी मिथकों का भी प्रयोग किया है। 'चक्रान्त शिला' कविता में दक्षिण फ्रांस के पिएर-विव-वीर' मठ का इतिहास छिपा है। चक्रान्त शिला अर्थात् घूमने वाला पत्थर एक आवर्ती काल का सशक्त प्रतीक है। इस कविता में सृष्टि मिथक और काल के मिथकीय स्वरूप का वर्णन हुआ है। सृष्टि मिथक का एक उदाहरण दृष्टव्य है—

न कुछ में से वृत्त वह निकला कि जो फिर
शून्य में जा विलय होगा:
किन्तु वह जिस शून्य को बाँधे हुए है—

उसमें एक रूपातीत ज्योति है।

काल मिथक की दृष्टि से 14,18,19 कविता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चक्रान्त शिला की 12 कविता में निर्गुण सन्तों की भाँति आत्मा और परमात्मा के मिलन का रूपक बाँधा गया है—

अरी ओ आत्मा री
कन्या भोली क्वारी,
महाशून्य के साथ भाँवरे तेरी रची गयी।

अज्ञेय ने बड़ी सजगता और कलात्मकता के साथ मिथकों का बिम्बधर्मी और प्रतीकात्मक उपयोग कर अपने परिवेश और परिदृश्य की नयी ढंग से व्याख्या की है।

जहाँ तक छन्द योजना का प्रश्न है अज्ञेय ने अपनी प्रारम्भिक रचनाओं में परम्परागत छन्दों जैसे — बरवै, सरसी ताटक, रोला मालिनी, जैसे छन्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने कतिपय मिश्रित छन्दों जैसे सार और सरसी, सार और हरिगीतिका, तीर और ताटक, दण्डी और पीयूषवर्ष, रुचिरा और कुंकुम का कौशलपूर्ण प्रयोग भी किया है। अज्ञेय ने कुछ नये छंदों को भी गढ़ा है। 'इन्द्र धनुष रौंदे हुए ये' में 35 मात्राओं के छन्द का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार 40 मात्राओं और अन्त में मगण (sss) तथा प्रत्येक चरण में एक मात्रा बढ़ने वाले छन्द का नवीन प्रयोग भी किया है। बालेन्दु शेखर तिवारी ने ऐसे छन्दों को 'अज्ञेय छन्द' का नाम दिया है। परन्तु सच तो यह है कि अज्ञेय की रूचि मुक्त छन्द के प्रणयन में अधिक रही है।

अज्ञेय टेनीसन की लयात्मक सम्बन्धी अवधारणा से अत्यधिक प्रभावित थे उनका मुक्त छंद भी लयाधारित था। उनकी लयचेतना पारम्परिक छन्दों के आधार पर किये गये प्रयोगों से लेकर नयी भूमि का निर्माण करने तक विस्तृत है अज्ञेय ने कविता की लय को संगीतात्मकता से भी मुक्त करते हुए भाषा की अपनी अन्तर्निहित लय को महत्व प्रदान किया जिससे कविता जीवन की लय पकड़ने में समर्थ बनी—

मैने देखा
एक बूँद सहसा
उछली सागर के आग से :
रंग गयी क्षण भर
ढलते सूरज की आग से।

हम कह सकते हैं कि अज्ञेय की कविता की पूरी संरचना बोलचाल की लय में निबद्ध है अज्ञेय गम्भीर से गम्भीर विचार को भी बोल चाल की लयमें ढालकर अद्भुत प्रभावशाली बनाने की कला में माहिर थे। 'मरु और खेत' का एक उदाहरण देखिए जिसमें संवादात्मकता, नाटकीयता और लयात्मकता का अनूठा मिश्रण है—

मरुबोला:
हाय यह हास्यास्पद ममता!

ओ रे खेत-किस हेतु यह यत्न, यह उथल- पुथल
यह-कह ही डालूँ – आडम्बर?
हँसा खेत: मरु काका, ठीक है होगा वही
लू बहेगी, पाला भी पड़ेगा, दुःख होगा ही किन्तु-
नव सर्जन में जो
अपने को होम कर होते है आनन्दमग्न
उनकी तो दृष्टि और होती है।

अज्ञेय लय को अपने काव्य और काव्य विचार में ही नहीं वरन् अपने निजी जीवन में भी अत्यधिक महत्व देते थे। विद्यानिवास मिश्र के शब्दों- बस एक झक है कि जितनी चीजें आस-पास रहें उनकी लय मिली रहे। लय मिलाने में जैसी परेशानी में स्वयं पड़ते और दूसरों को डालते देखा है, उसके ऊपर हँसी भी आती है, खीझ भी होती है, पर जानता हूँ कि यह अज्ञेय का स्वभाव है।

जापानी छंद हाइकू के हिन्दीकरण का श्रेय भी अज्ञेय को जाता है। अप्रैल सन् 1957 से जनवरी सन् 1958 तक जापान प्रवास के समय जापानी संस्कृति ने ही नहीं वरन् वहाँ की खूबसूरत प्रकृति ने, असीम सागर ने और जीवन दृष्टि ने भी संवेदनशील अज्ञेय को रागदीप्त काव्यानुभवों की छवियों से आलोकित किया। इस दौरान अज्ञेय ने जापानी छंद हाइकू का अनुवाद ही नहीं किया वरन् उससे प्रेरित होकर हिन्दी में जो मिताक्षरी कविताएँ लिखीं उन्होंने कालान्तर में हिन्दी, काव्यजगत में हाइकू लिखने की परम्परा की नींव डाली। धूप शीर्षक कविता उदाहरणार्थ प्रस्तुत है।

धूप
सूप-सूप भर
धूप कनक
यह सूने नभ में गई बिखर :
चौंधाया
बीन रहा है
उसे अकेला एक कुरर।

हाइकू का आधार होता है प्रकृति के किसी दृश्य अथवा घटना के क्षण विशेष से तदाकार होना, उसमें अर्थ पाना और इस अनुभूति की तत्काल सादगी पूर्ण अभिव्यक्ति। मात्र पाँच शब्दों में आत्मा और परमात्मा के सम्बन्धों की इतनी सुन्दर, सारगर्भित और विम्बधर्मी व्याख्या अज्ञेय जैसा कलाकार ही कर सकता था-

ताल पुराना
कूदा दादुर
गुडुप

निश्चय ही अज्ञेय का काव्य शिल्प मौलिक है। उसमें सच्चे कलाकार की शिल्पगत अनुभूति और परिपक्वता मिलती है। जैसे किसान भूमि तोड़ता है वैसे ही अज्ञेय ने परम्परा को तोड़कर काव्य-शिल्प की जो नई फसल तैयार की वह आज भी लहलहा रही है। उसमें जो

नयापन है, सादगी है, विशिष्टता है, अनूठा पन है, सहजता है, वही अज्ञेय की वास्तविक पहचान है। सच कहें तो उनकी कलात्मक कारीगरी लाख विरोधों के बाद भी आधुनिक हिन्दी कविता का प्रतिमान बन गयी। अज्ञेय शब्दों के जादूगर थे और उनका समूचा काव्य-शिल्प उनकी इसी जादूगिरी का बेशकीमती नमूना है।

संदर्भ सूची-

1. छंद है यह फूल-नया कवि: आत्मस्वीकार-सं० कृष्णदत्त पालीवाल पृ०31
2. इन्द्रधनु रौंदे हुए ये- क्योंकि तुम हो- अज्ञेय- पृ० 46,47
3. आधुनिक हिन्दी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ- नगेन्द्र -पृ०-114,-118
4. द्वितीय तार सप्तक- सं० अज्ञेय -भूमिका- पृ० 8
5. तारसप्तक- सं० अज्ञेय -पुनश्च-पृ० 243
6. इन्द्रधनु रौंदे हुए ये- शब्द-अज्ञेय
7. छंद है यह फूल -शब्द और सत्य-सं० कृष्णदत्त पालीवाल पृ०- 124
8. छंद है यह फूल - मैं वहाँ हूँ -अज्ञेय - पृ० 109
9. भग्नदूत - अपना गान - अज्ञेय
10. अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या - रामस्वरूप चतुर्वेदी
11. छंद है यह फूल -नदी के द्वीप -सं० कृष्णदत्त पालीवाल- पृ० 65
12. वही- बाँगर और खादर- पृ० 132
13. पूर्वा -पार्क की बेंच - अज्ञेय पृ० 143
14. पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ- नन्दा देवी -1 अज्ञेय
15. अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या- राम स्वरूप चतुर्वेदी पृ० 53-54
16. अज्ञेय रचना संचयन -नई व्यंजना - सं० डा० कन्हैया लाल नन्दन पृ० 41
17. कविता के नए प्रतिमान- डॉ नामवर सिंह-पृ० 119
18. छंद है यह फूल - जो कहा नहीं गया - सं०- कृष्णदत्त पालीवाल पृ०- 108
19. वही, चक्रांत शिला- 1 - पृ० 137,138
20. आत्मनेपद - अज्ञेय - पृ० 41
21. नई कविता और अस्तित्वाद - डॉ० रामविलास शर्मा-पृ० 60
22. छंद है यह फूल-हिरोशिमा-सं० कृष्णदत्त पालीवाल पृ० 134
23. क्योंकि मैं उसे जानता हूँ - अज्ञेय - पृ० 39
24. छंद है यह फूल- उड़ चल हरिल-सं० कृष्णदत्त पालीवाल पृ० 33
25. आजकल-अप्रैल 2011- पृ० 55

26. अज्ञेय रचना संचयन-सावन मेघ- सं० कन्हैया लाल नंदन – पृ० 34
27. आधुनिक हिन्दी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ – डॉ नगेन्द्र – पृ० 117
28. अज्ञेय रचना संचयन- सावन मेघ- पृ०34
29. वही (सो रहा हैं झोंप) – पृ० 40
30. अज्ञेय की कविता परम्परा और प्रयोग- रमेश ऋषि कल्प – पृ०- 230-231
31. पहले में सन्नाटा बुनता हूँ- सागर मुद्रा 12- अज्ञेय
32. चिन्ता – आओ एक खेल खेले- अज्ञेय
33. सदानीश – भाग-1 (विश्वप्रिया) पृ० 23
34. छंद है यह फूल- जरा व्याध 1-सं० कृष्णदत्त पालीवाल- पृ० 182
35. इंद्रधनु रौंदे हुए ये- अज्ञेय- पृ० 31-32
36. सदानीरा भाग- 2- चक्रांत शिला- 17- पृ० 92
37. वही- पृ० 87
38. छंद है यह फूल (मैंने देखा एक बूंद) सं०- कृष्णदत्त पालीवाल-पृ० 130
39. अज्ञेय की कविता परम्परा और प्रयोग – रमेश ऋषिकल्प- पृ० 288
40. इंद्र रौंदे हुए ये- मरु और खेत – अज्ञेय- पृ० 23,24
41. अज्ञेय – रमेश चन्द्रशाह – पृ०- 7
42. छंद है यह फूल – धूप- सं० कृष्णदत्त पालीवाल पृ०- 131

प्राचीन भारत में स्तूपों का विकास: भरहुत एवं सांची के विशेष संदर्भ में

डॉ० आयशा फातमी*

महात्मा बुद्ध एवं बौद्ध धर्म से संबंधित घटनाओं, उनके उपदेशों के प्रचार, बौद्ध अनुयायियों की धार्मिक भावना की अभिव्यक्ति, जनमानस में बुद्ध धर्म के प्रसार तथा उसे विकास की उन्नत अवस्था तक पहुंचाने में 'बौद्ध स्तूपों' की अतीव महत्ता रही है। यह सत्य है कि प्रायः स्तूप को एक बौद्ध वास्तु समझा जाता है किन्तु स्तूप की परम्परा बुद्ध तथा बौद्ध धर्म से भी प्राचीन है। ऋग्वेद में स्तूपों के विवरण से महात्मा बुद्ध के पूर्व तक इसकी प्राचीनता ज्ञात होती है। वैदिक काल से ही मृत व्यक्ति के अस्थि अवशेष पर मिट्टी का थूहा बनाने का प्रचलन था। आनंद के पूछने पर स्वयं बुद्ध ने कहा था कि उनके अस्थि अवशेष चौराहे पर उसी प्रकार समाधिस्थ किये जाये जिस प्रकार चक्रवर्ती सम्राट के अस्थि अवशेष दफनाए जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि चक्रवर्ती सम्राटों के लिये भी स्तूप बनाए जाते थे और बुद्ध से पहले भी स्तूप बनाने की परम्परा थी। बौद्ध धर्म में ये प्रथा विशेष लोकप्रिय हो गई। कालान्तर में स्तूप का संबंध बुद्ध, बौद्ध धर्म के महान व्यक्तियों और विशिष्ट आचार्यों आदि के सम्मान में निर्मित स्मारक से हो गया। बौद्ध परम्परा के अनुसार बुद्ध के निर्वाण के पश्चात उत्तर भारत के तत्कालीन शासकों और एक ब्राह्मण ने अवशिष्ट अस्थियों तथा भस्म आदि के आठ भाग किये और प्रत्येक के ऊपर स्तूप का निर्माण कराया। इनका उल्लेख इस प्रकार है— 1. मगध नरेश अजातशत्रु, 2. वैशाली के लिच्छवि, 3. कपिलवस्तु के शाक्य, 4. अल्लकप्प के बुलिय, 5. रामगाम के कोलिय, 6. पावा के मल्ल, 7. कुशीनारा के मल्ल, 8. वेदपीठ का एक ब्राह्मण। ये स्तूप बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद अस्तित्व में आ गये। दिव्यावदान से ऐसा आभासित होता है कि केश-नख युक्त स्तूपों का निर्माण बुद्ध के जीवन काल में ही होने लगा था। जेतवन में जब बौद्ध संघ ने स्मारक बनवाने के लिये तथागत से कुछ चिन्ह चाहे तब महामानव बुद्ध ने उन्हें अपने केश और नख दे दिये। इन्हीं केश और नखों पर संघ ने स्तूप प्रतिष्ठापित कराया। बिम्बिसार ने भी अंतःपुर में पूजा हेतु केश-नख स्तूप की प्रतिष्ठापना की थी। यद्यपि विद्वान् ऐसा मानते हैं कि स्तूप का निर्माण और पूजन बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद ही प्रारम्भ हुआ तथा बुद्ध का महापरिनिर्वाण बिम्बिसार की मृत्यु के 8 वर्ष बाद हुआ था। उपर्युक्त आरम्भिक स्तूपों में अस्थि धातु थी परन्तु केशनख स्तूपों का निर्माण कदाचित् महापरिनिर्वाण के पहले ही प्रारम्भ हो गया था। धातुपात्र होने के कारण स्तूप धीरे-धीरे गौतम बुद्ध के प्रतीक माने जाने लगे और बौद्ध धर्म के अनुयायियों की स्तूप के प्रति श्रद्धा तथा

भक्ति भावना बढ़ने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि बुद्ध की शरीर धातु, भस्म, केश, दंत आदि के अतिरिक्त बुद्ध द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं जैसे भिक्षापात्र एवं वस्त्र आदि को रखने के लिये भी स्तूप का निर्माण होने लगा। बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं जन्म, संबोधि, धर्मचक्रप्रवर्तन तथा निर्वाण से संबंधित स्थानों पर भी स्तूपों का निर्माण होने लगा। कालान्तर में ऐसे छोटे-छोटे स्तूप भी निर्मित हुए जिनमें किसी प्रकार की शरीर धातु अथवा अवशेष नहीं होते थे किन्तु बुद्ध का प्रतीक मानकर इनकी पूजा की जाती थी। ये अपेक्षाकृत आकार में छोटे होते थे। इस प्रकार स्तूप के चार भेद हो गये—

1.शारीरिक स्तूप— वे स्तूप जिनमें महात्मा बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र, मोग्गलान एवं आनंद आदि, प्रमुख आचार्यों एवं भिक्षुओं के शारीरिक अवशेषों केश, नख, दाँत आदि संग्रहीत किये गये थे, शारीरिक स्तूप कहलाए। पिपरहवा में पाया गया बौद्ध स्तूप इसी कोटि का था। इसमें बुद्ध की अस्थियों वाला कलश पाया गया था। साँची के स्तूप संख्या 2 से दो प्रस्तर की अस्थि पेटिकाएँ मिली थीं जिनमें दस बौद्ध भिक्षुओं के नाम हैं। स्तूप संख्या— 3 में सारिपुत्र और मोग्गलान के अस्थि अवशेष कनिंघम को प्राप्त हुए थे।

2.पारिभौगिक स्तूप— इस कोटि में वे स्तूप आते हैं जिनमें बुद्ध के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुएँ संग्रहीत की गई थीं जैसे उनकी पादुका, छड़ी, भिक्षापात्र, चीवर एवं संघाटी आदि। सातवीं शती ई० में भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग ने इस प्रकार के अनेक स्तूपों का उल्लेख किया था।

3.उद्देशिक स्तूप— बौद्ध धर्म के किसी आख्यान, बुद्ध के जीवन की घटनाओं अथवा उनकी उपस्थिति से पवित्र हुए स्थानों पर स्मारक स्वरूप जो स्तूप बनवाए गये वे उद्देशिक स्तूप कहलाए। बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण पवित्र स्थलों में से निम्नलिखित विशिष्ट महत्व रखते हैं—

1. लुम्बिनी — बुद्ध का जन्म
2. बोधगया — ज्ञान प्राप्ति
3. सारनाथ—बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश (धर्मचक्रप्रवर्तन)
4. कुशीनगर— बुद्ध के महापरिनिर्वाण का स्थान

इन चारों स्थलों को बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने स्तूपों से सुसज्जित किया। विश्व भर के बौद्ध धर्मावलम्बी इन स्थानों को पवित्र मानते हैं।

4. पूजार्थक अथवा संकल्पित स्तूप:— प्रायः एक ही पत्थर के टुकड़े से निर्मित ये स्तूप आकार में छोटे होते थे जिन्हें

*एसो०प्रो० प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व नारी शिक्षा निकेतन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ

भक्तिभाव से धनादय बौद्ध अनुयायी बौद्ध तीर्थों पर बनवा देते थे। जो निर्धन तीर्थ यात्री पूजार्थक स्तूपों का निर्माण नहीं करा सकते थे, वे मिट्टी तथा पत्थर की पट्टिकाओं पर 'ये धर्मा हेतु प्रभवा एवं वादी महाश्रमणः' अंकित कर दान कर देते थे।

बौद्ध परम्परानुसार प्रथमतः आठ स्थानों पर जो शारीरिक स्तूप बनाए गये थे उनमें कपिलवस्तु में बनाए गये स्तूप के भग्नावशेष उ०प्र० के बस्ती जिले में स्थित पिपरहवा नामक स्थान से मिले हैं जिनकी सर्वप्रथम खोज डब्ल्यू.सी. पेप्पे ने 1897-98 में की थी। इसमें एक प्रस्तर पेटिका में चार अस्थि कलश मिले थे और ब्राह्मी लिपि में एक लेख भी अंकित है जिसका शब्दार्थ है—“बुद्ध भगवान शाक्य के इस शरीर धातु मन्जूषा निधान) को सुकृति बन्धुओं ने अपनी बहन, पुत्र और पत्नी के साथ (प्रतिष्ठापित) किया”। इसके आधार पर व्यूलर और रीज़ डेविड्स ने इसमें स्वयं बुद्ध की अस्थियां मानी थी। किन्तु पलीट महोदय इसे बुद्ध के परिजनों की अस्थियां मानते हैं।

कौशाम्बी के उत्खनन से घोषिताराम बिहार में चैत्य के भीतर चौकोर योजना वाला स्तूप मिला है। यह स्तूप पहली बार पाँचवीं शती ई०पू० में बुद्ध के निर्वाण के बाद ही बनाया गया होगा जिसे अशोक ने बाद में संवर्धित किया।

बौद्ध मान्यतानुसार अशोक ने 84000 स्तूपों का निर्माण कराया था, जिनमें से कुछ का ही पता चल पाया है जो साँची, सारनाथ तथा तक्षशिला आदि स्थानों में स्थित थे। चीनी यात्री फाह्यान तथा ह्वेनसांग ने तक्षशिला, स्थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, कौशाम्बी, वाराणसी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, बोधगया आदि स्थानों पर अशोक द्वारा बनवाये स्तूप देखे थे। कालान्तर में शुंग-सातवाहन कुषाण काल में उनका संशोधन और संवर्धन किया गया। दक्षिण भारत में प्रथम शती ई० पू० से तृतीय शती ई० के मध्य, आन्ध्र सातवाहनों के काल में अमरावती एवं नागार्जुनकोण्ड जैसे महत्वपूर्ण स्तूपों का निर्माण किया गया। स्तूप निर्माण की परम्परा गुप्तकाल में भी प्रचलित रही। इस काल के अवशिष्ट स्तूपों में धमेख स्तूप एवं मीरपुर खास का ईंटों का स्तूप है। यद्यपि यह काल पौराणिक हिन्दू धर्म की उन्नति का काल था तथापि गुप्त शासकों की धार्मिक उदारता एवं सहिष्णुता के फलस्वरूप बौद्ध धर्म का भी समान रूप से विकास हुआ जिसकी पुष्टि पुरातात्विक साक्ष्यों से हो जाती है। मूर्तिपूजा की लोकप्रियता के कारण इस काल में बौद्धों ने भी स्तूपों के स्थान पर मंदिरों का निर्माण कराया जिनमें अधिकांश अब नष्ट हो गये हैं। सारनाथ स्थित मूलगन्धकुटी मंदिर एवं बोधगया का महाबोधि मंदिर गुप्तकाल का बताया जाता है। हर्ष के समय बौद्ध धर्म से


संबंधित नए केन्द्र बने जिनमें नालन्दा प्रमुख था। पालराजवंश ने आठवीं से बारहवीं शती ई० के मध्य वर्तमान बिहार, बंगाल तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में शासन किया। पालों के काल में मैकूटभ, देवीकोट, चटगाँव, सन्नगर, फुन्नहरी, विक्रमपुर जगददल तथा मुर्शिदाबाद आदि स्थानों पर बौद्ध मंदिरों का निर्माण किया गया जिन्हें सुंदर बौद्ध मूर्तियों से अलंकृत किया गया। यह काल बौद्ध धर्म के पुर्नजागरण का काल कहलाता है। इसके बाद बौद्ध धर्म का भारत से उन्मूलन हो गया और उत्तर भारत में नवीन धर्म (इस्लाम) तथा नवीन संस्कृति की उन्नति हुई।

प्राक्मौर्यकालीन स्तूपों से लेकर बाहरवीं शती ई० तक के बौद्ध मंदिरों की कला यात्रा में बौद्ध धर्म के विषय जनमानस में अत्यधिक लोकप्रिय हुए। इस बीच विदेशी प्रभाव एवं हिन्दू धर्म में प्रचलित मूर्तिपूजा के कारण स्तूपों के स्थापत्य तथा मूर्तिशिल्प पर इसका प्रभाव पड़ा। कुषाणकाल में महायान सम्प्रदाय के विकास के कारण कला में प्रथमतः बुद्ध की मूर्तियों के निर्माण की परम्परा प्रारम्भ हुई। प्रारम्भ में श्रद्धा एवं भक्तिभाव के कारण बुद्ध को इन स्तूपों में मूर्त रूप में अंकित नहीं किया गया है। भरहुत तथा साँची के स्तूपों में सारा वातावरण बौद्धमय है परन्तु बुद्ध आकार में कहीं उपस्थित नहीं है। उनके जीवन की विभिन्न घटनाओं को प्रतीकों के द्वारा अंकित किया गया है जो जनसामान्य में बहुत लोकप्रिय थे। किन्तु कुषाणों, आन्ध्र-सातवाहनों के काल के स्तूपों में बुद्ध सप्राण उपस्थित हैं और उन्हें विभिन्न हस्त एवं पादमुद्राओं में अंकित किया गया है। आगे भी यही परम्परा चलती रही। बुद्ध मानव श्रेणी से उठकर देवता की श्रेणी में आ गए और जनसामान्य में पूजनीय हो गये।

यहाँ यह ध्यातव्य है कि बौद्ध धर्म में प्रचलित बहुत से प्रतीक और विषय उससे पहले वैदिक परम्परा में विद्यमान थे जिनको बौद्ध धर्म में न केवल स्वीकार किया गया अपितु कला में उत्साहपूर्वक अंकित भी किया गया। ललितविस्तार में अत्यन्त स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो धर्मचक्रप्रवर्तन बुद्ध ने किया उसे अनेक तथागत, अर्हत, सम्यक, संबुद्ध पूर्व में कर चुके थे। महायान बौद्ध धर्म में रुचिपूर्वक इन लीलाओं का विस्तार किया गया। विभिन्न देवी देवता जैसे श्रीलक्ष्मी, नाग, यक्ष, जिनकी परम्परा पूर्व से उपस्थित थी, बौद्धों द्वारा सहर्ष स्वीकार ली गई। देवताओं के ज्योर्तिलिंग का संबंध बुद्ध के अग्निस्कन्ध से जोड़ा जा सकता है। इन्द्र के श्वेत हस्ति ए रावत की तुलना तुषित स्वर्ग से उतरते हुए श्वेत हस्ति से की जा सकती है जो बुद्ध की माता की कृष्ण में प्रविष्ट हुआ था। पूर्णकुम्भ, पद्म अथवा पुष्कर की वैदिक परिकल्पना कमलासीन श्रीलक्ष्मी एवं गजलक्ष्मी में देखी जा

सकती है जो बुद्ध जननी मानी जाती है। अग्नि, इन्द्र, वरुण और सोम देवता चार दिशाओं के अधिपति थे। लोक धर्म (यक्ष परम्परा) के प्रभाव में यह कल्पना बदली और ये चार लोकपाल माने जाने लगे। बौद्ध स्तूपों में चार तोरणद्वारों पर इनकी मूर्तियाँ स्थापित की गईं। बौद्ध धर्मचक्र विष्णु के वृत्त चक्र का ही परिणित रूप है। पौराणिक जातक कथाओं को भी बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बुद्ध के लोकोत्तर रूप का आधार ये वैदिक प्रतीक थे। इन प्रतीकों को स्तूप मूर्तिशिल्प में अत्यन्त उत्साहपूर्वक अंकित किया गया है और ये बौद्ध धर्म के अभिन्न अंग बन गए। स्तूप का निर्माण करने वाले इन सभी प्रतीकों के महत्व और अभिप्राय से भर्त्सी-भांति परिचित थे। इन्हीं प्रतीकों की पुनरावृत्ति भरहुत, साँची, बोधगया, अमरावती आदि के वेदिका/ तोरणों पर शिल्पांकित थे

दिव्यावदान के धर्म रुच्यवदान में स्तूप के अंगों का उल्लेख और निर्माण क्रम मिलता है। इससे पता चलता है कि सबसे पहले भूमि को नाप करके चारों पार्श्वों में चार सोपानों का निर्माण किया जाता था। तत्पश्चात क्रम से प्रथम, द्वितीय और तृतीय मेढि (मेधि) का निर्माण किया जाता था। मेधि चबूतरा ही होता था, जिस पर स्तूप बनाया जाता था। इसे प्रदक्षिणापथ के लिये प्रयोग में लाया जाता था। मेधि पर अण्ड का निर्माण होता था। यह स्तूप का मुख्य अंग था जिसके आभ्यांतरिक भाग में यूपयष्टि प्रतिपादित की जाती थी। विशेष रूप से निर्मित स्थल में धातु-अवशेष प्रतिष्ठापित किये जाते थे। अण्ड के ऊपर हर्मिका और उसके ऊपर यष्टि आरोपित की जाती थी। स्तूप के चारों ओर चार कोष्ठकों का निर्माण किया जाता था। स्तूप के आंगन को रत्नशिलाओं से चुनवाया जाता था। तत्पश्चात चारों ओर के उपांगों को नापकर चार कोनों पर चार पुष्करणियाँ बनवाकर उनमें नाना प्रकार के कमल आरोपित किये जाते थे। स्तूप के चारों ओर सुरक्षा के लिये वेदिका बनाई जाती थी। जिनके तीन भाग अधिष्ठान, सूची और आलम्बन थे। समय-समय पर स्तूपों का संवर्धन भी होता रहा है



जिन स्तूपों को मूल रूप में अल्पशाख्य कहते थे। संवर्धन के पश्चात उन्हें महेशाख्य की संज्ञा दी जाती थी। बौद्ध स्तूपों में बड़ी संख्या में जातकों, बुद्ध से सम्बद्ध घटनाओं, कथानकों का जीवन्त अंकन किया गया है।

प्राचीन भारत में विभिन्न स्तूपों के निर्माण, संवर्धन तथा संशोधन की प्रक्रिया के साथ बौद्ध धर्म के विकास के विभिन्न आयामों की कलात्मक यात्रा सुनिश्चित की जा सकती है—

भरहुत का स्तूप मध्यप्रदेश के सतना जिले में स्थित है यह स्तूप अब पूर्णतः विनष्ट हो चुका है। स्तूप की वेदिका और तोरण के कतिपय अवशेष प्राप्त होते हैं।



भरहुत की वेदिका और तोरणों की मूर्तिकला बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित है। बुद्ध की उपस्थिति छत्र, बोधिवृक्ष, धर्मचक्र, पादुका, भिक्षापात्र और स्तूप आदि प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित की गईं। एक दृश्य में बुद्ध जन्म का प्रतीकात्मक अंकन है जिसे मायादेवी के स्पन् के रूप में प्रदर्शित किया गया है। भरहुत के मूर्तिशिल्प में कई प्रकार के बोधिवृक्षों का अंकन है जिनमें बुद्धों के नाम भी अंकित हैं —

1. अश्वत्थ या पीपल – गौतम बुद्ध का बोधिवृक्ष
2. वटवृक्ष या न्यग्रोध – कश्यप बुद्ध का बोधिवृक्ष
3. उदुम्बर – कनकमुनि बुद्ध का बोधिवृक्ष
4. पाटलिवृक्ष – बुद्ध विपरिमन का बोधिवृक्ष
5. शालवृक्ष – बुद्धि विश्वभू का बोधिवृक्ष
6. शिरीष- बुद्ध क्रकुच्छन्द का बोधिवृक्ष

जातक कथाओं का अंकन भरहुत में बड़ी सहृदयता से हुआ है जो संख्या में 20 से अधिक हैं। इनमें मिगजातक, नागजातक, यवमझकिय जातक, मुग्गपकय जातक, लटुवा जातक, छदन्त जातक, विदुरपडित, जातक, वेसंतर जातक आदि प्रमुख हैं। कुछ ऐतिहासिकघटनाओं का अंकन की भरहुत के मूर्तन में मिलता है। कौशल के राजा प्रसेनजित द्वारा धर्मचक्र की पूजा, अनाथपिंडक द्वारा श्रावस्ती के राजकुमार से श्रावस्ती स्थित जेतवन विहार का क्रय, जंगली हाथियों द्वारा बोधिवृक्ष की पूजा उल्लेखनीय है। ए रापत नाग को सपरिवार बोधिवृक्ष की पूजा करते हुए दिखलाया गया है। यह बात उसमें अंकित लेख से स्पष्ट हो जाती है

जिसमें कहा गया है “ए रापतो नाग भगवतो वन्दते” अर्थात् “ए रापत नाग भगवान बुद्ध की वंदना करता है”। एक दृश्य में हाथी पर सवार राजा अजातशत्रु को लम्बे जुलूस के साथ बुद्ध की वंदना करते हुए प्रदर्शित किया गया है। मूर्ति पर “अजातसत्तु भगवतो वन्दते” अर्थात् “अजातशत्रु भगवान बुद्ध की वंदना करता है” लिखा है। भरहुत स्तूप के पूर्वी तोरण पर एक अभिलेख अंकित है—

“सुगनं रजे रजो गागीपुतस विसदेवस पौतेन गौतिपुतस आगरजुस पुतेन वाछिपुतेन धनभूतिन तोरणं सिलाकमंत च उपणं”

अर्थात् “शुंगो के राज्य में राजा गागीपुत्र विश्वदेव के पौत्र एवं गौतीपुत्र के पुत्र धनभूति ने तोरण का निर्माण कराया था।”

यदि वस्तुतः यहाँ तात्पर्य शुंग राजाओं से है तो ज्ञातव्य है इस तोरण को शुंग वंशी शासकों ने बनवाया था परन्तु इसके साथ ही इस वंश के संस्थापक पुष्यमित्र से सम्बद्ध धारणाओं को लेकर प्रश्न उठता है? पुष्यमित्र द्वारा किये गये अश्वमेध यज्ञों तथा बौद्ध ग्रन्थों द्वारा उसे बौद्ध द्वेषी प्रमाणित करने के प्रयास यदि प्रामाणिक हैं तो एसे बौद्ध धर्म द्वेषी पुष्यमित्र के वंशजों द्वारा भरहुत स्तूप का तोरण निर्मित कराना निसंदेह असाधारण बात है।

बोधगया में बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वहाँ पर एक पीपल का वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे बोधिमण्ड आसन पर बैठकर बुद्ध ने तपस्या की थी और उन्हें संबोधि प्राप्त हुई थी। बाद में अशोक ने उसी बोधि मण्ड के ऊपर एक बोधिमंदिर बनवाया और उसमें चतुर्दिक काष्ठ वेदिका बनवायी। शुंग काल में उसे प्रस्तर से आच्छादित कर दिया गया। इसके कुछ अंश अवशिष्ट हैं जिनके स्तम्भों पर बोधिवृक्ष, धर्मचक्र और धर्मस्तम्भों का अंकन है। बोधगया में जातकों की संख्या सीमित है यथा—छदन्तजातक, पदकुसलमाणव जातक, बेस्संतर जातक, किन्नर जातक आदि। बोधगया के मंदिर का कई बार संस्कार हुआ। इसमें गुप्तयुगीन मंदिर सबसे महत्वपूर्ण था जिसे लेख में वज्रासन स्थान पर निर्मित वृहद्गन्धकुटी प्रासाद कहा है। इसका और भी संवर्धन 1035-1079 के मध्य ब्रह्मदेश के धर्मर्यात्रियों ने किया था। उसी समय गर्भग्रह के भीतर भूमिस्पर्श मुद्रा में पद्मासन में बैठी हुईबुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गयी।



साँची के स्मारकों में सबसे सुरक्षित साँची का महास्तूप (संख्या-1) है। यह अपने धार्मिक महत्व और शिल्प सौन्दर्य के लिये विश्वविख्यात है। इसका वर्तमान स्वरूप द्वितीय शती ई० पू० से लेकर पहली शती ई० तक निर्धारित हुआ था। मौर्यस्तूप के भग्नावशेषों पर पहले शुंगकाल में बड़े-बड़े प्रस्तरफलकों से उसे आच्छादित किया गया और चतुर्दिक विशाल वेदिका खड़ी की गयी जिस पर कोई अलंकरण नहीं है। सातवाहन काल में वेदिका के चारों ओर चार तोरण द्वार निर्मित हुए जिन पर उत्कृष्ट अलंकरण किया गया। कला की दृष्टि से साँची के महास्तूप के तोरणों का अत्यधिक महत्व है। यह कला बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से



संबंधित है।



बुद्ध के जीवन की पाँच महत्वपूर्ण घटनाओं जाति (जन्म) महाभिनिष्क्रमण, सम्बोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन तथा महापरिनिर्वाण का पुनः पुनः अंकन तोरणों पर मिलता है। इन घटनाओं के अंकन में बुद्ध की उपस्थिति को सदैव प्रतीकों के माध्यम से अंकित किया गया है। बुद्ध जन्म का अंकन कमल या पूर्णघट से निकलते हुए कमल के रूप में किया गया है। कुछ दृश्यों में मायादेवी को पूर्ण विकसित कमल के ऊपर दिखाया गया है। कुछ में

आसन प्रसव माया देवी को वृक्ष की डाल पकड़े हुए खड़ी मुद्रा में दिखाया गया है। गजलक्ष्मी को भी जन्म का प्रतीक माना जाता है। महाभिनिष्क्रमण का अंकन जीन कसे हुए खाली घोड़े के रूप में किया गया है जिसके ऊपर छत्र है। संबोधि का चित्र पीपल के नीचे आसन या केवल पीपल के वृक्ष के द्वारा दर्शाया गया है। संबोधि के कुछ दृश्यों में उपासक पूजा के उपहार चढ़ा रहे हैं, अथवा कुछ विशेष दृश्यों में मारधर्षण का अंकन भी है। धर्मचक्रप्रवर्तन का प्रतीकात्मक अंकन चक्र के रूप में मिलता है। वाराणसी के मृगदाव में धर्मचक्रप्रवर्तन चक्र के रूप में अंकित किया गया है। कभी चक्र को आसन और कभी स्तम्भ के ऊपर दिखाया गया है। महापरिनिर्वाण का चिन्ह स्तूप है जिसकी पूजा करते हुए उपासको को दिखाया गया है।

जहाँ साँची के सम्पूर्ण शिल्प में बुद्ध को प्रतीकात्मक रूप में अंकित किया गया है वहीं इसके शिल्प में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वह अंकन है जहाँ बुद्ध को एक 'स्वर्ण यष्टि' के द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। यष्टि के ऊपर विशाल चक्र स्थापित है। यष्टि के नीचे पद्मचिन्ह हैं जिसके समीप "भगवतो पमाण लट्ठि अभिलेख अंकित हैं जिसका शब्दार्थ है "भगवान बुद्ध का लट्ठि अथवा खम्भे के रूप में प्रमाण या मूर्त शरीर"। यह किसी प्रतिभाशाली शिल्पी की यष्टि द्वारा बुद्ध की उपस्थिति की नई कल्पना थी।

बुद्ध के अतिरिक्त साँची में सात मानुषी बुद्धों का वृक्ष प्रतीक रूप में अंकन किया गया है। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं को भी साँची शिल्प में उत्साहपूर्वक उकेरा गया है। जातक कथाओं के अनुसार गौतम अपने वर्तमान रूप में जन्म लेने से पूर्व बोधिसत्व मानव तथा अनेक पशु रूपों में उत्पन्न हो चुके थे। इन्हीं कथाओं को साँची शिल्प में सुरुचिपूर्ण अंकित किया गया है जिनमें छदन्त जातक, महाकपि जातक, बेस्संतर जातक एवं ऋषि श्रृंग जातक आदि का अंकन प्रमुख है।

साँची शिल्प के अनेक दृश्य बुद्ध एवं बौद्ध धर्म से संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं की सूचना भी देते हैं जैसे बिम्बसार, अजातशत्रु और बाद में अशोक द्वारा की गई बोधगया की यात्रा आदि का अंकन। साँची की वेदिका और तोरणद्वार के निर्माण में बहुसंख्यक जनता ने दान दिया था। बहुत से दानसूचक अभिलेख वेदिका पर खुदे हैं। एम0जी0 मजूमदार महोदय ने स्तूप संख्या 1, 2, 3 के कुल मिलाकर 827 लेख प्रकाशित किये थे।

स्तूप संख्या- 2 साँची का दूसरा महत्वपूर्ण स्तूप है। इसकी वेदिका में अलंकरण मिलता है जबकि महास्तूप की वेदिका सादी है। वेदिका पर उत्कीर्ण दृश्य प्रायः वैसे ही हैं जैसे महास्तूप के तोरण द्वारों पर हैं। उसमें बुद्ध के जीवन की चार प्रमुख घटनाओं को प्रतीकों द्वारा अंकित

किया गया है। ये अलंकृत वेदिका स्तम्भ द्वितीय शती ई0पू0 की उत्कीर्ण कला के उत्तम उदाहरण हैं। इस स्तूप की महत्ता इस बात में है कि यहाँ दस बौद्ध भिक्षुओं की अस्थियों वाली दो प्रस्तर पेटिकाएं मिली थीं। इन पर उनके नाम अंकित हैं जो बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ अशोक द्वारा विभिन्न दिशाओं में भेजे गये थे। उनमें से कुछ ने पाटलिपुत्र की अशोक कालीन बौद्ध समिति में भाग भी लिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह अस्थि अवशेष भिन्न-भिन्न स्थानों से लाकर इस स्तूप में संग्रहीत कर दिये गये होंगे।



स्तूप संख्या- 3 आकार में अपेक्षाकृत सबसे छोटा है। इसकी वेदिका नष्ट हो चुकी है, स्तूप और एक तोरणद्वार शेष है। इस स्तूप का निर्माण काल द्वितीय शती ई0पू0 माना जाता है। वेदिका और तोरण का निर्माण बाद में किया गया। इस स्तूप का महत्व यह है कि यहाँ बुद्ध के प्रिय शिष्य सारिपुत्र और मोग्गलान के अस्थि अवशेष कनिंघम महोदय को प्राप्त हुए थे।



यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भरहुत से साँची तक की कला यात्रा में बौद्ध धर्म विषयक अवधारणाएं, कथाएं, प्रतीकों के अंकन की परम्परा समान होते हुए भी कुछ विशेष अंतर दृष्टिगोचर होता है। भरहुत की कला में

जातकों की लघुकथाओं अथवा लोककथाओं का उत्साहपूर्वक अंकन हुआ है। साँची के शिल्प में जातकों की संख्या में कमी आ जाती है। साँची का कलाकार केवल वेस्संतर, छदन्त, श्याम और महाकपि जातक की कथाओं के अंकन में ही रुचि लेता है। बुद्ध के जीवन के दृश्यों का अंकन साँची में कहीं अधिक और उनमें भी उनके प्रतिहार्य कर्मों के अंकन में अधिक उत्साह दिखाया गया है। जैसे – बुद्ध का आकाश गगन, जल संतरण और कश्यप के आश्रम में जल और अग्नि का प्रतिहार्य। साँची में ऐतिहासिक दृश्यों की संख्या भी अधिक है, जैसे राजा अजातशत्रु अथवा प्रसेनजित का बुद्ध दर्शन को आना, प्रसेनजित का श्रावस्ती के आम्रवन में आगमन, अजातशत्रु का जीवक के आम्रवन में आगमन, शुद्धोधन का बुद्ध के स्वागत हेतु नगर से बाहर जाना, अशोक द्वारा बोधगया की यात्रा आदि। इसके अतिरिक्त बुद्ध के जीवन की घटनाओं के प्रतीकात्मक अंकन की पुनरावृत्ति साँची में अधिक है।

भरहुत और साँची के स्तूप वास्तु के संवर्धन और उनके शिल्प में बौद्ध विषयों की पुनरावृत्ति से ज्ञात होता है कि उस समय बौद्ध धर्म जनसामान्य में तीव्र गति से फैल रहा था। बौद्ध धर्म की विकास यात्रा में बौद्ध स्तूपों का महती योगदान है। ये स्तूप न केवल बुद्ध के प्रति अभिव्यक्त श्रद्धा और भक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं अपितु इन स्तूपों के अवशेष बुद्ध की ऐतिहासिकता को भी प्रमाणित करते हैं।

संदर्भ :

1. ऋग्वेद, 7, 2, 11; 1, 24, 7
2. विनय पिटक (महापरिनिर्वाण सुत्त)
3. डा० मार्कण्डेय शुक्ल, प्राचीन भारतीय कलाओं एवं औद्योगिक शिल्पों का अध्ययन, अध्याय-4
4. अश्वघोष, बुद्धचरित, 28/53
5. वही, 28/54
6. दिव्यावदान, 29/9-10
7. अवदानशतक जिल्द 1/308/1-4
8. टी०डब्ल्यू, रीज डेविड्स, बुद्धिस्ट इण्डिया, पृष्ठ 18, टिप्पणी
9. जे०एफ० प्लीट, जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसायटी, 1906, पृष्ठ 179
10. दृष्टव्य, जी० आर० शर्मा, एक्सकवेशन ऐट कौशाम्बी, इलाहाबाद, 1960
11. बुद्ध चरित, 18/64; दिव्यावदान, 234/17, 241/5
12. यजुर्वेद, 4/19
13. वही, 23/48
14. वासुदेव शरण अग्रवाल, भारतीय कला, पृथिवी प्रकाशन, 1971, पृष्ठ 55
15. अथर्ववेद, 10/4/43
16. वासुदेवशरण अग्रवाल, वही, पृष्ठ 59
17. ऋग्वेद, 1/155/6
18. दिव्यावदान, 150/31, 32; 79/27

19. वही, 151/1
20. वही, 151/1-2
21. वही, 151/2
22. वही, 151/3
23. वही, 151/2-3
24. वही, 151/3
25. वही, 151/5-7
26. वही, 151/7
27. वही, 151/7
28. वही, 136/27
29. वही, 136/27-28
30. वही, 136/97
31. वही, 136/27-28
32. वही, 150/9-10
33. वही, 151/15-16
34. दृष्टव्य, कनिंघम, द स्तूप आफ भरहुत, भारतीय संस्करण, वाराणसी 1962
35. विनय कुमार राव, बौद्ध कला में नारी, दिल्ली 2006 पृष्ठ 19; वासुदेवशरण अग्रवाल, वही पृष्ठ 143, चित्र सं० 197
36. आर० सी० शर्मा, भरहुत स्कल्पचर, नई दिल्ली 1994, पृष्ठ 16
37. वासुदेवशरण अग्रवाल, वही, पृष्ठ 148, चित्र 211
38. वही, चित्र 212
39. परमेश्वरी लाल गुप्त, प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख खण्ड-1 विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 1988, पृष्ठ 88-90
40. वासुदेवशरण अग्रवाल, वही, पृष्ठ 183
41. दृष्टव्य, सर जान मार्शल, मान्युमेंट्स ऑफ साँची, 3 वाल्यूम्स, लंदन 1940 तथा उसका प्रथम भारतीय संस्करण, नई दिल्ली 1982
42. एस० डी० त्रिवेदी(संपा०) शुंग आर्ट, इलाहाबाद, 1991 पृष्ठ 42
43. ए० एल० श्रीवास्तव, भारतीय कला, इलाहाबाद, 1994, पृष्ठ 54, चित्र 56
44. वासुदेवशरण अग्रवाल, वही, पृष्ठ 173, चित्र 259
45. वही, पृष्ठ 172, चित्र 258, 260
46. वही, पृष्ठ 167, चित्र 251
47. मार्शल, साँची, भाग-2 फलक, 27
48. वासुदेवशरण अग्रवाल, वही, पृष्ठ 171
49. वही, पृष्ठ 177
50. वही, पृष्ठ 225

चित्र

<https://en.wikipedia.org/wiki/Bharhut>
<https://app.emaze.com/@AQOTIIFC#2>
https://en.wikipedia.org/wiki/Mahabodhi_Temple
[en.wikipedia.org/wiki/wikipedia.org/wiki/Sanchi](https://en.wikipedia.org/wiki/wikipedia.org/wiki/wikipedia.org/wiki/Sanchi)
en.wikipedia.org/wiki/wikipedia.org/wiki/wikipedia.org/wiki/wikipedia.org/wiki

रामचन्द्र की शुक्लोत्तर हिन्दी आलोचना का स्वरूप एवं विकास

क्षमा मिश्रा*

प्रस्तावना

डॉ० रामचन्द्र शुक्ल वर्तमान हिन्दी आलोचना साहित्य के क्षेत्र में जिस लोकमंगल समन्वित रसवाद की प्रतिष्ठा की और व्यवहारिक स्तर पर जिस विवेचन विश्लेषण पद्धति की शुरुआत की उसने परवर्ती आलोचकों को भी न्यूनाधिक रूप में प्रभावित किया। शुक्ल जी से पूर्व हिन्दी आलोचना की परम्परा विशेष समृद्ध नहीं थी आचार्य शुक्ल ने उसे एक स्थिर सुदृढ़ और प्रौढ स्वरूप प्रदान किया किन्तु परवर्ती आलोचकों के लिए इस परम्परा को उससे आगे ले जाना अथवा उसमें दिशा परिवर्तन करना एक कठिन चुनौती थी। आचार्य शुक्ल का व्यक्तित्व परवर्ती आलोचकों के समक्ष एक चुनौती के रूप में खड़ा था “किन्तु अपने पूर्ववर्ती आलोचना साहित्य की तुलना में शुक्ल जी का आलोचक व्यक्तित्व जितना विराट लगता है, उतना परवर्ती आलोचकों के सामने नहीं।”

आचार्य शुक्ल की सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक समीक्षा दोनों का समापन लगभग 1940 के आसपास हो जाता है और सन 1960 के आसपास समीक्षा के विकास का एक नया युग प्रारम्भ होता है। आचार्य शुक्ल के निबंध ‘कविता क्या है’, ‘काव्य में रहस्यवाद तथा ‘काव्य में अभिव्यंजनावाद’ तथा उनके ‘साहित्येतिहास ग्रंथ’ हिन्दी साहित्य का इतिहास में स्थापित कई मान्यताओं पर परवर्ती आलोचना में अनेक विवाद सामने आए। नन्ददुलारे वाजपेयी, सा० डॉ० नगेन्द्र तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के रूप में आलोचकों की एक बृहत्तरी शुक्ल जी के ही समय में सक्रिय थी।

मुख्य शब्द—

प्रभाववादी आलोचना, स्वच्छंदतावादी आलोचना, मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना, मनोवैज्ञानिक अथवा अंतश्चेतनावादी आलोचना, अनुसंधानपरक आलोचना, ऐतिहासिकया सांस्कृतिक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना, नई समीक्षा।

“नन्ददुलारे वाजपेयी शुक्लोत्तर आलोचना के एक प्रमुख स्तम्भ हैं। नन्ददुलारे वाजपेयी छायावाद के प्रथम प्रतिष्ठापक थे।” आचार्य वाजपेयी ने शुक्ल जी के समान आलोचना के क्षेत्र में वैचारिक प्रक्रिया पर अधिक बल दिया परन्तु पूर्व निश्चित किसी भी कसौटी पर रचना या रचनाकार को परखने के वे सर्वथा विरोधी थे। वे साहित्य के मूल्यांकन के लिये किसी साहित्येत्तर मूल्य को निर्णायक बनाये जाने के पक्षधर नहीं थे। वे काव्य अथवा साहित्य की आलोचना के सन्दर्भ में जीवन-चेतना तथा

नैतिक मूल्यों के स्थान पर काव्य सौष्ठव को महत्व देना अधिक उचित समझते थे।

वाजपेयी जी ने छायावाद की प्रतिष्ठा में महती भूमिका का निर्वाह किया। उनका मानना था कि छायावादी कविता में अस्पष्टता अवश्य है, इसमें शैली शिल्प को अपेक्षाकृत अधिक महत्व प्रदान किया गया है। इसका साधारणीकरण भी सरलता से नहीं हो पाता है और इस पर युग निरपेक्षता का आधार भी निराधार नहीं है, किन्तु इसके अनेक उत्तम अंश भी हैं, इसका अपना अनुभूति जगत है, इसमें लोकमंगल के उद्गार भी विद्यमान हैं।

वाजपेयी जी की आलोचना पद्धति विवेचनात्मक है। भारतीय और पाश्चात्य आलोचना शास्त्रों के समन्वय से उन्होंने अपनी आलोचना पद्धति का निर्माण किया। उनकी आलोचना पद्धति में व्याख्यात्मक और तुलनात्मक आलोचना पद्धति का समावेश है। उनका मानना है कि—आलोचक का मूल कार्य कला का अध्याय उसका सौन्दर्य अनुसंधान है। उनकी आलोचना काव्य में सूक्ष्मता, प्रतीक सम्पन्नता, शिल्प और कलात्मक अभिव्यक्ति को विषय महत्व प्रदान करती है। साहित्य में आलोचना की क्या भूमिका है, इसके बारे में उनकी स्पष्ट राय थी कि समीक्षा न तो रचना विशेष की अनुचरी मात्र है और न ही साहित्य को कठोरता से नियंत्रण करने वाली अधिनेत्री ही बल्कि “वह रचनात्मक साहित्य की प्रिय सखी, शुभौषिणी, सेविका और सहृदय स्वामिनी कही जा सकती है।”

शुक्लोत्तर आलोचकों की वृहत्तरी में दूसरा प्रमुख नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। द्विवेदी जी का साहित्य के प्रति दृष्टिकोण नैरन्तर्यपूर्ण एवं समग्रता वादी था। वे साहित्य को किसी विशेष युग, विशेष प्रवृत्ति या कवि की मनोगत चेतना की दृष्टि से देखने के पक्षधर नहीं थे। “वे साहित्य की हर प्रवृत्ति को देश काल व्यापी सांस्कृतिक संदर्भ में रखकर देखने समझने के आग्रही थे।” इसी कारण हिन्दी साहित्य को उन्होंने संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश साहित्य के रूप में पृथक-पृथक न देखकर समग्र रूप में समझने का प्रयत्न किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना की एक प्रमुख विशेषता उनका प्रशांत प्रस्तुतीकरण है। वे कहीं भी अपना संतुलन नहीं खोते हैं। वे कबीर को पसंद करने के बावजूद भी जब सूर या तुलसी पर अपनी लेखनी चलाते हैं तो भी संतुलन सम्पन्न बने रहते हैं। वहीं दूसरी ओर शुक्ल जी तुलसीदास को तो सर्वश्रेष्ठ कवि स्वीकार करते हैं किन्तु जब कबीर, केशव, बिहारी या प्रसाद पर कलम चलाते हैं तो संतुलन विपन्न हो जाते हैं।

*शोध छात्रा ,हिन्दी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

द्विवेदी जी ने साहित्य ही नहीं साहित्यशास्त्र पर भी अपने आलोचनात्मक विचार व्यक्त किए हैं। ये विचार साहित्य के मर्म के रूप में सामने आए। आचार्य द्विवेदी ने रस सिद्धान्त की भी ऐतिहासिक व्याख्या की। उन्होंने कहा कि 'आचार्य भरत' के समय रस सिद्धान्त का जो उदात्त रूप सामने आया था, वह पंडितराज तक आते-आते ह्रासोन्मुख हो गया। अलंकारों को द्विवेदी जी रस बोधक मानते हैं। उनकी स्थापना थी कि अलंकार शास्त्र रसबोध में सहायक हैं, बाधक नहीं। "कुछ निबंधों में उन्होंने शब्द शक्तियों पर भी लिखा और छंद तत्व और लय तत्व तो उनके प्रिय और नित्य विषय रहे हैं।"

इस सम्बन्ध में डॉ० नगेन्द्र ने स्वयं कहा है— "आरम्भ में ही आचार्य शुक्ल के प्रभाव वश मेरे मन में भारतीय रस सिद्धान्त के प्रति गहरी आस्था हो गयी। शुक्ल जी का मेरे मन पर विचित्र आतंक और प्रभाव रहा। मेरे अपने संस्कार शुक्ल जी के संस्कारों से सर्वथा भिन्न थे। मेरा साहित्यिक संस्कार छायावादी युग में हुआ था। शुक्ल जी सुधार-युग की विभूति थे। उनके निष्कर्षों को मानने के लिए मैं बिल्कुल कविता को व्यापक अर्थ में, रस के साहित्य अथवा ललित वाङ्मय को मैं आत्माभिव्यक्ति ही मानता हूँ। उनके प्रौढ़ तर्क और अनिवार्य शैली मेरे ऊपर बुरी तरह हावी हो जाते थे और मैं यह मानने को विवश हो जाता था कि इस व्यक्ति की काव्य-दृष्टि चाहे संकुचित हो लेकिन फिर भी अपनी सीमा में यह महारथी अजेय है।"

डॉ० नगेन्द्र रस-सिद्धान्त के विस्तार की अनंत संभावनाओं में विश्वास रखने वाले आलोचक हैं। वे रस का संबन्ध मानव की रागात्मक चेतना या उसकी मानसिक अनुभूति से जोड़कर देखते हैं। रस-सिद्धान्त के विस्तार की इन्हीं संभावनाओं के आधार पर ही उन्होंने हर युग की कविता के मूल्यांकन का मानदण्ड रस-सिद्धान्त को ही स्वीकार किया है।

"रस-सिद्धान्त के प्रति अखण्ड विश्वास एवं एकनिष्ठता के कारण डॉ० नगेन्द्र अन्य समीक्षा सिद्धान्तों के प्रति किंचित अनुदार हो गए हैं। वे 'नयी समीक्षा', 'सौन्दर्यवादी समीक्षा', मिथकीय समीक्षा, शैली विज्ञान', 'साहित्य का समाजशास्त्रीय', दृष्टिकोण जैसे सिद्धान्तों को आंशिक रूप से ही स्वीकार कर पाते हैं। वे पाश्चात्य समीक्षा सिद्धान्तों को भी रस की परिधि से बाहर नहीं मानते। "वे रस सिद्धान्त को युगानुकूल व्याप्ति देना चाहते हैं। इसलिए पंडितों को उनसे शिकायत है और नए लेखक उनसे क्षुब्ध हैं कुछ भी हो, विरोध शक्तिशाली का होता है और डॉ० नगेन्द्र आज हिन्दी आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक समर्थ लेखक हैं।"

जिस प्रकार भारतीय इतिहास के अंतर्गत 'मध्यकाल' को 'अंधयुग' माना गया है, उसी प्रकार से

रीतिकालीन अथवा मध्य युगीन साहित्य को विशेष प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो सकी। नगेन्द्र इस बात पर क्षुब्ध होते हैं। वे रीतिकालीन साहित्य के पुर्नमूल्यांकन पर जोर देते हैं। वे रीतिकालीन साहित्य पर आलोचकों की वक्र दृष्टि पर प्रतिरोध व्यक्त करते हैं। डॉ० नगेन्द्र रीतिकालीन साहित्य को कला के दृष्टिकोण से अप्रतिम मानते हैं। वे कहते हैं कि कला की दृष्टि से रीतिकाव्य का महत्व असंदिग्ध है। रीतिकालीन कवियों ने सर्वप्रथम काव्य को शुद्ध कला के रूप में ग्रहण किया। इन कवियों ने रसवाद की प्रतिष्ठा तो की ही, मुक्तक परम्परा का भी अभूतपूर्व विकास किया डॉ० नगेन्द्र रीतिकालीन साहित्य को 'निश्चल आत्माभिव्यक्ति' का काव्य मानते हैं।

डॉ० नगेन्द्र रीतिकाव्य की व्याख्या और मूल्यांकन कलावादी दृष्टिकोण से करते हैं, वे रीतिकाव्य को रसवाद की पूर्ण प्रतिष्ठा का श्रेय देते हैं। "साहित्य में भी श्रेणी निर्धारण नगेन्द्र को प्रिय है। हिन्दी कवियों में वे 'देव' को प्रथम श्रेणी के कवियों-तुलसीदास, सूरदास और जयशंकर प्रसाद आदि में स्थान नहीं देते, क्योंकि देव ने इन कवियों की भाँति जीवन को उसकी सम्पूर्णता में ग्रहण नहीं किया है। लेकिन द्वितीय श्रेणी के महत्वपूर्ण कवियों- केशव, बिहारी, मतिराम, घनानन्द में देव अन्यतम है।" डॉ० नगेन्द्र छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहकर परिभाषित करते हैं।

"डॉ० नगेन्द्र की समग्र समीक्षा में उनकी शास्त्रीयता का पक्ष नितांत प्रबल है" डॉ० नगेन्द्र ने हिन्दी के अनेक कवियों तथा सिद्धान्तों पर अंग्रेजी भाषा में भी लिखा, जिससे हिन्दी की व्यावहारिक तथा सैद्धांतिक समीक्षा का प्रचार-प्रसार हो सके। उनकी पुस्तक रस सिद्धान्त का अनुवाद भी कई भाषाओं में उपलब्ध है। छायावादी कवि- सुमित्रानंदन पंत तथा आधुनिक युग के दो महाकाव्य-साकेत एवं कामायनी डॉ० नगेन्द्र की व्यावहारिक समीक्षा के आधार हैं। "डॉ० नगेन्द्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे आजीवन किसी वाद से न जुड़कर विशुद्ध साहित्यिक निष्ठा के समीक्षक रहे हैं और उन्होंने संस्कृत साहित्य के विशाल काव्यशास्त्रीय वाङ्मय को हिन्दी में ले आने का जो ऐतिहासिक कार्य किया है- उसके लिए वे सदैव स्मरण किए जाते रहेंगे"

अन्य छायावादी कवियों की अपेक्षा वे बड़े दायरे में सक्रिय रहे हैं। निराला की आलोचना का सबसे विशिष्ट पक्ष उनकी भाषा है। डॉ० रामविलास शर्मा उनकी भाषा पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं- "निराला के लिए आलोचना और कविता की भाषा में मौलिक अंतर नहीं है। कविता जब कल्पनालोक छोड़कर जीवन संग्राम के निकट आएगी तब वह कोमलकांत पदावली की भूमि छोड़कर गद्य की भाषा के निकट आएगी।"

‘परिमल’ की भूमिका भी हिन्दी आलोचना की उपलब्धि है। इसमें निराला ने मुक्त छंद का विवेचन किया है और छन्दों की मुक्ति की आवश्यकता को स्वच्छता के जीवनमूल्य से जोड़ा है। वे लिखते हैं—“मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है।” निराला ने मुक्त छंद के समर्थन में परम्पराओं का प्रमाण प्रस्तुत किया, वेदों में काव्य की मुक्ति के ऐसे हजारों उदाहरण हैं। बल्कि 95 फीसदी मंत्र इसी प्रकार मुक्त हृदय के परिचायक ही रहे हैं। निराला की काव्य चेतना वस्तु, विधान, छंद सभी संदर्भों में मुक्ति की आकांक्षा से प्रेरित है।

सुमित्रानन्दन पंत ने काव्य भाषा और शिल्प के विषय पर अपने आलोचनात्मक विचार व्यक्त किए। छायावादी काव्य की भाषा पर उन्होंने ‘पल्लव’ की भूमिका में लिखा। ब्रजभाषा को पंत गढ़ी हुई भाषा मानते हैं और स्वीकार करते हैं कि यह भाषा परिवर्तित संवेदना को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। खड़ी बोली की स्वीकृति के सन्दर्भ में होने वाले विवादों की दृष्टि से यह भूमिका अपना ऐतिहासिक महत्त्व रखती है।

महादेवी वर्मा काव्य की रचना में ‘सत्य’ और ‘सौन्दर्य’ के एकीकरण को महत्त्व देती है। वे मानती हैं कि—“सत्य काव्य का साध्य है और सौंदर्य उसका साधन।” बुद्धि और ज्ञान की अपेक्षा वे अनुभूति को अधिक महत्त्व देती हैं। ‘दीपशिखा’ की भूमिका में वे काव्य को उपयोगी और ललित कला जैसे वर्गीकरणों के आधार पर बाँटकर देखे जाने का विरोध करती हैं। महादेवी वर्मा की शैली आलंकारिक और चित्रात्मकता से युक्त है। वे छायावाद को करुणा की छाया में ‘सौंदर्य’ के माध्यम से व्यक्त होने वाला भावात्मक ‘सर्ववाद’ कहकर परिभाषित करती हैं।

प्रभाववादी आलोचना

आलोचना की यह प्रणाली व्यावहारिक आलोचना के अंतर्गत आती है। इस प्रणाली के अंतर्गत सर्वप्रथम सहृदय अथवा आलोचक कृति का अनुशीलन करता है और उससे प्रभाव ग्रहण करता है। तत्पश्चात् वह इस प्रभाव की मार्मिक ढंग से अभिव्यक्ति करता है। यह एक व्यक्ति प्रधान आलोचना पद्धति है। इसमें रचना रचनाकार, साहित्यिक मूल्यों या रचना प्रक्रिया की अपेक्षा आलोचक के स्वच्छंद व्यक्तित्व की प्रधानता होती है। “प्रभाववादी समीक्षक कलाकृति से प्रभावित होकर नूतन कला को जन्म देता है।” इस आलोचना में विषय से अधिक महत्वपूर्ण आलोचक का व्यक्तित्व हो जाता है। “इस

समीक्षा में तीन तत्व अधिक प्रधान रहते हैं लेखक का व्यक्तित्व, 2—भाव प्रधानता, 3—कल्पना प्रवणता।”

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल इस आलोचना पद्धति को महत्त्व नहीं देते हैं और हिन्दी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं। “इस प्रकार किसी पाठक कि हृदय पर पड़े अच्छे प्रभाव को सुन्दर तथा सरस भाषा में प्रतिक्रियात्मक रूप में व्यक्त कर देना मात्र आलोचना नहीं है।” इस परम्परा के आलोचकों में पद्मसिंह शर्मा, शान्तिप्रिय द्विवेदी, भगवतशरण उपाध्याय, भुवनेश्वर सिंह ‘माधव’ प्रमुख हैं।

स्वच्छन्दतावादी आलोचना

द्विवेदी युगीन नैतिकता और सरलता के विरुद्ध छायावादी कवियों ने नए मानदण्ड स्थापित किए। कवि पंत के शब्दों में—“नवीन युग की नवीन आकांक्षाओं, क्रियाओं, नवीन इच्छाओं, आशाओं के अनुसार कवि की वीणा से नए गीत, नये छंद, नये राग, नई रागिनियाँ, नई कल्पनाएं फूट पड़ी।”

कवि पंत द्वारा लिखी गई ‘पल्लव’ की ‘भूमिका’ की तुलना आलोचकों ने वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के ‘लिरिकल बैलेड्स’ से की है। साथ ही इसे हिन्दी की रोमांटिक कविता का मेनिफेस्टो भी कहा है। पंत की ही भाँति अन्य छायावादी कवियों ने भी अपनी रचनाओं की भूमिका के माध्यम से स्वच्छन्दतावादी आलोचना को समृद्ध किया।

मार्क्सवादी अथवा प्रगतिवादी आलोचना

छायावादी कवि जीवन के यथार्थ से दूर कल्पना लोक में विचरण करता था। किन्तु जीवन के यथार्थ की उपेक्षा नहीं की जा सकती और स्वयं बाद के समय में ‘पंत’ और ‘निराला’ जैसे छायावादी कवियों ने भी सामाजिक यथार्थ को अपने साहित्य का वर्ण्य विषय बनाया। छायावादी काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप जीवन के यथार्थ को महत्त्व देने वाले प्रगतिवादी काव्य की रचना आरम्भ हुई। इसके साथ-साथ आलोचना के क्षेत्र में प्रगतिवादी आलोचना का प्रचलन प्रारम्भ हुआ। प्रगतिवादी आलोचना का मुख्य आधार मार्क्सवादी जीवन दर्शन है और मार्क्सवाद का यह जीवन दर्शन ‘द्वन्द्वतात्मक भौतिकवाद’ के नाम से प्रसिद्ध है। मार्क्स के अनुसार—“वस्तु जगत ही परम सत्य है।” मार्क्सवादी आलोचकों में डॉ० रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान व प्रकाशचन्द्र गुप्त प्रमुख हैं।

मार्क्सवादी समीक्षा के व्यापक प्रभाव के परिणाम स्वरूप अब मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र का भी विवेचन होने लगा है। इस विषय पर शिवकुमार मिश्र कृत ‘मार्क्सवादी साहित्य चिंतन और कमला प्रसाद द्वारा संपादित मार्क्सवादी सौंदर्यशास्त्र’ महत्वपूर्ण प्रयास हैं।

मनोवैज्ञानिक अथवा अंतश्चेतनावादी आलोचना

हिन्दी में इलाचन्द्र जोशी, डॉ० नगेन्द्र, डॉ० देवराज उपाध्याय, अज्ञेय आदि का नाम उल्लेखनीय है। इलाचन्द्र जोशी ने 'साहित्य सर्जना' लिखकर मनोवैज्ञानिक आलाचना की प्रतिष्ठा की थी। "डॉ० नगेन्द्र मूलतः रसवादी आलोचक है, किन्तु वे मनोविज्ञान को रसवाद का पूरक मानते हैं।" डॉ० देवराज उपाध्याय ने हिन्दी कथा साहित्य की आलोचना मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से की है। रचनाकार के व्यक्तित्व और रचना के पारस्परिक सम्बन्ध के कारण इस आलोचना पद्धति पर अत्यधिक बल दिया गया।" मनोवैज्ञानिक आलोचना मनोविश्लेषण के सहारे कथा साहित्य में पात्रों के आचरण की व्याख्या कर सकती है, वर्णित और घटित घटनाओं के आधारभूत मनोवैज्ञानिक कारणों का अनुसंधान कर सकती है, पुरुष नारी पात्रों में आद्य पुरुष और आद्य नारी के बिंबों की झलक देख सकती है।

अनुसंधानपरक आलोचना

इस शोध प्रबन्धों में बहुत सा अंश तथ्यपरक होता है, जिसे आलोचना तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु एक सुस्पष्ट आलोचना दृष्टि के अभाव में अच्छा शोध प्रबंध नहीं लिखा जा सकता। शोध का उद्योगशोध के अनुशीलता के क्रम में तत्वों और मूल्यों का भी अन्वेषण करता है। यह अन्वेषण आलोचना दृष्टि के अभाव में पूर्ण नहीं हो सकता। विगत वर्षों में संख्या एवं विविधता दोनों ही दृष्टियों से अनुसन्धापरक आलोचना समृद्ध और विकसित हुई है।

ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक आलोचना

इस आलोचना पद्धति के अंतर्गत किसी कृति का मूल्यांकन इतिहास एवं परम्परा के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। कोई भी रचना अपने युग की एक अभिव्यक्ति होती है। युग विशेष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियों ने रचना एवं रचनाकार को कहाँ तक प्रभावित किया है, इसका अन्वेषण करना ही ऐतिहासिक आलोचना है। "सर्जक कभी-कभी अपने युग को परिस्थितियों का सीधे-सीधे प्रत्यक्ष रीति से वर्णन करता है, कभी सांकेतिक रूप से यह आलोचक की विश्लेषण शक्ति और सामर्थ्य है कि सांकेतिक अर्थों में इतिहास की प्रासंगिकता सामने ला सके।"

व्याख्यात्मक आलोचना

कोई भी रचना अपने कथ्य एवं शैली संरचना से बनती है। आलोचक द्वारा बिना किसी राग द्वेष के निरपेक्ष भाव से इन दोनों तत्वों का विश्लेषण करना व्याख्यात्मक समीक्षा है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल इस आलोचना पद्धति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं— "व्याख्यात्मक आलोचना किसी ग्रन्थ में आयी हुई बातों को एक व्यवस्थित रूप में सामने रख कर उनका अनेक प्रकार से स्पष्टीकरण करती

है। यह मूल्य निर्धारित करने नहीं जाती है।" हिन्दी में इस समीक्षा प्रणाली को लाने और विकसित करने का श्रेय आचार्य शुक्ल को ही

"हिन्दी में नई समीक्षा ठीक उसी रूप में नहीं आयी जिस रूप में अमेरिकी नये समीक्षकों ने उसे प्रतिष्ठित किया था। हिन्दी के नये समीक्षकों ने काव्य के सन्दर्भ में भाषा के महत्व को स्वीकार किया। उसकी सर्जनात्मक विशेषताओं को लक्षित करने की चेष्टा की। कवि के अनुभव संसार के विस्तार और भाषा संसार के प्रसार की समानान्तरता निरूपण किया।"

सन्दर्भ

1. हिन्दी आलोचना की बीसवीं सदी, डॉ० निर्मला जैन, पृ० सं० 50
2. आलोचना की कुछ नई दिशाएँ, डॉ० राम प्रसाद मिश्र, पृ० सं० 131
3. नया सा हेतय नये प्रश्न, नन्ददुलारे वाजपेई, पृ० सं० 27
4. हिन्दी आलोचना की बीसवीं सदी, डॉ० निर्मला जैन, 56
5. हिन्दी आलोचना की बीसवीं सदी, डॉ० निर्मला जैन, पृ० सं० 59
6. डॉ० नगेन्द्र व्यक्तित्व और कृतित्व, डॉ० रणवीर रांग्र, पृ० सं० 02
7. हिन्दी आलोचना: शिखरों का साक्षात्कार, डॉ० रामचन्द्र तिवारी, पृ० सं० 107
8. हिन्दी आलोचना का विकास, मधुरेश पृ० सं० 127
9. हिन्दी आलोचना इतिहास और सिद्धान्त, डॉ० योगेन्द्र प्रताप सिंह, पृ० सं० 163
10. हिन्दी आलोचना इतिहास और सिद्धान्त, डॉ० योगेन्द्र प्रताप सिंह, पृ० सं० 164
11. परिमल, सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला', पृ० सं० 16
12. पल्लव, महादेवी वर्मा, पृ० सं०
13. हिन्दी आलोचना: शिखरों का साक्षात्कार, डॉ० रामचन्द्र तिवारी, पृ० सं० 16
14. वही, पृ० सं० 37
15. हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचार्य शुक्ल, पृ० सं० 6
16. पल्लव की भूमिका—सुमित्रानन्दन पंत हिन्दी आलोचना: शिखरों का साक्षात्कार,
17. डॉ० रामचन्द्र तिवारी, पृ० सं० 18
18. हिन्दी आलोचना : इतिहास और सिद्धान्त, डॉ० योगेन्द्र प्रताप सिंह, पृ० सं० 28
19. हिन्दी आलोचना: शिखरों का साक्षात्कार, डॉ० रामचन्द्र तिवारी, पृ० सं० 33

राहुल सांकृत्यायन: हिन्दी साहित्य में साम्यवाद का द्वार

डा० अजय सिंह यादव*

वाम शब्द की उत्पत्ति फ्रांस की क्रान्ति के साथ हुई। यह पिछली दो शताब्दियों के दौरान साहित्यिक अभिव्यक्ति में 'सामाजिक सवाल' अर्थात् समाज के दबे-कुचले, शोषित-वंचित लोगों खासतौर पर मजदूर वर्ग की जरूरतों और माँगों से जुड़े सवालों को स्वर देने वाले शब्द के रूप में उभरा। कार्ल मार्क्स और एंगेल्स का जिस तरह आयरलैण्ड की आजादी, इण्टरनेशनल लीग और पेरिस कम्यून जैसी घटनाओं से अटूट नाता जुड़ा हुआ था, उसी तरह राहुल सांकृत्यायन की जीवन-यात्रा से साम्यवादी समय का गहरा लगाव है। पेरिस कम्यून की योजना और संघर्ष पर मार्क्स को लन्दन में सबसे अधिक गाली खानी पड़ी थी। राहुल को इस देश में सोवियत संघ का प्रचारक होने के नाम पर भरपूर गालियाँ और धमकी सहनी पड़ी। बावजूद इसके भारतीय साहित्य विशेषकर हिन्दी साहित्य में मार्क्सवादी विचारों, शोषित-वंचित मजदूरों तथा श्रम की महत्ता को स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य राहुल जी ने ही किया था, राहुल सांकृत्यायन ने न केवल सैद्धान्तिक तौर पर साहित्य सृजन के द्वारा बल्कि व्यावहारिक तरीके से किसानों-मजदूरों के आन्दोलनों का नेतृत्व करते हुए, उनके हक में लड़ते हुए भी साम्यवादी संघर्ष और साहित्य के लिये मार्ग प्रशस्त किया था। 1936 ई० के आस-पास जो नया यथार्थवाद आया जिसने साहित्य को प्रगतिशील भी बनाया और आधुनिक भी, उसके उभार का बहुत बड़ा कारण ये किसान-मजदूर आन्दोलन भी थे। इस सम्बन्ध में नामवर सिंह भी लिखते हैं कि –“लेकिन स्वतंत्र रूप से 1934 के आस-पास सहजानन्द सरस्वती, राहुल सांकृत्यायन आदि लोगों ने किसानों को संगठित किया और समझा गया कि दरअसल किसान शक्ति के साथ मजदूर वर्ग मिलेगा तो इन दोनों की एकता से ही सच्ची और सही आजादी हासिल होगी। भारतीय राजनीति ने यह एक नया मोड़ लिया था।”

राहुल जी का विरल व्यक्तित्व साम्यवादी है। उन्होंने दुनिया का चक्कर लगाते हुये आदमी की बनावट को गहराई से टटोला था। उनका पूरा विश्वास था कि मनुष्यता की रक्षा तथा शोषित-वंचित वर्ग की मुक्ति साम्यवाद से ही संभव है। अपनी पुस्तक 'दिमागी गुलामी' में वे साफ लिखते हैं कि –“खेतिहर-मजदूरों को खयाल करना चाहिये कि उनकी आर्थिक मुक्ति साम्यवाद से ही हो सकती है और जो क्रान्ति आज शुरू हुई है, वह साम्यवाद पर ही ले जाकर रहेगी। उसके सिवा भले दिनों को दिखलाने वाला कोई दूसरा रास्ता नहीं है।” राहुल जी

ने भारतीय समाज की जातीय व्यवस्था, छुआ-छूत, धर्म तथा संस्कृति का गहरा अध्ययन किया था। उन्होंने समाज में अछूत समझी जाने वाली जातियों के लिये एक अलग संगठन की वकालत की थी, क्योंकि उनकी समस्याएं अधिक विकट थी तथा सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक सभी क्षेत्रों में फैली हुई थीं। राहुल जी का मत था कि किसानों-मजदूरों को सिर्फ खेतों और प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी पाकर ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए बल्कि उद्योग धंधों, कारखानों, मिलों को भी स्थापित करना चाहिए और उसमें भी अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना चाहिए। वे स्पष्ट रूप से सचेत करते हुए लिखते हैं –“सिर्फ खेती से ही तो सारा काम नहीं चल सकेगा, हमें देश में कारखानों और मिलों का प्रसार करना पड़ेगा और तब कहीं हमारी आर्थिक दरिद्रता दूर होगी, क्रान्ति को आगे बढ़ने दो, बस यही खेतिहर-मजदूरों का ध्येय होना चाहिए।” उनका यह कथन राहुल जी की उदार चेतना और दूर-दृष्टि का बोध कराता है जो साम्यवादी विचारों को मजबूती से थामे, उसके विकास तथा किसानों-मजदूरों के अधिकारों को दृष्टिगत रखते हुये भारतीय हितों के अनुरूप देश के विकास की नयी अवधारणा प्रस्तुत करता है।

राहुल जी मजदूरों-किसानों के हक में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध लड़ते हुए कई बार जेल भी गये थे। उनकी रचनाओं में न केवल अंग्रेजी सत्ता के प्रति विद्रोह का भाव है बल्कि भारतीय पूँजीपतियों, जमींदारों के प्रति आशंका भी है। 'जीने के लिए' उपन्यास जो बिहार की छपरा जेल में रहते हुए लिखा गया था, में एक बेहतर जिन्दगी का जिसमें परतंत्रता, शोषण और दरिद्रता का कोई स्थान न हो, का उल्लेख है। राहुल जी ने इसमें पूँजीपतियों को समाज के शत्रु के रूप में ही प्रस्तुत किया है। उपन्यास का नायक देवराज पूँजीपतियों के विरुद्ध अपना आक्रोश इन शब्दों में बयाँ करता है – “अपनी सारी शक्ति लगाकर हम गरीबों का खून चूसकर मोटे होने वाले इन लोगों को सामने से हटाना है। हमें दिखला देना है कि न हम अंग्रेज सरकार को चाहते हैं, न उसके पिट्टुओं – इन धनियों और जमींदारों को।” इसी तरह 'भागो नहीं, दुनिया को बदलो' उपन्यास में पूँजीवादी मानसिकता के प्रतिरोध का स्वर उपन्यास के पात्र राजबली के इस कथन में अभिव्यक्ति होता है –“जोंको के राज में मक्खन जैसे मुलायम हाथ की तारीफ की जाती है, सोवियत में गड़ढा पड़े-पड़े कड़े हाथों की तारीफ होती है। जोंकों के मुल्क में कामचोर-देहचोर की

*असिसटेन्ट प्रोफेसर हिन्दी राजकीय महाविद्यालय देवगनपुरा, पनवाड़ी, महोबा (उ०प्र०)।

इज्जत की जाती है, सोवियत में मेहनती मजदूर, किसान, काम करने वाले लोगों की इज्जत होती है।”

राहुल जी धर्म और संस्कृति को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं तथा धर्म को एक स्वस्थ धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए खतरा मानते हैं। आजादी के आन्दोलन के समय जब लोग यह मानने लगे थे कि धार्मिक उन्माद का खतरा नहीं है और धर्म, देश के लिए समस्या नहीं बनेगा, तब भी राहुल जी भारतीय समाज की तर्कों में जड़ जमाये, धर्म के अंकुरित होते बीजों तथा आने वाली समस्याओं के प्रति आशंकित थे। उनकी पुस्तक ‘साम्यवाद ही क्यों’ में उनकी इस आशंका को स्पष्ट रेखांकित किया जा सकता है— “कहा जा सकता है, अब धर्म और ईश्वर उतनी खतरनाक चीज नहीं रह गये हैं, किन्तु बात क्या वैसी है। क्या धर्म के विष वाले दौंत तोड़ दिये गये हैं। कम से कम भारत तो इस समय भी इसके मारे परेशान है। बराबर धर्मान्ध लोग खून-खराबा करते ही जा रहे हैं।” राहुल जी ईश्वर की सत्ता पर भी बराबर चोट करते रहे। उन्होंने ईश्वर को निर्बलों के नहीं बल्कि शोषकों-पूँजीपतियों के पक्ष में खड़े होने की बात कही। राहुल जी मानते हैं कि —“ईश्वर पूँजीपतियों के काम का रहा है। यदि भारत की दृष्टि से देखा जाये तो जब तक धर्म है, उसे शांति और स्वतंत्रता का स्वप्न छोड़ देना चाहिए। सामंतवादिता भी धर्मान्धता को बढ़ावा देती है।” राहुल सांस्कृत्यायन अंत तक अनात्मवादी, अनीश्वरवादी, भौतिकवादी और साम्यवादी बने रहे। धर्म के प्रति उनके विरोध को लक्ष्य करते हुए परमानन्द श्रीवास्तव लिखते हैं कि —“वे धर्म, संस्कृति को एक नहीं मानते थे। उनके सांस्कृतिक अवबोध में सेकुलर दृष्टि सहज ही लक्ष्य की जा सकती है।” राहुल जी ने सनातन धर्म और व्यवस्था का सदैव विरोध किया था और सनातन धर्म की व्यवस्थाओं को पनपने और पल्लवित होने के लिए ब्राह्मणों को उत्तरदायी ठहराया था। राहुल जी की मान्यता है कि चाटुकार ब्राह्मणों के कारण ही राजतंत्र अथवा राजाओं का शासन कायम रहता है। ऐसे भी ब्राह्मण हैं जो यह बतलाते हैं कि राजा स्वयं भगवान का प्रतीक होता है। इसे वर्तमान भाषा में ‘डिवाइन राइट’ सिद्धान्त के रूप में जानते हैं, जो सामन्तवादिता की प्रवृत्ति का पोषण करती है। राहुल जी को सामंती रहन-सहन और जीवनशैली से घोर वितृष्णा है। अपने उपन्यास ‘राजस्थानी रनिवास’ में राहुल जी लिखते हैं— “वस्तुतः सामंती जीवन आमतौर से गन्दे कीड़ों का जीवन था। मानवता को दबाकर वहाँ पशुता प्रधानता प्राप्त किए हुए थी। मनुष्य को पशुता की तरफ जाने से रोकने के लिए जितनी मात्रा में संस्कृति की आवश्यकता है, यदि वह उतनी न मिले, तो वेशभूषा, बाहरी तड़क-भड़क आदमी को मनुष्य नहीं रहने देती।” राहुल जी ने कई धर्म-वैदिक और आर्यसमाजी को

वक्त के साथ पुराना पड़ जाने पर बदल दिया था। बुद्ध के बाद मार्क्स ही उनके व्यक्तित्व की समुचित शक्ति रहे। बौद्ध धर्म और संस्कृति से उनका लगाव भी गहरा रहा, फिर भी मार्क्स, लेनिन, स्टालिन और माओ से सीखने का उनमें अद्भुत गुण था। इस गुण से वह भारत को बदलने का भागीरथ प्रयास करते रहे। दुर्भाग्य से उनके विस्मयकारी बुद्धि वैभव से हिन्दी जगत का सघन परिचय नहीं हो पाया। अगर वे सिर्फ पण्डित होते तो उनके बारे में बातें करना हिन्दी जगत और शक्तिशाली राजनताओं के लिये आसान होता, पर उनका पण्डित होने के साथ प्रखर भारतीय वामपंथी होना उन्हें एक मुश्किल बौद्धिक बना देता है। भारतीयों को उनके पण्डित होने से नहीं बल्कि एक प्रखर बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक, व्यावहारिक साम्यवादी चिंतक होने से समस्या है, क्योंकि वे बड़ी निर्भीकता और प्रखरता से भारतीय सनातनी और वैदिक ज्ञान की आलोचना करते हैं। 1937 ई० में इलाहाबाद की एक जनसभा जिसमें पं० जवाहर लाल नेहरू भी उपस्थित थे, में उन्होंने स्पष्ट कहा था— “ज्यादातर पुरानी पोथियों में 75 प्रतिशत तो बेवकूफियाँ ही बेवकूफियाँ भरी पड़ी हैं। हाँ कहीं-कहीं अकल की बातें भी हैं।” राहुल जी के ऐसे वक्तव्यों से लोग तिलमिला जाते थे और उनपर व्यंग्य भी करते थे। एक सनातनी विद्वान ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ‘राहुल जी तैरते ही रहे, पार नहीं पाया है।’ राहुल जी ने इसका जवाब देते हुए कहा था— “जो लोग कुओं में तैरते हैं, वे मेढकों की तरह इस पार से उस पर भी चले जाते हैं। मगर जो सागर में तैरते हैं, वे तैरते ही रहते हैं, वे आर-पार नहीं जाते हैं।”

राहुल सांस्कृत्यायन जी ने स्थितियों की विकटता में भी अपने सिद्धान्तों से कभी समझौता नहीं किया। सिर्फ सनातनी पण्डितों-विद्वानों से ही उनका विरोध नहीं रहा, वरन् उनका प्रखर वैज्ञानिक वामपंथी चिंतक होना, भारतीय वामपंथी पार्टी को भी परेशान करता रहा, जिसके कारण उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। यह भी एक विडम्बना ही है कि आजादी की लड़ाई के दिनों में जब भारत की सारी जनता एक साथ मिलकर लड़ रही थी तो मार्क्सवादी बुद्धिजीवियों में वर्गभेद की चेतना जरूरत से ज्यादा प्रबल थी और अब जब आजादी मिलने के बाद समाज में वर्गभेद स्पष्ट होकर उभरने लगा तो बुद्धिजीवियों की वह वर्ग चेतना धीरे-धीरे कुंठित होने लगी। वर्गभेद बढ़ने के साथ वर्गबोध का ह्रास होने लगा था। विचारप्रणाली के रूप में मार्क्सवादी चिंतन को केन्द्रीय स्थान प्राप्त हुआ, लेकिन मार्क्सवाद में आस्था क्षीण होने लगी थी। इसका मुख्य कारण छद्म वामपंथी बुद्धिजीवियों की सत्ता से निकटता थी— “आजाद भारत में वे वामपंथी बुद्धिजीवी ज्यादा सुविधा से काम कर सकें

सूफीवाद : इस्लामिक उदारता का परिष्कृत दृष्टिकोण

अनुपम आनन्द*

सूफीवाद इस्लाम के अन्तर्गत एक उपविचारधारा है जिसमें प्रेमत्व को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। यह प्रेममार्गी धारा इस्लाम का एक उदार संस्करण प्रस्तुत करती है। यहाँ पर बन्दा और खुदा का संबंध दास्य भाव से इतर प्रेमभाव पर आधारित है। यह जीव और ब्रह्म के ए काकार होने को प्रेम अथवा भक्ति का अंतिम लक्ष्य मानता है। सूफीवाद में भक्ति अथवा प्रेम का साधन बुद्धि (अक्ल) न होकर हृदय (कल्ब) होता है। यह विचारधारा इस्लाम के आधारभूत सिद्धांतों की अनुचित व्याख्या से उपजे रुढ़िवाद के परिणामस्वरूप विकसित हुई। उदार इस्लाम के प्रभाव के कारण अरब क्षेत्र में उपस्थित विलासिता के स्थान पर सच्चे साधकों की प्रेमात्मक एवं त्यागपूर्ण विचारों ने सूफी मतवाद को उत्पन्न किया। ईरान की संस्कृति में 8वीं व 9वीं शताब्दी में इसे विकसित होने का अनुकूल अवसर प्राप्त हुआ। इसने सूफी दर्शन एवं सूफीमत के विकास में अग्रणी भूमिका ईश्वर के कठोरतम स्वरूप की रचना की। अतः इस इस्लाम की विचारधारा का सरलीकरण ही सूफीवाद है।

हिन्दी के कवि रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के चार अध्याय में स्पष्ट लिखा है – इस्लाम ने, मूल रूप से, जिस ईश्वर की कल्पना की थी, वह प्रतापी और स्वेच्छाचारी प्रभु की कल्पना थी। अल्लाह शब्द का अर्थ ही शक्ति सम्पन्न पुरुष होता है। इस्लाम ने ईश्वर के उन गुणों को प्रधानता दी, जिनसे प्रेम कम, भय अधिक हो सकता था। परमात्मा की दया के सामने झुके रहने का भाव इस्लाम की सबसे बड़ी विशेषता है। समय के साथ मनुष्य और अल्लाह (ईश्वर) के मध्य यह सम्बन्ध ढीला पड़ने लगा। मनुष्य अपने स्वभाव के अनुरूप ईश्वर से भय के स्थान पर प्रेम करने लगा। सूफीवाद के विकास में यह भावना भी सक्रिय भूमिका निभा रही थी।

सूफी शब्द की उत्पत्ति मूलक अर्थ पर विद्वानों में मतैक्य नहीं है। इस शब्द की व्याख्या विभिन्न दृष्टिकोणों से की गयी है। सबसे प्रचलित मान्यता के अनुसार 'सूफी' शब्द का विकास 'सफ' शब्द से हुआ है, जिसका अभिप्राय ऊन या ऊनी कपड़ा होता है। सूफी साधक आरम्भिक समय में ऊन से बने कपड़े पहनते थे। इस मान्यता के अनुसार सम्भवतः इसीलिये इनको सूफी कहा गया। दूसरे मत के अनुसार सूफी शब्द की उत्पत्ति 'सफा' शब्द से हुई है जिसका अर्थ है पवित्रता या शुद्धि की अवस्था। आचरण की पवित्रता व शुद्धता के कारण इनको सूफी कहा गया है। यद्यपि सूफी शब्द की व्याख्या में अन्य मत भी प्रचलित हैं परन्तु सामान्य दृष्टिकोण से 'तवस्सुफ' को मानने वाले साधकों को सूफी कहा जाता है।

सूफियों ने मनुष्य की चेतना को चार भागों में विभक्त किया है, नफस, अक्ल, कल्ब और रुह, जिनके अर्थ क्रमशः इन्द्रियाँ, बुद्धि, हृदय और आत्मा हैं। इन चारों में इन्होंने कल्ब को सबसे महत्वपूर्ण माना है। कल्ब के द्वारा ही खुदा की प्राप्ति सम्भव है, क्योंकि कल्ब में ही खुदा का प्रतिबिम्ब व्यक्त होता है। यह कल्ब रूपी दर्पण जितना स्वच्छ होगा, ईश्वर का उतना ही स्पष्ट स्वरूप इसमें दिखायी देगा। ऐसी इनकी मान्यता है। इसे स्पष्ट करते हुए कन्हैया सिंह ने अपनी पुस्तक 'उदार इस्लाम का सूफी चेहरा' में लिखते हैं सूफी जो अपने को कुरान से ऊपर स्वयं के पूज्य तथा 'हक' कहते हैं तो इसका तात्पर्य यह होता है कि अल्लाह की रुह मनुष्य के अन्दर है और अपनी रुह को जान लेता है, वह खुदा को जानता है। इस प्रकार ईश्वर और जीव का अंशांशी सम्बन्ध है।

यद्यपि सूफीवाद की मौलिक उत्पत्ति इस्लाम से हुई है, परन्तु इस भक्ति पद्धति पर उपनिषदों में विद्यमान अद्वैतवाद और प्लाटिनस के 'नत्य प्लेटोवाद' का समान प्रभाव है। इस्लाम की मान्यता के अनुसार खुदा, जगत और जीव तीनों की लौकिक एवं भिन्न सत्ताएँ हैं। खुदा इतना पवित्र है कि उसे संसार और जीव से अभिन्न नहीं माना जा सकता है। खुदा और बन्दे में राजा और प्रजा या स्वामी और दास का सम्बन्ध है, प्रेम का नहीं। इस मान्यता को खारिज करना सूफियों के लिए महत्वपूर्ण था, इसीलिए उन्होंने नव्य प्लेटोवाद और भारतीय उपनिषद दर्शन में दिखने वाले अद्वैतवाद की भावभूमि पर अपनी मान्यताएँ प्रस्तुत की। नयी विकसित धारणा में बन्दा अपनी साधना से खुदा से 'एक' हो सकता है। अद्वैतवाद का 'अहं ब्रह्मास्मि' या सोडहम् का भाव यहाँ 'अनलहक' कहलाता है। जिसका अर्थ बन्दे और खुदा की एकता है। यह विचार इस्लाम विरुद्ध तथा अद्वैतवाद से प्रभावित है। सूफीवाद के अन्तर्गत बन्दा खुदा की प्राप्ति प्रेम के माध्यम से करता है। यह प्रेम 'इश्कमजाजी' अर्थात् लौकिक प्रेम से प्रारम्भ होता है और 'इश्कहकीकी' अर्थात् ईश्वरीय प्रेम के रूप में चरम अवस्था में पहुँचता है। लौकिक प्रेम के प्रतीक को सफल बनाने के लिए सूफियों ने खुदा को नारी के रूप में तथा बन्दे को पुरुष के रूप में अभिव्यक्त किया है। कन्हैया सिंह पुनः लिखते हैं – परम्परागत इस्लाम भावना के अन्तर्गत 'मैं ब्रह्म हूँ' की भावना को स्थान नहीं था, क्योंकि वहाँ ईश्वर और जीव दोनों अलग-अलग सत्ताएँ मानी गयी हैं। सूफियों ने अपने चिन्तन में ब्रह्मवादी विचार का समावेश किया है। मंसूर हल्लाम की प्रसिद्ध उक्ति 'अनलहक', 'मैं ही सत्य

*शोध छात्र (हिन्दी) महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, उ० प्र०

ब्रह्म हूँ हिन्दू दर्शन के 'अहम् ब्रह्मास्मि' का अनुवाद प्रतीत होता है।

भारतीय सामाजिक ताने बाने के सन्दर्भ में सूफी सन्तों एवं कवियों का सर्वप्रथम योगदान सांस्कृतिक समन्वय और साम्प्रदायिक सौहार्द स्थापित करने में रहा। इस्लाम को औपनिषदिक चिंतन से मिलाकर इस्लाम की संकल्पना से परे जाकर 'अनअलहक' का उद्घोष करना इन सूफियों का साहसिक कार्य रहा है। तत्कालीन समय में हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिकता भारतीय समाज के समक्ष एक बड़ी चुनौती थी। सूफियों के समानान्तर कबीर जैसे सन्त मुल्लों और पण्डों को साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाने पर लगातार आक्रामक प्रहार करते रहे वहीं दूसरी ओर सूफियों ने अपने प्रेमाख्यानक संगीत में माध्यम से समाज में समरसता स्थापित करने में बड़ा योगदान दिया।

सूफी विचारधारा की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति प्रेमाख्यानक काव्यों में दृष्टिगत होती है। इस काव्य की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि यह फारसी की 'मसनवी' शैली में लिखे जाते थे, परन्तु इनकी विषय वस्तु के अन्तर्गत हिन्दू परम्परा के पौराणिक एवं मिथकीय कथानकों को सम्मिलित किया जाता रहा है। साम्प्रदायिक समन्वय स्थापित करने के लिए इन

प्रेमाख्यानकारों ने अपने काव्य में हिन्दू देवी देवताओं को भी पर्याप्त सम्मान दिया। प्रेमाख्यानक काव्य का आरम्भ 1370 में मुल्ला दाउद द्वारा रचित 'चन्दायन' या 'लोरिकहा' से हुई, और इस परम्परा की चरम अभिव्यक्ति मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध महाकाव्य 'पद्मावत' में हुई।

प्रेमाख्यानक काव्य में मानवीय प्रेम को जीवन के आधारभूत मूल्य के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। इश्कमजाजी से इश्क हकीकी की यात्रा का प्रथम चरण मानवीय प्रेम की स्थापना है जो ईश्वरीय प्रेम से पहले आता है। इनके अध्यात्म का सार मानव प्रेम है।

सांस्कृतिक एवं धार्मिक संक्रमण के दौर में सूफी सन्तों ने भारतीय समाज में सामंजस्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इस्लाम को भारतीय दर्शन को जोड़कर जहाँ एक ओर उन्होंने इस्लाम का भारतीयकरण किया वहीं दूसरी ओर मानव प्रेम को मूल्य के रूप में स्थापित करके सामाजिक समरसता को बढ़ाया। भारत की सामाजिक संस्कृति के निर्माण में सूफी सन्त परम्परा का अप्रतिम योगदान है क्योंकि इस परम्परा के माध्यम से हिन्दू और मुसलमानों में साहचर्य व प्रेम से रहने की विचारधारा का विकास हुआ।

ब्रह्माण्ड पुराण में भूगोल विषयक ज्ञान

गिरिजेश त्रिपाठी*

पुराणों में भूगोल एवं खगोल सम्बन्धी विषयों की व्यापक चर्चा की गई है। पुराणों में भूगोल का जो ज्ञान अन्तर्निहित है वह दो रूपों में है— प्रथम है पूरे संसार का भूगोल तथा दूसरा है भारत वर्ष का भूगोल। सामान्यतः माना जाता है कि संसार के भूगोल वर्णन में कल्पना का तत्व अधिक है जबकि भारत वर्ष का भूगोल विषयक ज्ञान यथार्थ के बिल्कुल निकट है। किन्तु गहराई से देखने पर पता चलता है कि पुराणकारों को समस्त संसार के भूगोल का विशद ज्ञान था, लगभग सम्पूर्ण पृथ्वी के भूमिखण्डों का यथार्थ ज्ञान पुराणों में निहित है। किन्तु विद्वान् इसे काल्पनिक इसलिए मान लेते हैं क्योंकि पुराणकारों ने जिन स्थानों, भूखण्डों का वर्णन पुराणों में किया है उनकी अंसदिग्ध पहचान अभी तक नहीं हो पायी है। समय के चक्र में उन अनेक स्थानों के नामों में वहां की भाषा, संस्कृति सभ्यता आदि में परिवर्तन हो चुका है संभवतः इसलिए भी पौराणिक प्राचीन भूखण्डों की स्पष्ट पहचान में समस्या आयी है। फिर भी कुछ उत्साही विद्वानों ने अनेक पौराणिक द्वीपों, पर्वतों, नदियों की पहचान सफलतापूर्वक की है। किन्तु भारतवर्ष के भूगोल संबंधी विवरण जो पुराणों में मिलते हैं वह स्पष्ट हैं एवं अंसदिग्ध हैं।

पुराण में भुवनकोष एक विशद विषय के रूप में वर्णित है। इसके अन्तर्गत विश्व के सभी भूखण्डों का नाम, उनका स्वरूप तथा विस्तार एवं वहां के लोगों, वन आदि का विशद वर्णन किया गया है। इस समस्त भू-विन्यास के केन्द्र में मेरु (सुमेरु) पर्वत को रखा गया है।

ब्रह्माण्ड पुराण में भुवनकोष का प्रतिपादन विशद रूप से किया गया है। इस महापुराण के पूर्वभाग के अनुषंगपाद के अन्तर्गत अध्याय 15 से लेकर अध्याय 20 तक में क्रमशः पृथ्वी के आकार और इसके विस्तार, भारतवर्ष का वर्णन, किं-पुरुष आदि देश का वर्णन, जम्बूद्वीप का वर्णन, लक्ष्यद्वीप का वर्णन तथा राक्षस दानव या असुर जाति से सम्बन्धिक अधोलोक वर्णन। इसके अतिरिक्त आदित्य व्यूह वर्णन तथा देवग्रहों के वर्णन से खगोल सम्बन्धी जानकारी ब्रह्माण्ड पुराण में मिलती है।

पुराणों में पृथ्वी को पद्मपुष्प की भांति स्वीकार किया गया है और इसकी कर्णिका अर्थात् मध्यभाग में सुमेरु पर्वत की स्थिति है। जिस प्रकार कमल के मध्यभाग से चारों ओर उसकी पंखुड़ियां निकलती हैं उसी प्रकार मेरु पर्वत की स्थिति है, वह पृथ्वी रूपी कमल की कर्णिका है। वायु पुराण का कथन है —

अव्यक्तात् पृथिवीपद्मं मेरुपर्वत कर्णिकम्।

ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार मेरु पर्वत अव्यक्तजन्मा ब्रह्म की नाभि से उत्पन्न हुआ है—‘नाभिबन्धन सम्भूतो ब्राह्मणो अव्यक्तजन्मनः’ यही बात मत्स्य पुराण में बिल्कुल इन्हीं शब्दों में कही गई है। कहने का अर्थ यही है कि मेरु पर्वत ब्रह्मा की सृष्टि पृथ्वी की नाभि स्थल है अर्थात् केन्द्र है और इसी नाभि (मेरु) को मूल मानकर भुवनकोष की व्याख्या की गई है। पुराणों के अनुसार मेरु पर्वत इलावृत्त वर्ष के मध्य में अवस्थित है और यही जम्बूद्वीप के केन्द्र के रूप में भी है। इलावृत्त की चारों दिशाओं में चार पर्वत जैसे मेरु पर्वत, को आलम्बन देते हुए स्तम्भों की भांति है। पूर्व में मन्दर, दक्षिण में गन्धमादन, पश्चिम में दिशा में विपुल तथा उत्तर में सुपार्ष्व। यद्यपि ब्रह्माण्ड पुराण में गन्धमादन की स्थिति मेरु के पश्चिम में बताई गई है— तस्य प्रतीच्यां वेयः पर्वतो गन्धमादनः। इस मेरु पर्वत तथा आकार (प्रमाण) ब्रह्माण्ड पुराण में वृत्ताकार बताया गया है और यह चारों ओर से एक समान ऊंचा है तथा इसके पार्श्व में नाना वर्णों की स्थिति है—

वृत्ताकृतिप्रमाणश्च चतुरस्र समुच्छ्रितः।

नानावर्णास्तु पार्श्वेषु प्रजापति गुणान्वितः।।

ब्रह्माण्ड पुराण एवं वायु पुराण में मेरु को ‘प्रजापति गुणान्वितः’ बताया गया है अर्थात् यह प्रजापति के गुणों से युक्त है। पुराणोक्त विवरण के आधार पर इतना तो स्पष्ट है कि मेरु कोई विशिष्ट पर्वत है, जिसकी पुराणों में की गई चर्चा के आधार पर वर्तमान अवस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है।

मेरु की सही सही पहचान करने का प्रयास अनेक विद्वानों ने किया है। जैसा कि पुराणों में वर्णित है— मेरु एक विशिष्ट पर्वत है, अनेक पर्वत श्रेणियां इससे निकलकर चारों दिशाओं में प्रकीर्ण होती हैं। बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि आज का पामीर ही पुराणोक्त मेरु पर्वत है। डा० आर० जी हर्षे ने अनेक सबल युक्तियों एवं भौगोलिक चिन्तन के आधार पर मेरु पर्वत को अलताई पर्वत क्षेत्र में अवस्थित बताया है। आज के एशियाई मानचित्र में यह अलताई पर्वतश्रेणी ५० साइबेरिया तथा मंगोलिया में स्थित है। पुराणों में मेरु के दक्षिण में क्रमशः निषध पर्वत श्रेणी, हेमकूट पर्वतश्रेणी तथा हिमवान् (हिमाचल) की स्थिति बताई गई है। एशियाई मानचित्र में अलताई के द० में थिए नशान व ‘कूडानलून’ पर्वतश्रेणी है जो क्रमशः निषध व हेमकूट के प्रतिनिधि स्वीकार किए जा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कूडानलून पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है। जैसा कि हम जानते हैं कूडानलून पर्वत श्रेणी के दक्षिण में हिमालय की अवस्थिति है। डॉ० हर्षे ने अन्य सबल तर्क भी किए हैं। जैसे—अलताई

*शोध छात्र, प्राचीन इतिहास विभाग, लखनऊ वि०वि०

मंगोलियन भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ है— 'सुवर्ण का पर्वत' और जैसा कि सर्वत्र पुराणों में मेरु को 'सुवर्ण पर्वत', 'हिरण्यपर्वत' कहा गया है। पुराणों में मेरु के चारों ओर जिस प्रकार पर्वतों व नदियों के होने की बात की गई है उसका साम्य भी अल्ताई पर्वत से बैठता है। आचार्य बलदेव उपाध्याय भी डॉ० हर्ष के प्रमाणों से सहमत हैं। डॉ० हर्ष ने इस वर्तमान अल्ताई पुराणोक्त मेरु को आर्यों का मूल स्थान माना है।

ब्रह्माण्ड पुराण के अध्याय 15 के श्लोक संख्या 48 में मेरु पर्वत के चारों ओर चार महाद्वीपों की स्थिति भी बताई गई है। इनका वर्णन मत्स्य और वायु में भी है। मत्स्य पुराण में कहा गया है।

स तु मेरुः परिवृतो भुवनैर्भूत भावनैः।

यस्येमे चतुरो देशा नाना पार्श्वेषु संस्थिताः।।

भद्राश्वं भारतं चैव केतुमालं च पश्चिमे।

उत्तराश्वैव कुरुवः कृतपुष्य—प्रतिश्रयाः।।

मेरु के पूर्व की ओर भद्राश्व महाद्वीप, प० में केतुमाल, उत्तर में उत्तरकुरु तथा दक्षिण में भारत (जम्बूद्वीप) है। इन चारों महाद्वीपों की वर्तमान स्थिति की पहचान बहुत कठिन नहीं है। भद्राश्व— (भद्र+अश्व) का अर्थ है— भद्र घोड़ा यह चीन देश को इंगित करता है। आक्सस नदी का प्रदेश केतुमाल है इसमें वर्तमान रूस व अन्य पूर्व सोवियत संघ के देश आते हैं। उत्तर कुरु सम्भवतः टॉलमी द्वारा वर्णित ओल्तोरी कोराई देश है जो शायद चीनी तुर्किस्तान को संकेतित करता है। भारत तो अपना भारत वर्ष है। इन सभी महाद्वीपों में हर एक में एक विशेष पर्वत, नदी, वृक्ष, झील और आराध्य के रूप में किसी विशिष्ट भगवान की स्थिति भी बताई गई है।

प्रारम्भ में पुराणों में भुवनकोश के अन्तर्गत पृथ्वी को चार द्वीपों से घिरा बताया गया, जिनका वर्णन ऊपर किया गया है। किन्तु पुराणों के बाद के संस्करणों में सात द्वीपों का सिद्धान्त स्वीकार किया गया है। विभिन्न पुराणों में इनका क्रम भले ही अलग-अलग हो किन्तु लगभग सभी में जम्बूद्वीप की अवस्थिति मध्य में बताई गई है और यह शेष अन्य द्वीपों द्वारा घिरा हुआ है। जबकि सभी द्वीप आपस में एक एक समुद्र के द्वारा अलग किए गये हैं। इन द्वीपों के पौराणिक नाम निम्नवत हैं—

1. जम्बूद्वीप (यह लवण समुद्र से)
2. प्लक्ष द्वीप (यह इक्षुरस समुद्र से)
3. कुश द्वीप (यह घृत समुद्र से)
4. शाक द्वीप (क्षीर समुद्र से)
5. शाल्मलि द्वीप (यह सुरा समुद्र से)
6. क्रौंच द्वीप (यह दधि समुद्र से)
7. पुष्कर द्वीप (यह स्वादु समुद्र से)

ब्रह्माण्ड पुराण में इन द्वीपों का क्रम इस प्रकार है— 1. जम्बू, 2. प्लक्ष, 3. शाल्मलि, 4. कुश, 5. क्रौंच, 6.

शाकद्वीप तथा 7. पुष्कर द्वीप। इनमें से प्रत्येक अपने से पूर्व वाले द्वीप से आकार में दो गुना है। प्रत्येक द्वीप में सात नदियां एवं सात पर्वत तथा एक दिव्य वृक्ष है। ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार प्लक्षद्वीप से लवण समुद्र चारों ओर से घिरा हुआ है, वहां पर पुण्य जनपद है और वहां के निवासी मनुष्य चिरमल तथा मृत्यु से प्राप्त नहीं होते।

तेनावृतः समुद्रो वै द्वीपेन लवणोदकः।

तत्र पुण्या जनपदाशियान्न म्रियते जनः।।

इस प्लक्षद्वीप की वर्तमान भौगोलिक स्थिति के बारे में ठीक-ठीक अनुमान लगाना बहुत दुष्कर है। इसे इक्षुरस से वेष्टित बताया गया है जिससे लगता है यहां इक्षु (गन्ने) की खेती बहुतायत में होती होगी।

ब्रह्माण्ड पुराण में प्लक्ष द्वीप के बाद शाल्मलि द्वीप का विस्तार से वर्णन है। यह प्लक्षद्वीप से दोगुने विस्तार का है। यहां भी सात पर्वत हैं जो रत्न प्रदान करने वाले हैं।

ब्रह्माण्ड पुराण में चौथे द्वीप के रूप में कुश द्वीप का वर्णन है। इस द्वीप के चारों ओरसे सुरा समुद्र घिरा हुआ है। शाल्मलि द्वीप से यह आकार में दोगुना है। कुशद्वीप के सन्दर्भ में कुछ प्राचीन फारसी लेखों में जानकारी मिलती है। पार्थियन सम्राट दारा प्रथम के हमदान लेख में उसके साम्राज्य की सीमा बताई गई है। इसमें कहा गया है कि सोगिडयाना के उस पार शकों के देश से कुश तक तथा सिन्ध से लेकर स्वर्दा (एशिया माइनर में सारडिस नामक स्थान) तक ये उसके राज्य की सीमा है। स्पष्ट रूप से यहां कुश देश की चर्चा है। यहां दो संभावनाएं बनती हैं— प्रथम, कुश देश हिन्दुकुश एवं आसपास का क्षेत्र हो सकता है किन्तु यहां केवल नाम का साम्य मिलता है। दूसरा (जैसा कि कुछ विद्वान मानते हैं) इसे इथियोपिया या मिस्र के मध्य भाग के रूप में पहचान देते हैं। यदि प्राचीन फारसी सम्राटों के लेखों पर ध्यान दें तो वहां कुश तथा मुद्राय (मिस्र) दोनों की गणना अलग-अलग प्रान्तों के रूप में की गई है। आचार्य बलदेव उपाध्याय संभवतः इसीलिए कुश की स्थिति मिस्र से बाहर अफ्रीका के पूर्वोत्तर भाग में कहीं मानते हैं। ब्रह्माण्ड पुराण में कुशद्वीप के बाद क्रौंच द्वीप का वर्णन है। किन्तु इसकी असंदिग्ध पहचान कठिन है।

शाकद्वीप के विषय में जो पौराणिक जानकारी है वह भौगोलिक अस्तित्व के काफी निकट है। इसके सात पर्वतों के मत्स्यपुराण में दो-दो नाम मिलते हैं। सम्भवतः एक नाम तो पौराणिक (भारतीय) है और दूसरा नाम संभवतः शक जाति के लोगों द्वारा प्रदत्त है। पुराणों में इस द्वीप का इतना विस्तृत वर्णन है कि इसके आधार पर इसकी भौगोलिक अवस्थिति का काफी हद तक सही अनुमान लगाया जा सकता है।

पुराणों में शकद्वीप का जो भूगोल दिया गया है वह हेरोडोटस नामक यूनानी लेखक द्वारा दिए गये शक देश

के भूगोल से लगभग पूरी तरह मिलता है। नन्दलाल डे नामक विद्वान ने अपनी पुस्तक में पौराणिक शकद्वीपीय नामों का साम्य यूनानी नामों से करने का सफल प्रयास किया है—

संस्कृत नाम	यूनानी नाम
कुमुद	कौमोरेई
सुकुमार	कोगोरेई
इक्षु	आकसस
श्यामगिरि	मुस्तामूग

(इसका अर्थ है कालापर्वत) यह अवेस्ता में वर्णित श्यामक गिरि

जलंधार	सलतेरोई
मूग	मर्गिआना (मर्व)
मशक	मस्सगेतोई
सीता	सीरदरया
शकद्वीप	सीदिया

जिन शक द्वीपीय जातियों का उल्लेख पुराणों में है वह ऐतिहासिकतथ्यों से भी पुष्ट होती है। भविष्य पुराण के अनुसार शकद्वीप में चार जातियां निवास करती थीं जो भारत के चार वर्णों की प्रतिनिधि मानी जा सकती हैं—

तत्र पुण्या जनपदाश्चतुर्वर्ण समन्विताः।

मगाश्च मगाश्चैव गानगा मन्दगास्तथा ॥

मगाः ब्रह्मण भूयिष्ठा मगात्राः क्षत्रियाः स्मृताः।

वैश्यास्तु गानगा ज्ञेयाः शूद्रास्तेषां तु मन्दगाः ॥

भविष्य पुराण के आधार पर कहा जा सकता है कि शकद्वीप की जातियां चार वर्णों में बंटी हैं— ब्राह्मण (मग) क्षत्रिय (मगग) वैश्य (गानग) तथा शूद्र (मन्दग)।

मग शब्द के कुछ अन्तर के साथ दो और पाठ भी मिलते हैं— सग और मद। इसमें सग तो शक का ही रूपान्तर है जबकि मद को ईएनी जाति माद से जोड़कर देखा जा सकता है जिसका उल्लेख असीरिया के 9वीं श. ई.पू. के लेखों में हुआ है। पारसीक पुरोहित को 'मगुस' कहा गया है। इसे ही यूनानियों के यहां 'मगि' या 'मागि' या 'मेगास' के रूप में वर्णित किया गया है। बाइबिल में भी मागि शब्द का प्रयोग पूर्व के विद्वान लोगों के अर्थ में किया गया है जिन्होंने ईसा के जन्म के अवसर पर महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की थी। ये मग सूर्योपासक ब्राह्मण थे।

ब्रह्मण्ड पुराण व अन्य पुराणों में भी शकद्वीप को क्षीर सागर से घिरा हुआ बताया गया है। बहुत सारे विद्वान इस क्षीर सागर के पौराणिक उल्लेख को अन्य द्वीपों से संलग्न समुद्रों की भांति काल्पनिक जगत का समुद्र मानते हैं। किन्तु अन्य पुराणोत्तर स्रोतों में इस क्षीर सागर का उल्लेख बहुतायत में हुआ है जिससे इसकी भौगोलिक सत्ता सिद्ध होती है और यह तथ्य प्रामाणित

होता है कि यह वास्तविक जगत का एक समुद्र है। मार्कोपोलो नामक अफ्रीकी यात्री ने अपने यात्रा-विवरण जिस शीरवान नामक समुद्र की चर्चा की है वह क्षीर सागर का प्रतिनिधि माना जा सकता है। फारसी भाषा में शीर शब्द का अर्थ मीठा है अतः फारसी शीर और क्षीर में साम्य है। ईरानी प्रदेश में आज भी एक नदी का नाम शीरी है तथा ईरान के सीमावर्ती रूसी इलाके में 'मालोकन्या' नामक नदी बहती है, यह नाम 'मो-लो-को' नामक रूसी शब्द से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ दूध है। यह मो-लो-को शब्द अंग्रेजी शब्द मिल्क से समानता रखता है। अतः क्षीर नदी की प्रतिनिधि नदियां इन दोनों नदियों को मान सकते हैं।

अनेक विद्वान शकद्वीप को आवृत्त किए हुए क्षीर सागर या 'शीरवान' की पहचान आधुनिक कैस्पियन सागर (कश्यपीय सागर) से करते हैं। आचार्य बलदेव उपाध्याय मानते हैं कि प्राचीन युग में आज का कैस्पियन सागर अपने पश्चिम में स्थित काला सागर से प्रारम्भ होकर साइबेरिया के उत्तर में विस्तृत आर्कटिक सागर तक विस्तारित था।

लगभग ई.पू. दूसरी शताब्दी में काश्यप समुद्र के तीरस्थ पूर्वी ईरान क्षेत्र में शकों के बस जाने के कारणही इस क्षेत्र को सीस्तान (शक स्थान) कहा जाने लगा। काश्यप समुद्र के किनारे स्थित इसी भू भाग को राहुल सांकृत्यायन आदि शक स्थान मानते हैं। पुराणों का शक या शाक द्वीप यही भू-भाग है जिसके सम्बन्ध में प्रमाण पूर्व में दिया जा चुका है। व्यापक रूप से अगर देखे तो यूरेशिया में डेन्यूब से लेकर थियनशान-अल्ताई पर्वतश्रेणी तक फैली शक जाति की भूमि ही संस्कृत साहित्य का शकद्वीप है।

शक मुख्यरूप से सूर्योपासक थे। सूर्य को 'स्वालयु' कहते थे। इस शब्द पर ध्यान दें तो यह शब्द सूर्य के काफी निकट है। शकों का 'ल' अक्षर से अत्यधिक प्रेम था और 'ल' के प्रयोग 'र' के स्थान पर किया, यदि 'स्वालयु' में 'ल' हटा कर 'र' रखें तो यह सूर्य स्पष्ट रूप से दिखेगा। पुराणों के साथ-साथ यूनानी ग्रन्थों के भी पता चलता है कि सूर्य शकों के प्रमुख देवताथे। विष्णु पुराण इस तथ्य को स्पष्ट घोषित करता है—

शकद्वीपे तु तैर्विष्णुः सूर्यरूपधरो मुने।

यथोक्तैरिड्यते सम्यक कर्म भिर्नियताम्भि ॥

गरुड़ पुराण शाकद्वीपीय ब्राह्मणों के भारत आगमन की सूचना देता है जो सूर्योपासक थे। पश्चिमोत्तर भारत में शकों की भांति बूटधारी सूर्य-मूर्तियों का व्यापक प्रसार तथा ईसाई धर्म स्वीकार करने से पहले रूसी लोगों की सूर्य के प्रति भक्ति इस बात का प्रभाव है

शकों के मुख्य देवता सूर्य थे। और यह 'स्वलियु' देव दिवू (घोः) और अप्रिया (धावापृथ्वी) के पुत्र थे। इस प्रकार शकद्वीप के वर्णन में पुराणों के जो भौगोलिक और सांस्कृतिक तथ्यों का उल्लेख है वह वास्तविक इतिहास के काफी निकट बैठता है।

ब्रह्माण्ड पुराण व अन्य अनेक पुराणों में जिस द्वीप का सबसे अधिक विस्तृत विवरण मिलता है वह है—जम्बू द्वीप। वस्तुतः पुराणों में उल्लिखित कुश द्वीप, शकद्वीप व जम्बूद्वीप इन्हीं तीन द्वीपों की ही वास्तविक जानकारी अभी तक प्राप्त है।

प्रारम्भ में जम्बूद्वीप भारतवर्ष का ही पौराणिक नाम था। शकों और कुषाणों के आगमन के बाद पुराणकारों की भौगोलिक दृष्टि विस्तृत हुई और उस समय तक के अनेक अज्ञात देश भी उनकी ज्ञान सीमा में सम्मिलित हुए, सम्भवतः इसी काल में जम्बूद्वीप के नववर्षों की कल्पना पुराणों में की गई। नववर्षों में भारतवर्ष के बाहरी देशों को समाहित करते हुए भारत की विस्तृत सीमा निर्धारित की गयी। जम्बूद्वीप के इन नववर्षों में सुमेरु पर्वत के पार्श्व में इलावृत्त वर्ष, उसके पूर्व में भद्राश्व वर्ष, पूर्व में केतुमाल उत्तर में क्रमशः रम्यक वर्ष (नील पर्वत), हिरण्यम वर्ष (श्वेत पर्वत) तथा उत्तर कुरु (श्रंडगी पर्वत) है। दक्षिण में क्रमशः हरिवर्ष (निषध पर्वत) किं पुरुष वर्ष (हेमकूट पर्वत) तथा भारतवर्ष (हिमालय पर्वत)

भारतवर्ष का विस्तृत वर्णन ब्रह्माण्ड पुराण एवं अन्य पुराणों में किया गया है। इसकी भौगोलिक स्थिति स्पष्ट रूप से ब्रह्माण्ड पुराण में बताई गई है।

उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमवत् दक्षिणं च यत्।

वर्षं तद्भारतं नाम यत्रेयं भारती प्रजा।।

विष्णु पुराण में भी ठीक इसी तरह का श्लोक मिलता है। अर्थात् जो समुद्र के उत्तर और हिमवान (हिमालय) के द0 में है उसका नाम भारत वर्ष है तथा उसकी प्रजा भारती कहलाती है। भारतवर्ष नाम क्यों है? इसका कारण भी बताया गया है। मत्स्यपुराण व ब्रह्माण्ड पुराण को छोड़कर बाकी अन्य पुराणों में भी राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा ऐसा बताया गया है। भरत कौन है? तो प्राचीन निरुक्ति कहती है कि स्वयम्भू मनु के पुत्र प्रियव्रत, उनके पुत्र नाभि, नाभि के पुत्र ऋषभ और ऋषभ के सौ पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र भरत ने राजसिंहासन ग्रहण किया और अपनी प्रजा का समुचित भरण-पोषण किया। इन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम 'भारतवर्ष' पड़ा। मत्स्य पुराण में इस नामकरण के पीछे कुछ अलग कारण बताया गया है। मत्स्य पुराण व ब्रह्माण्ड पुराण में समानरूप से एक श्लोक कहा गया है—

भरणात् प्रजानाम् वै मनुर्भरत उच्चते।

निरुक्त वचनाच्चैव वर्षं तद् भारतं स्मृतम्

अर्थात् प्रजा के भरण पोषण के कारण मनु ही भरत कहे गए हैं और उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। वायु पुराण के अनुसार भारतवर्ष नाम से पूर्व इस देश को हैमवत् वर्ष कहा गया। हिमालय द्वारा इसकी सीमा विभाजन करने के कारण संभवतः इसे हैमवतवर्ष कहा गया। किन्तु भागवतः पुराण के अनुसार भारतवर्ष से पूर्व इसे 'अजनाभवर्ष' कहा जाता था। 'अजनाभ' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है— अज (अजन्मा भगवान विष्णु) की नाभि पर स्थित देश। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के नाभिकमल पर निवास करते हुए जिस प्रथम लोक की रचना की उसे 'अजनाभ वर्ष' कहा गया। यही देश मानवों की उत्पत्ति का मूल स्थान है और यहीं से उसका प्रसार चतुर्दिक् रूप से अन्य देशों में प्रसार हुआ। मनुस्मृति कहती है—

एतद्देश प्रसूतस्य ए काशाद् ग्रजन्मनः।

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः।।

इस विवरण से हम कह सकते हैं कि आर्य-जाति का मूलस्थान भारतवर्ष ही है। पुराणों में भारतवर्ष को ही आर्य संस्कृति का मूलस्थान माना जाता है।

पुराणों में भारतवर्ष की प्रशस्ति मुक्तकंठ से बारम्बार गायी गयी है। ब्रह्माण्ड पुराण में कहा गया कि यहीं पर स्वर्ग, मोक्ष, मध्य और अन्तगति होती है। इस देश के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी पृथ्वी पर कर्म विधान नहीं है, अर्थात्, यही पर लोग पाप-पुण्य आदि कर्मों के फल-भोग का विधान करते हैं—

इतः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यश्चान्तश्च गम्यते।

न खल्वन्यत्र मर्त्यानां ममौ कर्म विधीयते।।

इसी तरह के भारतवर्ष-प्रशस्ति के श्लोक अन्य पुराणों में भी मिलते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है—

अत्रापि भारतं श्रेष्ठं जम्बूद्वीपे महामुने।

यतो कि कर्मभूरेषा ह्यतोऽन्या भोग भूमयः।।

भारतवर्ष में रहने वाले मानव देवों से भी बढ़कर हैं क्योंकि वे अपने भाग्यनिर्माता स्वयं हैं। कर्म संकल्प की स्वतंत्रता के कारण भारतवासी स्वर्ग के भोगों के लिए आसक्त देवताओं से भी बढ़कर हैं। यहां तक कि स्वयं देवता भी, भारतवर्ष की प्रशस्ति का गान करते हैं—

गायन्तिदेवा किल गीतिकानि,

धन्यास्तु ते भारतभूमि भागे।

स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते,

भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्।।

पुराणों में गायी गयी इस प्रशस्ति के पीछे संभवतः गुप्त साम्राज्य की स्वर्ण युगीन उपलब्धियां हैं। यह वह काल खण्ड था जब भारतवर्ष धर्म, अध्यात्म, भौतिक प्रगति तथा आर्थिक-राजनीतिक- सांस्कृतिक क्षेत्र में विश्व में अग्रणी था। इस देश के साहसिक पराक्रमी नाविकों ने समुद्रों को पारकर द0पू0 एशियाई देशों—

जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्निया, फिलीपीन्स आदि में अपनी सभ्यता की ध्वजा फहरायी थी। म्यांमार, थाईलैण्ड में भारतीय संस्कृति प्रधानता के साथ स्थापित हो रही थी। इन देशों के शासक स्वयं को भारतवर्ष के शासकों का वंशज मानने में गौरव की अनुभूति कर रहे थे।

यह वहीं युग था जब भारतीयों ने अपने भीतर की शक्तियों का अनुभव किया था और उसके प्रकाश से समस्त विश्व को प्रकाशित किया था। इस युग में अधिकांश पुराणों के मौलिक रूप संकलित किए गए और इन पुराणों में घोषित किया गया कि भारत के समान पृथ्वी पर कोई अन्य देश नहीं यह अनुपम और अद्वितीय देश है, भारतवर्ष ही मानव कल्याण व मंगल का मूल है। ब्राह्मण्ड पुराण में भारतवर्ष के नवखण्डों का विभाजन किया गया है—

इन्द्रद्वीप कशेरु भीरताम्र वर्णो गभस्ति मान।

नाभद्वीपस्तथा सौम्यो गांधनस्वथ वारुणः।।

1. इन्द्रद्वीप
2. कसेरु
3. ताम्रपर्ण
4. गभस्तिमान
5. नागद्वीप
6. सौम्य
7. गन्धर्व
8. वारुण
9. भारतवर्ष

मत्स्य मार्कण्डेय, वायु आदि पुराणों में भी भारतवर्ष के इस नवखण्डात्मक विभाजन का उल्लेख है। नौवें द्वीप के रूप में 'अयं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृतः' वाक्य यह प्रकट कर रहा है कि पुराणकार सागर से घिरे इसद्वीप में ही कहीं बैठकर लिख रहा है। इस नौवें द्वीप का स्पष्ट नामोल्लेख ब्राह्मण्ड या उपर्युक्त पुराणों में नहीं किया गया है। किन्तु वामन पुराण में इस नौवें द्वीप का स्पष्ट नाम कुमार द्वीप (कुमारी द्वीप) बताया गया है।

अयं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागर संवृतः।

कुमाराख्यः परिख्यातो द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरः।।

जब गुप्तकाल में भारतवर्ष के सांस्कृतिक विस्तार के अन्तर्गत भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धर्म, दर्शन, भाषा एवं साहित्य आदि का विस्तार पूर्वी द्वीपीय देशों में हुआ तब इन द्वीपों को भी भौगोलिक रूप से भारत वर्ष में गिना जाने लगा। स्वयं इन द्वीपों के शासक अपना सम्बन्ध भारतीय राजवंशों एवं सूर्यवंश, चन्द्रवंश आदि से जोड़ने लगे तब एक बृहत्तर भारत वर्ष की परिकल्पना साकार हुई। संभवतः इस बृहत्तर भारत में मुख्य भारत भूमि को तब कुमारी द्वीप नाम साहित्य एवं शास्त्रों में दिया गया। वामन पुराण में तो स्पष्ट रूप में कह दिया

गया है कि जो अब तक भारत के नाम से जाना जाता था वही अब कुमारी द्वीप के नाम से जाना जाता है।

इमे तवोक्ता विषयाः सुविस्ताराद्
द्वीपे कुमारे रजनी चरेश।

ये नौ खण्ड, जो आपस में समुद्र द्वारा विभाजित थे, के अधिकांश पौराणिक नामों का तादात्म्य वर्तमान भौगोलिक देशों के साथ बिठाया जा सकता है। मुख्य भारत भूमि अर्थात् कुमारिकाखण्ड के अतिरिक्त जो शेष आठ खण्ड बृहत्तर भारत के थे उन्हें कालिदास ने भी द्वीपान्तर कहकर अभिधान किया है। इनमें इन्द्रद्वीप की पहचान अंडमान द्वीप से की गई है। नागद्वीप की पहचान नागवरं (चोल अभिलेखों में नक्कवरं) अर्थात् निकोवार द्वीप से की जा सकती है। ताम्रपर्णि असंदिग्ध रूप से श्रीलंका है। वारुण द्वीप को बोर्नियों द्वीप से पहचाना जा सकता है। जबकि कसेरुमान संभवतः मलयद्वीप है। गभस्तिमान संभवतः वियतनाम हो सकता है। सौम्य की पहचान कम्बोडिया एवं गंधर्वद्वीप की पहचान थाईलैण्ड से की जा सकती है।

ब्रह्माण्ड पुराण के साथ-साथ अन्य पुराणों में (मत्स्य, मार्कण्डेय आदि) में इस कुमारीद्वीप के चारों ओर रहने वाली जातियों का उल्लेख ऐतिहासिकमहत्व का है। इस द्वीप के पूर्वोत्तर सीमा पर किरात एवं इसके पश्चिमोत्तर सीमा पर यवनों का उल्लेख है। इसका अर्थ है बैक्ट्रिया का यवन राज्य भारत की पश्चिमी उत्तरी सीमा से लगता था। वामन में कुमारीद्वीप के अन्तर्गत उत्तर में तुरुष्क (अर्थात् शक कुषाण) तथा द0 में आन्ध्र (अर्थात् आन्ध्र सातवाहन राज्य) का उल्लेख है। यह ऐतिहासिकतथ्य है कि ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी एवं प्रथम शताब्दी ई0 में तक्षशिला में पहले शक एवं बाद में कुषाण शासन कर रहे थे।

पुराणों में वर्ष पर्वत एवं कुल पर्वत—दो प्रकार के पर्वतों की चर्चा है। वर्ष पर्वत उन्हें कहा गया है जो एक वर्ष से दूसरे वर्ष को अलग करते हैं। जैसे भारत वर्ष से किंपुरुष वर्ष को हिमालय (हिमवत गिरि) अलग करता है। अतः हिमालय वर्ष पर्वत है। जबकि एक वर्ष के भीतर प्रान्तों की सीमा निर्धारित करने वाले पर्वत कुल पर्वत कहे गए हैं। भारत वर्ष में सात (07) कुल पर्वत पुराणों में बताए गए हैं—

1. विन्ध्य — आज का विन्ध्याचल जो मोटे तौर पर मुख्य भारत भूमि को दो भागों — उत्तरी भारत तथा दक्षिणी भारत में बांटता है। इस पर्वत से नर्मदा, ताप्ती, महानदी, सोन, टोंस आदि नदियां निकलती हैं।
2. महेन्द्र पर्वत — उत्तर में कलिंग (उड़ीसा) से दक्षिण में आंध्र के दक्षिणवर्ती प्रदेशों तक विस्तृत पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखला को पुराणों में महेन्द्र पर्वत कहा गया है। ब्रह्माण्ड

पुराण में परशुराम का तप के लिए महेन्द्र पर्वत पर जाने का उल्लेख है।

3. सह्याद्रि— महाराष्ट्र के तटवर्ती प्रदेश में विस्तृत पठार की यह पर्वतमाला जो कोंकण में अभी इसी नाम से प्रसिद्ध है।

4. मलय — यह पूर्वी घाट और पठार की पर्वत मालाओं का दक्षिण भारत में मिलन बिन्दु है। पुराणों में इस पर्वत पर चन्दन के वृक्ष उत्पन्न होने का उल्लेख है। वर्तमान में यह नीलगिरि पर्वत के रूप में जाना जाता है।

5. शुकुतिमान् — संभवतः सह्याद्रि के उत्तरी छोर का पूर्व दिशा में जो विस्तार है उसे शुकुतिमान् के रूप में जाना जा सकता है। खानदेश, व विदर्भ क्षेत्र के पहाड़ इसमें सम्मिलित है।

6. ऋक्ष पर्वत — संभवतः सतपुड़ा से निकलकर छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत पर्वत श्रृंखला ही पौराणिक ऋक्ष पर्वत है।

किन्तु पौराणिक भूगोल विषयक ज्ञान कल्पना प्रसूत नहीं है, इतना तो असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. वायु पुराण : अध्याय 34, श्लोक सं. 37
2. ब्रह्माण्ड पुराण : पूर्वभाग अनुषंग पाद-2 अध्याय, 15, श्लोक सं0 18
3. इलावृतं तु तन्मध्ये सौवर्णं मेरुरुच्छ्रितः अग्नि पु0 108/9
4. ब्रह्माण्ड पुराण : पूर्वभाग अनुषंग पाद-2 अध्याय, 15, श्लोक सं0 17
5. वही
6. डॉ0 हर्षे आर0जी0 : मेरु होमलैण्ड ऑफ दि आर्यन्स लेख विश्वेश्वरानन्द भारत भारती लेखमाला, होशियारपुर पंजाब, 1964
7. आचार्य उपाध्याय, बलदेव : पुराण विमर्श, चौखम्बा विद्या भवन प्रकाशन पुनर्मुद्रित संकरण 2015, पृष्ठ सं. 320
10. ब्रह्माण्ड पुराण:अध्याय -16 (अनुषंग पाद 2) श्लोक - 07
11. विष्णु पुराण : अंश-2 अध्याय 03, श्लोक-04
12. ब्रह्माण्ड पुराण : अध्याय 47: (उपोद्घात पाद-3) श्लोक51-

7. पारियात्र — अरावली पर्वत माला को पुराणों में पारियात्र पर्वत भी कहा गया है। पुराणों में इस पारियात्र से निकलने वाली नदियों का उल्लेख है जिसमें पर्णास (बनास) वेत्रवती (वेतवा), चर्मवती (चम्बल), माही आदि प्रमुख हैं।

ब्रह्माण्ड पुराण भारत वर्ष के बारे में केवल शुष्क भौगोलिक विवरण ही नहीं देता अपितु वह भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों का भी वर्णन करता है जिसका विशेष ऐतिहासिक महत्व है।

इस प्रकार ब्रह्माण्ड पुराण का भूगोल विषयक वर्णन यथार्थ के निकट है। कुछ अन्य शोधपरक विषयों के आलोक में आने वाले समय में निश्चय ही इसमें वर्णित अनेक अबूझ भौगोलिक वर्णनों को यथार्थ से समीकृत किया जा सकेगा।

8. मत्स्य पुराण : अध्याय 112, श्लोक सं0 43-44
9. ब्रह्माण्ड पुराण : अध्याय 19 (पूर्वभाग अनुषंगपाद) श्लोक - 03
13. ब्रह्माण्ड पुराण : अध्याय 19 (पूर्वभाग अनुषंगपाद) श्लोक - 52
14. आचार्य उपाध्याय, बलदेव : पुराण विमर्श चौखम्बा वि0भ0 प्रका0 पुनर्मुद्रित संकरण 2015 पृ0 सं0 324
15. भविष्य पुराण : अध्याय 01, श्लोक सं. 139
17. आचार्य उपाध्याय, बलदेव : पु0 विमर्श पृ0 सं. 328
18. सांकृत्यायन, राहुल : मध्य ए शिया का इतिहास, खण्ड प्रथम, पटना 1960 पृ0 सं0 64-70
19. विष्णु पुराण : अंश-2 अध्याय 04, श्लोक-70
20. विष्णु पुराण : अंश-2 अध्याय 02
21. ब्रह्माण्ड पुराण : अध्याय -16 (अनुषंग पाद 2) श्लोक- 05-06
22. भागवत पुराण : अंश 5, अध्याय 07, श्लोक 03
23. वामन पुराण : अध्याय 13 श्लोक 04
24. वामन पुराण : अध्याय 13, श्लोक

कालिदास की रचनाओं के आधार पर गुप्तयुगीन महिलाओं का धार्मिक जीवन

महेंद्र कुमार वर्मा*

मानव सभ्यता की उत्पत्ति के समय से ही धर्म किसी न किसी रूप में अस्तित्व में रहा है। पूर्व ऐतिहासिकयुग की संस्कृतियों में धार्मिक क्रियाकलापों के सूक्ष्म अवशेष प्राप्त होते हैं। किन्तु वैदिक युगीन संस्कृतियों एवं उसके बाद के काल में धार्मिक क्रियाकलापों में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलती है। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक कर्मकाण्डों में वृद्धि के फलस्वरूप समाज में प्रतिक्रिया स्वरूप दो नये सम्प्रदायों बौद्ध एवं जैन का उदय हुआ। धार्मिक दृष्टिकोण से शुंग, सातवाहन युग में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। शुंग युग का प्रारम्भ बौद्ध धर्म के व्यापक विरोध एवं वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के साथ हुआ। किन्तु इस काल में वैदिक धर्म को पुनः जिस रूप में जीवित करने का प्रयास किया जा रहा था, वह संभव नहीं था। क्योंकि बौद्ध एवं जैन धर्म के रूप में वैदिक धर्म के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई थी उसका प्रभाव वैदिक धर्म पर पड़ना स्वाभाविक था। बौद्ध एवं जैन मतों में आक्षेपों का उत्तर देने के लिए वैदिक धर्म में कई तार्किक परिवर्तन हुए। इस समय प्राचीन धर्म को न केवल नवीन मत प्राप्त हुआ अपितु बौद्ध धर्म में भी एक नवीन सम्प्रदाय महायान का उदय हुआ। वैदिक धर्म में भक्ति प्रधान वैष्णव, शैव सम्प्रदायों का उदय हुआ। वैष्णव और शैव धर्मों में भक्ति को विशेष महत्त्व दिया गया है। भक्ति का अर्थ अपने इष्टदेव के प्रति अनन्य प्रेम और आत्मसमर्पण का भाव है। भक्ति की यह भावना केवल शैव, वैष्णव धर्म तक ही सीमित नहीं रही अपितु बौद्ध एवं जैन धर्मों पर भी इसका प्रभाव पड़ा।

समकालीन समाज में महिलाओं का सम्मानित स्थान था। समाज में होने वाले धार्मिक क्रियाकलापों में उनकी भागीदारी होती थी। कालिदास की विभिन्न कृतियों के अध्ययन करने से पता चलता है कि ऋषि कण्व के आश्रम में पुरुष तपस्वियों के साथ-साथ तापसी बालाएँ भी रहती थीं। पूजा पाठ के लिए पुष्पों आदि का प्रबन्ध करती थीं। तत्कालीन समाज में यज्ञ का धार्मिक कर्मकाण्डों में प्रमुख स्थान था। यज्ञ करने के लिए गृहस्थ व्यक्ति को हवि अपनी पत्नी के साथ ही देनी होती थी। रघुवंशम् में वर्णित है कि राम ने यज्ञ करने के समय अपनी पत्नी सीता की अनुपस्थिति में उनकी सोने की मूर्ति को अपने पास रखवाया था, तत्पश्चात् अपना याज्ञिक कार्य पूर्ण किया था। समाज में होने वाले धार्मिक कार्यों में महिलायें पुरुषों के साथ भाग लेती थीं। रघुवंशम् से ही विशाल नितम्ब वाली मदोन्मत चकोर के समान चंचल नेत्र वाली सलज्ज इन्दुमती के ब्रह्म के समान

पुरोहित के कहने पर अग्नि में लावा के हवन किये जाने का वर्णन मिलता है। अभिज्ञानशाकुन्तलम् में कण्व ऋषि अपनी पुत्री शकुन्तला से आहुति द्वारा पूजित अग्नि की प्रदक्षिणा करने को कहते हैं और कामना करते हैं कि एसी यज्ञाग्नि तुम्हें भी पवित्र करे। अभिज्ञानशाकुन्तलम् में ही प्रजापति कश्यप के अपनी पत्नी के साथ हेमकूट पर्वत पर तपस्या किये जाने का वर्णन प्राप्त होता है। महिलाओं के द्वारा व्रत, पूजा, पाठ किये जाने का वर्णन नाटक के अन्त में मिलता है। जब राजा शकुन्तला को देखकर कहता है। 'यही वे मान्या शकुन्तला है जिन्होंने मलिन वस्त्र धारण कर रखे हैं। व्रत, उपवास आदि के कारण जिनका मुख कुम्हला गया है। कालिदासकृत मेघदूतम् से भी महिलाओं के धार्मिक जीवन के विषय में पता चलता है। यक्ष मेघ को अपनी प्रियतमा के विषय में बताते हुए कहता है। 'हे मेघ! वह मेरी प्रियतमा देव पूजाओं में लगी हुई होगी। कुमारसंभव महाकाव्य में उमा द्वारा अपनी इच्छानुसार वर प्राप्त करने के लिए तप, पूजा, पाठ किये जाने का वर्णन मिलता है। कालिदास ने उमा के तप का जो वर्णन किया है वह निःसंदेह असीम सहनशक्ति का परिचय देता है। वह गर्मी में पंचाग्नि तापती हैं। सर्दियों में बर्फीली हवाओं और जल में खड़ी रहती हैं। बरसात में नंगी शिलाओं पर शयन करती हैं। मूँज की मेखला पहनती हैं। जिस प्रकार वृक्ष केवल जल का आहार करते हैं उसी प्रकार पार्वती भी सारे आहार छोड़कर केवल जल का ही आहार करने लगती हैं उसकी इस प्रकार की कठिन तपस्या को देखकर बड़े-बड़े तापस भी लजा जाते हैं। जब शक्ति के अनेक कृत्य अनेकधा संपन्न हुए हैं, तब सभी देवताओं की शक्तियाँ एकत्र संयुक्त हो गयीं और सप्तमातृका कही गयीं। उनके अलग-अलग अनेक नाम ब्राह्मणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इन्द्राणी और यमी अथवा चामुण्डा देवताओं से ही सम्बन्धित रहे हैं। संयुक्त रूप से वे उनसे सर्वथा भिन्न हो गयीं, उनकी शक्ति आत्मसात् कर संयुक्त रूप से वे उनसे विच्छिन्न अपनी संयुक्त शक्ति से दीप्तिमती सप्तमातृकाओं का एकत्रण कृष्ण काल में ही हो चुका था। कालिदास संयुक्त रूप से इन्हे मातरः कहते हैं। महिलाओं के विषय में कुमारसंभव में वर्णित है कि साधु स्वभाव की पत्नियाँ ही सभी प्रकार के धार्मिक कृत्यों का मूल कारण होती हैं।

समकालीन समाज में पशु पूजा के रूप में गाय की पूजा का वर्णन रघुवंशम् में मिलता है। राजा दिलीप के द्वारा अपनी पत्नी सहित महर्षि वसिष्ठ के कहने पर

नन्दिनी गाय की सेवा करने का विवरण मिलता है। समाज में सूर्य व चन्द्रमा की पूजा के विषय में भी पता चलता है। कालिदास कृत विक्रमोर्वशीयम् में महारानी काशिराज पुत्री के द्वारा विभिन्न प्रकार की पूजा सामग्री से सूर्य व चन्द्र किरणों की पूजा किये जाने का वर्णन मिलता है। समाज में धार्मिक क्रियाकलापों में महिलाओं की भागीदारी थी। व्रत, पूजा, पाठ आदि के अलावा धार्मिक उपासना की अनेक परम्परायें प्रचलित थीं।

पूजा-पाठ एवं धार्मिक कृत्यों के लिए भारत में जब मंदिरों का निर्माण हुआ। तब उनके ऐश्वर्य में वृद्धि के लिए अनेक प्रकार के कार्य किये गये। उनमें से एक पूजा-पाठ करने के लिए दीप आदि प्रज्वलित करने के लिए, मंदिरों की साफ-सफाई करने के लिए, नृत्य, संगीत के द्वारा स्तुति करने के लिए बालिकाओं की नियुक्ति हुई। यही देव-दासी कहलायीं। मेघदूतम् तथा अनेक पुराणों में इसके विषय में उल्लेख मिलता है। उज्जयिनी के महाकाल मन्दिर में अनेक दासियों के नृत्य-गान आदि में व्यस्त रहने का वर्णन कालिदास ने किया है। पुराणों में उल्लिखित है कि मन्दिर की सेवा के लिए अनेक सुन्दरियों को क्रय करके प्रदान करना चाहिए। कभी-कभी निःसंतान व्यक्ति अपनी पहली संतान मन्दिर को दान कर दिया करते थे। कालान्तर में यह प्रथा और विकसित होती चली गयी। समाज में धार्मिक क्रियाकलापों के अन्तर्गत लोगो द्वारा धार्मिक अनुदान दिये जाने का भी प्रचलन था। जिसका उल्लेख समकालीन शासकों के अभिलेखों में मिलता है। वाकाटक अभिलेखों से राजपरिवार की महिलाओं के द्वारा भेंट अनुदान दिये जाने के विषय में पता चलता है। प्रभावती गुप्ता ने कई अनुदान दिये। प्रवरसेन द्वितीय के मसौदा अभिलेखों में दिये गये अनुदान उसकी प्रधान रानी के आग्रह पर ही निर्गत किये गये थे। फाशैन ने खोतान और पाटलिपुत्र में बौद्ध प्रतिमाओं के साथ निकलने वाले दो धार्मिक जुलूसों की विशेष चर्चा की है। जिसमें रथों और बौद्ध प्रतिमाओं को सजाकर विशेष रूप से वेश-कीमती रत्नों, रेशमी ध्वजों और छत्रों के साथ महायान सम्प्रदाय के भिक्षुओं के द्वारा जुलूस निकाला जाता था। राजा-रानी तथा अन्य शाही परिवार की स्त्रियों के द्वारा इन पर पुष्पों का छिड़काव किया जाता था।

सन्दर्भ

1. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, संपादक वेद प्रकाश शास्त्री, चौखम्भा प्रकाशन, वाराणसी, 2015, 18 पृ.26
2. रघुवंशम्, 61 पृ. 515
3. वही, 25 पृ. 215
4. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, 10 पृ. 205
5. मेघदूतम् 22 पृ. 184

समकालीन समाज में मूर्तियों का निर्माण कर उन्हें अपने इष्टदेव का प्रतीक मानकर उसकी उपासना की जाती थी। भगवतशरण उपाध्याय ने लिखा है। कि संसार में मूर्ति का प्रतीक जितना शक्तिशाली रहा है उतना अन्य कोई प्रतीक नहीं रहा है। त्रास और कूतूहल से ही भगवान् और धर्म का उदय हुआ है। मातृ सत्तात्मक कुल परम्परा से भिन्न मानव की सर्वशक्तिमती माता ही प्रथम देवता बनी। मातृदेवी की मूर्तियाँ ही इसी कारण सर्वत्र पहले मिली हैं। जननेन्द्रिय की जनन शक्ति ने फिर लिंग पूजा का सूत्रपात किया। भारत के इतिहास में मूर्ति उतनी ही पुरानी है जितना उसका जाना हुआ इतिहास।

भारत में मूर्तिकला के प्राचीनतम नमूने 'सिन्धु घाटी सभ्यता' से प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मण धर्म में देवी-देवताओं की मूर्तियाँ व्यापक पैमाने पर सम्भवतः मौर्यकाल के पश्चात् बनीं। मौर्योत्तर काल में इनका विकास हुआ। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ का दशावतार मन्दिर है। इस गुप्तकालीन मंदिर में अंकित शेषशायी विष्णु की मूर्ति 'मूर्तिकला' की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसमें उनके चरणों के समीप विष्णु की अर्धांगिनी लक्ष्मी प्रदर्शित है।

इस प्रकार कालिदास के ग्रन्थों का अध्ययन करने से समकालीन गुप्त युग में महिलाओं के द्वारा व्रत, पूजा, पाठ, तप आदि किये जाने का वर्णन मिलता है। पुरुषों के साथ महिलाओं को भी यज्ञादि में भागीदारी का अवसर प्राप्त था। महिलायें आश्रम में पुरुषों के साथ धार्मिक क्रिया कलापों में भाग लेती थी। परिवार में पत्नी को सभी प्रकार के धार्मिक कृत्यों का मूल कहा गया है। विक्रमोर्वशीयम् से ज्ञात होता है कि समकालीन समाज में तपस्वी स्त्रियों का बड़ा आदर होता था। राजा द्वारा तपस्विनी को माता कहकर प्रणाम करने का वर्णन मिलता है। स्त्रियों के द्वारा धार्मिक अनुदान दिये जाने का वर्णन मिलता है। जिसकी झलक समकालीन अभिलेखों में देखने को मिलती है। गुप्तयुगीन मूर्तियों को देखने से भी समकालीन समाज में महिलाओं का धार्मिक मामले में सम्माननीय स्थान सूचित होता है।

6. कुमारसंभव, 60 पृ. 32
7. बंदोपाध्याय, राखालदास, गुप्तयुग, 1970 पृ. 344
8. उपरोक्त, पृ. 340
9. विक्रमोर्वशीयम्, 24 पृ. 164
10. रघुवंशम्, पृ. 36
11. मेघदूतम्, 1 पृ. 35

12. पद्मपुराण, 52.97 क्रीतादेवाय दातव्या धीरेणम्लिष्यकर्मणा। कल्पकालं भवेत्सवर्गो नृपौ वासौ महाधनी।।
13. सिंह, उषिंदर, प्राचीन एवं पूर्व मध्यमालीन भारत का इतिहास, 2017 पृ. 544
14. उपरोक्त, पृ. 560
15. उपाध्याय, भगवतशरण, गुप्तकाल का सांस्कृतिक इतिहास, पृ. 164
16. कुमारस्वामी, ए.के, हिस्ट्री ऑफ इण्डियन एण्ड इण्डोनेशियन आर्ट, पृ. 85-86
17. विक्रमोर्वशीयम् , 24.164
18. रघुवंशम् , 80 पृ. 36

योग और ग्रामीण समाज

डॉ० राम राजन द्विवेदी*

योग और 'गाँव' के अन्तर्सम्बन्ध तथा अन्तःक्रियात्मक पक्ष भारतीय परम्परा के समाजशास्त्रीय अध्ययन का एक नवीन आयाम प्रस्तुत करते हैं। योग की जड़ें जहाँ एक ओर भारतीय पद्धतिशास्त्र और दर्शन में निहित हैं वहीं दूसरी ओर गाँव भारतीय समाजिक संरचना का एक भाग है। वर्तमान समय में योग भारतीय ज्ञान और स्वास्थ्य विमर्शों के केन्द्र में है। अतः योग और ग्रामीण समाज के अन्तर्सम्बन्धों का अध्ययन हमें भारतीय समाज को समझने में सहायता प्रदान करता है।

योग प्राचीन भारत की शास्त्रार्थ पद्धति में विकसित हुआ। यह शास्त्रार्थ पद्धति छः मतों पर केन्द्रित थी, जिन्हे षड्दर्शन कहा जाता है। यद्यपि इन मतों का जन्म गुप्तकाल से बहुत पहले के दार्शनिक विचारों से हुआ था और गुप्त काल के बहुत बाद तक भी वे अक्षुण्ण रहे, पर इनके कुछ आधारभूत सिद्धान्तों का प्रतिपादन गुप्तकाल में ही हुआ ये छः मत निम्नांकित थे—

- 1- न्याय
- 2- वैशेषिक
- 3- सांख्य
- 4- योग
- 5- मीमांसा
- 6- वेदांत

योग भौतिक दृष्टि से शरीर के नियंत्रण पर आधारित रहा है और इस आशय को मानता था कि शरीर और मन पर पूर्ण नियंत्रण होने से ही परम तत्व का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। योग साधना में अग्रसर होने के लिए शरीर-रचना का विस्तृत ज्ञान आवश्यक है, इसलिए योगाभ्यास करने वालों को चिकित्साशास्त्र के सम्पर्क में रहना पड़ता था।

योग दर्शन का प्रतिपादन महर्षि पतंजलि के द्वारा माना जाता है। महर्षि पतंजलि के नाम पर यह पतंजलि दर्शन भी कहलाता है। पतंजलि सूत्र या योग सूत्र इस दर्शन का मूल ग्रन्थ है। योग सूत्र पर व्यासकृत प्रसिद्ध 'भाष्य' है, जो 'व्यास भाष्य' या 'योग भाष्य' कहलाता है। व्यास के भाष्य पर वाचस्पति मिश्र की प्रामाणिक टीका 'तत्त्ववैशारदी' है। भोज राज की 'वृत्ति' और 'योगमणि प्रभा' योग विषयक सुबोध और प्रचलित पुस्तकें हैं। विज्ञान भिक्षु का 'योगवर्तिका' और 'योग सार संग्रह' भी योग दर्शन के उपयोगी ग्रन्थ हैं।

वार्तिक योग दर्शन का मुख्य विषय योगाभ्यास है। योग मानता है कि मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन विवेक ज्ञान है। विवेक ज्ञान की प्राप्ति प्रधानता योगाभ्यास से ही

हो सकती है। योग चित्तवृत्ति के निरोध को कहते हैं। चित्त की पांच प्रकार की भूमियाँ हैं। 'क्षिप्त', 'गूढ़' और 'विक्षिप्त' भूमि में योगाभ्यास संभव नहीं है। चौथी और पांचवीं मूर्तियाँ 'एकाग्र' तथा 'निरुद्ध' कहलाती हैं। एकाग्र अवस्था में चित्त किसी ध्येय में निविष्ट या केन्द्रीभूत हो जाता है। एकाग्रता और निरुद्ध योगाभ्यास में सहायक हैं।

योगाभ्यास के आठ अंग हैं जो योगांग कहलाते हैं— यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तथा समाधि। अहिंसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का अभ्यास करना ही 'यम' है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर-प्रणिधान इन आचारों का अभ्यास 'नियम' कहलाता है। आनंद शारीरिक स्थिति को 'आसन' कहते हैं।

नियंत्रित रूप से श्वास ग्रहण, धारण और त्याग को प्राणायाम कहते हैं। इंद्रियों का विषयों से हटाने का नाम प्रत्याहार है। चित्त को शरीर के अन्दर या बाहर की किसी वस्तु पर केन्द्रीभूत करने को 'धारणा' कहते हैं। किसी विषय का सुदृढ़ और अविचलित चिंतन 'ध्यान' कहलाता है। समाधि चित्त की वह अवस्था है जिसमें ध्यानशील चित्त ध्येय विषय में तल्लीन हो जाता है।

योग के अनुसार चित्त की एकाग्रता के लिए तथा आत्म ज्ञान के लिए ईश्वर ही ध्यान का सर्वोत्तम विषय है। ईश्वर पूर्ण, नित्य, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्वदोषरहित है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से संसार की सृष्टि का आरंभ होता है। संयोग का अंत होने पर प्रलय होता है। पारस्परिक संयोग या वियोग पुरुष और प्रकृति के लिए स्वाभाविक ही है अतः एक पुरुष विशेष का अस्तित्व परमावश्यक है जो पुरुषों के पाप तथा पुण्य के अनुसार पुरुष तथा प्रकृति में संयोग का वियोग स्थापित करता है।

संक्षेप में योग एक लौकिक दर्शन है जो शारीरिक क्रियाओं पर आधारित है। यह स्वस्थ जीवन की कला तथा विज्ञान है जो शरीर और मन के बीच में समरसता पैदा करता है। वर्तमान समय में लोग स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को आपना रहे हैं। यह आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं का समाधान करता है, रोगों का निवारण कर स्वस्थ बनाता है और मानसिक शक्ति प्रदान करता है। विभिन्न अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि जीवन शैली संबंधी और मानसिक परेशानियों से छुटकारा दिलाने में योग बहुत कारगर है। इसकी विशेषता यह है कि इसे स्वास्थ्य देखभाल की अन्य पद्धतियों के साथ अपनाया जा सकता है। वर्तमान

समय में इसे वैश्विक मान्यता प्राप्त हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 से '21 जून' को 'अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस' के रूप में मान्यता प्रदान की है। अब पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है।

'गाँव' भारतीय समाज का प्रमुख एकक है यह भारतीय समाज की सूक्ष्मस्तरीय संरचना का एक भाग है। भारतीय जनगणना ब्यूरो ग्रामीण बस्तियों अथवा गाँव को चिन्हित करने के परिमाणात्मक आधार प्रस्तुत करता है, ये मानक निम्नांकित हैं—

- 1— गाँव वह स्थान है, जिसकी जनसंख्या पांच हजार से कम हो।
- 2— गाँव में ग्राम पंचायत पायी जाती है।
- 3— दो तिहाई से अधिक जनसंख्या कृषि तथा कृषि से संबंधित व्यवसायों में संलग्न हो।
- 4— जनसंख्या घनत्व प्रति हजार व्यक्ति प्रति वर्गमील अथवा 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० से कम पायी जाती हो।

इस आधार पर एक ग्रामीण क्षेत्र, गैर नगरीय क्षेत्र होता है, जिसकी सीमा परिभाषित होती है तथा गाँव सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई होते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 5,97,485 गाँव या ग्रामीण बस्तियां उपस्थित हैं जिसमें देश की कुल जनसंख्या का 68.85 प्रतिशत भाग निवास करता है।

सामाजिक दृष्टि से भारतीय गाँव लघु आकार को जाति व्यवस्था पर आधारित समुदाय है। जहाँ कृषि और संबन्धित कार्य जीविकोपार्जन का प्रमुख आधार रहे हैं। सजातीयता, प्रकृति से प्रत्यक्ष सम्बन्ध, जाति आधारित क्रम विन्यासित स्तरीकरण, प्रादेशिक एवं व्यवसायगत मंद गतिशीलता, अन्तर्क्रियाओं और सामाजिक संपर्कों की न्यूनतम दर तथा जजमानी के रूप में सावयवी एकता इसकी अन्य प्रमुख विशेषतायें हैं। इस प्रकार गाँव दीर्घकाल से भारतीय समाज प्रमुख विशेषता रहा है।

भारतीय गाँव के अध्ययन के प्रारम्भिक उदाहरण उपनिवेश काल में प्राप्त होते हैं। हेनरी मेन (1881), चार्ल्स मेटकॉफ (1833) और बेडेन पॉवेल (1896) जैसे विद्वानों ने गाँव की स्वायत्ता के प्रश्न को बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किया है। भारतीय गाँव का चित्रण एक 'बंद पृथक' व्यवस्था के रूप में किया गया। चार्ल्स मेटकॉफ ने एक कदम आगे बढ़कर गाँव को एक लघु गणतंत्र (little republic) की संज्ञा दी जो स्वयं में स्वतंत्र, अखंडित, अपरिवर्तनीय और सम्पूर्ण है। बाद के शोधों ने इस अवधारणा को नकार दिया। गाँव का सम्बन्ध वृहत्तर समाज से बराबर बना रहा है। वे सदैव भारतीय सभ्यता के केन्द्रों के इर्द-गिर्द रहे। काम और व्यापार के सिलसिले में गाँवों और वृहत्तर समाज के बीच सम्पर्क-सूत्र रहे हैं

स्वतंत्रता के पश्चात समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में ग्रामीण अध्ययनों का तीव्र गति से विस्तार हुआ। ये अध्ययन मुख्य रूप से संरचनात्मक प्रकार्यात्मक प्रकार के थे। इनकी पद्धति क्षेत्रकार्य और नृजातिवाद पर आधारित थी। इनका मुख्य उद्देश्य स्वतन्त्रता के पश्चात उत्पन्न परिवर्तनों से पूर्व ही ग्रामीण- समाज का अध्ययन कर लेना था। इन अध्ययनों में एस० सी० दुबे का भारतीय गाँव, एम० एन० श्रीनिवास का 'यादों में रचा गाँव', डी० एम० मजूमदार का कास्ट एण्ड कम्मुनिकेशन इन इण्डियन विलेज' प्रमुख हैं। इन ग्रामीण अध्ययनों का क्रम वर्तमान समय तक बना हुआ है और भारत के कुल समाजशास्त्रीय अध्ययनों की एक कड़ी है।

प्रस्तुत शोध में अध्ययन के लिए लखनऊ जिले के बक्शी का तालाब विकास खण्ड का 'गोहना कलाँ' गाँव चयनित किया गया है। यह गाँव समाजशास्त्रीय अध्ययनों के लिए प्रसिद्ध हो चुका है। 1955 में प्रसिद्ध सामाजिक मानवशास्त्री डी० एन० मजूमदार ने 'मोहाना' नाम से इस गाँव का अध्ययन किया था जो कास्ट एण्ड कम्मुनिकेशन इन इण्डियन विलेज' के नाम से प्रकाशित हुआ। यह अध्ययन जजमानी-सम्बन्धों के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है। कालान्तर में लखनऊ विश्वविद्यालयके समाजशास्त्र विभाग के लघुशोध प्रबन्धों एवं शोध प्रबन्धों के विषय गोहनाकलाँ गाँव के अध्ययन पर आधारित थे। प्रशासनिक दृष्टि से भी यह गाँव महत्वपूर्ण रहा है। 2001 में स्वजल धारा परियोजना का प्रारम्भ केन्द्र सरकार ने इसी गाँव से किया अतः प्रशासनिक और समाजशास्त्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण गाँव 'गोहनाकला' तुलनात्मक शोधों के लिए 'द्वितीयक तथ्य' सरलता से एवं प्रचुर मात्रा में उपलब्धता कराता है। प्रस्तुत शोध प्रपत्र के लिए इसी गाँव के चयन का यह प्रमुख आधार है।

प्रस्तुत प्रपत्र 'गोहनाकलाँ' के नृजातिशास्त्रीय अध्ययन पर आधारित है। इस अध्ययन में क्षेत्र कार्य के माध्यम से घर-घर जाकर आंकड़े एकत्र किये गये हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण जीवन के विभिन्न आयामों का अनुभूतिक अवलोकन किया गया। लोक कथाओं, त्यौहार, उत्सव, जीवन मरण के अनुष्ठान के अवसरों पर ग्रामीण जीवन शैली का सर्वेक्षण किया गया है।

उक्त अध्ययन में द्वितीयक स्रोतों के रूप में सरकारी आंकड़े, जनगणना के आंकड़े, परिवार रजिस्टर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।

गोहनाकलाँ के ग्राम्य जीवन शैली में योग के दर्शन सांगठनिक स्तर पर नहीं दिखायी देते हैं। सर्वेक्षण के दौरान शोधार्थी को योग करते लोगों के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं प्राप्त हुए। लगभग 15 से 20 व्यक्तियों ने व्यक्तिगत वार्ता के समय प्राणायाम, अनुलोम-विलोम और

कपालभाति करने का दावा किया। ग्रामीण जनों का योग के बारे में ज्ञान अत्यधिक सीमित था। किसी ने भी योग के संस्थापक के रूप में महर्षि पतंजलि का नाम नहीं लिया। ग्रामवासियों ने योग के प्रवर्तक के रूप 'बाबा रामदेव' का उल्लेख किया जो कि ग्रामवासियों पर विज्ञापन और बाजार के प्रभाव को रेखांकित करता है।

योग के प्रति ग्रामवासियों में श्रद्धा का भाव पाया गया। वे इसे हिन्दू धर्म का एक अंग मानते हैं। योग के जानकार ग्रामवासियों का विश्वास था कि योग के द्वारा किसी भी बीमारी और शारीरिक अस्वस्थता को दूर किया जा सकता है। नियमित योग करने का दावा करने वाले लोग योग के द्वारा कैंसर और एड्स जैसी व्याधियों पर विजय पाने का दावा कर रहे थे। वे योग को कुछ आयुर्वेदिक दवाओं के साथ लेने पर सकारात्मक परिणाम का दावा करते हैं। गाँव की स्थानीय दुकानों पर आयुर्वेदिक उत्पाद निर्माता कम्पनी 'पतंजलि' के उत्पाद मिले जिन्हें ग्रामवासी योग से जोड़कर प्रयोग करते हैं। निहित रूप में योग दर्शन के कुछ प्रभाव ग्राम वासियों की दैनिक जीवन शैली में प्राप्त हुए। आसन के रूप में 'कमलासन' का प्रयोग ग्रामवासी सामान्य रूप से बिना योग के बारे में सोचे करते हैं।

खाने के अवसर पर, धार्मिक एवं जन्म-मरण के अनुष्ठानों के अवसर पर कलासन का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है परन्तु प्रत्यक्ष रूप से 'योग' का प्रकटीकरण ग्राम जीवन शैली में नहीं दिखायी देता है। यह निष्कर्ष बल पूर्वक रेखांकित किया जा सकता है कि ग्रामवासी मोक्ष के साधन के रूप में योग को नहीं देखते जबकि यही योग दर्शन की आत्मा है।

योग और ग्रामवासियों के अन्तर्सम्बन्ध को गहनता से समझने के लिए योग के ग्रामीण महिलाओं के सम्बन्धों पर दृष्टि डालना आवश्यक है। गाँव की महिलाओं से जब योग के बारे में जानने का प्रयास किया गया तो एक भी उदाहरण महिलाओं के द्वारा योग करने का नहीं मिला। कुछ शिक्षित युवा महिलायें योग के बारे में 'बाबा रामदेव' और संचार माध्यमों के द्वारा जानती हैं परन्तु योग और मोक्ष तथा महर्षि पतंजलि का नाम किसी ने नहीं लिया। ग्रामीण महिलायें घरेलू और कृषि कार्यों में व्यस्त थी। उनके पास योग के लिए समय नहीं और वे जीवन में योग की आवश्यकता भी महसूस नहीं करती है यद्यपि योग ग्रामीण महिलाओं में मानसिक शांति में वृद्धि कर सकता है।

गाँव में अनुसूचित जाति के लोगों से योग के बारे में समझने के दौरान प्रतिक्रियावादी प्रतिक्रिया मिली। गाँव गोहनाकलां, अनुसूचित जाति बहुल गाँव है। यहां के अनुसूचित जाति के लोग योग के प्रति प्रतिक्रियावादी थे।

वे योग को उच्च जाति के लोगों का प्रचार मानते हैं। उनके अनुसार योग विलासिता की वस्तु है, जो नगरीय जीवन शैली के लिए उपयोगी है। अनुसूचित जाति के लोग अधिकांशतः शारीरिक श्रम पर आधारित व्यवसायों से जुड़े हैं। उनका मानना है योग उनके लिए आवश्यक नहीं है। इस वर्ग के कई लोगों ने योग को जानने से मना किया और योग को अपने लिए नहीं बताया। यद्यपि योग सामाजिक संस्तरण से सम्बन्धित नहीं है, और बिना भेदभाव के सभी वर्गों और जातियों को लाभ पहुँचाने के आदर्श पर केन्द्रित है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि ग्रामीण जीवन तक योग दर्शन का प्रभावी प्रसार नहीं हो सकता है। यह ग्रामीण जीवन शैली को सकारात्मक रूप से निम्न प्रकार से प्रभावित कर सकता है –

- (क) योग ग्रामीण जीवन में एकीकरण और संगठन में वृद्धि कर संघर्षों को कम करने में प्रभावी भूमिका निभा सकता है।
- (ख) यह ग्रामीण जीवन में निहित सामाजिक संस्तरण, कमजोर कर समतावाद को बढ़ावा दे सकता है।
- (ग) योग ग्रामीणों में स्वास्थ्य परिस्थितियों को मजबूत बना सकता है।

इसके लिए आवश्यक है कि योग के लाभों को गांवों तक पहुँचाने के लिए सांगठनिक प्रयास किये जायें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- 1- थापर, रोमिला, 2006, भारत का इतिहास, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली।
- 2- चट्टोपाध्याय, सतीश चन्द्र एवं दत्त, धीरेन्द्र मोहन, भारतीय दर्शन, पुस्तक भण्डार, पटना।
- 3- भारत 2018, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
- 4- दुबे, ए स0सी0, 1996, भारतीय ग्राम, वाणी प्राकाशन, नई दिल्ली।
- 5- सिंह योगेन्द्र (अनु0 अरविन्द कुमार), 2006 भारतीय परम्परा का आधुनिकीकरण, रावत पब्लिकेशन जयपुर।
- 6- भारतीय जनगणना 1981
- 7- भारत 2016, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
- 8- हसनैन, नदीम, 2004, समकालीन भारतीय समाज एक सामाजशास्त्रीय परिदृश्य, भारत बुक सेंटर, लखनऊ।
- 9- मजूमदार, डी0एन0, 1958, कास्ट एण्ड कम्युनिकेशन इन एन इण्डियन विलेज, एशिया पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
- 10- मजूमदार, डी0 एन0 (अनु0- चन्द्रभाल त्रिपाठी) 1960, छोर का एक गाँव एशिया पब्लिशिंग हाउस,

पहचान : दोनो कानों से 60-70 डेसीबेल तक की ध्वनि का सुनाई न देना।

11.बोलने और भाषा की विकलांगता (Speech and Language Disability)

पहचान: बोलने में कठिनाई अथवा सामान्य बोली से अलग बोलना जिसे अन्य लोग समझ नहीं पाते हों।

(ii) बौद्धिक (Intellectual)

1. बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)

पहचान: सीखने, समस्या समाधान, तार्किकता आदि में कठिनाई, प्रतिदिन के कार्यों में एवं सामाजिक कार्यों और अनुकूलन व्यवहार में कठिनाई।

2.विशेष सीखने की अक्षमता (Specific Learning Disability)

पहचान :बोलने, श्रुत लेखन, साधारण जोड़, घटाना, गुणा, भाग, दूरी, भार, इत्यादि को समझने में कठिनाई।

3.ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (Autism Spectrum Disorder)

पहचान : किसी कार्य पर ध्यान केन्द्रित करने में कठिनाई, आंखे मिलाकर बात न कर पाना अथवा गुमसुम रहना।

(iii) मानसिक व्यवहार (Mental Behaviour)

1. मानसिक बीमारी (Mental Illness)

पहचान : अस्वाभाविक व्यवहार, खुद से बातें करना, भ्रम जाल, मतिभ्रम, व्यसन, किसी से डर/भय, गुमसुम रहना।

(iv) अन्य के कारण विकलांगता (Disability Caused Due to)

(अ) जटिल स्नायविक स्थिति (Chronic Neurological Conditions)

1.बहुविधि ऊतक दृढ़न (Multiple Sclerosis)

पहचान : दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी के समन्वय में परेशानी होना।

2. पार्किंसन रोग (Parkinson's Disease)

पहचान : हाथ अथवा पैर अथवा मांसपेशियों में जकड़न, तंत्रिकातंत्र प्रणाली सम्बन्धी कठिनाई मुख्यतः मध्यम और अधिक आयु वर्ग के लोग प्रभावित।

(ब) रक्त विकार (Blood Disorder)

1. हीमोफिलिया (Hemophilia)

पहचान : चोट लगने पर अत्यधिक रक्त स्राव अथवा रक्त बहना बन्द न होना।

2. थैलेसीमिया (Thalassemia)

पहचान : खून में हीमोग्लोबिन की विकृति, खून की मात्रा का कम होना।

3. सिकल कोशिक रोग (Sickle Cell Disease)

पहचान : खून की अत्यधिक कमी (रक्त अल्पता)। खून की कमी से शरीर के अंग अथवा त्वचा अवयव खराब होना।

(v) बहुविकलांगता (Multiple Disability)

1.बहुविकलांगता (Multiple Disability)

पहचान : दो या दो से अधिक विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति। विशेषकर दृष्टिहीन और बहरे व्यक्ति।

विकलांगों के कल्याण एवं विकास की प्रक्रिया प्रत्येक देश में उसकी आवश्यकता के अनुरूप होती है। क्योंकि देश में सरकार की भिन्न-भिन्न भूमिकाएँ, कार्य और उद्देश्य होते हैं। वास्तव में, विकास पारस्परिक प्रयास का परिणाम होता है। जिसमें समाज के सभी लोगों की भागीदारी आवश्यक होती है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए विकलांगता के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों ने अपनी भी सक्रिय भूमिका निभायी है। एक ओर जहाँ सरकारी संगठनों का कार्य सीधे तौर पर जनसामान्य को लाभान्वित करने का होता है, वहीं दूसरी ओर गैर सरकारी संगठन राज्य सरकारों और जनसामान्य के बीच एक संयोजक कड़ी के रूप में कार्य करते हुए बुनियादी स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि आवश्यकताओं की प्राप्ति में सहायक की भूमिका निभाते हैं। क्योंकि, सरकार के पास सीमित साधनों की उपलब्धता होती है जिसके कारण लाभार्थियों तक समुचित सुविधाएँ नहीं पहुँच पाती हैं। इसी कारण सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की श्रेणीयाँ और विविधताएँ बहुआयामी होती हैं। गैर सरकारी संगठन अपने विविधतापूर्ण कार्यक्षेत्रों, आकारों इत्यादि से सरकार के साथ जुड़े होते हैं। ये जनसमुदायों की आवश्यकताओं को सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ने में एक एजेंट की भूमिका निभाते हैं। ये अपने कार्यों के लिए जनसामान्य और सरकार दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। स्वतंत्र होते हुए भी गैर सरकारी संगठन सरकार पर एवं सरकार अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए गैर सरकारी संगठनों पर अन्तःनिर्भर रहते हैं। उदाहरणार्थ गैर सरकारी क्षेत्रों में सक्षम (समदृष्टि, क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल) विकलांगों के पुनर्वास एवं उत्थान तथा उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए सम्पूर्ण देश में कार्यरत है। यह 21 प्रकार की विकलांगताओं को निम्न सात प्रकार के क्षमता विकास प्रकोष्ठों के माध्यमों से विकलांगों को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए कार्यरत है। 1. दृष्टि बाधित प्रकोष्ठ 2. श्रवण बाधित प्रकोष्ठ (प्रणव) 3. बुद्धि बाधित प्रकोष्ठ (धीमही) 4. कुष्ठ बाधित प्रकोष्ठ 5. रक्त बाधित प्रकोष्ठ (प्राणदा) 6. अस्थि बाधित क्षमता विकास प्रकोष्ठ 7. मानसिक रुग्णता संबन्धी क्षमता विकास प्रकोष्ठ।

विकलांगों के लिए सरकारी संगठनों का योगदान :

समाज में विकलांगों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, और व्यवसायिक आधार पर सरकार विकलांग व्यक्तियों को मुख्य धारा से जोड़ने का निरन्तर प्रयास करती रहती है। इन प्रयासों के फलस्वरूप सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक अल्पवाधिक अथवा दीर्घाधिक योजनाओं का संचालन किया जाता है। जिससे की इन योजनाओं का लाभ त्वरित रूप में अथवा कुछ समयान्तराल में प्राप्त किया जा सके। विकलांगों के लिए सरकारी संगठनों के योगदान को प्रमुखतः से योजनाओं के रूप में दृष्टिगत किया जा सकता है।

सरकार का मानना है कि अनेक विकलांग व्यक्तियों के मन में कार्य करने और आर्थिक निर्भरता प्राप्त करने तथा देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करने की प्रबल इच्छा है। जिसे विकलांग व्यक्तियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार अवसरों में सुधार करके उनके और उनके परिवारों के जीवन में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाया जा सकता है। वहीं इससे विस्तृत अर्थव्यवस्था को भी बहुत लाभ होगा। इन विकलांग व्यक्तियों के रोजगाररत न रहने के कारण देश और समाज को बहुत बड़ी हानि हो रही है। विश्व बैंक का मानना है कि “विकलांग व्यक्तियों को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से बाहर छोड़ने के कारण देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत की हानि होती है।” इसलिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराने से श्रम शक्ति की कमी को पूरा करने में सहायता प्राप्त की जा सकती है तथा कल्याणकारी आत्मनिर्भरता से सम्बन्धित आर्थिक दबाव भी कम किया जा सकता है। विकलांग व्यक्तियों के सार्वभौमिक शैक्षिक विकास तथा आर्थिक एवं व्यावसायिक आत्मनिर्भरता और उनकी समाज में पूर्ण भागीदारी के लिए उद्यमिता तथा कौशल विकास प्रदान कराया जाता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 8,000 संस्थाएँ विकलांगों के पुनर्वास और कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत हैं। जिनमें से लगभग 100 संस्थाओं का संचालन ही मात्र सरकार द्वारा किया जाता है, शेष सभी गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित होती हैं।

निम्न प्रमुख सरकारी संस्थान अथवा संगठन अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यरत हैं—

1. राष्ट्रीय विकलांग जन वित्त एवं विकास निगम : इस निगम की स्थापना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 24 फरवरी 1997 को हुई थी। यह कम्पनी अधिनियम 1956 अनु-25 के अन्तर्गत पंजीकृत तथा गैर लाभ वाली कम्पनी है। यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी है। कम्पनी का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ आर्थिक

विकास के क्रिया-कलापों को बढ़ावा देना, विकलांग व्यक्तियों के लाभ तथा आर्थिक पुनर्वास के लिए अन्य उपक्रमों एवं स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना, उन विकलांग व्यक्तियों को ऋण प्रदान करना जो व्यावसायिक पुनर्वास, स्वरोजगार के लिए व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने अथवा तकनीकी एवं उद्यमी कौशल के विकास में आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते हैं।

2. भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को)

: भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) भारत सरकार का एक गैर लाभकारी उपक्रम है। जो नो प्राफिट नो लॉस के सिद्धान्त का अनुपालन करता है। इसका मुख्यालय उ.प्र. के कानपुर शहर में है। इसके 35 स्थापित केन्द्र और 152 कार्यान्वित एजेन्सियाँ हैं जो राज्य सरकारों के माध्यमों से कार्य करती हैं। एलिम्को का उद्देश्य शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के पुनर्वास में सहायक कृत्रिम अंगों का निर्माण और उनकी आपूर्ति करना है।

3. भारतीय पुनर्वास परिषद (रीहैबिलिटेशन काउन्सिल ऑफ इण्डिया) :

किसी भी पुनर्वास कार्यक्रम के प्रभावशाली होने के लिए यह आवश्यक होता है कि उसका दृष्टिकोण बहुआयामी हो, और विकलांगताओं की घटनाओं को कम करने के लिए प्रारम्भिक अवस्था में ही इसके कारणों को दूर किया जा सके। व्यापक रूप से पुनर्वास कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य विकलांगों को मुख्य धारा में शामिल करना होता है।

भारतीय पुनर्वास परिषद के अन्तर्गत दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना का संचालन किया जाता है, जिसमें विकलांग व्यक्तियों के कौशल उन्नयन हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को वित्तीय सहायता (परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तक) प्रदान कराया जाता है। यह कौशल 15 से 35 वर्ष की आयु समूह के लिए होता है ताकि ऐसे व्यक्ति आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकें।

4. राष्ट्रीय न्यास (नेशनल ट्रस्ट) :

यह विकलांगों एवं उनके परिवारों की क्षमता का विकास करने, उनके अधिकार दिलाने एवं उनके लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करने तथा समावेशी समाज बनाने की दिशा में कार्यरत एक राष्ट्रीय संस्था है। जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के विकलांगजन सशक्तीकरण विभाग के अधीन राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अन्तर्गत गठित एक स्वायत्त संस्था है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य विकलांगों को आवश्यक और जनकल्याणकारी योजनाओं द्वारा सशक्त बनाकर समान अधिकार और समान अवसर उपलब्ध कराना है, साथ ही

राष्ट्रीय न्यास में पंजीकृत अन्य संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से विकलांगों के अधिकारों के संरक्षण, समाज में समाकलन और उनके ससम्मान जीवन यापन को सुनिश्चित कराना है।

राष्ट्रीय न्यास की प्रमुख योजनाएं –

- दिशा (प्रारम्भिक हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी योजना)
- विकास (डे-केयर)
- समर्थ (सहायकारी देखभाल)
- घरोंदा (वयस्कों के लिए सामूहिक गृह)
- प्रेरणा (विपणन सहयोग)
- निरामय (स्वास्थ्य बीमा योजना)
- सहयोगी (देखभालकर्ता प्रशिक्षण योजना)
- ज्ञान प्रभा (शैक्षणिक सहयोग)
- संभव (सहायक सामग्री और सहायता उपकरण)
- बढ़ते कदम (जागरूकता एवं समुदाय से मेलजोल)

इनके अलावा सरकार द्वारा विकलांगता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सात राष्ट्रीय संस्थानों का कार्यान्वयन भी किया गया है, जो विकलांग कल्याण एवं विकास के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। ये संस्थान हैं –

- पं० दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांग संस्थान, नई दिल्ली
- राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देहरादून
- राष्ट्रीय मानसिक विकलांग व्यक्ति सशक्तीकरण संस्थान, सिकन्दराबाद
- राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता
- अली यावर जंग श्रवण बाधित राष्ट्रीय संस्थान, मुम्बई
- स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, कटक
- राष्ट्रीय बहुविकलांगता सशक्तीकरण संस्थान, चेन्नई

क्षेत्रीय स्तर पर समुचित देखभाल के लिए 5 संयुक्त पुनर्वास केन्द्र, 4 पुनर्वास केन्द्र तथा 120 विकलांग पुनर्वास केन्द्र हैं, जो विकलांगजनों को विभिन्न प्रकार की पुनर्वास सेवायें प्रदान करते हैं। इसमें राज्य सरकार पुनर्वास सेवायें प्रदान करती है।

विकलांगों के लिए गैर सरकारी संगठनों का योगदान :

गैर सरकारी संगठनों के प्रत्यक्ष परिणामों में विकलांगों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा जैसी गतिविधियों को अधिक विकसित किया गया है। स्थानीय स्तर पर गैर सरकारी संगठन सकारात्मक दृष्टिकोणों और व्यवहारों में परिवर्तन को बढ़ावा देने में सफल हुये हैं। परिणामस्वरूप, विकलांगों को विकलांगता की सोच से

मुक्त करने और उनको सक्रिय रूप से भागीदार बनाने में ये संगठन उन्हें सक्षम बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

मोहन्ती (1996) भारत में गैर सरकारी संगठनों के उदय, उनके विकास और भूमिका की विस्तृत चर्चा करते हुए कहते हैं कि गैरसरकारी संगठनों ने अपने कार्यक्रमों और योजनाओं को संचालित करने के लिये देश अथवा विदेशों से प्राप्त धन का उपयोग सार्थक प्रकार से किया है। सिंह (2003) भी विकलांगों के सामाजिक-आर्थिक विकास को एक संगठनात्मक शक्ति का परिणाम मानते हैं। जो समाज के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के योगदान द्वारा ही सम्भव हो सकता है। परन्तु सरकार के पास उपलब्ध सीमित साधनों और प्रयासों के द्वारा अधिकतम लोगों को सम्मिलित करा पाना सम्भव नहीं है।

गैर सरकारी संगठनों की संख्या में पिछले वर्षों की तुलना में काफी वृद्धि हुई है क्योंकि मानवीय आवश्यकताओं के विभिन्न पहलुओं ने उनके कार्य क्षेत्रों में भी वृद्धि की है। गैर सरकारी संगठनों के कारण विकलांगों के विभिन्न क्षेत्रों में सहभागिता को प्रोत्साहन मिला है। उन कारणों को जानने की समझ विकसित हुई है जिसके कारण विकलांगों को समाज की मुख्य धारा से अलग रखा जाता रहा है अथवा बहिष्कृत समझा जाता रहा है। गैर सरकारी संगठनों ने विकलांगों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय प्रयास किये हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्थानीय स्तरों पर अनेक स्पेशल स्कूलों की स्थापना की गयी है। जिनमें प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा प्रदान करायी जाती है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। विकलांगों के लिए संचालित यह भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना गैर सरकारी संगठन द्वारा की गयी है। सामाजिक क्षेत्र में विकलांगों के समायोजन के लिए गैर सरकारी संगठनों द्वारा कृत्रिम अंग, ट्राइ साइकिल, बैसाखी, चिकित्सा सुविधाएं आदि प्रदान करायी जाती हैं। विकलांगों को आर्थिक निर्भरता प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों द्वारा आर्थिक सहायता राशि, स्वरोजगार प्रशिक्षण, कौशल प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रमों का भी संचालन किया जाता है। विकलांगों के प्रति सामाजिक मान्यताओं और रूढ़ियों को बदलने के लिए ये संगठन मेलों, उत्सवों, खेल कार्यक्रमों और गोष्ठियों का आयोजन भी करते हैं।

क्लार्क (1991) के अनुसार, विकलांगों के लिए मुख्यधारा के निर्माण में गैर सरकारी संगठनों की निम्न मुख्य भूमिकाएँ होती हैं—

- सरकारी सहायता राशि को वंचितों तक पहुँच के लिए प्रोत्साहित कराना।

- सरकारी संगठनों/मंत्रालयों को उनके सफल विकास कार्यक्रमों के लिए दृष्टिकोण प्रदान करना।
- जनसमुदाय को शिक्षित करना और उनके अधिकारों के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाना।
- लोक-विचारों और स्थानीय अनुभवों के आधार पर सरकारी कार्यक्रमों और सामान्य जन की आवश्यकताओं के मध्य उचित माध्यम का निर्माण करना।
- राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों की विकास नीतियों को विकलांगों की आवश्यकताओं से परिचित कराना।
- वैकल्पिक सेवाओं और विकास की योजनाओं को प्रदान करना।

इनके अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों ने विकलांगों के लिए सरकार द्वारा छोड़े गये अन्तराल को भरने का प्रयास किया है। इनमें प्रमुख रूप से हैं –

- (i) वास्तविक हितधारकों को चिन्हित करना।
- (ii) विकलांग व्यक्तियों के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास सेवाओं तक पहुँच को सुलभ बनाना।
- (iii) विभिन्न प्रकार के संसाधन जुटाना।
- (iv) सामुदायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान कराना।
- (v) विकलांगों के प्रति समाज में मनोभाव और व्यवहार में परिवर्तन लाना।
- (vi) क्षमता निर्माण/कौशल विकास के कार्यक्रमों को संचालित करना।
- (vii) विकलांगों के लिए सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के लिए तंत्र प्रक्रिया का निर्माण करना।
- (viii) अनुसंधान और सूचना प्रसार करना।
- (ix) विकलांगों के सकारात्मक परिवर्तन के लिए नेटवर्किंग, जनमत संग्रह और समर्थन जुटाना।

अतः इन विभिन्न विकल्पों के माध्यमों से गैर सरकारी संगठनों ने जमीनी स्तर पर समाज, राष्ट्र अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। गैर सरकारी संगठनों ने न केवल सहायक बल्कि कम लागत वाले सेवा कार्यक्रमों का निर्माण भी किया है।

सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अन्तःसम्बन्धों और उनके बीच के अन्तरों का स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए समाजशास्त्र में विकलांगों और विकलांगता के लिए एक नये सैद्धान्तिक एवं कार्यात्मक रूपरेखा की आवश्यकता है। जिससे समाजशास्त्र में विकलांगता को सर्वमान्य रूप से स्वीकार करने तथा इस क्षेत्र में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण उत्पन्न करने का प्रयास किया जा सके। इस सम्बन्ध में बर्नस और ओलिवर (1993) का कहना है कि विकलांगता के क्षेत्र में अनेक समाजशास्त्रियों ने

विभिन्न-विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में अध्ययन किये हैं। परन्तु विशेष रूप में उनके द्वारा किये गये अध्ययनों को तीन परिप्रेक्ष्यों में विश्लेषित किया जा सकता है—

- (1) प्रकार्यवादी (Functional Perspective)
- (2) संघर्षवादी (Conflict Perspective)
- (3) अन्तःक्रियावादी (Interactional Perspective)

प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य का मानना है कि सामाजिक संरचना का प्रत्येक भाग परस्पर एक सेट के रूप में मिलकर सामाजिक व्यवस्था को बनाता है परन्तु विकलांग व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था की माँग के अनुरूप अपना योगदान नहीं दे सकते हैं। प्रकार्यवादी विकलांगता को व्यक्तिगत असमर्थता मानते हैं। वहीं, संघर्षवादी समाज में असमानता और वंचित लोगों के अस्तित्व के सामाजिक बहस पर बल देते हैं। यह परिप्रेक्ष्य विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण को सरकार द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था और सामाजिक नीति के साथ जोड़ने के अध्ययन पर बल देता है। संघर्षवादी समाजशास्त्री मानते हैं कि राज्यों द्वारा बनायी गयी सामाजिक नीतियाँ, सामान्य समाज द्वारा विकलांगों के सामाजिक नियंत्रण के एक माध्यम के रूप में कार्य करती हैं, जो विकलांग व्यक्तियों पर सामान्य समाज द्वारा दबाव और नियंत्रण का एक रूप है। इन सबसे भिन्न अन्तःक्रियावादी विकलांग व्यक्तियों की भावनाओं और उनके अनुभवों के अन्वेषणों पर ध्यान केन्द्रित करने पर बल देते हैं। व्यापक रूप में ये विकलांगता की दशाओं और प्रकृति के अन्तःसम्बन्धों, विकलांगों और अन्य के अन्तःसम्बन्धों को मान्यता देने का भी अध्ययन करते हैं। इनका मानना है कि कभी-कभी विकलांग व्यक्ति भी स्वयं की पहचान के लिए खतरा उत्पन्न करता है। विकलांगता कभी भी सामाजिक संरचना के बाहर मौजूद नहीं हो सकती है। यह कुछ सिद्धांतों का परिणाम होती है अर्थात् विकलांगता एक कल्पित वस्तु है जो सामाजिक स्तर पर विकलांग व्यक्तियों के प्रति सार्वजनिक धारणाओं में दिखाई देती है।

निष्कर्ष

प्राप्त अध्ययन से ज्ञात होता है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं तथा सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा किये गये कार्य विकलांगों के सशक्तीकरण के स्तर के प्रयासों के साधन हैं। विकलांगों के समुचित विकास और उत्थान में सरकार और समाज की सार्थक सहभागिताओं द्वारा उनकी समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में बढ़ती जागरूकता और मजबूत इच्छाशक्ति विकलांगों के अधिकारों की प्राप्ति में साधक की भूमिका निभा सकती है। एक ओर जहाँ, सरकारी संगठनों प्रमुख

दायित्व विकलांगजनों हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन तथा विकलांगजनों के सम्बन्ध में नीतियों का निर्धारण करना है। वहीं दूसरी ओर, विकलांगजनों के विकास सम्बन्धी कार्य हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय के साथ-साथ गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करना, सार्वजनिक सेवाओं में विकलांगजनों हेतु आरक्षण को सुनिश्चित करना तथा उनके विकास हेतु गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान प्रदान कराना है।

विकलांगों को समुचित सरकारी एवं गैर सरकारी सुविधाओं की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा उनके लिए पर्याप्त रूप में विकलांगता प्रमाण-पत्र की अनुलब्धता है। जिसके अभाव में उन्हें सरकारी सभी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। इन समस्याओं का समाधान गैर सरकारी संगठनों के सहयोग द्वारा तथा जनजागरूताओं के माध्यमों से किया जाता है। यद्यपि भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर विकलांगजनों का सशक्तीकरण हुआ है और उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जा सका है तथापि विकलांगों की जनसंख्या, उनकी विकलांगता का स्तर तथा सामाजिक अन्तःसम्बन्धों की दृष्टि से अभी भी अनेक विषमताएँ हैं तथा भेदभाव विद्यमान हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. MoSJE (2016). "First Country Report on the Status of Disability in India", Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India , New Delhi.
2. Pandey, J.S.P. (2017). "Disability and Social Security", Mount Hill Publishing Company, Delhi.
3. Pandey, J.S.P. and Pandey, Sandeep (2017). "Impact of Positive Promotions for PWDs", RJPSS, Vol.42, No. 2 pp.95-103
4. Pandey, Sandeep (2018). "Social Inequality of Opportunity: In Context of PWDs", International Journal of Knowledge Concepts, Vol. 6, Issue 1 pp. 13-17.
5. SAKSHAM, <http://www.sakshamseva.org>
6. Singh, K.R., Sudhir and Kachhap, K.A. (2008). "Disability, Citizenship and Exclusion", Anamika Publishers: New Delhi.

नाट्यशास्त्रे संस्कृतरङ्गमञ्चस्य वैशिष्ट्यम्

मीनाक्षी गौतम*

भारतीय विद्वन्मनीषिणां प्रतिभा सिद्धान्त प्रतिपादने तु चकास्त्वेव, तत्तद्व्यवहार-विवरण-प्रकाशनेऽपि तथैव प्रतिभाति। नाट्योत्पत्तिर्यथा भारतीय-नाट्याचार्याणां सैद्धान्तिकप्रतिभाविलासोऽस्ति, तथैव रङ्गमञ्चीय-रचना तद्व्यावहारिकप्रतिभा-निदर्शनमस्ति। भारते समग्र-साधन-सम्पन्न रङ्गमञ्चोदयस्तावदने प्राचीनो, यथो प्राचीनोऽभिनयोदयः। भरतमुनिः स्वीय-प्रसिद्धग्रन्थे भरतनाट्यशास्त्रेऽनयोरुभय-विषयथोरा। प्राचीनतमं विवरणं प्राप्तौत्। भारतीय रङ्गमञ्चे एका स्वकीया संश्लिष्टताऽस्ति, येन तस्य प्रभावो बृहत्तरभारते (जावासुमात्राप्रभृतिद्वीपेषु) रंगमंचप्रभावः आपतितः, सः प्रभावोऽद्यापि तद्रूप एव द्रष्टुं शक्यः।

रङ्गमञ्चस्य प्राचीनं नाम रंगशाला वा प्रेक्षागृहमस्ति। भारतीय-रंगमंचस्य सर्वाङ्गीणव्यवस्था, रमणीय-साजसज्जा, वैज्ञानिक-निर्मितिश्च सर्वथाऽद्वितीयाऽसाधारणी परमविशिष्टा चास्ति। भारतीय-रंगमंचेस्वीयाऽद्भुता सुश्लिष्टताऽस्ति। आदौ भारतीय नाट्याभिनयः मुक्त गगनस्या। अनावृतभूक्षेत्रे सम्पद्यतेस्म, तत्र न कश्चन प्रतिबन्ध आसीद् दर्शनाय।

भरतमुनिवचनानुसारं प्राचीन भारतीय-प्रेक्षागृहाणां नाट्यमण्डपास्त्रिविधा भवन्ति स्म। एषां त्रयाणां नाट्यमण्डपानां परिमाणाः तदुपयोगाश्च भिन्ना भवन्ति स्म। एषां त्रयाणामपि नामान्यासन्-1. विकृष्टः, 2. चतुरस्रश्च, 3. त्र्यस्रश्च। एषु विकृष्टः प्रेक्षागृहः बृहत्तमो भवति स्म, तथा चायं देवेभ्य एव नियत आसीत्। अस्य परिमाणः अष्टोत्तरमेकशतहस्तपरिमितो भवति स्म। एष गोलाकारो भवति स्म। चतुरस्ररंगमंचस्तु स्पष्टमेव चतुष्कोणो भवति स्म, अस्य दैर्घ्यं चतुःषष्टिहस्तमितं, विस्तरश्च द्वात्रिंशहस्तपरिमितो भवतिस्म। एष चतुरस्रप्रेक्षालयः मध्यमस्तरीयः, विशेषतो राजभ्यः, सामान्य जनेभ्यश्चापीदं प्रेक्षागृहमादर्शप्रेक्षागृहरूपेण स्वीकृतमासीत्। त्र्यस्र - रंगमंचस्त्रिकोणात्मकः भवति स्म। अस्य रंगमंचस्य प्रत्येकशाखा द्वात्रिंशहस्तपरिमिता भवति स्म। अस्य रंगमंचस्योपयोगोः लघुनाट्याभिनयेभ्यः क्रियते स्म।

आसु तिसृष्वपि रंगशालासु चतुरस्रनामकं मध्यमप्रेक्षागृहमादर्शप्रेक्षागृहरूपेण प्रतिष्ठितमासीत्। अस्य वैशिष्ट्यवर्णनप्रसंगे भरतमुनेर्व्यावहारिक-वैज्ञानिकषट्त्वमभिज्ञायते। आदर्शप्रेक्षागृहचयनप्रसंगे त्रीणि तथ्यानि विशेषतोऽवधेयान्यासन्-

रंगमंचे सम्पद्यमान-संवादानां गायनादीनां च श्रवणं सम्यक्तया भवेदिति निर्धारणम्। यतो नाट्यप्रयोगे गीतोपयोगो दर्शनकानां मनोरंजनायैव क्रियते। यतः गीत-संवादादीनां स्वरध्वनयो यदि श्रोतॄणां श्रुतिगोचरा न भवेयुस्तर्हि ते श्रोतारस्तत्राट्याभिनयेन आनन्दिता न भवितुमर्हन्ति। अभिनयेषु सात्विकाभिनयो महत्त्वपूर्णः। विविधावस्थासु विविध-रसाभिनय-प्रसंग सम्बद्धपात्राणां मुखमण्डलेऽभिनीतभाव-प्रभावः आपतति। एतत् साक्षात्कारः मध्यमपरिमाण प्रेक्षागृहेष्वेवोचितरीत्या भवितुमर्हति, यथा प्राह भरतमुनिः-

यश्चाप्यास्यगतो भावो नानादृष्टिसमन्वितः।

स वेश्मनः प्रकृष्टत्वात् ब्रजेदव्यक्ततां पराम्।।

यस्मात् पाठ्यं च गेयं च तत्र श्रव्यतरं भवेत्।

प्रेक्षागृहाणां सर्वेषां तस्मान्मध्यममिष्यते।।

मध्यमरंगमंचः चतुःषष्टिहस्तपरिमितं दीर्घः द्वात्रिंशद हस्तपरिमितं विस्तृत एकश्चतुष्कोणाकारः रंगमंचो भवति। रंगमंचस्य मुख्यं भागद्वयं भवतिस्म, अस्य अर्द्धभागः प्रेक्षकाणां कृते सुरक्षितो भवतिस्म, अपरोऽर्द्धभागश्च रंगमंचव्यवस्थायै सुरक्षितो भवति स्म।

रंगमंचस्य प्रथमभागस्य नाम रंगशीषमित्यासीत्, एषभागोऽष्ट हस्त परिमितलम्बाकारः, चतुर्हस्तमितं विस्तृतो भवति स्म। इतोऽग्रिमो-भागोऽपि एतावत् परिमाण एव भवति स्म, तच्च नेपथ्यगृहमकथ्यत।

रंगशीर्षेऽभिनयरक्षकाणां देविदेवानां विशिष्टपूजा भवति स्म, तथा च नेपथ्यगृहं तु स्पष्टतः पात्राणां वेशभूषा सज्जार्थं परिवर्तनाय च स्वतंत्ररूपेण प्रायुज्यत्। रंगशीर्षान्नेपथ्यगृहमागन्तुं द्वारद्वयमसृज्यत्। नेपथ्यगृहाद् अग्रे रंगपीठो भवति स्म, रंगपीठः षोडशहस्तपरिमितं लम्बः, अष्टहस्तमितं च विस्तृतो भवति स्म, यत्राभिनेतृपात्रैः समग्राभिनयः प्रादर्श्यत्। रंगपीठान्नेपथ्यगृह प्रायाणाय द्वारमेकं भवतिस्म, अभिनेतारः स्वीय-प्रवेश-निर्गमाभ्या मस्यैव द्वारस्य प्रयोगं कुर्वन्ति स्म। रंगपीठमुभयतः पार्श्वयोः सार्द्धकहस्तमिता मत्तवारणी (विरामदा) भवतिस्म। रंगशीर्षरचनायाः यद्विधानं सुलभमस्ति, तदनुकूलं रंगमंचः न तु कूर्मपृष्ठवद् भवति, न तु मत्स्यपृष्ठवद्भवेत्, अपितु दर्पणवत् समतलो मसृणश्च भवेत्। यदा-कदा पात्रप्रवेश सूचना रंगपीठे न दीयते, प्रत्युत नेपथ्यगृहादेव तद्विषयिणी सूचना दीयते। ईदृशपात्रप्रवेशः चूलिका कथ्यते।

नाट्यमण्डपः पर्वतगुहाकारो भवेत्। तत्र द्वे खण्डयोः भवतः। तत्र ऊर्ध्वखण्डे देवसम्बद्ध घटनाः प्रादर्श्यन्त, अधःखण्डे च मानवीय घटनानामभिनयः क्रियते

*शोधच्छात्रा रा0 सं0 गोमती नगर परिसर, लखनऊ

स्म। नाट्यमण्डपस्य भित्तयो विविध चित्रैः सज्जिता भवन्ति स्म, इमानि चित्राणि सामयिकानि, विषयसम्बद्धानि, अतएव परमोपयुक्तानि भवन्ति स्म। रंगमंचरचना विवातस्थाने नैव करणीया, यतो वायुवेगप्रभावेण शब्द स्वरगाम्भीर्यं न भवेत्, न च शब्दश्रुतिरेव श्रोतृणां श्रुतिगोचरीभवेत्।

दर्शकाणामुपवेशनाय समुचिता परमसुविधामयी सुरम्या सुव्यवस्था क्रियते स्म। दर्शकोपवेशनाय सोपानाकारा वीथिका भवन्ति स्म। भरतमुनि मत्या सोपानानि भूमरेकहस्तपरिमितमूर्ध्व व्यरच्यन्त, इष्टकैः काष्ठैश्च सोपान निर्माणं क्रियते स्म। दर्शकोपवेशनस्थानानि रंगपीठावलोकनीयानि भवन्ति स्म, अर्थात् उपवेशनस्थानानामीदृशी साजसज्जा भवति स्म, यथा क्वापि स्थित्वा रंगपीठे संपद्यमानानामभिनयानां साक्षादवलोकनं सम्यक् कर्तुं शक्यते।

प्राचीनप्रेक्षागृहस्येदं सुविकसितरूपं भारतीयनाट्याचार्याणां स्वीय प्रतिभायाः विलासोऽस्ति। भारते प्रेक्षागृहनिर्माणं नाट्यकलायाः प्रभातकाल एव सम्पन्नाभूत् तच्च सकृदेव सर्वाङ्गीणसुव्यवस्थितरूपेण सम्पन्नम्। प्राचीनरंगपीठः यथार्थवादी आसीत् परन्तु रंगपीठे घृणोद्रेगजनकदृश्याभिनयप्रदर्शनं सर्वथा वर्जितमासीत्। रंगपीठे युद्ध- भोजन शयनाद्यभिनयप्रदर्शनं सर्वथा वर्जितमासीत्। प्राचीनसाहित्याध्ययनेनाभिज्ञायते यत् पर्वतगुहानामुपयोगः संगीत-गायन-नृत्यादिभ्यः क्रियते स्म। अतः पर्वतगुहाकारस्य विचित्र रचनाऽस्य तथ्यस्य स्पष्टं प्रमाणमस्ति यदत्र रंगमंच स्थापनायाश्मकृतच्छिद्राण्यवलोक्य नैसर्गिकोऽनुमानो भवति यदत्र काष्ठनिर्मित रंगमंचप्रयोगः सम्यक् क्रियते स्म।

भारतीयरंगमंचप्रभावो वृहत्तरभारतस्य नाट्यप्रयोगे विशेषरूपेणापतितः। बरमा-स्याम-कम्बोज -जावा-बाली प्रभृतिसकलदेशाणां नाट्याभिनये भारतीय-नाटकानां व्यवस्थितप्रभावः आपतितः। कम्बोडियादेशस्य राजकीयरंगशाला राम-रामेति नाम्ना समबोधयत। रचना-विषये एषा रंगशाला भारतीयरंगमंच तुल्यैव आसीत्। रंगपीठं निकषैव पात्राणां वेशभूषापरिवर्तनाय, साजसज्जायै च नेपथ्यगृहव्यवस्था भवति स्म। रामायणाभिनयावसरे एव सकलाभिनेतारः पुरुषा एव भवन्ति स्म। अन्य परिस्थितिषु स्त्रिय एव नटानां भूमिकापस्ववतीर्णाकृ भवन्ति। रंगशालाया एको विशेषप्रबन्धको भवति स्म। अयं विशेष प्रबंधकः भारतीयनाट्याचार्यसदृशो भवतिस्म। नटी-शृङ्गारसाजसज्जाशिक्षणादेः दायित्वं राजसदनस्य कस्याश्चिद् विशिष्टशिक्षितमहिलायां भवति स्म। जावादेशस्य नाटकानि छायानाटकान्येव भवन्ति स्म। इदं छायानाटकं सप्तधा वर्गीकृतमासीत्। भारतवर्षे पुत्लिकानृत्यमिवास्यापि प्रदर्शनं क्रियते स्म। एषां छायानाटकानां भेदाः विषयाश्च तथा च समग्रं जावादेशीय साहित्यमपि सर्वमेव भारतीयसाहित्येन अनुप्राणितमस्ति।

अभिनय-प्रदर्शन प्रयोगा अपि भारतीयनाट्यसाहित्येन प्रेरितमनुप्राणितमस्ति। इत्थं भारतीयरंगमंचः स्वकीय वैज्ञानिकतया, सुव्यवस्थया, विपुलप्रभावशालितया सार्वभौमरंगशालेतिहासे सविशेषं सर्वातिशायी महत्त्वशालि अस्ति।

केचन समालोचकाः विशेषतः पाश्चात्यसमालोचकविद्वांसो वा पाश्चात्य-पोषकसमर्थकाः भारतीय- विद्वांसः संस्कृतनाट्यवैशिष्ट्यं परिक्षणप्रसंगे काल-स्थानैक्याभावदोषारोपणं कुर्वन्ति। यदि सतर्कतया विचार्येत तर्हि ज्ञातुं शक्यते यत्संस्कृतनाटकेष्विमे द्वे अप्यन्विती प्राप्येते। नाट्यशास्त्राचार्याणां वचनमस्ति यदेकाकं-नाटकेषु प्रदर्शितघटनाः पंचमुहूर्तमात्रपरिमितावधौ एव घटिता भवेयुः, न ततोऽधिकम्। एकमुहूर्तमष्टचत्वारिंशत्क्षणानां भवति। कालस्यायं परिमाणः ईदृशोऽस्ति यस्मिन्विश्रामम् अव्यवहितरूपेण च दैनिककार्याणि सम्पादयन्, एकोऽभिनेताऽभिनयं कर्तुं शक्नोति, दर्शकाश्च अभिनयप्रदर्शनं द्रष्टुमर्हन्ति। यदीतोऽधिककालापेक्षितघटनानां प्रदर्शनमपरिहार्यं भवेत् तर्हि ताः विभज्य द्वयोरंकयोः प्रदर्शनीयाः अथवा अल्पमहत्त्वशालिनो भागा वा महत्त्वहीनघटनाशाः सूच्यदृश्ये प्रदर्शनीयाः। सूच्यदृश्येप्येकवत्सराधिककालीनघटनाः अप्रदर्श्याः। एवमेव स्थानैक्यान्वितिरपि संस्कृतनाट्यकारैरागृहीताऽस्ति। एकांके घटितास्तथा दुरंगता न स्युर्यदभिनेता नियतकालावधौ तत्र प्राप्तुमेवासमर्था भवेत्। यद्येतद्देशगतदूरत्वमपेक्षयाधिकं भवेत् तर्हि घटनाः, विभज्य द्वयोरंकयोः प्रदर्शनीयाः। परन्त्वेष्ट नियमः डिमादिरूपकाणां दिव्यपात्रेभ्यो नहि निर्धारितः, यतोदिव्यत्वात्तेऽभिनेतारः एकाकं एव आकाशयानाद् दूरस्थानानामपि यात्रां समुचितरूपेण कर्तुं शक्नुवन्त्येव। अतः स्थानान्वितिरपि संस्कृतनाटकेषु मान्याऽस्ति। कार्यैक्यात्त्वितिस्तु संस्कृतनाटकेषु निर्विवादरूपेण मान्यैवास्ति।

इत्थं खलु निर्विवादरूपेणवक्तुं शक्यते यत्संस्कृतरंगमंचः अभूतपूर्ववैशिष्ट्यसम्पन्नोऽद्वितीयश्रेष्ठः सर्वातिशायी च प्रशंसनीयोऽस्ति।

सन्दर्भ

1. कार्यं शैलगुहाकारो द्विभूमिर्नाट्यमण्डपः। मन्दवातायनोपेतो निर्वातो धीरशब्दवान्।। नाट्यशास्त्र 2/58
2. स्तंभाना वाह्यतश्चापि सोपानाकृतिपीठकम्। इष्टकदारुभिः कार्यं प्रेक्षकाणां निवेशनम्।। हस्तप्रमाणैरुपसेधैः भूमिभागसमुत्थितैः। रंगपीठावलोक्यं तु कुर्यादासनजं विधिम्।। नाट्यशास्त्रस्य द्वितीय अध्याय

वेदों में आयुर्विज्ञान का विवेचन

योगेन्द्र कुमार सिंह*

वेद विश्व के महान विद्वानों द्वारा समादृत हैं, इनमें सदियों पूर्व से 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की पवित्र भावना मानव कल्याण का साधन बनकर उन्हें अनुप्राणित करती आयी है। आचार्य सायण के अनुसार "अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति तथा अनिष्ट के परित्याग के लिए अलौकिक उपाय जो ग्रन्थ बताता है, वह वेद है। वेदों में श्रेय एवं प्रेय दोनों मार्गों का विवेचन है। मनु ने इन्हें 'सर्वज्ञानमय' कहा है अर्थात् वेदों में सभी प्रकार का ज्ञान-विज्ञान निहित है— सर्वज्ञानमयो हि सः।

आयुर्वेद (आयुर्विज्ञान) को ऋग्वेद का उपवेद होने का गौरव प्राप्त है। वेदों में आयुर्विज्ञान सम्बन्धित अनेक मन्त्र विद्यमान हैं, अथर्ववेद को भिषग्वेद की संज्ञा से अभिहित किया गया है। वेदों में आयुर्विज्ञान का अस्तित्व आंतरिक प्रमाणों पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि ब्रह्म के द्वारा मानव सृष्टि प्रक्रिया के सूत्रपात होने से पूर्व ही विद्यमान था। महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि "आयुर्विज्ञान का सृजन ब्रह्म ने समस्त प्राणियों के सृजन से पूर्व किया था, जिसमें एक लाख श्लोक थे और उसे एक हजार अध्यायों में विभक्त किया गया था।"

ऋग्वेद में आयुर्विज्ञान के तथ्यों का सम्यक् विवेचन अनेकशः किया गया है जिसमें आयुर्विज्ञान का उद्देश्य, वैद्य के गुण-कर्म, विविध ओषधियों से लाभ, विविध चिकित्सा विधाएँ आदि हैं।

यजुर्वेद में भी दीर्घायुष्य, नीरोगता तथा अग्नि एवं जल के गुण-कर्म विवेचित है। सामवेद में सम्बन्धित विषयवस्तु का विवेचन अत्यन्त न्यून है, लेकिन अथर्ववेद में आयुर्विज्ञान के प्रायः समस्त अङ्गों-उपाङ्गों का विस्तृत वर्णन मिलता है। गोपथ ब्राह्मण में अथर्ववेद के मन्त्रों को आयुर्विज्ञान से सम्बद्ध बताया है और अथर्वा का अर्थ भेषज किया है। वेदों में मनुष्य को आरोग्य प्रदान करने वाली अनेक चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन मिलता है जिसमें 1. कायचिकित्सा (जठराग्नि), 2. ऊर्ध्वाङ्ग चिकित्सा इसे शालाक्य चिकित्सा भी माना जाता है जिसमें नाक, कान तथा गला आदि के रोगों का उपचार होता था, 3. शल्यचिकित्सा, 4. विषचिकित्सा (Toxicology) 5. वाजीकरण अथवा पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की सङ्ख्या बढ़ाने की पद्धति। इसी प्रकार आथर्वणी चिकित्सा, जिसमें मन्त्रों के द्वारा मनोरोगियों की तथा आङ्गिरसी चिकित्सा द्वारा विविध वनस्पतियों के ओषधीय रसों से उपचार की पद्धतियाँ अथर्ववेद में वर्णित हैं। वेदों में मनुष्य के शरीर के अनेक अङ्गों का नामकरण तथा उनके बीमारियों से ग्रसित होने तथा

उपचार का विधिवत् विवेचन अथर्ववेद में प्राप्त होता है। सभी रोगों का कारण है वात, पित्त और कफ का कोप अर्थात् अहित का सेवन।

सर्वेषाम् रोगाणां निदानं कुपिता मताः।

इसके अतिरिक्त वेदों में विष को समस्त रोगों का आदि कारण माना गया है और उसके शमन हेतु मधु आदि औषधियों का उल्लेख है। वेदों में रोगों के दो भेद माने गये हैं, कायिक और आगन्तुक। कायिक के लिए अमीव या अमीवा तथा आगन्तुक के लिए रक्षस् या यातुधान शब्द आया है।

विविध रोग एवं उपचार पद्धति—

ज्वर— ज्वर के लिए तक्मन् शब्द आया है, चरक ने इसे सभी रोगों में प्रधान माना है। यह वात, पित्त और कफ के दूषित होने से होता है। यह कम्पन-युक्त, खांसी-युक्त है—

शीतोऽथो रुः सह कासावेपथः।

इसके उपचार हेतु अग्नि, सोम तथा वरुण को मुख्य कारक माना गया है। इस त्रिविध कारकों से तात्पर्य है जठराग्नि, सोम ओषधि तथा स्वच्छ जल, इनके उपयोग से ज्वर नाश हो सकता है। इसी तरह राजयक्ष्मा रोग के उपचार हेतु यज्ञ का विधान है जिससे संस्कारित वायु फेफड़े के जीवाणुओं को मारकर आरोग्य देती है।

हरिमा, कामला या पाण्डुरोग इसे ऋग्वेद में 'हरिमन्' कहा गया है। इसके उपचार हेतु ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में सूर्य रश्मि चिकित्सा बताई गयी है, जिसमें रोगी को प्रातःकाल सूर्योदय के समय उसी दिशा में 15 मिनट बैठाने से यह ठीक हो जाता है। इसके अतिरिक्त लाल गाय का दूध भी पाण्डुरोग में लाभप्रद है—

गावो या उत्तरोहिणी।

वेदों में चर्मरोग सम्बन्धित अनेक उपायों का वर्णन है जिनमें कुष्ठरोग तथा उसका निदान प्रमुख है। अथर्ववेद में कुष्ठ चिकित्सा हेतु स्नेहपान (घी, तेल) से चिकित्सा, श्वेत कुष्ठ के लिए किलास एवं पलित शब्द मिलते हैं, जिन्हें आधुनिक आयुर्विज्ञान में (Leucoderma) या विटिलाङ्गो कहा गया है। इसके उपचार हेतु अथर्ववेद में नक्तम्, रामा, अस्कनी, ब्रह्मन् आदि औषधियों का वर्णन है। इसमें 'नक्तम्' को 'गुग्गुल' कहा जाता है।

अथर्ववेद में हृदय रोग को हृदद्योत या हृदयामय शब्द आया है। अथर्ववेद में जल चिकित्सा को सबसे उत्तम बताया गया है। इसी प्रकार रेचक (अजीर्ण) तथा अश्मरी (पथरी), प्रमेह (मधुमेह) जैसे रोगों का नाम तथा

निदान मिलता है। अथर्ववेद में प्रमेह के लिए पिप्पली, क्षिप्तभेषजी, साल आदि ओषधियाँ निर्दिष्ट हैं।

वेदों में सुख प्रसव तथा अनपत्यता (बांझ) रोग का निदान बताया गया है, जिसके लिए ऋषभक नामक ओषधि का वर्णन मिलता है जिससे अनपत्यता दूर हो जाती है। वेदों में शल्य चिकित्सा का वर्णन सबसे प्रधान विषय है। अश्विनी देवताओं के वैद्य हैं और उन्हें शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। इनके लिए मन्त्रों में दस्त्र और नासत्य शब्द आया है—

नासत्याः.....दस्त्रा भिषजौ।

इसी प्रकार रुद्र को ओषधियों का धारणकर्ता तथा श्रेष्ठ चिकित्सक कहा गया है—

भिषक्तमं त्वां भिषजां शृणोमि।

इसके अतिरिक्त वेदों में मानव की मानसिक स्थिति का सम्यक् संतुलन बनाए रखने के लिए विविध उपाय वर्णित हैं। शोक, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि जो अनेक संवेग हैं उनके विषमीकरण से मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं, जिन्हें चरक ने प्रज्ञापराध की संज्ञा दी है। यजुर्वेद के छः मन्त्रों में मन के शिवमय होने के लिए प्रार्थना की गयी है—

तन्न मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु।

जिससे मन के संवेग का नियन्त्रण होने पर बल दिया है, जो यह तथ्य स्पष्ट करता है कि यदि मन दूषित होता है तो तन भी दूषित (रुग्ण) होगा।

मनोबल में इतनी सामर्थ्य है कि वह बड़े-बड़े रोग को नष्ट करके नवजीवन देने की क्षमता रखता है। इसी पद्धति के आलोक में वर्तमान में 'स्वसङ्कल्प शक्ति' नामक चिकित्सा पद्धति का आविष्कार हुआ। मन की शक्ति से केवल हस्तस्पर्श द्वारा रोगी को आरोग्य प्रदान करने का वर्णन ऋग्वेद में हुआ है—

हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी।

अनामयित्नुभ्यां त्वा, ताभ्यां त्वोप स्पृशामसि।।

इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में जीवन प्रत्याशा की सङ्कल्पना का दर्शन वेदों में होता है जिसे हम दीर्घायुष्य कहते हैं। उसके विवर्धन हेतु कई उपाय वेदों में बताए गए हैं—

1. पर्वता ध्रुवाः— पर्वतों का आश्रय लेना अर्थात् स्वच्छ वायु का सेवन।
2. उद्यन् सूर्यो नुदतां मृत्युपाशान्— प्रातःकालीन सूर्य की किरणों को शरीर पर पड़ने देना जो अस्थि को दृढ़ करती है।
3. शुद्ध जल को भी दीर्घायुष्य प्रदान करने का सबसे प्रबल तत्त्व माना गया है। स्वच्छ जल अमृततुल्य है—
अप्सु अन्तरमृतम् अप्सु भेषजम्।

4. इनके अतिरिक्त अथर्ववेद में उग्रौषधि (दर्भ, कुशा) मणि के धारण करने से दीर्घायुष्य प्राप्त होने का वर्णन मिलता है।

वेदों की ऋचाओं में मनुष्य ही नहीं अपितु समस्त जीवों के कल्याण हेतु आयुर्विज्ञान के रूप में विविध उपचार वर्णित हैं जो इस तथ्य को स्पष्टतः पुष्ट करते हैं कि हमारा भेषज्य विज्ञान समावेशी तथा संपोषणीय था। पशुओं की चिकित्सा के रूप में 'सहदेवी' नामक ओषधि का परिचय अथर्ववेद में मिलता है, जिसके अन्य नाम हैं 'विश्वरूपा' तथा 'सुभगा' यह दुग्धवर्धिनी है। अश्व, गायों तथा अन्य पशुओं के रक्षक के रूप में अथर्ववेद में 'आञ्जन मणि' ओषधि का नाम प्राप्त होता है। अथर्ववेद में एक सूक्त पशु संरक्षण पर प्राप्त होता है। इसके छः मन्त्रों में उनमें होने वाले रोगों के कारण एवं निवारण दोनों प्राप्त होते हैं।

इसके अतिरिक्त गायों की चिकित्सकीय व्यवस्था हेतु अनेक ओषधियाँ निर्दिष्ट हैं जो 'सर्वे सन्तु निरामयाः।' की भावना को संपोषित करती है। वेदों में आरोग्य एवं आयुष्य प्रदान करने वाली अनेक ओषधियों, वनस्पतियों का नामोल्लेख मिलता है—

1. अपामार्ग— इसका वर्णन यजुर्वेद एवं अथर्ववेद में मिलता है, यह रोगनाशक है।
2. अभ्रिखाता— विषनाशक।
3. अरुन्धती— यह व्रणपूरक है, जीवलाम अरुन्धीय।
4. अर्क— यह मलकृमि नाशक है, सूजन दूर करता है।
5. अर्जुन— इसकी छाल का क्वाथ हृदयरोग एवं अश्मरी में सेव्य है— हरिता अर्जुन उत।
6. अस्किनी— अथर्ववेद में वर्णित है, यह श्वेत कुष्ठ में उपयोगी है— अस्किनी असि ओषधे नाशया पृषत्।
7. उर्वारुक— यह बलदायक तथा वीर्यवर्धक है। ऋक् यजुर्वेद में अनेकशः वर्णित है।
8. कुश— यह जल के तुल्य पवित्र है, यह मेधाजनक माना गया है। यह पथरी नाशक भी है।
9. अथर्ववेद में तुलसी का वृक्ष कितना लाभदायक है इसका वर्णन है—
सरुपकृत् त्वयोषधेसा, सरुपमिदं कृधि
श्यामा सरुपं करणी पृथित्या अत्यद्भुता।
इदम् सुप्रसाधय पुना, रूपाणि कल्पय।।
10. सोम (गिलोय सा ब्राह्मी) की प्रशंसा निम्न मन्त्रों में प्राप्त होती है—
शं राजन् ओषधीभ्यः।
आप्यायमानो अमृताय सोम।
यह अभिषव करने के उपरान्त 'दशपवित्र' छलनी से निष्पतित करके द्रोण कलश में सुरक्षित रखा जाता था जो कान्ति, ओज, बल, वीर्य प्रदान करता था।

11. खदिर— यह तीनों वेदों में वर्णित है। यह ओजवर्धक, खांसी, कृमि, प्रमेह, ज्वर, व्रण, श्वेतकुष्ठ, पाण्डुरोग में लाभदायक है।
12. जीवला— अथर्ववेद में वर्णित है। यह जीवन शक्ति देने वाली है।
13. तिल्वक— मैत्रायणी संहिता में वर्णित। यह रुधिर विकार, कुष्ठ, प्रमेह तथा कृमिनाशक है।
14. पिंपती— ऋग्वेद में इसे सर्प विष को नाश करने वाला बताया गया है।
15. बभ्रु— अथर्ववेद में वर्णित है। इसे ही सहस्त्रपर्णी (शङ्खपुष्पी) कहा गया है। इसके तीन भेद हैं— श्वेतपुष्पी, रक्तपुष्पी और नीलपुष्पी। इसे बुद्धिवर्धक, बलवर्धक और अग्निवर्धक (क्षुधावर्धक) कहा गया है— बभ्रु कल्याणि सं नुद।
16. नितली— यह केशवर्धक ओषधि है। इसका अपरनाम 'चुपुणीका' है। यह भूमि के भीतर दबी रहती है— नितलि केशेभ्यो दृंहणाय खनामसि।
17. माषपर्णी— इसे चित्रपर्णी भी कहा गया है। यह रक्तशोधक, गर्भपोषक, कुष्ठनाशक कहा गया है। अथर्ववेद में विस्तृत रूप से वर्णित है— गर्भादं कण्वं नाशय पृश्निपर्णी।
18. यवाष— यही जवासा नाम से अभिहित है— इसमें बहुत तीक्ष्ण काँटे होते हैं। इसको उबालने से एक द्रव्य निकलता है तथा पेड़ को उबालने से एक प्रकार की शर्करा निकलती है जो कफनिःसारक, ज्वरनाशक आदि है। काठकसंहिता में वर्णित है— तौ वृषश्च यवाषश्चाभवताम्। इन सब जीवनप्रद तथा रोगानुनाशक ओषधियों के अतिरिक्त अनेक जीवनोपयोगी ओषधियों का संस्त्व हमें वेदों में पुष्कल रूप से प्राप्त होता है। जिनमें आसुरी (नीली पौधा), तलाशा, जङ्गड़, वरणावती, हरिद्रा, लाक्षा, वचा आदि हैं। इस प्रकार वेदों में सहस्त्राधिक ओषधियों का वर्णन मिलता है। जो इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि हमारे आयुर्विज्ञान का ओषधीय क्षेत्र अत्यन्त ज्ञानसम्पन्न तथा सर्वसुलभ था।

इस प्रकार आयुर्विज्ञान प्रागैतिहासिक मानकों से भी प्राचीन संस्करण में होते हुए भी तत्समय की समीचीनता सतत् रूप से अक्षुण्ण बनी हुई है। इसलिए आयुर्विज्ञान की महत्ता इसके विविध चिकित्सकीय उपचार पद्धति, प्राकृतिक तत्त्वों जिन्हें आर्यजन देवों के रूप में मानते थे उनसे भी आरोग्य की प्रार्थना तथा अनेकानेक ओषधियों से बनी हुई है। जिन प्रतिमानों पर सुश्रुत एवं चरक ने आधुनिक समाज को भैषज्य वर दिया वह वैदिक युगीन ऋषियों की दिव्य एवं दूरदृष्टा सोच का सुफल है। वेदों में दृष्ट, अदृष्ट, आकृतिभेद से जिन जीवाणुओं एवं विषाणुओं पर आज हमारा विज्ञान जगत मंथन कर रहा

है। उनका सूक्ष्म विवेचन मन्त्र दृष्टाओं ने तत्समय कर लिया था। जैसे— भोजन और जल के माध्यम से अनेक हानिकारक कृमि मनुष्य के उदर में प्रवेश करके विभिन्न अङ्गों को रोग्रस्त कर देते हैं—

अन्वान्त्र्यं शीर्षण्यमथो पाष्ट्यं क्रिमीन्।

अवस्कवं व्यवध्वरं क्रिमीन् वचसा जम्भयामसि।।

समस्त बिन्दुओं पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार विमर्श करने पर यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि वेद आध्यात्मिक ही नहीं आयुर्वैज्ञानिक तथ्यों से परिपूर्ण हैं।

संदर्भ सूची

1. तैत्तिरीय संहिता : भाष्य की भूमिका
2. मनुस्मृति, 2.7
3. बलदेव उपाध्याय : आयुर्वेद खण्ड—17
4. कपिलदेव द्विवेदी : वेदों में आयुर्वेद
5. अष्टाङ्ग निदान, 1.12
6. अथर्ववेद, 5.22.10
7. तदेव, 9.22.3
8. कपिलदेव द्विवेदी : वेदों में आयुर्वेद
9. ऋग्वेद, 1.116.16
10. तदेव, 2.33.4
13. तदेव, 10.137.7
14. अथर्ववेद, 1.4.4
15. तदेव, 3.39.1 से 3.39.6
16. अथर्ववेद पैप्लाद शाखा
17. तदेव, 8.7.6
18. तदेव, 4.37.5तदेव, 9.23.3
19. कुशीभिः, मैत्रायणी, 4.5.7
20. अथर्ववेद, 1.74
21. ऋग्वेद, 9.9.3
22. तदेव, 1.91.18
23. डॉ० रामेश्वर दयाल गुप्त : वैदिक वाङ्मय में
24. विज्ञान
25. ऋग्वेद, 3.53.19
26. पिंपती, 1.191.2
27. अथर्ववेद, 6.139.3
28. तदेव, 6.136.1
29. तदेव, 2.25.1
30. काठक संहिता, 30.1
31. ओमप्रकाश पाण्डेय : वैदिक संस्कृति के मूलतत्त्व
32. अथर्ववेद, 2.39.

प्राथमिक शिक्षा की समस्याएँ—उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के विशेष सन्दर्भ में

डॉ० अनिल कुमार पाण्डेय*

जगत के अन्य जीवों से मानव की श्रेष्ठता का रहस्य विवेकपूर्ण ढंग से सीखने में संनिहित है। यही कारण हैं कि प्रारम्भ से ही मानव सीखने की कला को सुव्यवस्थित करने का प्रयास करता रहा है। साथ ही सीखने और सिखाने को प्रारम्भिक समाज निर्माण के साथ ही श्रेष्ठ व सम्मानजनक स्थान दिया जाने लगा। वर्तमान विश्व में लगभग सभी राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रारम्भिक स्तर की औपचारिक शिक्षा देने के लिए कम से कम पर दृढ़ संकल्पित हो गये हैं। विभेदकारी आयामों पर बिना ध्यान दिए जन सामान्य को प्रारम्भिक शिक्षा मुहैया कराना सभी सरकारों की आवश्यकता एवं दायित्व हो गया है और जहाँ भी संसाधनों के अभाव के कारण इस पुनीत लक्ष्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है वहाँ पर विश्व के सभी मानवतावादी चिन्तक व्यक्ति एवं राष्ट्र तुरन्त ही सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यूनिसेफ जैसा सशक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसका प्रमाण है।

भारत जैसा सांस्कृतिक राष्ट्र अपने उद्भव से ही ज्ञान केन्द्रित समाज के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्पित रहा है। ज्ञानार्जन, चिन्तन, मनन एवं उसके विस्तार के लिए समाज का एक विशेष वर्ग ही इसे अपना दायित्व स्वीकार कर लिया था। प्राचीन समृद्ध वांगमय इसके प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। विश्व उस काल में जहाँ समाजीकरण के प्रारम्भिक दशा में था वहीं पर भारत समृद्धतम् साहित्य (वेदों एवं पुराणों) की रचना कर चुका था। अनेकानेक परिस्थितिजन्य विषमताओं के बावजूद प्रत्येक आक्रमणकारी आक्रांताओं ने यह स्वीकार किया कि भारत में ज्ञानार्जन के केन्द्रों (विद्यालयों) की जड़े इतनी गहरी हैं कि इन्हें बदले बिना शक्ति के प्रयोग एवं आघातों से भारत को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इस श्रेष्ठ परम्परा को स्वतंत्रता के पश्चात भी राष्ट्रीय नेतृत्व अक्षुण्ण बनाये रखा और सदैव विभिन्न रीतियों एवं नीतियों से प्रयास करता रहा है कि मानव को संसाधनों को विकसित करने के लिए श्रेष्ठता प्रदान करने का प्रयासरत् रहा है। इस कड़ी में संविधान निर्माण में ही अनुच्छेद -45 के द्वारा शिक्षित करने का प्रावधान कर दिया गया। संवैधानिक प्रावधान एवं समय-समय पर किए गये अनेकानेक प्रयासों के बावजूद भी हम आज तक सबको शिक्षित करने के प्रथम चरण, 'साक्षर' बनाने का संकल्प जिसे दस वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य था उसे अब तक पूरा नहीं कर सके। संवैधानिक

प्रावधान, राजकीय प्रयास, जनसहभागिता, भारी भरकम राजकीय निवेश के बाद भी प्रस्तुत लक्ष्य की सम्प्राप्ति इस स्वतंत्रयोत्तर दीर्घावधि में अब तक पूरा नहीं हो सका। जो उपलब्धियां हैं वे भी उसमें क्रमशः सम्पन्न होते गए वर्ग की शिक्षा के प्रति सकारात्मक आस्था और निजी विद्यालयों की उपलब्धता महत्वपूर्ण प्रभावी कारक रहे। वर्तमान में एक ओर नगरीय व अपेक्षया सम्पन्न वर्ग में अशिक्षा की स्थिति न्यूनतम स्तर पर पहुंच गयी है य वहीं दूसरी ओर ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्र में जहाँ विकास का प्रकाश न्यूनतम स्तर पर पहुंच पाया है वहाँ पर शैक्षिक रोशनी का भी अभाव दृष्टिगत होता है। गरीबी एवं भुगतान की अपर्याप्त क्षमता के कारण शिक्षा का उजियारा पहुंचाने का मुख्य साधन सरकार द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालय ही रह गए हैं। निम्नलिखित आंकड़ों पर ध्यान दिया जाय तो विद्यार्थियों की दशा स्वतः स्पष्ट हो जाती है प्रस्तुत न्यादर्श से वर्तमान स्थिति का पता चलता है बावजूद इसके अबतक सबको शिक्षित करने का न्यूनतम लक्ष्य अभी भी दूर की कौड़ी बना हुआ है। अंगारित सारणी द्वारा विद्यार्थियों के अवबोध के स्तर का प्रतिशतवार विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है

कक्षा	भाषा (लिखना-पढ़ना)		गणित	विज्ञान
	हिन्दी	अंग्रेजी		
			जोड़, घटाना, गुणा की जानकारी	प्रारम्भिक ज्ञान
तीन	25	06	17	14
पाँच	53	22	32	37
आठ	68	33	43	46

प्रस्तुत आंकड़े लखनऊ जनपद के मोहनलालगंज, माल एवं बक्शी के तालाब उपखण्ड के इक्कीस (21) विद्यालयों में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर हैं। उक्त सारणी के अवलोकन से प्राथमिक शिक्षा की यथास्थिति का आभास हो जा रहा है।

	Revenue Expenditure on Govt. Primary and Upper Primary School.	Revenue Expenditure on Govt. Primary and & upper secondary School.	Revenue Expenditure on pension of Govt. Elementary Teachers	Total Revenue Expenditure On Govt. Elementary Teachers	No. of students in class 01-08 in Govt. Elementary and Secondary School	Annual per pupil expenditure	Monthly per pupil expenditure	Revised calculation of per pupil expenditure in UP Govt. elementary school after correcting enrolment No.		
								No. of student in class 01-08 in Govt. Elementary and Secondary School	Annual per pupil expenditure	Monthly per pupil expenditure
2013-14	18622	597	3382	22601	17712153	12760	1063	14523965	15561	1297
2014-15	24272	514	4020	28806	16844258	17101	1425	13812292	20855	1738
2015-16	31758	604	4500	36862	16018889	23012	1918	13135489	28063	2340

- Govt. per pupil expenditure in Uttar Pradesh Implication for reimbursement of Private school under RTE Act. (November 2015)
- Professor GeetaKington , UCL Institute of Education University College London
- Professor Mohd. Muzammil , VC Agra University

उक्त सारणी से यह भी स्पष्ट हो जा रहा है कि शिक्षा प्राप्ति का लक्ष्य मात्र भारी निवेश से ही पूरा नहीं किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षक एवं समाज एवं प्रशासन सभी को सही सन्दर्भों में ठीक से प्रयास करना होगा। शिक्षकों की गुणवत्ता, दायित्व बोध, शिक्षण अभिरुचि, ज्ञान, सम्प्रेषणीयता, निरपेक्ष चिन्तन, मानवीय एवं राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्था, नैतिकता जैसे मौलिक गुणों को भी ध्यान में रखकर नियुक्ति किया जाय। समय-समय पर इनका उक्त सन्दर्भों में धरातलीय मूल्यांकन अत्यन्त आवश्यक ही नहीं अपितु अपरिहार्य हो गया है। उ०प्र० सरकार द्वारा परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए तात्कालिक सरकार द्वारा अस्थायी शिक्षकों की व्यवस्था के रूप में "शिक्षा मित्रों" का चयन किया गया। इस नियुक्ति में

शिक्षक पात्रता को पूर्णतः नजरन्दाज किया गया जो वर्तमान में ऐन-केन प्रकारेण या तो पूर्णकालिक शिक्षक बन गए हैं या बनने की प्रक्रिया में है। ऐसे शिक्षकों में गुणवत्ता के अभाव के फलस्वरूप इन्हें "शिक्षा मित्र" नहीं अपितु 'शिक्षा-शत्रु' ही कहा जाना उचित होगा। ऐसे शिक्षक अपने जीवन काल में औसतन दो हजार विद्यार्थियों को या तो शिक्षा से वंचित कर देते हैं या उनमें शिक्षा के प्रति विकर्षण उत्पन्न कर दे रहे हैं। भारत की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था (उच्चतम् –न्यायालय) भी इनके शिक्षक होने की पात्रता एवं इनके दुष्गामी प्रभावों की ओर कई बार इंगित कर चुकी है।

अयोग्यता, पलायनवादिता, अकर्मण्यता, दायित्वहीनता जैसे कारक कुचक्र, ईर्ष्या एवं द्वेष की जननी होती है। फलतः ऐसा व्यक्ति न ही कार्यो के

निर्वहन में रुचि लेता है और न ही राष्ट्रीय विकास में सहयोग दे पाता है जिससे प्रारम्भ में व्यक्ति का और अन्ततः समाज व राष्ट्र की अपूर्णीय क्षति होती है। साथ ही एक नकारात्मक कार्य – संस्कृति का भी विकास हो जाता है जो क्रमशः राष्ट्र से जनकल्याण का आधार बनाकर संख्या बल के आधार पर अनैतिक मांग करने लगते हैं, (विशेषरूप से प्रजातांत्रिक राष्ट्रों में)।

स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क सम्भव है इस अवधारणा को मार्गदर्शक सिद्धान्त स्वीकार कर मध्याह्न भोजन जैसी खर्चीली योजना भारत सरकार द्वारा अपनायी गयी। इस प्रलोभनकारी योजना का प्रभाव भी नकारात्मक ही रहा, यह भी एक स्थापित सत्य है। विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों खाने-खिलाने को ही नौकरी और दायित्व समझ लिए हैं फलतः शिक्षण एक गौण कार्य हो गया है। ऐसी दशा में यह अमनोवैज्ञानिक प्रलोभनकारी

विनिवेश न तो शिक्षा के लक्ष्य को पूरा कर पा रहा है और न ही पोषण के।

अभिभावकों का शिक्षा के प्रति सही सन्दर्भों में जागरूक न होना, शिक्षा के धरातलीय महत्त्व को न जानना, गरीबी, बेराजगारी, कई बच्चों का होना जैसे अनेक वैयक्तिक कारणों के अतिरिक्त सामाजिक सम्मान, सरकार के प्रति अनास्तिक होना, शिक्षा से रोजगार न प्राप्त करने की भग्नाशा (विशेषकर इस्लाम के अनुयायियों में) जैसे अनेकानेक समस्याएं हैं जिन पर गहन, चिन्तन, मनन एवं अवलोकन की आवश्यकता है एवं तदजन्य परिणामों के सापेक्ष नीतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन उपयुक्त होगा। दृढ राजनैतिक इच्छा शक्ति से किए गए उपरोक्त सन्दर्भों के आलोक में प्रयास कदाचित हमें प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं से निजात दिला पाएंगे।

इंटरनेट उपयोगकर्ताओं एवं इंटरनेट अनुपयोगकर्ताओं के मध्य अकेलापन का अध्ययन

हर्षिका जायसवाल*

आमुख

प्रस्तुत शोध पत्र में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं एवं इंटरनेट अनुपयोगकर्ताओं के मध्य अकेलापन का अध्ययन किया गया है। वर्तमान समय में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की तेजी से वृद्धि के होने के कारण इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के अकेलापन की जाँच महसूस की गयी तथा प्रयोग में सार्थक अन्तर प्राप्त हो इसलिए इंटरनेट अनुपयोगकर्ताओं को भी शामिल किया गया। प्रस्तुत शोध कार्य का उद्देश्य इंटरनेट उपयोगकर्ताओं एवं अनुपयोगकर्ताओं के मध्य अकेलापन के स्तर की जाँच करना था। इस शोध कार्य हेतु इंटरनेट उपयोगकर्ताओं एवं इंटरनेट अनुपयोगकर्ताओं के दो समूहों का चयन किया गया जिसमें देव संस्कृति विश्वविद्यालय के 30-30 विद्यार्थियों का चयन दो समूहों में किया गया। जिनकी आयु 17-25 वर्ष के मध्य रखी गयी। इन सभी प्रयोज्यों का चयन आकस्मिक प्रतिचयन विधि द्वारा किया गया। दोनों समूहों के अकेलापन के स्तर की जाँच के लिए प्रवीन कुमार झाँ द्वारा प्रतिपादित अकेलापन की मापनी का प्रयोग किया गया। प्राप्त आंकड़ों की सांख्यिकीय व्याख्या हेतु टी टेस्ट का प्रयोग किया गया। सांख्यिकीय विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं एवं इंटरनेट अनुपयोगकर्ताओं के सार्थक अंतर है। यह सार्थक अंतर 0.05 स्तर प्राप्त हुआ। प्रस्तुत परिणामों से यह कहा जा सकता है कि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का अकेलापन का स्तर अधिक तथा इंटरनेट अनुपयोगकर्ताओं का अकेलापन का स्तर अपेक्षकृत कम है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के अकेलापन के स्तर को बढ़ाने वाले अनेक कारक हैं जो छात्र छात्राओं को समय समय पर प्रभावित करते रहते हैं।

शब्द कुंजी – इंटरनेट, अकेलापन

प्रस्तावना

विश्व-वसुधा पर मानव जाति के जन्म से लेकर वर्तमान अभियंत्रिकी कम्प्यूटर एवं इंटरनेट के युग में पहुँचने का विकास क्रम एक लम्बी श्रृंखला है। प्रारम्भ में मानव की आवश्यकताएँ न्यून थीं, वह अल्प साधनों में ही जीता था, उसकी सोच का दायरा सीमित व संकीर्ण था। इंटरनेट उपयोग करने वाले एवं इंटरनेट उपयोग नहीं करने वाले 17 से 25 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों के मध्य अकेलापन के स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। वर्तमान में देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं की

संख्या 10 करोड़ से भी अधिक हो गयी है। इंटरनेट, फेसबुक, कम्प्यूटर अन्य सामाजिक नेटवर्किंग साइटों ने लोगों के प्रति समाज में सामाजिक स्थिति को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। जिसके द्वारा हम नई-नई जानकारीयों आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हम दूर-दूर तक अपना सम्पर्क आसानी से स्थापित कर सकते हैं। इनके द्वारा विभिन्न विषयों की जानकारी कम समय में आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इन सभी गैजेट्स के अन्धाधुन्ध प्रयोग एवं वैज्ञानिकता की अंधी दौड़ ने व्यक्तियों की जीवन शैली और मानसिकता को इतना प्रभावित कर दिया है कि व्यक्ति, परिवार, समाज सभी इतने व्यस्त हो गये हैं कि वो दोस्तों, परिवार, बच्चों के लिए तो क्या वो स्वयं के लिए भी समय नहीं निकाल पाते। जिससे व्यक्ति समाज एवं परिवार का पूरा प्यार व सहयोग नहीं प्राप्त कर पाते वो अपनी बातों इच्छाओं और भावनाओं को किसी से नहीं बता पाते उन्हें लगता है उन्हें कोई समझता नहीं है न ही कोई समझ सकता है। इसलिए वो स्वयं को परिवार समाज व दोस्तों से स्वयमेव अलग कर लेते हैं परन्तु यह अकेलापन अन्धकार की तरह खाये जाता है। इस अकेलेपन के अन्धकार से बचने के लिए वो कई तरीके अपनाते हैं, जिसमें से इंटरनेट का उपयोग तथा सामाजिक साइटों का उपयोग अधिक बढ़ता जा रहा है। जिससे वो अपना अकेलापन दूर कर पाने में स्वयं को सक्षम पाते हैं। जब तक वो इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, तब तक उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि वो अकेले नहीं वो अपनी बातों को स्वतंत्र रूप से कह पाते हैं। जिससे उनका अकेलापन दूर होता है।

इंटरनेट

इंटरनेट कम्प्यूटर को जोड़ने की एक वैश्विक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जानकारीयों का हस्तांतरण होता है। इंटरनेट की शुरुआत 1960 के दशक में अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा की गयी। इसकी शुरुआत मुख्य रूप से सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गयी थी। तब से इंटरनेट ने प्रौद्योगिकी में निरंतर सुधार के लिए एक असाधारण स्तर प्रदान किया है। इसने संचार के कई रूपों की विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत की है, जिसके माध्यम से सार्वजनिक रूप से सम्पर्क स्थापित करते में सहायता मिलती है। इंटरनेट के माध्यम से ईमेल का स्थानान्तरण, डाटा भंडारण और हस्तांतरण, सामाजिक वेबसाइटों का प्रयोग, फेसबुक, ट्विटर आदि सामाजिक साइटों के माध्यम से संदेशों एवं सूचनाओं का स्थानान्तरण सम्भव हो

*शोध छात्रा. मनोविज्ञान विभाग देव संस्कृति विश्वविद्यालय. हरिद्वार

सकता है। कंप्यूटर का विकास और विस्तार प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर के माध्यम से हुआ। पोर्टेबल कंप्यूटर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आ जाने से इंटरनेट के उपयोग में अधिक वृद्धि रही है। इंटरनेट उपयोग के अनेक लाभ व अनेक हानियाँ भी हैं जो विद्यार्थियों विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती हैं।

अकेलापन

अकेलेपन का अर्थ है, अपने आप को पूर्णतः अकेला महसूस करना, बिना किसी स्पष्ट कारण के अत्यंत भयभीत होना। जिस क्षण हमारा मन महसूस करता है कि उसका कोई आसरा नहीं है। उसकी रिक्तता को भरने के लिए कोई भी भुलावा समर्थ नहीं है तब वह भयंकर डरा हुआ महसूस करता है— यही अकेलापन है। हम अकेले रहने से भयभीत होते हैं हम स्वयं से डरते हैं क्योंकि अकेलेपन में हमें अपनी कमियाँ दिखायी देती हैं, नकारात्मक पक्षों को ही व्यक्ति ध्यान दे पाता है। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए आज विश्व में मनोरंजन और दिल बहलाने के इतने साधन हो गये हैं कि लगभग प्रत्येक व्यक्ति दर्शक बन गया है और खिलाड़ी भी बहुत कम। जब भी व्यक्ति को थोड़ी सी भी फुरसत मिलती है वह कोई न कोई मनोरंजन की खोज करने लगता है। यदि हम अमेरिका में हैं तो रेडियो या टेलीविजन की ओर मुड़ते हैं या फिर अपने आप को कभी न समाप्त होने वाली मनोरंजन में डुबो देते हैं। हम सतत मनोरंजन व भुलावे की अभिलाषा किया करते हैं ताकि हम अपने आप से दूर भाग सकें।

शोध अभिकल्प : प्रस्तुत लघु शोध में Between group Design में Comperative - Research Design का प्रयोग किया गया है।

प्रतिचयन विधि : प्रस्तुत लघु शोध में प्रयोज्यों के चयन के लिये आकस्मिक प्रतिचयन विधि द्वारा 60 प्रयोज्यों का चयन किया गया तत्पश्चात यादृच्छिक ढंग से 30-30 प्रयोज्यों का समूह लिया गया, जिसमें से 15-15 छात्रायेँ तथा 15-15 छात्र प्रत्येक समूह में रखे गयेँ। इसके अन्तर्गत हरिद्वार जिले के देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का चयन आयु, लिंग के आधार पर किया गया। जिसके अन्तर्गत प्रयोज्य के समावेश हेतु निम्न कसौटियाँ अपनायी गयी है।

- प्रयोज्यों की उम्र 17- 25 वर्ष ही होनी चाहिये। प्रयोज्यों की शिक्षा का न्यूनतम स्तर स्नातक हो ।
- 30 ऐसे प्रयोज्य जो प्रतिदिन 4-5 घण्टे इंटरनेट उपयोग करते हैं।
- 30 ऐसे प्रयोज्य जो इंटरनेट उपयोग नहीं करते हैं।

- प्रयोज्य शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो।

आकड़ा संग्रहण प्रक्रिया : अकेलापन तथा इंटरनेट से सम्बन्धित आँकड़ों के संग्रहण हेतु हरिद्वार जिले के देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को अध्ययन में शामिल किया गया। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं तथा इंटरनेट अनुपयोगकर्ताओं से प्रवीन कुमार झाँ द्वारा निर्मित "अकेलापन मापनी" प्रश्नावली भरवा कर परिक्षण किया गया।

Discription of statics	Internet Users	Internet Non-Users
Mean	85-66	74-44
SD	15-47	11-21
N	30	30
S _{ED}	3-49	
Df	58	
t- stat	3-26	
Significant Level	0.05	

अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण : उपकरण वह साधन होते हैं। जिनके माध्यम से हम किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। इस लघु शोध में अकेलापन का मापन करने के लिए अकेलापन मापनी का प्रयोग किया गया है। इसका निर्माण कैलेफोर्नीया विश्वविद्यालय में रुसेल तथा पीपलउ द्वारा 1980 में किया गया। इस प्रश्नावली का हिन्दी में प्रतिपादन प्रवीन कुमार झाँ ने किया जिसमें कुल 36 ए कांश हैं। इसमें 8 नकारात्मक ए कांश हैं तथा 28 सकारात्मक ए कांश हैं।

सांख्यिकी विश्लेषण : प्रस्तुत शोध अध्ययन में परिकल्पनाओं के जाँच हेतु टी परीक्षण का प्रयोग किया गया है। टी टेस्ट के प्रयोग से प्राप्त परिणाम इस प्रकार हैं—

विवेचन : प्रस्तुत शोध अध्ययन में इंटरनेट का विद्यार्थियों के अकेलापन के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों की जाँच हेतु विद्यार्थियों के 17-25 वर्ष उम्र समूहों के 2 समूह विनिर्मित किये गयेँ। तदानुरूप परिकल्पनाओं का निर्माण कर उपयुक्त सांख्यिकीय प्रविधि के अन्तर्गत प्रचलित कई प्रकार के टेस्ट में से एक प्रकार टी-टेस्ट का प्रयोग कर प्राप्त आकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया।

प्रयोग के प्राप्त परिणाम से ज्ञात हुआ कि इन्टरनेट उपयोगकर्ताओं का मध्यमान 85.66 तथा मानक विचलन 15.47 प्राप्त हुआ एवं सामान्य विद्यार्थियों का मध्यमान 74.44 तथा मानक विचलन 11.21 प्राप्त हुआ। परिणाम से स्पष्ट पता चलता है कि इन्टरनेट उपयोगकर्ताओं का अकेलापन का स्तर बढ़ा हुआ है। तथा सामान्य विद्यार्थियों का अकेलापन का स्तर इसने कम हैं। इसकी सार्थकता को स्पष्ट करने के लिए सांख्यिकी तकनीक में टी टेस्ट का प्रयोग किया गया है। टी टेस्ट की सार्थकता 0.05 से भी अधिक है। अतः यह स्पष्ट होता है कि इन्टरनेट उपयोगकर्ताओं का अकेलापन का स्तर सामान्य विद्यार्थियों की अपेक्षा बढ़ा हुआ है।

निष्कर्ष: निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रस्तुत लघु शोध कार्य में इन्टरनेट उपयोगकर्ताओं तथा सामान्य विद्यार्थियों के अकेलापन के स्तर की जाँच में उपयोगी रहा है। इसमें 17 से 25 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है। आकस्मिक प्रतिचयन विधि द्वारा प्रयोज्यों का चयन किया गया, जिसमें प्रवीन ज्ञा. द्वारा निर्मित अकेलापन मापनी का प्रयोग किया गया है। प्राप्त आकड़ों का विश्लेषण 'टी-टेस्ट' विधि से किया गया है। जिसमें प्राप्त परिणामों के आधार पर समस्याओं को प्रदर्शित किया गया है। इन समस्याओं को देखते हुये हम उन्हें इन्टरनेट का उपयोग ठीक प्रकार से करना बता सकते हैं तथा उनके अकेलापन के स्तर को कम करने की विधियों की व्याख्या भी कर सकते हैं।

सन्दर्भ सूची :

1. Babor, T.F. & Kadden, R., (1995). Sireening for aleohal problem & other abuse. National Institute of Alcohol and other Drugs a research Monograph, 17 DHH S Pub. No. 14, 115-125.
2. Katz, J.E. and Aspends, P. (1996 October) Motivations foor and barriers to Internet useage-Result of national public online survey. Paper presented to the 24 Anual technologies.
3. Psychological Analysis of students Network Communication Journal of Anhu Univfrsity of technology (2010-14)
4. Baek, J. S. (2000). The effect of a reality therapy group counseling program on the internet addiction level, internal-external control, self-efficacy and psychological well-being internet addicted high school students. Unpublished master's thesis, Daegu: The Graduate School of Keimyung University.
5. Coopersmith, S. A. (1981). Self-esteem inventories. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press. Corey, G. (1981). Loneliness, and Self Concept and adjustment, Journal of Psychology, 107(237-240).
6. Glasser, W. (1985). Choice Theory: Control theory: A new explanation of how we control our lives. New York:
7. Goldberg, I. (1996). Internet addiction: Electric message postedto research discussion list. Retrieved Jan 6, 2005: www.rider.edu/users/sulert/psychber/supportgp.htm
8. अग्रवाल, आर. एवं गुप्ता, एस. पी. (2007) शिक्षा के आधार, मोती लाल बनारसीदास प्रकाशन दिल्ली।
9. अब्दुल कलाम, ए.पी.जे. (2007) मेरे सपनो का भारत। प्रभात पेपर बैक्स, प्रकाश प्रकाशन, आफसेट अली रोड, नई दिल्ली, 11002।
10. आचार्य, पं० श्री राम शर्मा (1947), आत्मविश्वास से महानता प्राप्त होती है। अखण्ड ज्योती, जन जागरण प्रेस, मथुरा अप्रैल 1947.1।
11. आचार्य, पं० श्री राम शर्मा (1983), गायत्री महाविज्ञान, अखण्ड ज्योति संस्थान, मथुरा।
12. आत्रेय, एस. पी. (1965), योग मनोविज्ञान, दी इण्टरनेशनल स्टैंडर्ड पब्लिकेशन वाराणसी –21।
13. शर्मा. आर. एस. (1947), भारतीय मनोविज्ञान, अनुप्रकाशक, मेरठ।
14. शुक्ला, ए. (1997), व्यक्तित्व: संप्रत्यय निर्धारक एवं सिद्धान्त, राधा पब्लिकेशन, दरियागंज, नई दिल्ली 11002।
15. शुक्ला, ओ.पी. (2006), शिक्षा मनोविज्ञान, भारत बुक सेन्टर, 17, अशोक मार्ग, लखनऊ।
16. सिंह, ए. के. (1996), उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान, मोतीलाल बनारसी दास प्रकाशन, दिल्ली।

शिक्षा अपने आप में समाज को विकसित करने की क्षमता रखती है।

भारत में स्त्री शिक्षा की शुरुआत

प्राचीन काल के विषय में यदि बात की जाये तो स्त्री व पुरुष कि शिक्षा में भिन्नता पायी जाती थी। स्त्रियों को विशेष रूप से ललित कला, संगीत व नृत्य आदि की शिक्षा दी जाती थी। कात्यायन जैसे व्याकरणविदों का कहना है कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी। उस काल में भी स्त्री को पुरुष के समान सभी अधिकार प्राप्त थे। स्त्री को भी पुरुषों के समान ही दर्जा प्राप्त था। परन्तु 500 ईसा पूर्व स्त्रियों की दशा में गिरावट प्रारम्भ हुई। मुगल काल में इस्लामी आक्रमण ने स्त्री की स्वतंत्रता एवं अधिकारों को सीमित कर दिया। शिक्षा के अभाव में स्त्रियां अपनी भावनाओं, गुणों एवं कुशलताओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाती थी। उनका जीवन घर की चहारदीवारियों के अंदर बंद रह जाता था। इन सबके बाद भी स्त्रियों ने शिक्षा, साहित्य एवं धर्म के क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त की थी, जिसमें राजकुमारी जहाँआरा, गुलबदन बेगम व जेबुन्निसाँ का नाम है, जो उस समय कि सुप्रसिद्ध लेखिका थी। राजा राममोहन राय जी ने उस समय में फैली कुरीतियों, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा को दूर करने का अथक प्रयास किया। जिसके कारण स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की प्रेरणा से बंगाल में कई स्कूल लड़कियों के लिए खोले गये। 1982 के भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार भारत सरकार की ओर से महिला शिक्षक प्रशिक्षण का प्रावधान हुआ। आयोग के द्वारा स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में अनेकों उत्साहवर्धक सुझाव प्रस्तुत किये। परन्तु किसी कारणवश कार्यान्वित नहीं हो सके। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक भारत में स्त्री शिक्षा के लिए 12 उच्च शिक्षा के कॉलेज व 467 माध्यमिक विद्यालय और 5628 प्राईमरी विद्यालय थे। सम्पूर्ण भारत में छात्राओं की संख्या 4,44,470 थी। शताब्दी के अन्त तक शनै-शनै स्त्री उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो रही थी। किन्तु मुस्लिम छात्राओं का अभाव था। 20वीं शताब्दी उच्च शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। डी०के०कर्वे द्वारा सन् 1916 मे प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी थी। कर्वे जी ने इस बात का अनुभव किया कि स्त्री व पुरुष की शिक्षा उनके आदर्शों के अनुकूल होनी चाहिए। इसी वर्ष दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई।

1946-47 में प्राईमरी स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय, प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा तक की कक्षाओं में अध्ययन करने वाली में छात्राओं की कुल संख्या 41,56,742 हो गयी थी। 1947-48 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में

कहा था कि स्त्री प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान समानता प्रदर्शित कर चुकी है जिस कारण नारी आदर्श के अनुकूल प्रथक रूप से शिक्षा पर विचार करना महत्वपूर्ण है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 10 वर्षों के पश्चात् 87,67,912 कुल छात्राओं की संख्या थी। 19 मई 1958 को स्त्री शिक्षा की समस्या पर विचार करने हेतु एक राष्ट्रीय समिति नियुक्त हुई। जिसमें इनकी समस्याओं पर बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करने के पश्चात् स्त्री के लिए उपयुक्त सूची सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की गयी थी। ब्रिटिश शासन काल के समय स्त्री शिक्षा का प्रतिशत केवल 2-6 था। 1961 में यह प्रतिशत बढ़कर 15.3 हो गया था। 1981 में यह प्रतिशत 28 आंका गया था। 2001 में 50 प्रतिशत स्त्री शिक्षा की ओर अग्रसर थी। 2011 में 65.46 स्त्री शिक्षा में आ चुकी थी। 2014 में केरल स्त्री शिक्षा में सबसे आगे है। वहाँ पर सबसे अधिक 86 प्रतिशत स्त्री शिक्षित थी। सबसे कम स्त्री साक्षरता दर उत्तरप्रदेश व बिहार राज्य में है। इससे कम साक्षरता का प्रतिशत राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में 12 प्रतिशत है। वर्तमान में भारत में स्त्री साक्षरता दर का प्रतिशत 70.3 है लेकिन वहीं पर जनसंचार के माध्यमों में सोशल मीडिया के उपयोग में इनका प्रतिशत 33.0 है। डिजिटल क्रांति आने के बाद भी महिलाओं का जनसंचार के माध्यमों का कम उपयोग करना उनकी समस्याओं को दर्शाता है। सरकार द्वारा समय-समय पर स्त्री शिक्षा सम्बन्धित कार्य करने के पश्चात् भी स्त्री शिक्षा पूरी तरह से विकसित नहीं हो पा रही है। आज भी कुछ परिवारों की स्त्रियां अशिक्षा की जकड़ में है विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में उन्हें जनसंचार के माध्यमों से दूर रखा जाता है। स्त्री शिक्षा की समस्या आज भी समाज में बहुआयामी रूप में व्याप्त है।

स्त्री शिक्षा की आवश्यकता

पूर्व काल से ही विभिन्न विद्वानों के द्वारा स्त्री शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है जैसा कि स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा था कि जब तक हम स्त्री को शिक्षित नहीं करते है, तब तक समाज को शिक्षित नहीं कर सकते है और जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का विकास सम्भव नहीं होगा। वे पूर्ण रूप से स्त्री शिक्षा के पक्ष में थे। वे अपने देश की स्त्री की दयनीय दशा के प्रति बड़े सचेत थे। उसी प्रकार स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में राजा राममोहन राय के समय में स्त्रियों की दशा बड़ी शोचनीय थी। उनके समय में अनेकों कुरीतियाँ समाज में फैली थी। जिन्होंने स्त्री को नरक में डाल दिया था। उन्होंने स्त्रियों के अग्रणी अधिकारों के लिए प्रारम्भ से ही आवाज उठाई थी। पर वें जानते थे कि जब-तक स्त्रियां पढ़-लिख कर सशक्त नहीं होगी तब तक उनकी दशा नहीं सुधरेगी। और वें अपने अधिकारों के लिए सघर्ष करें और अपनी रक्षा करें।

महर्षि दयानन्द जी ने कहा था कि मातृ शक्ति के अभाव में कोई भी समाज अथवा राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, ऊँचा नहीं उठ सकता हैं। अतः स्त्रियों को पुरुषों की भांति ही शिक्षा देनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि बिना स्त्री शिक्षा के राष्ट्र का विकास सम्भव ही नहीं हो पायेगा। आज प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियाँ महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। कहा जाता है कि बच्चों की प्रथम अध्यापिका उसकी माँ होती है। जन्म से स्कूल जाने तक बालक सबसे अधिक अपनी माँ से ही सीखता है।

संचार क्रांति का स्त्री शिक्षा पर प्रभाव

संचार क्रांति इस सदी की एक महत्वपूर्ण घटना के समान है। यह संचार क्रांति का ही परिणाम है कि विश्व के किसी भी कोने में घटित घटना कुछ ही समय में संपूर्ण दुनिया में संचारित हो जाती है। इंटरनेट के आने से ज्ञान का विस्फोट हुआ है। सोशल नेटवर्किंग के आने के बाद से वार्तालाप करने के अवसर बढ़ते जा रहे हैं। हमारी जीवन शैली को संचार क्रांति और जनसंचार माध्यमों ने बदल कर रख दिया है। स्त्री शिक्षा पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। आज महिलाएँ देश के सर्वोच्च पदों पर आसीन हैं। ओलंपिक में ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली महिलाएँ बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं। इस तरह की सूचना जब लोगों तक पहुँचती है तो उनके विचारों में भी बदलाव आता है। अगर कोई निर्धन परिवार की महिला अच्छा कार्य कर रही है तो जनसंचार के माध्यमों की वजह से लोग उसके बारे में जानते हैं और उसके कार्य को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहयोग करते हैं।

स्त्री शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाएँ

पारिवारिक कारण

स्त्री शिक्षा के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा परिवार को माना गया है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग स्त्री शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं, ना ही समझना चाहते हैं। 100 छात्राओं में से 80 ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा कम रहने के पीछे का कारण परिवार को माना है। पारिवारिक बाधाओं में उन्होंने जिन कारणों को अधिक महत्वपूर्ण माना है वो निम्न है

- माता पिता का अशिक्षित होना।
- लड़कियों को पराया धन मानना।
- लड़कियों के प्रति पक्षपाती दृष्टिकोण।
- स्त्रियों को घर से बाहर ना जाने देना।
- स्त्रियों को पारिवारिक संवाद में शामिल न करना।

सामाजिक कारण

स्त्री शिक्षा के कम होने का दूसरा मुख्य कारण समाज में व्याप्त बुराइयों को माना गया है। 100 में से 90 छात्राओं ने स्त्री शिक्षा की बाधा को सामाजिक कारण बताया है। सामाजिक कारणों में जिन समस्याओं को मुख्य रूप से सामने लाया गया है वो निम्नवत् है—

- संकुचित दृष्टिकोण का होना।
- रूढ़िवादी समाज।
- खोखले रीति रिवाज।
- स्त्री को समाज में समान अधिकार ना देना।
- पुरुष प्रधान समाज।

आर्थिक कारण

स्त्री शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारणों में आर्थिक कारण भी प्रकाश में आये हैं। 95 प्रतिशत छात्राओं ने स्त्री शिक्षा में आर्थिक कारणों को महत्वपूर्ण बाधा के रूप में स्वीकार किया है।

संस्थागत कारण

स्त्री शिक्षा में बाधा का एक और महत्वपूर्ण कारण संस्थागत बाधा भी है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों प्रशासन द्वारा कभी-कभी कुछ ऐसी बाधाएँ उत्पन्न कर दी जाती हैं जिससे स्त्री शिक्षा के स्तर में गिरावट आती है।

- छात्राओं के लिए स्कूल, कालेज में शौचालयों की उचित व्यवस्था का न होना।
- शिक्षण शुल्क का अधिक होना।
- छात्राओं के लिए पृथक विद्यालयों का ना होना।
- महिला शिक्षिकाओं का अभाव होना।
- विद्यालय से घर की दूरी का अधिक होना।

अन्य समस्या

स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में यदि अन्य समस्या की बात की जाये तो वो निम्न समस्या है—

- यातायात की समस्या।
- समाज में बढ़ती अपराधिक प्रवृत्ति।
- ऑनलाइन शिक्षा साइबर बुलिंग।
- साइबर क्राइम।

स्त्री शिक्षा में वृद्धि हेतु कुछ सुझाव

स्त्री शिक्षा में वृद्धि की यदि बात की जाये तो समय-समय पर सरकार एवं गैरसरकारी संगठनों द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास किये जाते रहे हैं। वर्तमान में इस

समस्या से निपटने के लिए कुछ उपयोगी बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होगा।

- विद्यालयों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा समय-समय पर माता-पिता को स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में जागरूक करना। जिससे की उनमें स्त्री शिक्षा के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण में परिवर्तन आये।
- महिला विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए तथा स्कूल कालेजों आदि में शौचालयों आदि की पूर्ण व्यवस्था पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- शिक्षण में प्रगतिशील एवं मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाये।
- महिलाओं के लिए निर्देशन एवं परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए।
- महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए।
- बालिकाओं के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम, अल्पकालीन शिक्षा आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- बालिकाओं को अपनी बात रखने के लिए उचित मंच प्रदान किया जाये साथ ही उन्हें डिजिटल माध्यमों का सही उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाये।

निष्कर्ष

समय के साथ स्त्री शिक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। लेकिन ये अभी भी उतनी बेहतर स्थिति में नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा की समस्या आज भी गहन चिन्तन एवं विमर्श का विषय है। वर्तमान समाज में कभी परिवार, कभी रीति रिवाज, कभी समाज तो कभी त्याग और जिम्मेदारियां का हवाला देते हुए महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। हालांकि अब डिजिटल माध्यम उपलब्ध होने के कारण बहुत सी महिलाएं घर बैठे ही शिक्षा ग्रहण कर पा रहीं हैं। कुछ दूरस्थ शिक्षा के माध्यम का उपयोग करती हैं, परन्तु आज भी ग्रामीण समाज में महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा अशिक्षित है जिन्हें पुरुषों के समान शिक्षा के समान अवसर प्रदान

करके वर्तमान शिक्षा के प्रारूप को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। शिक्षा के बढ़ते स्तर के कारण भारी मात्रा में रोजगार का सृजन होता है। रोजगार में शिक्षित महिलाओं की बढ़ती हिस्सेदारी के कारण किसी राष्ट्र का आर्थिक, सामाजिक व वैश्विक ढाँचा सुदृढ़ होता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मंसूरी, के० आई०, एवं गुप्ता० यू० सी० (2008). भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास, चावला ऑफसेट प्रिन्टर्स दिल्ली।
2. शर्मा, आर० ए० (2007). भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास, आर लाल बुक डिपो, मेरठ।
3. भटनागर, सुरेश एवं कुमार, संजय (2006). भारत में शिक्षा का विकास, आर लाल बुक डिपो, मेरठ।
4. भारतीय आधुनिक शिक्षा, नई दिल्ली।
- 5- Indian education review NCERT.
- 6- Journal of India education NCERT.
- 7- Jayapalan (2001). Indian Society and Social Institutions, Atlantic Publisher & Distric.
- 8- Priyanka (2013). An Education Girl, an Education Future.
- 9- Report of education commission (2009)
- 10- Rajput, J. S. (1949). Education in a changing World- Practices and forces, Vikash Published House, New Delhi.
- 11- Saiyidain, K.G. (1965). Education; Science of education Raj Kamal Parkashan, New Delhi.
- 12- Sharma, R. A. (2003). Teacher Training Techonology, R.L. Book Depo, Meerut.
- 13- Rawat, P. L. (1968). History of Indian Education, Ram Prasad and Sons Agra.

लखनऊ नगर की संस्कृत संस्थाएँ एवं संस्कृत पत्र-पत्रिकाएँ

डॉ० पूजा जायसवाल*

अखिल भारतीय संस्कृत परिषद्

अखिल भारतीय संस्कृत-परिषद्, लखनऊ की स्थापना स्व० आचार्य नरेन्द्रदेव स्व० डॉ० सम्पूर्णानन्द, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति स्व० को० अ० सुब्रह्मण्य अय्यर तथा भूतपूर्व सत्र न्यायाधीश स्व० श्री गोपालचन्द्र सिंह प्रभृति संस्कृत के उन्नायकों और विद्वानों द्वारा सन् 1951 ई० में हुई थी। संस्कृत के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज, उनका संरक्षण तथा सम्पादन, प्रकाशन और हस्तलिखित ग्रन्थों की विवरणात्मक सूचियाँ तैयार करवाना, संस्कृत के दुर्लभ ग्रन्थों का संग्रह, संरक्षण तथा पुनर्मुद्रण करना, संस्कृत शिक्षा के लिए कक्षाएँ चलाना संस्कृत परिषद् का विशेष उद्देश्य है।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति को दृष्टि में रखकर परिषद् ने वर्ष 1958 ई० में एक पुस्तकालय, वाचनालय तथा शोध संस्थान की स्थापना की थी, जो महात्मा गाँधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ में मुन्नेलाल कागजी भवन के किराये के एक भाग में स्थित था।

परिषद् में लगभग 30,000 मुद्रित ग्रन्थ संग्रहीत हैं, जिनमें बहुसंख्यक ग्रन्थ दुष्प्राप्य अथवा अप्राप्य हैं। इसके अतिरिक्त पत्र-पत्रिकाएँ हैं। साथ ही लगभग 15,000 महत्त्वपूर्ण और प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ भी संग्रहीत हो चुके हैं, जिनमें से कुछ 600 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। 2500 से अधिक ग्रन्थ काश्मीर की प्राचीन शारदा लिपि में लिखे हुए हैं।

परिषद् अपने हस्तलिखित संग्रह में संग्रहीत ग्रन्थों में से लगभग 5000 ग्रन्थों की विवरणात्मक सूचियाँ पाँच खण्डों में प्रकाशित कर चुकी है। परिषद् अपने हस्तलिखित ग्रन्थ-संग्रह में से अनेक ग्रन्थों के प्रामाणिक संस्करणों का प्रकाशन भी कर चुकी है। परिषद् 'ऋतम्' नाम्नी बहुभाषीय षाण्मासिक शोधपत्रिका तथा 'अजस्रा' नाम्नी संस्कृत की शोधपरक तथा मौलिक रचनाओं की त्रैमासिक मंजूषा का भी प्रकाशन कर रही है।

स्व० पं० गोपीनाथ कविराज, स्व० प्रो० को० अ० सुब्रह्मण्य अय्यर, स्व० प्रो० लुड्विक स्टर्नबाख, स्व० डॉ० बाबूराम सक्सेना तथा स्व० श्री गोपाल चन्द्र सिंह जैसे संस्कृत के विद्वानों तथा उन्नायकों के सम्मानार्थ अभिनन्दन/स्मृति ग्रन्थों का प्रकाशन भी परिषद् के द्वारा किया जा चुका है। परिषद् अद्यावधि अनेक ग्रन्थों का सम्पादन कर चुका है। इन सभी प्रकाशनों की प्रशंसा देश-विदेश के विद्वानों द्वारा भी की गयी है। परिषद् की

ओर से नियमित रूप से संस्कृत कवि-सम्मेलनों, विद्वद्गोष्ठियों तथा व्याख्यानमालाओं का आयोजन भी किया जाता है।

परिषद् की उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण यह भवन अत्यन्त छोटा पड़ने लगा तथा 1983 ई० में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्राप्त अनुदान से अलीगंज लखनऊ में एक भूखण्ड का क्रय किया गया, जिसका क्षेत्रफल लगभग 36000 वर्ग फीट है। तदनन्तर यहाँ एक भव्य भवन का निर्माण हुआ और परिषद् अपने भवन में व्यवस्थित होकर अत्यन्त उत्कृष्टता को प्राप्त कर रहा है।

प्रमुख पाण्डुलिपियाँ-

स्थापना के समय परिषद् में लगभग 15000 महत्त्वपूर्ण पाण्डुलिपियाँ थीं, परन्तु परिषद् के उत्थान के साथ ही साथ पाण्डुलिपियों की संख्या में भी वृद्धि हुई। यहाँ पर संरक्षित पाण्डुलिपियों में प्रमुख रूप से- उहगान, ऊह्यगान, विदागान, वेयगान, सामवेद, माध्यन्दिनसंहिता, शांखायनश्रौतसूत्रटीका (अध्याय 10), केनोपनिषद्, चरणव्यूह, त्रिपुरोपनिषत्, रामायण (सतिलक), कारिकाशय, चिन्तामणिप्रकाश, तत्त्वचिन्तामणि, योगयाज्ञवल्क्य अथवा याज्ञवल्क्य-योग, देशिकेन्द्रवेदान्त, स्वप्रबोधविलास, सर्वदर्शनवाच्यार्थसार, ईश्वरप्रत्यभिज्ञा अथवा प्रत्यभिज्ञा, तत्त्वप्रकाश, तन्त्रवटधानिका, तन्त्रालोक, परमार्थसार, प्रत्यभिज्ञाहृदय, महानयप्रकाश, शिवसूत्रविमर्शिनी, सम्बन्धसिद्धि, स्पन्दविवृति, स्पन्दसर्वस्व, उपदेशमाला, कल्याणमन्दिर स्त्रोतम्, शान्तिनाथचरित, परमात्मप्रकाश, स्तोत्रावली, ज्ञानामृतसायनस्तोत्र, तन्त्रकौमुदी, वामकेश्वरीमतविवरण, स्वच्छन्दाकद्योत, कलादीक्षाविधि, गायत्रीव्याख्यान, कविकर्पटिका, दृष्टान्तशतक, काव्यप्रकाशविस्तारिका, काव्यलतावृत्ति, रागमाला इत्यादि हैं।

प्रकाशित प्रमुख ग्रन्थ-

English-Sanskrit dictionary by Sir Monier Williams, Sanskrit first lessons by Dr. J. R. Ballantyne, A Catalogue of Manuscripts in the Akhil Bhartiya Sanskriti Parishad Lucknow (first Series), Vedant paribhasha by Dr. Acharya Shri Anand Jha, Sansara Sagara Manthanam Hindi, Kaviraj Abhinandan Granth, A Catalogue of manuscripts in the Akhil Bhartiya Sanskrit Parishad Lucknow (Second Series) Veda &

* सहायक अध्यापिका, बेसिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र०

Vedant, Smriti, itihās, Purān, Darshan, bhakthi, Tantra, Agam etc. Studies in ancient Indian seals by Shri K K Thapalyal, Sudha bhojanam by Dr A K Kalia, Laksmi Tantra Dharma aur Darshan by Dr A K Kalia, डॉ० बाबूराम सक्सेना अभिनन्दनग्रन्थ, भारविमधिकृत्य डॉ० सत्यव्रत सिंह इत्यादि।

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान

उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश में संस्कृत, पालि तथा प्राकृत भाषा के सम्यक् विकास एवं प्रोत्साहन हेतु उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 31 दिसम्बर 1976 ई० को की। संस्थान के कार्य संचालन हेतु समय-समय पर शासन द्वारा अध्यक्ष एवं निदेशक की नियुक्ति की जाती है। उत्तर प्रदेश शासन में संस्कृत संस्थान का प्रशासनिक विभाग 'भाषा-विभाग' है। अध्यक्ष के निर्देशन पर निदेशक अपने कर्मचारियों के माध्यम से समस्त कार्यों का निष्पादन करते हैं।

उद्देश्य-

1. संस्कृत भाषा तथा उसके साहित्य का संरक्षण करना, उसे प्रोत्साहित करना तथा विकास हेतु योजनाओं का निर्माण।
2. संस्कृत पालि और प्राकृत के हस्तलिखित दुर्लभ और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का तथा संस्कृत शिक्षण से सम्बन्धित आवश्यक पुस्तकों का प्रकाशन करना।
3. संस्कृत की वैज्ञानिक तथा अन्य महत्त्वपूर्ण कृतियों के हिन्दी और अन्य दूसरी भाषाओं में अनुवाद और उनके प्रकाशन की व्यवस्था करना।
4. संस्कृत लेखकों की महत्त्वपूर्ण कृतियों के प्रकाशन में सहायता देना।
5. संस्कृत लेखकों की प्रकाशित उत्कृष्ट कृतियों पर पुरस्कार देना।
6. संस्कृत भाषा तथा साहित्य के वृद्ध तथा विपन्न विद्वानों को आर्थिक सहायता देना।
7. संस्कृत भाषा के उच्च अध्ययन के निमित्त निर्दिष्ट अवधि के लिए सुविधाएँ एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना।
8. संस्कृत वाङ्मय के विभिन्न पक्षों पर अधिकारी विद्वानों के भाषण आयोजित करना।
9. विशिष्ट कोटि के संस्कृत के विद्वानों और साहित्यकारों को पुरस्कृत एवं सम्मानित करना।
10. संस्कृत भाषा और साहित्य के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित गोष्ठियाँ, कवि सम्मेलन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि आयोजित करना।
11. संस्कृत पत्रिकाओं का प्रकाशन करना।

12. आकाशवाणी दूरदर्शन तथा अन्य प्रचार माध्यमों द्वारा संस्कृत भाषा और साहित्य के प्रचार-प्रसार करना।
13. संस्कृत भाषा और साहित्य के विकास से सम्बन्धित संस्थाओं, अनुसन्धानशालाओं, पुस्तकालयों आदि को सहायता देना।
14. संस्कृत की प्रख्यात संस्थाओं से आदान-प्रदान करना तथा सम्पर्क करना।
15. संस्कृत के विकास के लिए केन्द्र सरकार से, राज्य सरकारों से अथवा अन्य संस्थाओं और व्यक्तियों आदि से सहायता प्राप्त करना।

प्रमुख प्रकाशन-

संस्कृत वाङ्मय का वृहद् इतिहास 18 खण्डों में प्रकाशित है। जिसके प्रथम प्रधान सम्पादक पद्मविभूषण आचार्य बलदेव उपाध्याय हैं। इसके 18 खण्ड तथा उसके सम्पादक इस प्रकार हैं- वेद खण्ड- प्रो. ब्रजबिहारी चौबे, वेदाङ्ग खण्ड- प्रो. ओम् प्रकाश पाण्डेय, आर्षकाव्य खण्ड- प्रो. भोलाशंकर व्यास, काव्यखण्ड- प्रो० राधावल्लभ त्रिपाठी, गद्य (चम्पू) खण्ड- प्रो० जयमन्त मिश्र, आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास- प्रो० जगन्नाथ पाठक, काव्यशास्त्र- प्रो० करुणापति त्रिपाठी, न्याय खण्ड- प्रो० गजानन शास्त्री मुसलगांवकर, वेदान्त खण्ड- प्रो० संगम लाल पाण्डेय, तन्त्रागम खण्ड- प्रो० ब्रजबल्लभ द्विवेदी, जैन-बौद्ध-चार्वाक दर्शन खण्ड- प्रो० रामशंकर त्रिपाठी, पुराण खण्ड- प्रो० गंगाधर पण्डा, व्याकरण खण्ड- प्रो० गोपालदत्त पाण्डेय, ज्योतिष खण्ड- प्रो० रामचन्द्र पाण्डेय, आयुर्वेद खण्ड- सप्तदश प्रो० रामनाथ द्विवेदी, प्रो० रविदत्त त्रिपाठी, प्रकीर्ण खण्ड- प्रो० श्रीकिशोर मिश्र। इसके अतिरिक्त सरल संस्कृतम्- श्री प्रयागदत्त चतुर्वेदी, स्तुतिमणि माला (प्रथम-द्वितीय)- आचार्य करुणापति त्रिपाठी, दावानल- डॉ० श्रीनाथ हसूरकर, मदीयात्मकथा- आचार्य करुणापति त्रिपाठी, संस्कृत प्रभा- डॉ० कपिलदेव द्विवेदी, पाणिनि तथा संस्कृत के अन्य-अल्पज्ञात कवियों की रचनायें डॉ० प्रभात शास्त्री, संक्षिप्त महाभारत प्रथम खण्ड- आचार्य करुणापति त्रिपाठी, संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खण्ड- डॉ० प्रभुनाथ द्विवेदी, कालिदास-ग्रन्थावली- आचार्य सीताराम चतुर्वेदी इत्यादि।

पुरस्कार योजना-

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा प्रति वर्ष संस्कृत के सम्बद्ध एवं साहित्य के सृजन में लगे हुए संस्कृत के लब्धप्रतिष्ठ 50 विद्वानों को 5,01,000 रुपये के विश्व-भारती पुरस्कार से लेकर 11,000 रुपये तक के विविध पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। वे पुरस्कार निम्न प्रकार से हैं- विश्व-भारती, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, महर्षि व्यास पुरस्कार, महर्षि नारद पुरस्कार, विशिष्ट

पुरस्कार, वेद-पण्डित पुरस्कार, नामित पुरस्कार, विशेष पुरस्कार तथा विविध पुरस्कार।

प्रशिक्षण योजना-

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा मुख्यालय सहित सम्पूर्ण उत्तर-प्रदेश में शिविर के माध्यम से संस्कृत भाषा का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही साथ संस्कृत शिविर के माध्यम से शुद्ध कर्मकाण्ड एवं ज्योतिष की शिक्षा प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (लखनऊ परिसर)

यह परिसर लखनऊ के गोमती नगर के विशाल खण्ड में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1986 ई0 में की गयी। इस परिसर में विद्यावारिधि (पीएच-डी0) शिक्षा शास्त्री एवं व्याकरण, साहित्य, बौद्ध दर्शन, ज्योतिष और वेद में आचार्य (पी0 जी0) शास्त्री (यू0 जी0) और प्राक् शास्त्री (इण्टरमीडिएट) स्तर के पाठ्यक्रम संचालित होते हैं। हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति-विज्ञान, अर्थशास्त्र, संगणक शिक्षा जैसे आधुनिक विषयों का अध्यापन भी पारम्परिक विषयों के साथ ही प्राक् शास्त्री एवं शास्त्री के पाठ्यक्रमों में शामिल है।

इस परिसर में जिमनेजियम और खेल का विस्तृत मैदान भी है। पारम्परिक एवं आधुनिक पुस्तकों से परिपूर्ण एक व्यवस्थित सुसज्जित पुस्तकालय भी है। इस परिसर में पालि अध्ययन की शुरुआत 2009-2010 में प्रारम्भ हुई।

उद्देश्य

पारम्परिक संस्कृत विद्या व शोध के प्रचार, विकास व प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान की स्थापना की गयी है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं।

1. संस्कृत विद्या की सभी विधाओं में शोध का आरम्भ, अनुदान, प्रोत्साहन तथा संयोजन करना है, साथ-साथ शिक्षक-प्रशिक्षण तथा पाण्डुलिपि विज्ञान आदि को भी संरक्षण देना जिससे पाठमूलक प्रासंगिक विषयों में आधुनिक शोध के निष्कर्ष के साथ सम्बन्ध स्पष्ट किया जा सके तथा इनका प्रकाशन हो सके।
2. संस्कृत के संवर्धन हेतु भारत सरकार की नीतियों एवं योजनाओं को लागू करना।
3. शोध एवं ज्ञान के प्रसार एवं विकास के लिए समुचित मार्गदर्शन एवं व्यवस्था करना।
4. उन शैक्षणिक क्षेत्रों में अनुदेश एवं प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना जो निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हों और संस्थान जिन्हें उचित समझता हो।
5. मुक्त शिक्षा विस्तारित योजनाएँ एवं दूरस्थ क्रिया-कलाप जो समाज के विकास में योगदान देते हों, उनका उत्तरदायित्व लेना।

6. इसके अतिरिक्त उन सभी उत्तरदायित्वों एवं कार्यों का निष्पादन करना जो संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक या वांछित हो।
7. पालि तथा प्राकृत भाषा का विकास करना।

गतिविधियाँ-

राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान निम्नलिखित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु कृतसंकल्प है।

1. प्राथमिक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक परम्परागत पद्धति से संस्कृत के अध्ययन, अध्यापन को संचालित करना एवं विद्यावारिधि उपाधि प्राप्ति हेतु शोधकार्य का प्रबन्ध करना।
2. स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सेवापूर्ण शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करना।
3. स्वैच्छिक एवं संयुक्त परियोजनाओं को लागू करने में अन्य महत्त्वपूर्ण संस्थाओं के साथ सहयोग स्थापित करना।
4. पाण्डुलिपि संग्रहालय की स्थापना के साथ-साथ अप्राप्त एवं दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का सम्पादन और प्रकाशन आदि की व्यवस्था करना।
5. संस्कृत के मौलिक ग्रन्थों के प्रकाशन हेतु अनुदान देना।
6. संस्कृत में प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं को अनुदान देकर प्रोत्साहित करना।
7. पारम्परिक पद्धति से प्राथमिक (प्रथमा) स्तर से स्नातकोत्तर (आचार्य) स्तर पर्यन्त परीक्षाओं का आयोजन करना।
8. संस्कृत शिक्षण के संवर्धन हेतु देश के विभिन्न भागों में पारम्परिक पद्धति से संस्कृत शिक्षणरत संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करना।
9. अवकाश प्राप्त अनुभवी संस्कृत विद्वानों की शास्त्राचूडामणि योजना के अन्तर्गत नियुक्तकर, विभिन्न संस्थाओं में पदस्थापित करना।
10. कार्यरत संस्कृत प्राध्यापकों के ज्ञानवर्धन हेतु पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन करना।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् लखनऊ

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् शाहमीना रोड लखनऊ का गठन राज्य सरकार की अधिसूचना सं0 102 सा0/15/09/2001-25(72)/96 दिनांक 17/02/2001 द्वारा किया गया। माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् का कार्यालय राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज शाहमीना रोड लखनऊ के परिसर में स्थापित किया गया है।

संस्कृत शिक्षा परिषद् अधिनियम 2000 के प्रवृत्त हो जाने के फलस्वरूप राज्य स्तर पर प्रथमा से उत्तर

मध्यमा स्तर तक की परीक्षाओं की संचालन एवं अंक पत्र तथा प्रमाण-पत्र वितरित करने का अधिकार वर्ष 2002 से संस्कृत शिक्षा परिषद् लखनऊ में निहित है। वर्तमान समय में कुल 1151 विद्यालय/महाविद्यालय उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् के द्वारा संचालित होते हैं, जो 30 प्र0 के सभी जिलों में स्थापित हैं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् पाँच पाठ्यक्रम की परीक्षाएँ आयोजित करता है। इन पाठ्यक्रमों की सूची तथा समकक्षता इस प्रकार है—

पाठ्यक्रम	समकक्षता	पाठ्यक्रम	समकक्षता
प्रथमा	कक्षा-8(जूनियर हाई स्कूल)	पूर्व मध्यमा प्रथम	कक्षा-9
पूर्व मध्यमा द्वितीय	कक्षा-10(हाई स्कूल)	उत्तर मध्यमा प्रथम	कक्षा-11
उत्तर मध्यमा द्वितीय	कक्षा-12 (इण्टरमीडिएट)		

संस्कृत शिक्षा परिषद् की स्थापना का उद्देश्य—

1. प्रदेश स्तर पर प्रथमा से उत्तर मध्यमा स्तर तक की परीक्षाओं का आयोजन करना।
2. पाठ्यक्रम संशोधन, परिवर्तन, सम्वर्धन का कार्य करना।
3. प्रदेश स्तर पर मान्यता के इच्छुक नवीन संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना।
4. संस्कृत शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु गोष्ठियों का आयोजन करना।
5. माध्यमिक शिक्षा की भाँति प्रदेश में संचालित संस्कृत विद्यालयों में प्रशासन योजना लागू करना।
6. पाठ्य-पुस्तकों का निर्धारण करना।
7. परीक्षा शुल्क का निर्धारण करना।

लखनऊ में माध्यमिक संस्कृत विद्यालय—

संस्कृत के अध्ययन एवं प्रचार-प्रसार हेतु लखनऊ नगर में उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् लखनऊ से सम्बद्ध अनेक विद्यालय संचालित हो रहे हैं। जिनका उद्देश्य पारम्परिक ज्ञान का संरक्षण एवं संवर्धन है। यह विद्यालय निम्नलिखित हैं।

1. श्री शारदा संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 103, विद्यान्त मार्ग, सुन्दरबाग लालकुआँ, लखनऊ।
2. शिव प्रसाद संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छितवापुर पंजाबी लखनऊ।
3. नवल किशोर संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 75, हजरतगंज, लखनऊ।

4. गुरुकुल आश्रम उच्चतर माध्यमिक संस्कृत विद्यालय से. डी जानकीपुरम्, लखनऊ।
5. लक्ष्मी महिला विद्यापीठ उच्चतर माध्यमिक संस्कृत विद्यालय 181, गौतमबुद्ध मार्ग, लखनऊ।
6. बाबा दौलतगिरि संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरि नगर दुगावा, लखनऊ।
7. श्री धर्म शंकर महाविद्यालय गणेशगंज, लखनऊ कक्षा-11

संस्कृत भारती

स्व0 बाबासाहब आस्टे संस्कृत के परम आग्रही थे और स्वयं सेवकों को संस्कृत सीखने हेतु तथा उसके प्रचार-प्रसार के लिए प्रेरित किया करते थे। उनकी प्रेरणा से प्रान्तीय तथा स्थानीय स्तर पर भारत संस्कृत परिषद् स्वाध्याय मण्डलम् विश्व संस्कृत प्रतिष्ठान इत्यादि विभिन्न प्रतिष्ठान क्रियाशील हुए। फरवरी 1996 ई0 में विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले सम्पूर्ण देश के कार्यकर्ता दिल्ली में एकत्रित हुए, जहाँ उपर्युक्त सभी संस्थाओं का विलय करके अखिल भारतीय स्तर पर संस्कृत भारती की स्थापना की गयी।

उद्देश्य एवं क्रिया-कलाप

संस्कृत का प्रचार-प्रसार एवं संस्कृत सम्भाषण शिविरों के द्वारा लोगों को संस्कृत भाषा सिखाकर इसे व्यवहारिक भाषा के रूप में पुनर्जीवित करना। संस्कृत भारती द्वारा संस्कृत सम्भाषण शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिनमें दश दिनों तक प्रतिदिन 2 घण्टे प्रशिक्षण के द्वारा प्रशिक्षु संस्कृत में सम्भाषण योग्य हो जाते हैं। संस्कृत सम्भाषण सिखाने हेतु संस्कृत के आचार्यों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अब तक ऐसे बहुसंख्यक आचार्यों द्वारा अनेकों लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

चार भाषाओं में संस्कृत अध्ययन की योजना प्रारम्भ हो चुकी है, पत्राचार के माध्यम से कार्यान्वित होने वाली इस योजना से हजारों की संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। संस्कृत भारती द्वारा कुछ अन्य प्रयास भी किये जा रहे हैं, जिनमें संस्कृत परिवार योजना, संस्कृत ग्राम योजना, संस्कृत बाल केन्द्रम् योजना के द्वारा खेल-खेल में संस्कृत और संस्कृति का ज्ञान दिया जाता है।

पत्र-पत्रिकाएँ

संस्कृत साहित्य को समृद्धशाली बनाने में एवं रचनाधर्मिता को बढ़ावा देने में संस्कृत की पत्र-पत्रिकाओं का महनीय योगदान है। पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन आधुनिक काल के प्रवर्तित होने के साथ ही आरम्भ हुआ पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से संस्कृत के विकास क्रम को बनाए रखने के लिए पत्रिकाओं के प्रकाशन का कार्य सर्वप्रथम वाराणसी से प्रारम्भ होता है क्योंकि 19वीं सदी में संस्कृत की प्रथम विशुद्ध पत्रिका 1 जून 1966 में

वाराणसी के राजकीय संस्कृत विद्यालय से 'काशीविद्यासुधानिधि' नामक पत्रिका प्रकाशित हुई। इसके बाद 1887 से 1977 तक 'पण्डित' पत्रिका प्रकाशित होती रही। संस्कृत पत्रकारिता के उद्भव काल की द्वितीय पत्रिका 'प्रत्नक्रमनन्दिनी' का प्रकाशन 'काशीविद्यासुधानिधि' पत्रिका के 1 वर्ष बाद वाराणसी से ही हुआ। इसके बाद लाहौर से 'विद्योदय' पत्रिका का प्रकाशन अप्रैल 1872 में हुआ, जिसके सम्पादक ऋषिकेश भट्टाचार्य थे। यह आधुनिक युग की एक महत्त्वपूर्ण पत्रिका थी। इसके लिए मैक्समूलर ने कहा है, "There is also a Vidyodaya's the rise of knowledge a sanskrit Journal Published at Calcutta which contains important Articles."

इसके बाद से ही पत्रिकाओं का प्रकाशन निर्बाध गति से हो रहा है। यथा— संस्कृतचन्द्रिका, सुनृतवादिनी, मित्रगोष्ठी, प्राच्यज्योति, गाण्डीवम्, पाटलश्री, संस्कृतामृतम्, सूक्तिसुधा, शारदा इत्यादि। वर्तमान में भी अनेक संस्कृत पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है, जिनमें भारती, विश्व-संस्कृतम्, दिव्य-ज्योति, सागरिका, संस्कृतश्री, गुरुकुल शोध पत्रिका इत्यादि उल्लेखनीय हैं। इन पत्रिकाओं के प्रकाशन का मूल उद्देश्य अप्राप्त संस्कृत ग्रन्थों का प्रकाशन करना तथा जन-जन तक संस्कृत भाषा को पहुँचाना है।

साहित्य की विविध विधाओं को आधार बनाकर पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया। यथा— कथा, व्यङ्ग्य, निबन्ध, आलोचना, काव्य आदि। दैनिक समाचार पत्रों के साहित्यिक परिशिष्टों में हम इन सभी विधाओं को विभिन्न रूप में देख और पढ़ सकते हैं। अतः पत्र-पत्रिकाएँ भी साहित्यिक अभिरुचि को जन-जन तक पहुँचाने का एक उत्कृष्ट साधन है। संस्कृत पत्र-पत्रिकाओं के विकास पर यदि सूक्ष्म दृष्टिपात किया जाय तो पत्र-पत्रिकाएँ सामाजिक सौहार्द एवं सामंजस्य का पत्रिबिम्ब हैं। यह आधुनिक संस्कृत साहित्य की दिशा में एक समुज्ज्वल और नितान्त उपादेय आयाम है। भारतवर्ष में संस्कृत पत्रकारिता का अंकुर मुगलकाल से ही प्राप्त होने लगा था, तथापि व्यवस्थित रूप से इसने ब्रिटिश शासनोपरान्त ही प्राप्त किया है।

20वीं शताब्दी का आरम्भ संस्कृत पत्र-पत्रिकाओं के विकास का युग था। इस अवधि में प्रायः देश के सभी भागों में अनेक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशन का शुभारम्भ हुआ। पत्र-पत्रिकाओं के विकास के लिए यह स्वर्णकाल था, जिसमें भारतधर्म (1901 ई0), श्रीकाशी पत्रिका (1907 ई0), विद्या (1913 ई0), शारदा (1915 ई0), संस्कृत साकेतम् (1920 ई0) इत्यादि महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ।

स्वातन्त्र्यकालीन पत्रिकाओं में प्रमुख रूप से आनन्द पत्रिका (1923 ई0), गीर्वाण (1924 ई0), श्री (1931 ई0) उषा (1934 ई0), संस्कृत ग्रन्थमाला (1936 ई0), भारतश्री (1940 ई0) इत्यादि उल्लेखनीय हैं। श्री केदारनाथ शर्मा के सम्पादकत्व में 1938 ई0 में कानपुर से अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलन का मासिक मुख पत्र 'संस्कृत रत्नाकरः' आरम्भ हुआ।

स्वातन्त्र्योत्तरकालीन संस्कृत की प्रमुख पत्रिकाओं के नाम इस प्रकार हैं। ब्राह्मणमहासम्मेलनम् (1948 ई0), गुरुकुल पत्रिका (1948 ई0), भारती (1950 ई0), संस्कृत भवितव्यम् (1952 ई0), दिव्यज्योति (1956 ई0), शारदा (1959 ई0), विश्वसंस्कृतम् (1963 ई0), संविद् (1965 ई0), गाण्डीवम् (1966 ई0), सुप्रभातम् (1976 ई0), संस्कृतश्री (1976 ई0), प्रभातम् (1980 ई0), लोकसंस्कृतम् (1983 ई0), ब्रजगन्धा (1988 ई0), श्यामला (1989 ई0) इत्यादि।

बीसवीं शताब्दी में संस्कृत पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन में लखनऊ नगर का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। सम्प्रति लखनऊ नगर से संस्कृत की अनेक शोध-पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं। जिनका विवरण निम्न प्रकार से है—

1. **बाल संस्कृतम्**— उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान न्यू हैदराबाद, लखनऊ।
2. **परिशीलनम्**— (षण्मासिकी) उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान न्यू हैदराबाद, लखनऊ। वर्तमान सम्पादक— प्रो0 आजाद मिश्र।
3. **संस्कृत-वाङ्मयी**— (वार्षिकी) संस्कृत तथा प्राकृत भाषा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। सम्पादक— अध्यक्ष, संस्कृत तथा प्राकृत भाषा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ।
4. **वीथिका**— (वार्षिकी) ए, 888 सेक्टर 1, आशियाना, लखनऊ। सम्पादक— मंजुल त्रिवेदी।
5. **सर्वगन्धा**— (मासिकी) माई जी मन्दिर, अशरफाबाद, लखनऊ।
6. **वास्तवभारतीयम्**— (मासिकी) दीनदयालु नगर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ। सम्पादक— डॉ0 कृष्णकुमार मिश्र।
7. **अजस्रा**— (त्रैमासिकी) अखिल भारतीय संस्कृत परिषद् अलीगंज, लखनऊ। सम्पादक— प्रो0 अशोक कुमार कालिया।
8. **प्रभातम्**— (त्रैमासिकी) समन्वय कुटीर, राजाजीपुरम्, लखनऊ।
9. **कोसल**— अवध का भारतीय शोधसमाज, 424 सी, वैशाली इन्वलेव एक्सटेन्सन, सेक्टर 9, इन्दिरानगर, लखनऊ। सम्पादक— प्रो0 रमाशंकर मिश्र।

10. **ज्ञानायनी**— राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, गोमती नगर लखनऊ। सम्पादक— प्रो० शिशिर पाण्डेय।
11. **साहित्य समाख्या**— राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, गोमती नगर लखनऊ। सम्पादक— प्रो० रामलखन पाण्डेय।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- 1 संस्कृत का समाजशास्त्र— हीरालाल शुक्ल पृष्ठ सं० 127–129
- 2 हिन्दी पत्रकारिता पृष्ठ 167–168